



सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड  
डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड  
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)  
एक मिनी रत्न कंपनी (कैट-1)

भारत की

# बढ़ती ऊर्जा

जरूरतों की  
पूर्ति



वार्षिक प्रतिवेदन  
एवं लेखा



2023-24



# 49वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

## 2023-2024



सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

मिनी रत्न कंपनी (कैट-I)

आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित

गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड  
राँची — 834008

सीआईएन : यू14292 जेएच1975 जीओआई 001223

वेबसाइट : [www.cmpdi.co.in](http://www.cmpdi.co.in)

## विजन

बढ़ते भू-संसाधन के क्षेत्र तथा संबंधित (व्यवसायिक) क्रिया-कलापों में वैश्विक बाजार का नेतृत्व करना।

## मिशन

प्रमुख परामर्शदाता के रूप में भारत तथा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी कोयला, गवेशण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संपूर्ण परामर्शी सेवा प्रदान करना।

## सीएमपीडीआईएल की प्रबंधन नीति

कोयला एवं अन्य खनिज संसाधन के गवेषण तथा खान आयोजन, डिजाइन, सम्बद्ध अभियंत्रण तथा प्रबंधन प्रणाली में परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएमपीडीआईएल विस्तृत भू-संसाधन क्षेत्र तथा अन्य व्यावसायिक क्रिया-कलापों में बाजार में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है।

हम निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं :-

कोयला और अन्य खनिज संसाधनों के गवेषण तथा खान आयोजन (माइन प्लानिंग, डिजाइन, सम्बद्ध अभियंत्रण) डिजाइन सम्बद्ध अभियंत्रण तथा प्रबंधन प्रणाली में परामर्श सेवा देने के उद्देश्य से सीएमपीडीआईएल बढ़ते भू-संसाधन क्षेत्र तथा अन्य व्यावसायिक क्रिया-कलापों में अग्रणी परामर्शदाता के रूप में बाजार का नेतृत्वकर्ता (मार्केट लीडर) बनने का प्रयास कर रहा है। हम निम्नलिखित के प्रति समर्पित हैं :

1. पर्यावरण, सूचना सुरक्षा तथा ऊर्जा उपलब्धि पर सम्यक (यथोचित) ध्यान देते हुए अपने परामर्श एवं अन्य सहायता सेवाओं की गुणवत्ता में सतत सुधार लाना।
2. उत्पन्न अपशिष्ट में लगातार (दृढ़तापूर्वक) कमी लाकर, पुनः उपयोग कर तथा उसके कुछ भाग को पुनर्चक्रित (रिसाइक्लिंग) कर; हमारे कार्यों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम कर पर्यावरण को संरक्षित करना।
3. गुणवत्ता, पर्यावरण, ऊर्जा तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।
4. व्यापार निरंतरता बनाए रखने के लिए खतरों (जोखिम) तथा व्यवधानों से अपनी सूचना संपदा (परिसम्पत्ति) को बचाए रखना तथा सूचना सुरक्षा कार्यनिष्पादन में सतत सुधार लाना।
5. कानूनी एवं अन्य सभी प्रयोज्य (लागू) आवश्यकताओं (अपेक्षाओं) का अनुपालन।

### कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डरों के लिए सामान्य नोट

सीएमपीडीआईएल का वार्षिक लेखा विवरण जाँच के लिए मुख्यालय में रखा रहेगा तथा कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयर होल्डर के माँगने पर जानकारी देने के लिए भी उपलब्ध रहेगा।



## विषय-सूची

| क्र. सं. | विषय                                                                                                      | पृष्ठ संख्या |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.       | 2023-2024 के दौरान प्रबन्धन                                                                               | 01           |
| 2.       | 05.07.2024 के अनुसार निर्देशक मंडल के सदस्य                                                               | 02           |
| 3.       | बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय                                                                    | 03           |
| 4.       | 49वें वार्षिक आम बैठक की सूचना                                                                            | 04           |
| 5.       | अध्यक्ष का कथन                                                                                            | 06           |
| 6.       | उपलब्धि : एक नजर में                                                                                      | 18           |
| 7.       | वित्तीय पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी                                                                          | 19           |
| 8.       | निदेशक-मंडल की रिपोर्ट                                                                                    | 21           |
| 9.       | निदेशक-मंडल की रिपोर्ट की अनुसूची                                                                         | 131          |
| 10.      | सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण-पत्र                                                                                | 139          |
| 11.      | निगमित शासकीय प्रमाण-पत्र                                                                                 | 140          |
| 12.      | सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर तथा सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर | 150          |
| 13.      | धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधन का उत्तर           | 192          |
| 14.      | निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट                                                        | 194          |
| 15.      | लेखे का अंकेक्षित विवरण                                                                                   | 197          |
| 16.      | नकद प्रवाह (कैशफ्लो) विवरण के साथ-साथ लेखे पर टिप्पणी                                                     | 207          |
| 17.      | महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा खण्डवार विवरण सहित लेखे पर टिप्पणी                                               | 259          |

# 31.03.2024 को निदेशक मंडल की स्थिति

## अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक



श्री मनोज कुमार

## कार्यकारी निदेशक



श्री शंकर नागाचारी



श्री अजय कुमार



श्री सतीश झा



श्री अच्युत घटक

## अंशकालिक सरकारी निदेशक



डॉ. बी. वीरा रेड्डी



श्री अजितेश कुमार

## कंपनी सचिव



श्री अभिषेक मुँधड़ा

## वर्ष 2023-2024 के दौरान प्रबंधन

### कार्यकारी निदेशक

|                              |   |                                               |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| श्री मनोज कुमार              | : | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (04.10.2021 से)      |
| श्री रवीन्द्र नाथ झा         | : | निदेशक (तकनीकी) (30.01.2019 से 31.08.2023 तक) |
| श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता | : | निदेशक (तकनीकी) (25.02.2020 से 30.09.2023 तक) |
| श्री शंकर नागाचारी           | : | निदेशक (तकनीकी) (02.09.2022 से)               |
| श्री अजय कुमार               | : | निदेशक (तकनीकी) (26.10.2022 से)               |
| श्री सतीश झा                 | : | निदेशक (तकनीकी) (01.09.2023 से)               |
| श्री अच्युत घटक              | : | निदेशक (तकनीकी) (01.10.2023 से)               |

### अंशकालिक सरकारी निदेशक

|                        |   |                                                                                |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| डॉ. बी. वीरा रेड्डी    | : | निदेशक(तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, (24.02.2022 से)                            |
| श्री मनोज कुमार गुप्ता | : | उप सचिव (ईए/सीएसआर & डब्ल्यू), कोयला मंत्रालय<br>(22.02.2022 से 27.12.2023 तक) |
| श्री अजितेश कुमार      | : | निदेशक (पी एंड एस-I, पी एंड एस- II/एनए), कोयला मंत्रालय<br>(27.12.2023 से)     |

### स्थायी आमंत्रित सदस्य

|                   |   |                                                                 |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| श्री अजितेश कुमार | : | निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (13.01.2020 से 26.12.2023 तक) |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------|

### कम्पनी सचिव

|                     |   |                                                |
|---------------------|---|------------------------------------------------|
| श्री अभिषेक मुंघड़ा | : | वरीय प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव(18.02.2016 से) |
|---------------------|---|------------------------------------------------|

## वर्ष 2023-2024 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

### कार्यकारी निदेशक

|                    |   |                          |
|--------------------|---|--------------------------|
| श्री मनोज कुमार    | : | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक |
| श्री शंकर नागाचारी | : | निदेशक (तकनीकी)          |
| श्री अजय कुमार     | : | निदेशक (तकनीकी)          |
| श्री सतीश झा       | : | निदेशक (तकनीकी)          |
| श्री अच्युत घटक    | : | निदेशक (तकनीकी)          |

### अंशकालिक सरकारी निदेशक

|                      |   |                                                         |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------|
| डॉ. बी. वीरा रेड्डी: | : | निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, कोल्कता            |
| श्री अजितेश कुमार    | : | निदेशक (पी एंड एस-I, पी एंड एस- II/एनए), कोयला मंत्रालय |

### कम्पनी सचिव

|                     |   |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|
| श्री अभिषेक मुंढड़ा | : | वरीय प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव |
|---------------------|---|---------------------------------|



## निगमित सूचना

### निबंधित कार्यालय

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,  
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची- 834008 (झारखंड), भारत  
सीआईएन: यू14292 जेएच1975 जीओआई 001223  
वेब साइट: [www.cmpdi.co.in](http://www.cmpdi.co.in)

### बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक  
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  
एक्सिस बैंक  
केनरा बैंक  
एचडीएफसी बैंक  
आईसीआईसीआई बैंक  
पंजाब नेशनल बैंक  
इंडियन ओवरसीज बैंक  
यूको बैंक  
बैंक ऑफ इंडिया।

### लेखा परीक्षक

वैधानिक लेखा परीक्षक  
मेसर्स केसी टाक एंड कंपनी, रांची  
सचिवीय लेखा परीक्षक  
मेसर्स मेहता एंड मेहता , मुंबई  
कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिटर  
मेसर्स मेहता एंड मेहता , मुंबई  
लागत लेखा परीक्षक  
मेसर्स विजेंदर शर्मा एंड कंपनी  
डिपॉजिटरी  
मेसर्स नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड  
रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट  
मेसर्स एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड  
आईएसआईएन  
आईएनई 05एचवी01019

## 49वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024 को अपराह्न 3:00 बजे से पंजीकृत कार्यालय, राँची में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों(ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी :-

### क. सामान्य व्यवसाय:

1. 31 मार्च 2024 तक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा, साथ ही भारत के सांविधिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना।
2. मार्च, 2024 में कंपनी के 14,28,000 इक्विटी शेयरों पर 100,00,14,120/- रुपये यानी 700.29 रुपये प्रति शेयर (प्रति शेयर लाभांश) के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और जून, 2024 के महीने में 14,28,000 इक्विटी शेयरों पर बोर्ड द्वारा अनुशंसित 50,97,10,320/- रुपये यानी 356.94 रुपये प्रति शेयर (प्रति शेयर लाभांश) के अंतिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी देना, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 150,97,24,440/- रुपये लाभांश के रूप में होगा।
3. डॉ. बी. वीरा रेड्डी (डीआईएन: 08679590) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, स्वयं के पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं।
4. श्री शंकर नागचारी (डीआईएन: 09729657) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो पूर्णकालिक निदेशक हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण, स्वयं के पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं।

### टिप्पणियाँ:-

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 तथा 10/2022 दिनांक 05 मई, 2020 तथा 28 दिसंबर, 2022 और इसके बाद इस संबंध में जारी परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25.09.2023 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितंबर, 2024 को या उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी या ओएवीएम") के माध्यम से बिना सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के पैराग्राफ 3 और 4 में प्रदान की गई आवश्यकताओं के अनुसार एक आम स्थान पर अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन करने की अनुमति दी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय वार्षिक आम बैठक का स्थल माना जाएगा।

2. चूंकि यह वार्षिक आम बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं की गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों के अधिकृत ई-मेल आईडी से बैठक में शामिल होने के लिए लिंक पहले ही उपलब्ध करा दिया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी तथा निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं की जाएगी।
4. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड(सीएमपीडीआईएल) के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार हैं या वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओ.ए.वी.एम.) के माध्यम से भी बैठक में भाग ले सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं, ताकि बैठक में विचार किए गए विषयों पर अपनी सहमति या असहमति केवल उसी स्तर पर cosecretary.cmpdi@coalindia.in पर ई-मेल भेजकर व्यक्त की जा सके।
5. सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अनुसार कम समय में बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

निदेशक मंडल के आदेश से

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के लिए

दिनांक : 01.07.2024

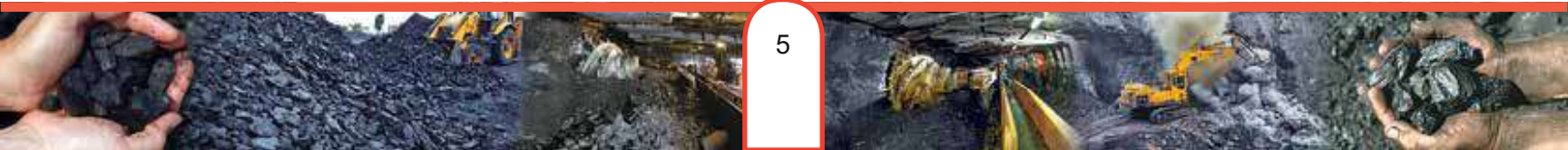
स्थान : राँची

## वितरण :

सभी शेयरधारक  
कंपनी के सभी निदेशक  
कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक  
कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक  
कंपनी के लागत लेखा परीक्षक  
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

ह०/-

(अभिषेक मुंधरा)  
कंपनी सचिव





## अध्यक्ष का कथन

**श्री मनोज कुमार**  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआईएल की 49वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षित (आडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

### 1.0 विकास की रूप-रेखा

संपूर्ण भारतीय खनन उद्योग को एक ही छत के नीचे विस्तृत प्लानिंग सेटअप के रूप में सीएमपीडीआई की स्थापना का विचार एवं प्रस्ताव मूलतः 1972 में पोलैंड के विशेषज्ञों वाले संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आया। इसके बाद सीएमपीडीआई की स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को की गई।

आपकी कंपनी द्वारा कोयले के गवेषण, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, सूचना एवं संचार, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, सुदूर संवेदन, क्षेत्र सेवा आदि में कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को घरेलू परामर्श सेवाएँ देती रही है। कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के ग्राहकों को भी इसी प्रकार की सेवाएँ दी जा रही है। कुछ हद तक धात्विक खनन उद्योग को भी आयोजना एवं सम्बद्ध सेवाएँ दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई गैर-सीआईएल ब्लॉक, कोयला आधारित गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन यानि सीबीएम, सीएमएम यूसीजी शेल गैस से संबंधित इसी प्रकार की सेवाएँ कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी दे रहा है।

सीएमपीडीआईएल के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाख्त, पोलैंड के कोपेक्स तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे उन्नत (अग्रणी) कोयला खनन वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए अपने योजनाकारों एवं अभियंताओं की विशेषज्ञता का स्तर बढ़ाया गया। सीएमपीडीआई के कर्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त, कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधा की स्थापना के द्वारा महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा का निर्माण किया गया। इन सब उपायों से सीएमपीडीआई एक ही छत के नीचे खनिज एवं खनन के क्षेत्र में संपूर्ण समाधान करने वाला अद्वितीय कंपनी बन गया है। फिर भी, विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण में आए बदलाव के कारण 1990 के दशक में इस तरह के द्विपक्षीय समझौते



महत्वहीन हो गए हैं एवं अपनी गति खो चुके हैं। कर्मियों की सेवा-निवृत्ति, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण तथा युवा अभियंताओं की बहाली नहीं होने के कारण 90 के दशक में कार्यकुशल श्रमशक्ति के मामले में कंपनी की शक्ति में कमी आने लगी जो काफी समय तक चलती रही। इसके अलावा, बदलते व्यावसायिक परिदृश्य और देश और विदेश में खनन क्षेत्र में अवसरों में परिणामी परिवर्तन ने मुख्य रूप से 2000 के बाद विशेषज्ञों के पलायन को बढ़ावा दिया जो अगले 5-6 वर्षों तक जारी रहा। फिर भी, कंपनी अपनी सेवाओं एवं सुविधाओं को उत्कृष्ट स्तर तक बढ़ाने के प्रति पूर्णतः समर्पित है ताकि भारत तथा विदेश में व्यापार के वातावरण में बदल रहे परिदृश्य के साथ सामांजस्य बैठाया जा सके। इस कथन की इस तथ्य से पुष्टि की जा सकती है कि यह कंपनी कुछ संभव सीमा तक कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ उच्च उत्पादकता वाले ड्रिल, 2डी/2डी सिसमिक सर्वे प्रौद्योगिकी गवेषण तथा खनन उद्योग से संबंधित साफ्टवेयर के प्रयोग के अलावा पर्यावरणिक सुविधा से संबंधित उपकरण को बढ़ाने, कोयले का गुण निर्धारण एवं आईएसओ मानक शामिल करने में सक्रिय रूप से लगी रही है।

सीएमपीडीआईएल के प्रमुख क्रिया-कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जिससे भावी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में मदद मिलती है, लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (2004-05 में 2.02 लाख मीटर से 2007-08 में 2.09 लाख मीटर) के आस-पास थी तथा बिक्री लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये (2004-05 में 151 करोड़ रुपये तथा 2007-08 में 196 करोड़ रुपये) थी। ड्रिलिंग में योगदान सिर्फ विभागीय संसाधन का ही था। 11वीं योजना के प्रारंभ में यह विचार आया कि संसाधनों को तेजी से प्रमाणित करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, खासकर गवेषण के क्षेत्र में सीएमपीडीआई की भूमिका में काफी वृद्धि करने की जरूरत होगी। तदनुसार, विभागीय क्षमता को बढ़ाने के अलावा एमईसीएल सहित अन्य एजेंसियों की ड्रिलिंग क्षमता का उपयोग कर संपूर्ण ड्रिलिंग क्षमता में वृद्धि करने पर बल दिया गया तथा निजी एजेंसियों को ड्रिलिंग कार्य का कुछ भाग आउटसोर्स कर ड्रिलिंग शुरू किया गया। इसी के साथ-साथ सीएमपीडीआई की कोयला कोर जाँच की क्षमता भी बढ़ायी गयी। कुल मिलाकर स्वदेशी तथा आयातित उपकरण के जरिए अन्य प्रयोगशालाओं जैसे पर्यावरण, सीबीएम खनन प्रौद्योगिकी आदि की क्षमता को भी बढ़ायी गयी है।

इसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय यानि कोयला मंत्रालय भी सीएमपीडीआई की गवेषण क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना लेकर आया, जहाँ वर्ष 2015-16 तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता 4 लाख मीटर सहित 15 लाख मीटर तक बढ़ाई जानी थी। सीएमपीडीआई ने पूर्व के वर्ष में की गई ड्रिलिंग की तुलना में वर्ष 2016-17 में 13 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर 11.26 लाख मीटर, वर्ष 2017-18 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 13.66 लाख मीटर, वर्ष 2018-19 में 13.60 लाख मीटर ड्रिलिंग तथा 2019-20 में 12.94 लाख मीटर ड्रिलिंग तथा 2020-21 में 12.48 लाख मीटर 2021-22 में 7.91 लाख मीटर तथा 2022-23 में 6.85 लाख मीटर ड्रिलिंग कर लिया। 2021-22 और 2022-23 में ड्रिलिंग उपलब्धि में कमी मुख्य रूप से गैर-सीआईएल और प्रोमोशनल ब्लॉकों में गवेषण के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए फंड में कमी के साथ-साथ सीआईएल ब्लॉकों में कम मीटरेज उपलब्धता के कारण थी।

हालाँकि, अक्टूबर 2022 में, EFC ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान यानी 2025-26 तक कोयला और लिग्नाइट में गवेषण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को जारी रखने की सिफारिश की। परिणामस्वरूप, सीएमपीडीआईएल 2023-24 में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 26% की वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 8.625 लाख मीटर ड्रिलिंग हासिल कर सका। आने वाले वर्षों में भी इस वृद्धि के बरकरार रहने की संभावना है।

हालाँकि, 2021-22 से NMET (नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट) फंडिंग के माध्यम से ड्रिलिंग को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएमपीडीआईएल ने कोयला ब्लॉकों में गवेषण (जी2/जी3/जी4) के लिए 33 प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। एनएमईटी द्वारा 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और 8 ब्लॉकों के लिए जीआर प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार, सीएमपीडीआईएल ने अन्य खनिजों में गवेषण के लिए एनएमईटी को 8 प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए। बॉक्साइट में खोज के लिए तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और तीनों ब्लॉकों में काम शुरू हुआ और इन तीन ब्लॉकों में से 2 ब्लॉकों के लिए जीआर प्रस्तुत किए गए। बेस मेटल (Cu, Pb और Zn) की एक परियोजना में गवेषण भी शुरू हो गया है। इसके अलावा, कोयले के विस्तृत गवेषण (जी1 चरण) के लिए 5 प्रस्ताव भी एनएमईटी के समक्ष प्रस्तुत करने और विचार करने के लिए एमओसी में प्रस्तुत किए गए थे।





इसके अलावा, भूजल मॉडलिंग के अध्ययन के लिए जीडब्ल्यूसीओ (क्यूसीआई-एनएबीईटी) और भूजल पेशेवरों (सीजीडब्ल्यूए, नई दिल्ली) के रूप में सीएमपीडीआईएल के गवेषण प्रभाग के हाइड्रोजियोलॉजी अनुभाग की नई मान्यता ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीजीडब्ल्यूए, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली के लिए 94 व्यापक हाइड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट और एनओसी के लिए 83 भूजल मॉडलिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सीएमपीडीआईएल को सक्षम बनाया है।

समान रूप से, सीएमपीडीआईएल ने सक्रिय रूप से बाहरी ग्राहकों (निजी कंपनियों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एमओसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, खदान डेवलपर और ऑपरेटर और विदेशी कंपनी सहित) से संबंधित अपनी सेवाओं और ग्राहक आधार के विविधीकरण का सहारा लिया है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीआईएल के बाहर और सहायक ग्राहकों से ₹ 100 करोड़ से अधिक के कार्य ऑर्डर मिले, जो किसी एक वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक है।

सीएमपीडीआईएल ने अपना एक अंतरराष्ट्रीय कार्य पूरा कर इसे सौंप दिया है और अफ्रीकी महाद्वीप पर ध्यान केंद्रित करते हुए सक्रिय रूप से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में और कार्यों की तलाश कर रहा है। इसके लिए सक्रिय आउटरीच प्रयास किये जा रहे हैं। कंपनी ने गैर-कोयला खनिज क्षेत्र में भी अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकारों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ सहयोग बढ़ा है और देश भर में सीएमपीडीआईएल की पहुँच बढ़ रही है।

विविधीकरण के साथ-साथ, निकट भविष्य में समग्र रूप से कोयला क्षेत्र के हित के लिए कंपनी की विशिष्टता को संरक्षित रखा जाएगा।

### 2.0 वित्तीय उपलब्धि:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने 1732.69 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जिसमें 732.84 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ, -13.73 करोड़ रुपये (समग्र) की अन्य व्यापक आय शामिल है। आरक्षित पूंजी को छोड़कर आपकी कंपनी की निवल संपत्ति बढ़कर रु. 31.03.2024 को 1591.61 (47.77 करोड़ रुपये की ओसीआई सहित) हो गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रति शेयर आय एक साल पहले के 2077.45 रुपये (14,28,000 शेयरों पर गणना) से बढ़कर 3524.02 रुपये (14,28,000 शेयरों पर गणना) हो गई है।

### 3.0 ड्रिलिंग और सेस्मिक सर्वेक्षण का प्रदर्शन:

2023-24 के दौरान, 7.50 लाख मीटर के एमओयू लक्ष्य के मुकाबले लगभग 8.625 लाख मीटर की ड्रिलिंग की गई, जिसमें लगभग 609 मीटर/ड्रिल/माह की उत्पादकता के साथ विभागीय ड्रिल के माध्यम से लगभग 4.32 लाख मीटर की ड्रिलिंग शामिल है। 2023-24 के दौरान विभागीय संसाधनों के माध्यम से लगभग 205 लाइन किमी 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया।

19 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 340 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हुए विस्तृत गवेषण के माध्यम से लगभग 12 बिलियन टन कोयला संसाधनों को मापित (प्रमाणित) श्रेणी में जोड़े जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, 12 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 261 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करने वाले प्रमोशनल (क्षेत्रीय) गवेषण के माध्यम से लगभग 11 बिलियन टन नए कोयला संसाधन (संकेतित और अनुमानित श्रेणियों में) जोड़े जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल ने क्षेत्रीय गवेषण के माध्यम से बॉक्साइट के लिए 2 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करके अपनी गवेषण क्षमता का विस्तार किया, जिससे संभावित रूप से लगभग 16.093 मिलियन टन एल्युमीनियम लेटराइट और लगभग 9.285 मिलियन टन बॉक्साइट संसाधनों को राष्ट्रीय सूची (इन्वेंट्री) में जोड़ा गया।

### 4.0 परियोजना रिपोर्ट:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 128.67 मिलियन टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त क्षमता वृद्धि वाली कुल 40 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। इन 40 परियोजना रिपोर्टों में से 29 परियोजना रिपोर्ट खुली खदानों के हैं, 10 परियोजना

रिपोर्ट भूमिगत (यूजी) खान के तथा 1 परियोजना रिपोर्ट मिली-जुली खान के हैं। 40 पीआर में से 6 पीआर की योजना गैर-सीआईएल खदानों के लिए बनाई गई है, जिसमें 1 गैर-सीआईएल यूजी खदान शामिल है। नियोजित कुल 29 ओपनकास्ट पीआर में से 8 मेगा-ओपनकास्ट परियोजनाएं (10 एमटीवाई और उससे अधिक क्षमता वाली परियोजनाएं) हैं, जिनमें से 5 सीआईएल परियोजनाएं हैं जैसे कुसमुंडा एक्सपेंशन ओसी (रीकास्ट), संघमित्रा ओसी, अनंत एक्सपेंशन ओसी पीएच-IV, भुवनेश्वरी ओसी। (आउटसोर्सिंग संस्करण) और ब्लॉक-ई ओसी और शेष 3 गैर-सीआईएल परियोजनाएं हैं अर्थात् मेसर्स एनटीपीसी की तलाईपल्ली ओसी, मेसर्स ओसीपीएल की मनोहरपुर ओसी और मेसर्स आईसीवीएल की जम्बेजी कोयला परियोजना।

## 5.0 प्रयोगशालाओं का उन्नयन:

सीएमपीडीआईएल में सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता को उन्नत किया गया है। कोयला कैंरेक्टराईजेशन प्रयोगशाला की भू-रासायनिक प्रयोगशाला नमूना तैयार करने वाली इकाई में स्वचालन की शुरुआत करके और तेजी से विश्लेषण करने वालों को जोड़कर कोयला कोर विश्लेषण की क्षमता में वृद्धि पर अपनी योजना लागू कर रही है जो बड़ी संख्या में विश्लेषण को पूरा करेगी। पूर्ण संचालन के बाद लैब सालाना लगभग 24000 मीटर कोल कोर को प्रोसेस करेगी। इस योजना के तहत लगाए जाने वाले उपकरण खरीद के विभिन्न चरणों में हैं। वर्तमान में लैब मैनुअल/अर्ध-स्वचालित नमूना तैयार करने वाली इकाइयों, समीपस्थ विश्लेषक, अंतिम विश्लेषक, बम कैलोरीमीटर, ऐश फ्यूजन तापमान रेंज विश्लेषक, एचजीआई उपकरण से सुसज्जित है। इसने हाल ही में राख विश्लेषण और ट्रेस तत्वों के अध्ययन के लिए एक एक्स-रे फ्लोरेसेंस (एक्सआरएफ) प्रणाली और तरल और ठोस नमूनों में एचजी सामग्री का निर्धारण करने के लिए एक डायरेक्ट मर्करी एनालाइज़र जोड़ा है। कोयले के कोकिंग गुणों का निर्धारण करने के लिए स्वेलिंग सूचकांक, एलटीजीके, प्लास्टोमीटर जैसे उपकरण भी उपलब्ध हैं। हाल ही में, प्रयोगशाला को एक्स-रे डिफ्रेक्टोमीटर (एक्सआरडी) प्रणाली से सुसज्जित किया गया है जो अज्ञात नमूनों में खनिजों, खदान की धूल के नमूनों में मुक्त सिलिका की उपस्थिति का विश्लेषण करने में सक्षम है। पेट्रोग्राफी लैब में पेट्रोग्राफिक अध्ययन करने के लिए उन्नत पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप हैं, जिसमें कोयले के नमूनों की मैक्रो सामग्री (कोयला प्रकार) और परावर्तन प्रतिशत (रैंक/परिपक्वता) निर्धारित की जाती है। कोक बनाने में मिश्रण के रूप में दिए गए कोयले की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए पेट्रोग्राफिक अध्ययन अनिवार्य है। एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी स्थापित किया गया है और जिसका उपयोग सीबीएम मूल्यांकन के लिए सूक्ष्म क्षेत्र विश्लेषण के लिए किया जाता है।

सीएमपीडीआईएल, आरआई-VII, भुवनेश्वर में एक रासायनिक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। कोयला कोर प्रसंस्करण क्षमता को और बढ़ाने के लिए जियो केमिकल प्रयोगशाला ने वित्त वर्ष 2023.24 तक 2 वर्षों के लिए 20,000 मीटर के कोयला कोर का विश्लेषण करने में सक्षम 2 निजी प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध किया है। 2024-26 की अवधि के लिए विभिन्न कोयला क्षेत्रों से गवेषण ब्लॉकों के कोयला कोर के विश्लेषण के लिए कोयला परीक्षण निजी प्रयोगशालाओं का पैनल बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

12 भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में “जॉच” के क्षेत्र में सुविधा के लिए भू-रासायनिक प्रयोगशाला को मानक आईएसओ/आईईसी 17025: 2017 के अनुसार एनएबीएल प्रमाण-पत्र से नवाजा गया है। पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला को कोयला एवं कार्बनिक पेट्रोग्राफी की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (आईसीसीपी) द्वारा मान्यता दी जा चुकी है।

कोयला और खनिज तैयारी (सीएमपी) प्रयोगशाला को 4 अलग-अलग कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत “परीक्षण” के क्षेत्र में अपनी सुविधाओं के लिए मानक आईएसओ/आईईसी 17025:2017 “परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं की क्षमता के लिए सामान्य आवश्यकताएं” के अनुसार एनएबीएल प्रमाणन से मान्यता प्राप्त है। ऐसे मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा प्रत्यायन को परीक्षण परिणामों की पारस्परिक स्वीकृति की सुविधा के लिए एक आवश्यक कदम माना जाता है।

एनएबीएल, गैर-विनाशकारी परीक्षण के क्षेत्र में इसकी सुविधाओं/क्षेत्र के लिए आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के आधार पर सीएमपीडीआई, मुख्यालय की एनडीटी प्रयोगशाला को निरंतर मान्यता प्रदान करता है। सीएमपीडीआईएल के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में उचित उपकरण और संसाधनों के साथ एनडीटी सेल की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय संस्थानों की प्रयोगशालाओं को भी एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अप्रैल 2023 में क्षेत्रीय संस्थान VI, सिंगरौली में एनडीटी प्रयोगशाला को भी मान्यता दी गई थी।

मौजूदा पर्यावरण प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक उपकरणों से मजबूत किया गया है। सीएमपीडीआईएल मुख्यालय, RI-I, RI-II, RI-IV, RI-V और RI-VII की पर्यावरण प्रयोगशालाएं मौजूदा मान्यता के दायरे में 21 नए मापदंडों को जोड़कर आईएसओ/आईईसी 17025:2017 मान्यता योजना के अनुसार एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। सीएमपीडीआईएल मुख्यालय की पर्यावरण प्रयोगशाला को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सीपीसीबी द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो गई है। सीएमपीडीआईएल मुख्यालय में पर्यावरण प्रयोगशाला ने आईएस/आईएसओ 45001:2018 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) के लिए मान्यता प्राप्त कर ली है।

सीबीएम/शेल गैस से संबंधित अध्ययन, रिजर्वार गुण निर्धारण तथा सीबीएम एवं शेल गैस संसाधन के मूल्यांकन करने से संबंधित सभी पारामेट्रिक डाटा के निर्माण को सुलभ बनाने के लिए सीएमपीडीआई में एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला कार्य कर रही है। इसके अलावा सीएमपीडीआईएल की क्षमता और दक्षताओं को बढ़ाने के लिए दो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यानी SIMEDWin और COMET3 खरीदे गए हैं।

एमवी और एमटी लैब एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है और नवीनतम कम्प्यूटरीकृत यूटीएम मशीन से सुसज्जित है। प्रयोगशाला में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं में अपरिभाषित संपीड़न शक्ति, तन्य शक्ति, कतरनी शक्ति, लोचदार स्थिरांक (यंग का मापांक, पॉइसन का अनुपात), थोक घनत्व, त्रिअक्षीय संपीड़न शक्ति (सामंजस्य और आंतरिक घर्षण का कोण), प्रोटोडायकोनोव शक्ति सूचकांक (पीएसआई), प्वाइंट लोड इंडेक्स और स्लेक ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स शामिल हैं।

### 6.0 श्रमशक्ति की भर्ती:

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ-साथ संबद्ध अभियंत्रण सेवाओं में श्रमशक्ति की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान सीएमपीडीआई में स्थानान्तरण और भर्ती के द्वारा 33 अधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार भर्ती/अनुकम्पा के आधार पर नौकरी/अन्य अनुषंगी कंपनियों से स्थानांतरण के द्वारा 7 कर्मचारियों को पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा सीएमपीडीआईएल में खदान योजना के वर्तमान और भविष्य के कार्यभार को पूरा करने के लिए अन्य सहायक कंपनियों से योग्य श्रमशक्ति के हस्तांतरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

### 7.0 जियोमेटिक्स सेवाएँ

प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोयलाओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों में वर्ष 2008 से वार्षिक आधार पर भूमि पुनरुद्धार मानिट्रिंग के लिए प्रति वर्ष उपग्रह-निगरानी की जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के कुल 121 परियोजनाओं की भूमि सुधार निगरानी को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इनमें 5 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) (कोयला+ओबीद्ध) श्रेणी से अधिक उत्पादन करने वाली 76 ओपनकास्ट परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी वार्षिक आधार पर निगरानी की जाती है और 5 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) (कोयला+ओबीद्ध) से कम उत्पादन करने वाली 45 खदानें/क्लस्टर शामिल हैं, जिनकी चरणबद्ध तरीके से तीन साल के अंतराल पर निगरानी की जाती है। सात कोयला क्षेत्रों की वनस्पति कवर मैपिंग भी पूरी हो चुकी है।

सीएमपीडीआईएल ने एमसीएल के सुभद्रा क्षेत्र के 9 गांवों में संरचनाओं की पहचान के लिए उच्च रिजॉल्यूशन सैटेलाइट डेटा आधारित सेटलमेंट मैपिंग की है और रिपोर्ट एमसीएल को सौंप दी गई है। सीएमपीडीआईएल को 5 साल की अवधि के लिए वार्षिक आधार पर सैटेलाइट थर्मल इमेजरी के माध्यम से चिरिमिरी ओसीएम में आग के स्थानों का पता लगाने और उनकी पहचान करने का काम सौंपा गया है। नवंबर 2023 की थर्मल इन्फ्रारेड इमेजरी पर आधारित रिपोर्ट तैयार की गई और प्रस्तुत की गई।

सीएमपीडीआईएल कोयला मंत्रालय के लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स, गांधीनगर (बीआईएसएजी-एन) के साथ पीएम गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर एमओसी पेज के विकास का समन्वय और सुविधा प्रदान कर रहा है। बीआईएसएजी-एन के साथ समन्वय में सीएमपीडीआईएल पीएमजीएस-एनएमपी पोर्टल पर डीपीआर टूल के विकास में भी शामिल है, जिसका उपयोग खदान योजना और खदान बंद करने की योजना सहित विभिन्न विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। पीएम गति शक्ति - कोयला क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान शीर्षक से एक व्यापक सूचना दस्तावेज तैयार किया गया था जिसे 13.03.2024 को नई दिल्ली में माननीय कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी द्वारा जारी किया गया था।

सीएमपीडीआईएल भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, गांधीनगर (बीआईएसएजी- एन)) के सहयोग से कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली की साइट को संबंधित मोबाइल ऐप, खनन प्रहरी के साथ अद्यतन, सूचनात्मक और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाए रखना सुनिश्चित कर रहा है।

सीएमपीडीआईएल ने स्थलाकृतिक मानचित्रण, कोयला खदान अग्नि मानचित्रण, वनस्पति कवर मानचित्रण, निपटान मानचित्रण, वृक्षारोपण ऊंचाई आकलन और खनन से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए ड्रोन/यूएवी आधारित सर्वेक्षण संचालित किया है। वर्ष के दौरान निष्पादित कुछ प्रमुख परियोजनाओं में तालचेर कोयला क्षेत्र में एसईसीएल और राधिकापुर (पश्चिम) की 2 परियोजनाओं का मृदा नमी संरक्षण अध्ययन, सीसीएल की 11 परित्यक्त खदानों का स्थलाकृतिक मानचित्रण, एमओईएफ और सीसी शर्तो के अनुपालन के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के लिए वास्तविक समय हवाई फुटेज और वीडियो शामिल हैं। कोयला मंत्रालय के लिए लगभग 60 नीलामी ब्लॉकों के लिए वीडियो फुटेज तैयार करने के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

1 एमटीवाई से अधिक उत्पादन करने वाली सभी आउटसोर्स और विभागीय ओसी खानों का ओबीआर माप और 1 एमटीवाई (केवल किराए के पैच) से कम उत्पादन करने वाली ओसी खानों का वार्षिक माप पूरा हो चुका है और रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। इरकॉन और आईटीडी सीमेंटेशन के लिए पश्चिम बंगाल के सिवोक-रंगपो रेल लिंक परियोजना में जाइरोमैट 3000 का उपयोग करके सुरंग संरेखण के लिए जाइरोस्कोपिक सर्वेक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

## 8.0 कोल वाशरी की स्थापना में सहायता:

सीएमपीडीआई ग्रीनफील्ड कोयला वाशरियों के लिए वैचारिक रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कार्य देने (अवार्ड आफ वर्क) एवं उसके बाद ड्राइंगों की संवीक्षा तथा वर्तमान वाशरियों के रूपान्तरण/आधुनिकीकरण तक तकनीकी सेवा देता है। इन सेवाओं में गहन लेबोरेटरी स्टडी, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तथा वैचारिक रिपोर्ट (सीआर) की तैयारी, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, संविदा दस्तावेज की तैयारी तथा परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान ड्राइंग की संवीक्षा के बाद कार्य देने (अवार्ड आफ वर्क) में सहायता शामिल है।

वर्ष के दौरान, सीसीएल और बीसीसीएल की कोकिंग कोयला खदानों की व्यवहार्यता के साथ व्यापक वाशबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सीएमडी, सीएमपीडीआईएल और सीएमडी, मेकॉन की संयुक्त अध्यक्षता में एमओसी द्वारा गठित समिति द्वारा कोकिंग कोयले की मांग से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी।

कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए नॉन-कोकिंग कोल वॉशरी या डीशेलिंग प्लांट की स्थापना के लिए अपनी सहायक कंपनियों में खदानों की पहचान करने के लिए अप्रैल 2023 में सीआईएल द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। सीएमपीडीआईएल सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में डीशेलिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए रिपोर्ट तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल था। जनवरी 2024 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के आधार पर, विभिन्न सहायक कंपनियों में स्थापित करने के लिए 4 डीशेलिंग संयंत्रों की पहचान की गई है।

## 9.0 पर्यावरणिक सेवा:

2023-24 के दौरान, 54 रिपोर्ट यानी 25 ड्राफ्ट ईआईए/ईएमपी/परिशिष्ट ईआईए/ईएमपी (पर्यावरण प्रभाव आकलन/ पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं) और 29 फॉर्म-I/फॉर्म-IV/फॉर्म-VI तैयार किए गए और पर्यावरण निगरानी की गई। सीएमपीडीआईएल द्वारा सीआईएल की 299 परियोजनाओं/क्लस्टरों/प्रतिष्ठानों का (वायु, जल और ध्वनि) कार्य आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुंडा, हसदेव, जयंत, भुवनेश्वर और रांची स्थित नौ पर्यावरण प्रयोगशालाओं के माध्यम से किया गया। क्षमता अध्ययन, खदान की पारिस्थितिक निगरानी, पुनर्ग्रहण स्थलों की जैव विविधता मूल्यांकन अध्ययन, एसटीपी और ईटीपी के डिजाइन जैसे कुछ विशेष कार्य भी किए गए थे।



"कोयला और लिग्नाइट पीएसयू में हरित पहल" और "पर्यावरण स्थिरता पर स्थिति रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2021-22)" से सम्बंधित रिपोर्ट एमओसी के लिए एसडीसी के तहत तैयार और प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल ने खनन गतिविधियों से प्रभावित भूमि की बहाली पर एक वैचारिक रिपोर्ट तैयार करके मेघालय राज्य में अपनी विशेषज्ञता का विस्तार किया।

मेसर्स एससीसीएल की नैनी कोयला खदान और मेसर्स वेदांता एंटरप्राइजेज लिमिटेड की राधिकापुर ईस्ट कोयला खदान के लिए लिडार सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक मृदा नमी संरक्षण (एसएमसी) अध्ययन आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल की दो परियोजनाओं हेतु वानिकी मंजूरी के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार एसएमसी अध्ययन भी किया था।

इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल के लिए सीआईएल और पूरे भारत में फैले हुए अन्य संगठनों को अपनी ईआईए अध्ययन की सेवाएं प्रदान करने के लिए ओपनकास्ट/भूमिगत खनन, थर्मल, सीबीएम और कोयला वाशरी क्षेत्रों सहित खनिजों के खनन के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई), नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) परामर्श संगठन के रूप में अपनी मान्यता जारी रखे हुए है।

### 10.0 कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत:

सीएमपीडीआईएल सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के लिए कोल बेड मीथेन (सीबीएम) और कोयला गैसीकरण जैसे कोयला आधारित अपरंपरागत संसाधनों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सीएमपीडीआईएल सीबीएम के विकास के लिए ईसीएल, बीसीसीएल और एसईसीएल की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है।

सीआईएल लीजहोल्ड क्षेत्रों में तीन सीबीएम ब्लॉक वर्तमान में विचाराधीन हैं, जैसे 1) झरिया सीबीएम ब्लॉक- I (झरिया कोलफील्ड), 2) रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (रानीगंज कोलफील्ड), 3.) झरिया सीबीएम ब्लॉक- II (झरिया कोलफील्ड)।

झरिया सीबीएम ब्लॉक-I (बीसीसीएल लीजहोल्ड क्षेत्र) को राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर सीबीएम की निकासी के लिए मेसर्स प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (पीईपीएल) को दिया गया है। अन्वेषण चरण के लिए वैधानिक मंजूरी (ईसी, सीटीई और सीटीओ) प्राप्त कर ली गई है और ब्लॉक अन्वेषण चरण के अंतर्गत है। झरिया सीबीएम ब्लॉक-2 के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट बीसीसीएल को सौंप दी गई है।

रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए 2020 और 2021 में तीन बार निविदा निकाली गई, हालांकि कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। ब्लॉक के क्षेत्र का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है जिसके बाद सीबीएम डेवलपर के चयन के लिए निविदा जारी की जाएगी।

सीएमपीडीआईएल सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) भी है। डब्ल्यूसीएल कोयला गैसीकरण परियोजना के बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदा अगस्त, 2022 और मार्च 2023 में दो बार जारी की गई थी। हालांकि, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

भारतीय भू-खनन स्थितियों में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए एक अनुसंधान एवं विकास पायलट परियोजना सीएमपीडीआईएल, ईसीएल और एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजी इंक (ईईटीआई), कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। सीएमपीडीआईएल और ईसीएल प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी हैं और ईईटीआई, कनाडा उप-कार्यान्वयन एजेंसी है। परियोजना को सीआईएल आर एंड डी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और 29 मार्च, 2024 से शुरू किया गया है।



## 11.0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ:

कोयला मंत्रालय (एमओसी) तथा सीआईएल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत वित्त पोषित अनुसंधान क्रिया-कलापों को समन्वित करने के लिए सीएमपीडीआई नोडल एजेंसी है। अनेक शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के समन्वयन के अलावा सीएमपीडीआईएल अपने सुस्थापित प्रयोगशाला की सहायता से कोयला/लिग्नाइट खनन उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कोयला गवेषण, कोयला आधारित गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे कोल बेड मिथेन (सीबीएम), कोल माइन मिथेन (सीएमएम), कोयला गैसीकरण (भूतल एवं भूमिगत) शेल गैस मूल्यांकन, कोयला परिष्करण और उपयोग, उत्पादन में सुधार, खानों में उत्पादकता और सुरक्षा, खान पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का विकास आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी करता है।

वर्षों से अधिकांश अनुसंधान परियोजनाओं से काफी लाभ मिला है, जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक सुधार, अपेक्षाकृत सुरक्षित कार्य स्थिति, बेहतर संसाधन प्राप्ति तथा पर्यावरण का संरक्षण हुआ है। इनमें से कुछ अनुसंधानों का इस उद्योग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनसे खनन आयोजना, डिजाइन तथा तकनीकी सेवाएँ सशक्त हुई हैं जिनकी जरूरत चालू खानों तथा भावी खनन परियोजनाओं दोनों को है।

2023-24 के दौरान, 9 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पूर्ण की गई ये शोध परियोजनाएं "छेद में विस्फोट के वेग [वीओडी] को मापने और क्षेत्र की स्थिति में विस्फोटक के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए एक स्वदेशी ऑप्टिकल फाइबर आधारित उपकरण के विकास"; "मोबाइल मशीनरी के लागत प्रभावी सुरक्षित संचालन के लिए रियल-टाइम प्रोग्नोसिस सिस्टम (आरटीपीएस) का विकास और अपनाना: डम्पर बेड़े का शो-केस प्रदर्शन"; "ओपनकास्ट खदान डंप पर विस्फोट का प्रभाव और विस्फोट-प्रेरित कंपन और डंप डिजाइन के बीच संबंध का विकास"; "भूमिगत कोयला खदान में बड़े जल स्तर के विरुद्ध सुरक्षात्मक अवरोधक स्तंभ का डिजाइन"; "सिंगरौली कोयला क्षेत्र में ट्रेस तत्वों और आर्आईई एकाग्रता के लिए गोंडवाना तलछट (कोयला, मिट्टी, शेल, बलुआ पत्थर) का मूल्यांकन"; "भूभौतिकीय तकनीक का उपयोग करके भूमिगत कोयला खदानों में दुर्गम पुराने कामकाज में खनन प्रेरित उपसतह गुहाओं और जल जमाव वाले क्षेत्रों के कारण खतरों का अध्ययन"; "कोयला और गैर-कोयला क्षेत्र में दुर्लभ खनिजों (आर्आईई) और अन्य आर्थिक संसाधनों का आकलन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) कोयला क्षेत्र से एसिड खदान जल निकासी और इसके प्रदूषण नियंत्रण का लक्षण वर्णन"; "ओपन कास्ट खदानों में विफलताओं/ढलान अस्थिरता की भविष्यवाणी के लिए प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली का स्वदेशी विकास" और "सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए लॉन्गवॉल शील्ड दबावों की निगरानी, विश्लेषण और व्याख्या के लिए IoT सक्षम प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास" से संबंधित हैं।

भारत और विदेश में अनुसंधान संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों और कोयला/लिग्नाइट उत्पादक कंपनियों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है ताकि उन्हें सीआईएल के दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए लाभकारी आवश्यकता-आधारित अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सीआईएल अपनी पहुंच बढ़ाने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में भारत और विदेशों में अधिक विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों को शामिल करने का इरादा रखता है ताकि वह आत्म-निर्भर बनकर देश की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। विभिन्न अनुसंधान संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त पोषण के लिए ऊर्जा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय अनुसंधान परियोजनाओं और पहलों के माध्यम से अपने प्रतिभा पूल से विशेषज्ञों और युवा वैज्ञानिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा प्रबंधन और डिजिटलीकरण, कार्बन उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई और आईओटी का उपयोग, अपशिष्ट से धन निर्माण, गवेषण में नई तकनीकों की तैनाती आदि के क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करके अनुसंधान एवं विकास पहल के विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देने के लिए कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में एस एंड टी अनुसंधान के लिए एक वेबसाइट (<https://scienceandtech.cmpdi.co.in>) डिजाइन की गई है। उपरोक्त वेबसाइट पर, कोयला अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों सहित पूर्ण और चालू अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

वर्तमान में, आईआईटी, बॉम्बे; आईआईटी-आईएसएम, धनबाद; आईआईटी, खड़गपुर; आईआईटी, रुड़की; आईआईटी कानपुर; आईआईटी, बी.एच.यू., वाराणसी; आईएससी., बी.एच.यू., वाराणसी; आईआईटी, गुवाहाटी; एनआरएससी, हैदराबाद; जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएसआर), बेंगलूर; जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी) नागपुर; टीसीआईएल, नई दिल्ली; सीएमईआरआई, दुर्गापुर; एनएमएल, जमशेदपुर; सीआईएमएफआर, धनबाद; वीएनआईटी, नागपुर; एससीसीएल; पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़; स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (एसआईएस), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली; इयूक यूनिवर्सिटी, यूएसए; सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया; SIMTARS, ऑस्ट्रेलिया; न्यू कैसल विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया; आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से 43 अनुसंधान परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

सीएमपीडीआईएल ने 5 चिन्हित समस्या कथनों के लिए "मेक इन इंडिया" पहल के तहत कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने/प्रोत्साहित करने के लिए "आर एंड डी पर हैकथॉन" का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कुछ पूर्ण अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की एक फिल्म तैयार की गई है और परिणाम की प्रतिकृति के लिए सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्सएप, आदि) पर भी साझा की गई है।

## 12.0 निगमित सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेबिलिटी:

सीएमपीडीआईएल अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ-साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति के तहत अपने आसपास के समुदायों और आम सार्वजनिक जीवन के कल्याण और उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। पिछले कुछ वर्षों में, सीएमपीडीआईएल ने सीएसआर के तहत अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थानों और ट्रिलिंग शिविरों के आसपास के समुदायों के विकास और उत्थान के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण और स्वच्छता, बुनियादी ढांचे आदि के क्षेत्रों में विभिन्न पहल की हैं। सीएमपीडीआईएल ने सराहनीय कार्य किया है और लक्ष्य से अधिक खर्च कर अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है।

वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर के तहत की गई प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं - झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के 390 वंचित/बेरोजगार युवाओं को मशीन ऑपरेटर के रूप में कौशल विकास प्रशिक्षण; ऑप्थेलमिक असिस्टेंट में 2 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम में झारखंड के 40 युवाओं को प्रशिक्षण; फुटबल डिजाइन एवं विकास संस्थान द्वारा 100 युवाओं को कौशल-विकास प्रशिक्षण; कटक के आचार्य हरिहर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट (एएचपीजीआईसी) में उच्च गुणवत्ता वाले पूर्ण स्वचालित उपकरण प्रदान करके कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उपचार की सुविधा प्रदान करना; टाटा कैंसर केयर फाउंडेशन (टीसीसीएफ) द्वारा संचालित किए जा रहे रांची कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (आरसीएचआरसी), रांची में कैंसर का पता लगाने के लिए सामाजिक-आर्थिक वंचितों को सहायता प्रदान करना; प्रशिक्षण के माध्यम से स्वस्थ मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना और 50 सरकारी स्कूलों के छात्रों को आसान निपटान के साथ सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच प्रदान करना। परिहार्य अंधापन मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में झारखंड के रांची, रामगढ़ और हजारीबाग जिलों के दूरदराज के गांवों में मोबाइल आई केयर वैन के माध्यम से व्यापक प्राथमिक नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना और हजारीबाग, झारखंड के सरकारी स्कूल के छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए छह संख्या में भोजन वितरण वाहन प्रदान करके बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए सहायता करना।

## 13.0 प्रबंधन प्रणाली मानक में परामर्शी सेवा:

कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन कराने के लिए सीएमपीडीआईएल नोडल एजेंसी है, जो विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, आईएसओ 50001, ओएचएसएस 18001, आईएसओ 37001 आदि के अनुप्रयोग के लिए परामर्श सेवा देता है। हम इन मानकों की स्थापना, प्रलेखन, जागरूकता, प्रशिक्षण, आंतरिक अंकेक्षण सहायता, कार्यान्वयन, प्रमाणन सहायता के साथ-साथ प्रमाणोत्तर सहायता देते हैं।

सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ सीएमपीडीआई को नए संशोधित आईएसओ 9001: 2015 मानक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। सीएमपीडीआईएल का वर्तमान आईएमएस नियमावली में आईएसओ 9001, गुणता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा आईएसओ 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली शामिल है। सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची ने आईएसओ 37001:2016 रिश्ततरोधी प्रणाली को भी कार्यान्वित किया है।

हमारे मार्गदर्शन एवं सहायता से सीआईएल ने आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015, आईएसओ 14001:2015 तथा आईएसओ 5001:2011 (गुणता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

31 मार्च 2024 तक सीआईएल की पांच सहायक कंपनियां यानी ईसीएल. सीसीएल. एनसीएल. एमसीएल और डब्ल्यूसीएल (83 इकाइयां) एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018) के लिए प्रमाणित हैं। एनसीएल आईएसओ/आईईसी 27001-सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन भी लागू कर रहा है और सीएमपीडीआई के मार्गदर्शन में प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

## 14.0 कोल इंडिया लिमिटेड से अलग की कम्पनियों को परामर्श सहायता:

सीएमपीडीआईएल ने अपनी सेवाओं के विविधीकरण और सीआईएल से बाहर ग्राहक आधार में वृद्धि की दिशा में अपना प्रयास जारी रखा है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार (केंद्र और राज्य) के साथ-साथ निजी एजेंसियां भी शामिल हैं।

फलतः संख्या और मूल्य दोनों ही दृष्टियों से पिछले छह वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक हिस्सेदारी हासिल की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, ग्राहक को ₹167.57 करोड़ मूल्य के कुल 184 प्रस्ताव सूचित किए गए हैं और ₹101.12 करोड़ मूल्य की 106 बाहरी परामर्श के कार्य सीएमपीडीआईएल द्वारा प्राप्त किए गए। ऑफर रूपांतरण दर पिछले कई वर्षों में सबसे अधिक है। साथ ही, सीएमपीडीआईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹20.98 करोड़ के 81 कार्य सफलतापूर्वक पूरी किया है।

सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल से बाहर के ग्राहकों में भी अपना ग्राहक आधार बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 23 नए ग्राहक जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सीएमपीडीआईएल के प्रमुख बाहरी ग्राहकों में इनोवेटिव माइनिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, टीएचडीसी लिमिटेड, एनटीपीसी, वेदांता लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड- नेचुरल रिसोर्सेज, महानदी माइन्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हीरालाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गंगारामचक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और सीजी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे।

## 15.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा:

सीएमपीडीआईएल ने एमओसी के लिए एक राष्ट्रीय कोयला पोर्टल विकसित किया है जो विभिन्न मर्दों जैसे गवेषण, कोयला उत्पादन और उठाव, सीएसएस योजनाएं, कोयला ब्लॉक आवंटन इत्यादि की प्रगति की निगरानी करने में सुविधा प्रदान करता है।

पिछले वर्ष विकसित सीएमपीडीआईएल के लिए ऑनलाइन क्वार्टर आवंटन पोर्टल को सिस्टम जनित तिमाही आवेदक वरिष्ठता के लिए उन्नत किया गया है। यूपीएससी प्रारंभिक योग्य आवेदकों के लिए सीआईएल का एक सीएसआर पोर्टल विकसित किया गया है। इसके अलावा, सीआईएल के सतर्कता विभाग के लिए चल/अचल संपत्ति की सूचना/मंजूरी के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया गया है।

## 16.0 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं:

पहले चरण में, 415 एमटीवाई की क्षमता वाली 35 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं सीआईएल द्वारा शुरू की गईं, जिसमें सीएमपीडीआईएल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रिकॉर्ड समय में सभी परियोजनाओं के लिए एनआईटी जमा की। 14 परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

एफएमसी-II में 57 एमटीवाई की क्षमता वाली 9 एफएमसी परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 8 परियोजनाओं के लिए अंतिम एनआईटी प्रस्तुत की जा चुकी है और 1 परियोजना के लिए अंतिम एनआईटी तैयार की जा रही है। एफएमसी-III में 292 एमटीवाई क्षमता वाली 17 एफएमसी परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 8 परियोजनाओं की एनआईटी तैयार करने में सीएमपीडीआईएल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इनमें से 1 परियोजना चालू हो चुकी है, 5 परियोजनाओं के लिए अंतिम एनआईटी प्रस्तुत की जा चुकी है और 2 परियोजनाओं की एनआईटी तैयार की जा रही है। एफएमसी के चौथे चरण में, 74 एमटीवाई क्षमता वाली 14 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें से सीएमपीडीआईएल 9 परियोजनाओं के लिए एनआईटी तैयार करेगी। दो परियोजनाओं के लिए एनआईटी जमा कर दी गई हैं और अन्य 7 सीआईएल समयसीमा के अनुसार तैयार की जाएंगी।

सीएमपीडीआईएल ने एमओसी और सीआईएल के निर्देशानुसार 17 निर्माणाधीन एफएमसी परियोजनाओं के लिए तीसरे पक्ष से गुणवत्ता ऑडिट किया है और अपनी रिपोर्ट संबंधित सीआईएल सहायक कंपनियों को सौंप दी है।

### 17.0 वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक की नीलामी:

सीएमपीडीआईएल ने कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए आयोजित कोयला ब्लॉकों की नीलामी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीलामी के लिए पेश किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की पहचान में, सीएमपीडीआईएल ने सतह की बाधाओं, भू-तकनीकी कारकों के अध्ययन, संभावित बोलीदाताओं की राय एकत्र करने आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नीलामी के विभिन्न चरणों में एमओसी द्वारा चयनित कोयला ब्लॉकों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा खदान डोजियर और खान सारांश प्रस्तुत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इन सभी कोयला ब्लॉकों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा निविदा प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण इनपुट डेटा भी एमओसी को उपलब्ध कराया गया था। कोयला मंत्रालय द्वारा नीलामी की 9वीं किश्त तक 110 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

### 18.0 कोयला खदानों में 5जी अनुप्रयोग

सीएमपीडीआईएल ने टीसीआईएल के सहयोग से एनसीएल की अमलोहरी ओपनकास्ट परियोजना में कोयला खनन में भारत के पहले निजी 5जी नेटवर्क की तैनाती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ऐतिहासिक उपलब्धि कोल इंडिया की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोयला खदानों में 5जी एप्लिकेशन की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, 'कोयला उद्योग के लिए सीएमपीडीआईएल में 5जी यूज केस टेस्ट लैब की स्थापना' और 'ओपनकास्ट कोयला खदानों में एकीकृत आवाज, वीडियो और डेटा संचार के लिए 5जी कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क की स्थापना' से संबंधित दो परियोजनाएं शुरू की गईं। इनको मंजूरी दे दी गई है और कार्यान्वयन के अधीन हैं।

### 19.0 कोयला ई-नीलामी प्लेटफॉर्म का विकास

सीएमपीडीआईएल ने एनआईसी के सहयोग से ई-नीलामी प्लेटफॉर्म विकसित किया है। सीएमपीडीआईएल ने जून 2023 से सीआईएल की सहायक कंपनियों के लिए सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक सिस्टम पर कोयला ई-नीलामी शुरू की है। पोर्टल का औपचारिक उद्घाटन 03.10.2023 को कोयला मंत्रालय के सचिव द्वारा किया गया था। मार्च 2024 तक 5265 बोलीदाताओं ने कोयला ई-नीलामी पोर्टल में अपना पंजीकरण कराया है। सीएमपीडीआईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में सीआईएल की सहायक कंपनियों के लिए 49 मिलियन टन से अधिक की 87 ई-नीलामी सफलतापूर्वक आयोजित की है।

### 20.0 मान्यता एवं पुरस्कार:

भारत सरकार ने सीएमपीडीआईएल के योगदान और प्रासंगिकता को मान्यता देते हुए वर्ष 2019 में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 09-10-1993 के उनके दिशा-निर्देशों ओ/एम नंबर 11/36/97-वित्त के अनुसार मिनी रत्न (श्रेणी- प्) का दर्जा दिया। डीपीई के निर्देश सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नीतिगत उद्देश्य के रूप में लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को बढ़ी हुई स्वायत्तता और शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करते हैं। सीएमपीडीआईएल का प्रभावशाली प्रदर्शन 2007-08 (2010-11, 2018-19 और 2020-21 को छोड़कर) से लगातार उत्कृष्ट एमओयू (सीआईएल और सीएमपीडीआईएल के बीच) रेटिंग प्राप्त करने में परिलक्षित हुआ। अस्थायी रूप से मूल्यांकन की गई उत्कृष्ट रेटिंग के साथ 2022.23 के लिए समझौता जापन सीआईएल में मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया में है।



## 21.0 कॉर्पोरेट प्रशासन:

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुपालन किया गया है, सीएमपीडीआईएल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के दिशानिर्देशों को छोड़कर। हालाँकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को नियमित अंतराल पर कोल इंडिया लिमिटेड को एक प्रति के साथ भेजे गए थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक अलग अनुभाग निदेशकों की रिपोर्ट में जोड़ा गया है और कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिटर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

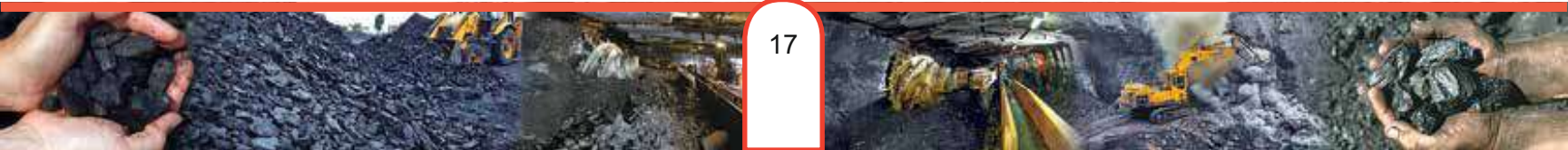
## 22.0 आभारोक्ति:

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों (जेसीसी) तथा ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा अनवरत सहयोग के साथ-साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं हैं। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्तता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भावी कार्य के प्रति समर्पण दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेंगे तथा पहले की तरह हर स्तर पर समर्पित प्रतिबद्धता तथा उपलब्धियों के साथ शेयर होल्डर की चुनौतियों एवं आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों एवं विक्रेताओं (वेन्डरों) को उनकी हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

स्थान: राँची  
दिनांक: 05.07.2024

ह०/-  
(मनोज कुमार)  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक



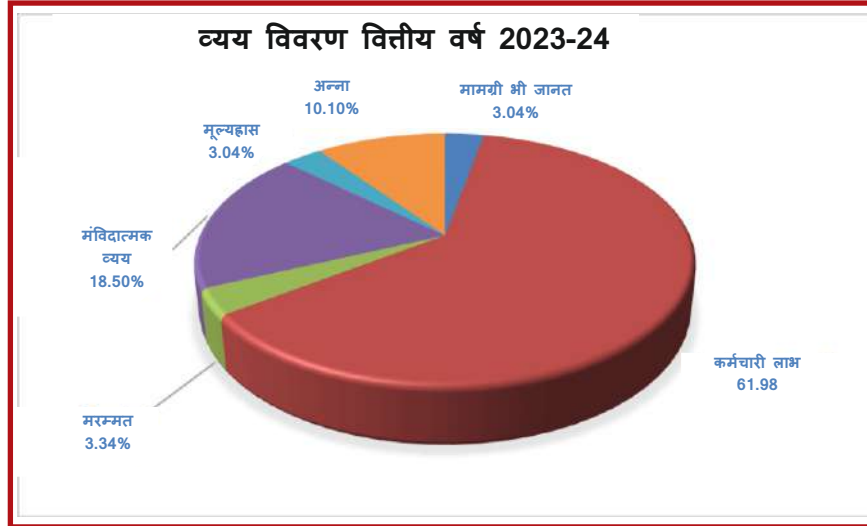
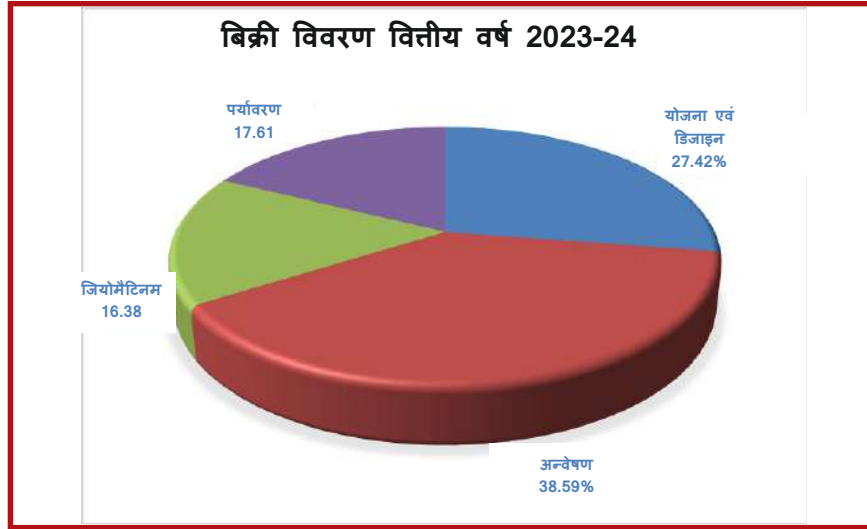
## सीएमपीडीआई लिमिटेड प्रदर्शन: एक अवलोकन

आकड़े करोड़ रुपये में

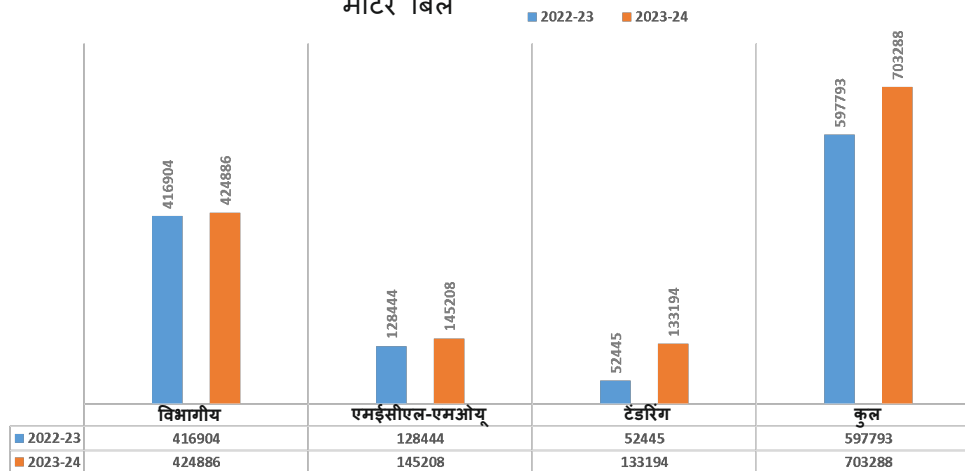
| वित्तीय वर्ष                   | 2023-24<br>(अंकेक्षित) | 2022-23<br>(अंकेक्षित) | 2021-22<br>(अंकेक्षित) |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>विवरण</b>                   |                        |                        |                        |
| सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री) | 1732.69                | 1386.09                | 1208.43                |
| अन्य आय                        | 37.49                  | 12.69                  | 29.83                  |
| कुल आय                         | 1770.18                | 1398.78                | 1238.26                |
| कुल खर्च                       | 1037.34                | 1031.83                | 872.22                 |
| पी बी टी                       | 732.84                 | 366.95                 | 366.04                 |
| पी ए टी                        | 503.23                 | 296.66                 | 282.12                 |
| कुल ब्लॉक                      | 246.75                 | 243.80                 | 204.85                 |
| चालू परिसम्पत्तियां            | 1889.96                | 1598.64                | 1373.56                |
| चालू देयताएं                   | 477.50                 | 599.21                 | 510.03                 |
| कार्यशील पूंजी                 | 1412.46                | 999.43                 | 863.53                 |
| नियोजित पूंजी*                 | 1595.48                | 1214.17                | 1013.79                |
| इक्विटी पूंजी                  | 142.80                 | 142.80                 | 142.80                 |
| भंडार और अधिशेष                | 1467.68                | 1094.98                | 871.72                 |
| नेट वर्थ **                    | 1591.61                | 1217.65                | 995.62                 |
| नियोजित पूंजी पर रिटर्न        | 43.93%                 | 29.61%                 | 35.71%                 |
| ईपीएस                          | 3524.02                | 2077.45                | 1975.63                |

निबल मूल्य = इक्विटी शेयर पूंजी + आरक्षित पूंजी को छोड़कर आरक्षित और अधिशेष बकाया 1428000 शेयरों की कुल संख्या के आधार पर ईपीएस को बहाल किया गया है  
नियोजित पूंजी पर रिटर्न = ब्याज और करों से पहले की कमाई/ नियोजित पूंजी \*100

## सीएमपीडीआईएल का वित्तीय अवलोकन



### मीटर बिल





## सीएमपीडीआईएल का वित्तीय अवलोकन





## निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,  
अंशधारक

मुझे निदेशक-मंडल की ओर से 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब-किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित आपकी कंपनी के क्रिया-कलाप पर आधारित 49वाँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

### भाग-क

#### 1.0 निगमित पर्यवलोकन:

आपकी मिनी रत्न (कैट-1) कंपनी ने गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित सातों क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य जारी रखी। सातों क्षेत्रीय संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थान-1 से क्षेत्रीय संस्थान-7 तक का नाम दिया गया जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत अनुषंगी कोयला उत्पादक कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे.सं.-1), बीसीसीएल (क्षे.सं.-2), सीसीएल (क्षे.सं.-3), डब्ल्यूसीएल (क्षे.सं.-4), एसईसीएल (क्षे.सं.-5), एनसीएल (क्षे.सं.-6) तथा एमसीएल (क्षे.सं.-7) को अपनी समर्पित सेवाएँ देती रही हैं।

सीआईएल, मुख्यालय, एनईसी तथा गैर सीआईएल ग्राहकों जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, ओडीसी कोल एंड पावर लिमिटेड (ओसीपीएल), गुजरात इन्डस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड, अल्ट्राटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदि को परामर्श सेवाएँ मुख्यतः सीएमपीडीआईएल मुख्यालय के द्वारा दी गई। इन परामर्श सेवा के अलावा सीएमपीडीआईएल ने कोयला मंत्रालय की विशेषज्ञता वाला कार्य का भी संचालन किया है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, हमने सीआईएल से बाहर 40 से अधिक संगठनों से ₹101.12 करोड़ मूल्य की 106 बाहरी -सीआईएल कंसल्टेंसी कार्य हासिल किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 159.28% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है, जिसमें एनटीपीसी, यूपी सरकार, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, सेल, एनएमडीसी, टीएचडीसी, जेएसडब्ल्यू, आदि के कंसल्टेंसी कार्य भी शामिल हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में बाहरी ग्राहकों को ₹167.57 करोड़ के 184 ऑफर भेजे गए हैं। प्राप्त किए गए कार्यों के लिए भेजे गए प्रस्तावों की रूपांतरण दर में पिछले वर्ष की तुलना में काफी सुधार हुआ है।

सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल से बाहर के ग्राहकों में अपना ग्राहक आधार फिर से बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 22 नए ग्राहक जुड़े हैं।

सीएमपीडीआईएल द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में, सीआईएल से बाहर के संगठनों के लिए 77 परामर्श कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कुछ प्रमुख ग्राहक आईसीवीएल, जेएसपीएल, नाल्को, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, वेदांता लिमिटेड, मेघालय के प्राइवेट माइनर्स, टीवीएनएल, टाटा स्टील आदि थे।

विभिन्न सेमिनारों, प्रदर्शनियों और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों में भागीदारी बढ़ाकर सीआईएल के बाहर हमारी दृश्यता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया गया है। सीएमपीडीआईएल ने ग्राहकों के साथ वन टू वन मीटिंग के माध्यम से व्यवसाय विकास के लिए अपने प्रयास भी बढ़ा दिए हैं।

#### 1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ:

##### • भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग:

विश्वसनीय भू-वैज्ञानिक तथा भू-अभियंत्रण आँकड़ा तैयार करने तथा खनन परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्व-स्थाने कोयला भंडार के मूल्यांकन के उद्देश्य से क्षेत्रीय तौर पर गवेषित ब्लॉकों का विस्तृत भू-वैज्ञानिक गवेषण, मल्टी प्रोब भू-भौतिक लागिंग के जरिए भू-भौतिक सर्वेक्षण, हाई रिजोल्यूशन शैलो सीममिक सर्वेक्षण, जल भू-वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कोल बेड मिथेन संसाधनों की पहचान।

##### • परियोजना आयोजन एवं डिजाइन:

भूमिगत और खुली खानों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत अभियंत्रण ड्राइंग, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोल और मिनरल बेनीफिशिएशन तथा यूटिलाइजेशन प्लांट, कोयला निपटान संयंत्र, कार्यशाला और अन्य सहायक इकाईयाँ तथा निवेश निर्णय के लिए परियोजना रिपोर्ट एवं विभिन्न योजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत सुविधा।

• अभियंत्रण सेवाएँ:

खानों, परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन प्लांट्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, वर्कशॉप एवं अन्य इकाइयाँ, वास्तुशिल्पीय प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए सिस्टम और सब-सिस्टम का विस्तृत डिजाइन

• अनुसंधान एवं विकास:

कोल इंडिया की आरएंडडी द्वारा निधित आरएंडडी योजना और कोयला मंत्रालय द्वारा निधित सभी एसएंडटी योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सेवा दे रहा है। सीएमपीडीआईएल, अपने बल पर परिष्करण, खनन, यूटिलाइजेशन, पर्यावरण गवेषण आदि के क्षेत्र में एप्लायड रिसर्च और विकास का कार्य भी शुरू किया है।

• प्रयोगशाला सेवाएँ:

पूरी तरह आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला खान की गैसों की गुणवत्ता का पूर्ण विश्लेषण, वायु, ध्वनि, कोयला कोर नमूनों, कोयले की धोवन क्षमता गुण-निर्धारण, संस्तर का भौतिक यांत्रिक शक्ति, पेट्रोग्राफी अध्ययन, गैर विध्वंसक परीक्षण आदि सेवाएँ दे रही है।

• पर्यावरणिक सेवाएँ:

पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, क्षेत्रीय संस्थानों एवं मुख्यालयों के जरिए इसका कार्यान्वयन, घरेलू सीपीसीबी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में वायु, जल, ध्वनि नमूनों का विश्लेषण, खान बंदी योजना बनाना तथा खान बंदी की मॉनिटरिंग करना, ओबी एवं हाई वाल का ढाल स्थायित्व अध्ययन, खानों की पर्यावरणिक वहन (कैरिंग) क्षमता तथा नदी तटीय इकोसिस्टम का अध्ययन, पूरे सीआईएल की खानों के लिए भू-उपयोग मॉनिटरिंग हेतु सुदूर उपग्रह डाटा का प्रयोग, आदि।

• सूचना प्रौद्योगिकी

• मानव संसाधन विकास

• विशेषीकृत सेवाएँ

- ♦ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
- ♦ खानों में संवातन (वेंटिलेशन) एवं गैस सर्वेक्षण
- ♦ नियंत्रित विस्फोटन
- ♦ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- ♦ खनन इलेक्ट्रानिक्स
- ♦ खान की क्षमता का मूल्यांकन
- ♦ खान थम्हाल का डिजाइन ; रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)
- ♦ अनाशक परीक्षण (एनडीटी)
- ♦ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
- ♦ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्य परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कर पश्चात 503.23 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया। कंपनी के वित्तीय परिणाम नीचे दिये गये हैं:

(करोड रु. में)

| विवरण                                              | 31.03.2024<br>को समाप्त वर्ष | 31.03.2023<br>को समाप्त वर्ष |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| कुल बिक्री                                         | 1732.69                      | 1386.09                      |
| अन्य कमाई                                          | 37.49                        | 12.69                        |
| कुल खर्च                                           | 1037.34                      | 1031.83                      |
| कर देने से पूर्व लाभ                               | 732.84                       | 366.95                       |
| कर व्यय                                            | 229.61                       | 70.29                        |
| कर पश्चात लाभ (ए)                                  | 503.23                       | 296.66                       |
| अन्य व्यापक आय (ओसीआई)*                            | -13.73                       | 25.95                        |
| आयकर जिसे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा | -3.46                        | 6.53                         |
| कुल अन्य व्यापक आय (बी)                            | -10.27                       | 19.42                        |
| कुल व्यापक आय (ए) + (बी)                           | 492.96                       | 316.08                       |

## 1.3 प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट:

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) का प्रबंधन कंपनी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों को कवर करते हुए अपनी चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

### 1.3.1 सीएमपीडीआईएल के प्रमुख उद्देश्य :

1. भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, जल विज्ञान और पर्यावरण संबंधी डेटा सृजन सहित कोयला और खनिज अन्वेषण में परामर्श सहायता प्रदान करना।
2. इष्टतम खनन योजना के लिए भूवैज्ञानिक मूल्यांकन के उच्च स्तर का विश्वास प्रदान करते हुए अन्वेषण और व्यवहार्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. संसाधनों की उत्पादकता में सुधार, अपव्यय को रोकने और निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बाह्य संसाधनों को जुटाकर आंतरिक संसाधनों के उत्पादन को अनुकूलित करना।
4. कोयला खदानों, कोयला लाभकारीकरण और उपयोग संयंत्रों आदि के लिए परियोजना नियोजन और डिजाइनिंग।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना, समन्वय करना और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।
6. कोयला खनन और संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी), पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और खदान बंद करने की योजना तैयार करना।
7. भूमि सुधार निगरानी, पर्यावरण डेटा सृजन, वनस्पति आवरण मानचित्रण, कोयला खदान अग्नि मानचित्रण, कोयला क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर स्थलाकृतिक मानचित्रण, टीपीएस और वाशरी स्थानों के चयन सहित बुनियादी ढांचे की योजना आदि के लिए रिमोट सेंसिंग सेवाओं का विस्तार करना।

8. सीआईएल की सहायक कोयला उत्पादक कंपनियों को क्षेत्र और प्रयोगशाला सेवाएं प्रदान करना।

9. सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के अलावा बाहरी संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

### 1.3.2 सीएमपीडीआईएल के कार्यों का संक्षिप्त विवरण:

सीएमपीडीआईएल के सभी कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

**क. भूवैज्ञानिक गवेषण और सहायता सेवाएँ -** सीएमपीडीआईएल का यह मुख्य कार्य अपनी स्थापना के बाद से खनिज भंडारों के लिए निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है:

- गवेषण की योजना और निष्पादन;
- निवेश और दोहन निर्णयों के लिए संसाधन मूल्यांकन और दस्तावेज़ीकरण; तथा
- संबंधित क्षेत्र परीक्षण और प्रयोगशाला सहायता।

**ख. योजना, डिजाइन और सहायता सेवाएं -** स्थापना के बाद से सीएमपीडीआईएल का एक अन्य मुख्य कार्य होने के नाते, खनन, लाभकारीकरण, उपयोग और अन्य बुनियादी ढांचे और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

- संकल्पनात्मक / पूर्व-व्यवहार्यता / व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्ट, और बुनियादी और विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइनों का निर्माण और/या मूल्यांकन;
- इंजीनियरिंग एवं अन्य संबंधित परामर्श सहायता; तथा
- संबंधित क्षेत्र परीक्षण और प्रयोगशाला सहायता।

**ग. पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं -** 1992 से प्रस्तावित, ये सेवाएं खनन और खनिज उद्योग को उनकी योजना और संचालन के दौरान पर्यावरण प्रबंधन के लिए सर्वांगीण सहायता प्रदान

प्रदान करती हैं, जिसमें खदान बंद करने की योजना, प्रयोगशाला और परीक्षण सहायता, नदी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, मृदा और नमी संरक्षण अध्ययन आदि शामिल हैं।

**घ. जियोमैटिक्स सेवाएँ** - 2001 से प्रस्तावित, निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं:

- खनन पट्टे और वन सीमा के लिए विभेदक जीपीएस सर्वेक्षण, ओबीआर/कोयला जांच माप, यूजी खानों का सहसंबंध सर्वेक्षण, आदि।
- खुली खदानों की भूमि पुनर्ग्रहण निगरानी, कोयला क्षेत्रों के भूमि उपयोग/वनस्पति आवरण मानचित्रण आदि सहित सुदूर संवेदन अध्ययन।
- स्थलाकृतिक सर्वेक्षण,
- उपग्रह डेटा और जीआई के आधार पर थर्मल पावर स्टेशनों का स्थल चयन
- ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और मानचित्रण सेवाएँ

**ड. मानव संसाधन विकास** - 1976 से प्रस्तावित, इसमें बाजार के ग्राहकों, विशेष रूप से खनिज और खनन क्षेत्र में तकनीकी, प्रबंधकीय और प्रबंधन-प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण शामिल है।

**च. प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ** - 1997 से प्रस्तावित, ये सेवाएँ विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों, जैसे ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 50001, ISO 27001 और ISO 37001 के निर्माण, दस्तावेजीकरण, कार्यान्वयन और प्रशिक्षण के लिए परामर्श और समर्थन की पूरी श्रृंखला को कवर करती हैं। CMPDIL को, इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ, नए संशोधित ISO 9001:2015 मानक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

**छ. विशिष्ट सेवाएँ** - खानों में वेंटिलेशन और गैस सर्वेक्षण, नियंत्रित ब्लास्टिंग, नए विस्फोटकों का प्रदर्शन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रॉनिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान समर्थन डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), गैर-विनाशकारी परीक्षण,

सीआईएल और एमओसी के लिए ऐप्स और पोर्टल का विकास आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

### 1.3.3 उद्योग संरचना और विकास

वैश्विक वृद्धि, जो 2023 में 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, 2024 और 2025 में भी इसी गति से जारी रहने का अनुमान है। ऐतिहासिक मानकों के अनुसार विस्तार की गति कम है, जिसके लिए निकट-अवधि के कारक जैसे कि अभी भी उच्च उधार लागत और राजकोषीय समर्थन की वापसी, और कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के दीर्घकालिक प्रभाव, उत्पादकता में कमजोर वृद्धि और भू-आर्थिक विखंडन में वृद्धि जैसे कारक जिम्मेदार हैं।

पिछले दशक के दौरान, भारत ने दृढ़ता, सरलता और दूरदर्शिता से प्रेरित एक मजबूत और लचीली विकास कहानी का प्रदर्शन किया है। कोविड महामारी और भू-राजनीतिक संघर्षों जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास हासिल करने का प्रयास करते हुए चुनौतियों को अवसरों में बदलने और वापस वृद्धि की अपेक्षित दर हासिल करने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 24 के लिए 7% या उससे अधिक की वृद्धि दर हासिल करने की उम्मीद है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि यह वित्त वर्ष 25 में भी 7% की वास्तविक वृद्धि का एक और वर्ष हासिल करेगा। यदि वित्त वर्ष 25 के लिए पूर्वानुमान सही साबित होता है, तो यह महामारी के बाद चौथा वर्ष होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत या उससे अधिक की दर से बढ़ेगी। यह एक प्रभावशाली उपलब्धि होगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और क्षमता की गवाही देगी।

भारत में खनन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोयला खनन और बिजली उत्पादन दो मुख्य उद्योग हैं और साथ मिलकर भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में लगभग 12% का योगदान देते हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए उनके महत्व की पुष्टि करता है। इसके अलावा, भारत का लॉजिस्टिक्स उद्योग, स्पंज आयरन उद्योग, एल्युमीनियम उद्योग और कई अन्य उद्योग भारत के घरेलू कोयला उद्योग पर निर्भर हैं। कोयला खनन अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, नौकरियों के सृजन के माध्यम से, स्थानीय बुनियादी ढाँचे में सुधार - जैसे सड़क



नेटवर्क और पानी की आपूर्ति, और स्थानीय आबादी को स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करने की अनुमति देकर प्रोत्साहन देता है। भारत का कोयला क्षेत्र देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण रोजगार वृद्धि को भी बढ़ावा देता है। कोयला उद्योग वर्तमान में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में लगभग 1.2 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। भारत सरकार के कोयला उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), खास तौर पर कोल इंडिया लिमिटेड (सहायक कंपनियों सहित) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड, सामूहिक रूप से लगभग 3,69,000 व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, जिनमें लगभग 1,28,000 संविदा कर्मचारी शामिल हैं। इसलिए, भारत के लिए कोयला क्षेत्र का महत्व, न केवल देश के लिए ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में, बल्कि इसके द्वारा निभाई जाने वाली सामाजिक-आर्थिक भूमिका के लिए भी नकारा नहीं जा सकता।

अगले 20 वर्षों में भारत की ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि जारी रहेगी। उपयोगिता क्षेत्र की ताप विद्युत उत्पादन क्षमता में कोयले की हिस्सेदारी उच्च बनी रहने की उम्मीद है। भारत में कोयले की मांग लगातार बढ़ रही है, जो बिजली क्षेत्र और गैर-विनियमित क्षेत्र दोनों द्वारा संचालित है। विजन इंडिया @2047 दस्तावेज़ के अनुसार 2030 तक कोयले के उत्पादन की आवश्यकता लगभग 1500 मिलियन टन होने का अनुमान है। मांग परिदृश्य आर्थिक विकास, ऊर्जा दक्षता और वैकल्पिक कोयला उपयोगों के उद्भव से प्रभावित है। सीआईएल आपूर्ति श्रृंखला में संतुलन की भूमिका निभाना जारी रख सकता है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा CoP 26 में दी गई पंचामृत प्रतिबद्धता में यह बात शामिल है कि कोयला क्षेत्र पर कोयले के वैकल्पिक उपयोगों की तलाश करने का दबाव होगा क्योंकि ताप विद्युत क्षेत्र पर जोर कम हो सकता है। सीएमपीडीआईएल इस संबंध में कोयले के वैकल्पिक उपयोग को विकसित करने, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने और कोयला कंपनियों को अपने कारोबार में विविधता लाने के लिए परामर्श प्रदान करने के अवसरों की तलाश कर सकता है ताकि वे भविष्य के लिए तैयार हो सकें।

सरकार ने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें 2030 तक देश की ऊर्जा हिस्सेदारी का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना शामिल है। यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयले का उचित हिस्सा बना रहेगा और सीएमपीडीआई को वैकल्पिक टिकाऊ कोयला उपयोग,

टिकाऊ कोयला खनन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करनी होगी।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा अर्जित ज्ञान और निरंतर क्षेत्रीय अन्वेषण के साथ, गोंडवाना कोलफील्ड्स (43 संख्या) और तृतीयक कोलफील्ड्स (19 संख्या) का कुल अनुमानित बेसिन क्षेत्र लगभग 67032 वर्ग किमी होने का आकलन किया गया है, जबकि देश का कुल अनुमानित कोयला क्षेत्र 01.04.2023 तक लगभग 32902 वर्ग किमी था। लगभग 32902 वर्ग किलोमीटर के अनुमानित कोयला क्षेत्र में से, कुल क्षेत्रीय गवेषण क्षेत्र लगभग 20448 वर्ग किलोमीटर मापा गया और लगभग 12454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्षेत्रीय गवेषण के लिए छोड़ दिया गया। तृतीयक कोयला क्षेत्रों का कुल बेसिन क्षेत्र लगभग 1352 वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से कुल लगभग 834 वर्ग किलोमीटर को अनुमानित कोयला क्षेत्र माना गया था। तृतीयक कोयला क्षेत्रों में कुल क्षेत्रीय अन्वेषण क्षेत्र लगभग 139 वर्ग किलोमीटर था।

सरकार के निर्देशानुसार, सीएमपीडीआईएल देश में 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण पर जोर देते हुए क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण कर रहा है, ताकि निकट भविष्य में तेज गति से कोयला दोहन के लिए सर्वोत्तम गुणों की पहचान की जा सके। इसका उद्देश्य संभावित बोलीदाताओं को यथासंभव शीघ्र कोयला ब्लॉक उपलब्ध कराना है, ताकि देश के उपलब्ध कोयला संसाधनों का यथासंभव दोहन किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए, कोयला मंत्रालय कोकिंग कोल ब्लॉकों और उच्च श्रेणी के गैर-कोकिंग कोल ब्लॉकों में जी1 स्तर के अन्वेषण के साथ गैर-सीआईएल कोयला ब्लॉकों और शेष ब्लॉकों में जी2 स्तर के अन्वेषण (2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षणों के साथ प्रति वर्ग किमी ड्रिलिंग में लगभग 2 बोरहोल के साथ गवेषण) को नीलामी के लिए रख रहा है।

विभागीय संसाधनों के माध्यम से 200 लाइन किमी के 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा अधिग्रहण के साथ-साथ 10.0 लाख मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य 2024-25 के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसका उद्देश्य कम बोरहोल घनत्व के साथ भौतिक ड्रिलिंग के साथ अन्वेषण में 2 डी / 3 डी भूकंपीय सर्वेक्षणों को प्राथमिकता देना है।

सीआईएल के 1 बीटी कोयला उत्पादन लक्ष्य के लिए गवेषण और नियोजन अभ्यास पूरा हो चुका है, लेकिन भविष्य में उत्पादन को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए सीआईएल को सीएमपीडीआई से निरंतर आधार पर तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी। यह सीएचपी, वाशरी आदि सहित बुनियादी सुविधाओं के लिए भी सही

होगा। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआईएल की विशेषज्ञ सेवाओं की मांग सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अन्य कोयला उत्पादकों द्वारा भी की जाती रही है। सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल के अलावा एनटीपीसी, जीएमडीसी, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, एनटीपीसी, एससीसीएल, जीएमपीएल, टाटा स्टील, जेपीएल, टीएचडीसी, यूसीआईएल, एनएलसीआईएल, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, आईएमपीपीएल, एमपी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, आईसीवीएल और विभिन्न वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक मालिकों जैसी कंपनियों के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं।

इसके अलावा, कोल बेड मीथेन, कोल गैसीफिकेशन आदि जैसे कोयला आधारित गैर-नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत को अपनाने की दिशा में सीआईएल और अन्य कंपनियों द्वारा किए जा रहे प्रयास, सीएमपीडीआईएल के लिए परामर्श कार्य के स्रोत होने की संभावना है। सीएमपीडीआईएल ने सक्रिय रूप से काम किया है और इसे सीआईएल क्षेत्रों अर्थात् ईसीएल, बीसीसीएल और एसईसीएल में सीबीएम परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में नियुक्त किया गया है। बीसीसीएल लीजहोल्ड क्षेत्र के तहत झरिया सीबीएम ब्लॉक-1 वर्तमान में अन्वेषण चरण में है। सीएमपीडीआईएल सीबीएम रिकवरी और कार्बन पृथक्करण की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जलाशय के लक्षण वर्णन के लिए आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से एस एंड टी परियोजना पर काम कर रहा है। सीएमपीडीआईएल ईसीएल, डब्ल्यूसीएल और एसईसीएल के लिए कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए पीआईए भी है। कोयला गैसीकरण सीएमपीडीआईएल के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। सीएमपीडीआईएल भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) तकनीक स्थापित करने के लिए एक आर एंड डी पायलट परियोजना को प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी ईसीएल और उप-कार्यान्वयन एजेंसी एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजीज इंक (ईईटीआई), कनाडा के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, कोयला क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उभरता हुआ क्षेत्र भी सीएमपीडीआईएल के लिए अतिरिक्त अवसर प्रस्तुत कर रहा है, जो आने वाले वर्षों में और बढ़ेगा। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहल की

है कि उसके प्रयास शीर्ष और निचले स्तर पर सराहनीय रूप से परिलक्षित हों, और तदनुसार, हाल के दिनों में बिक्री और पीबीटी में काफी वृद्धि हुई है।

यद्यपि यह आशा की जाती है कि भारत में कोयला ईंधन अपनी प्रधानता बनाए रखेगा तथा कम से कम अगले कुछ दशकों तक स्थानीय आबादी के लिए किराया और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के लिए एकमात्र यथार्थवादी विकल्प बना रहेगा, तथापि सरकार की बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन की प्रतिबद्धता, समानांतर रूप से, कोयला क्षेत्र के भविष्य के विस्तार कार्यक्रम को प्रभावित करेगी। यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी26) के 26 वें सत्र में भारत ने भारत की जलवायु कार्रवाई के पांच अमृत तत्व (पंचामृत) प्रस्तुत किए, अर्थात् (i) 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना, (ii) 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना, (iii) अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी, (iv) 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत की कमी, और (v) 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना। इसके अलावा, अद्यतन एनडीसी प्रतिबद्धता 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का वादा करती है कोयला खनन के लिए मंजूरी, ग्रीन लॉबिस्टों का दबाव और भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रयास दिन-प्रतिदिन कठिन होते जा रहे हैं। सीएमपीडीआईएल को कोयला क्षेत्र के लिए कम कार्बन, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य और सामाजिक रूप से समावेशी खदान नियोजन के लिए कोयला कंपनियों को तकनीकी सहायता प्रदान करनी होगी।

सीएमपीडीआईएल के राजस्व में अन्वेषण का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अन्वेषण से राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करने और इसके आगे के संधारण के लिए, सीएमपीडीआई गैर-कोयला क्षेत्रों में विविधीकरण की आवश्यकता को पहचानता है। इस विविधीकरण रणनीति में न केवल हमारे अन्वेषण प्रयासों का विस्तार करना शामिल है, बल्कि हमारी सेवा पेशकशों को भी व्यापक बनाना शामिल है, जिसमें हमारे शीर्ष और निचले दोनों लाइनों को मजबूत

करने के लिए 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षणों का विभागीय कार्यान्वयन शामिल है। इसके अलावा, योजना और डिजाइन, जियोमैटिक्स और पर्यावरण सेवाओं आदि जैसी अन्य सेवाओं से राजस्व बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। ये सेवाएँ महत्वपूर्ण विकास के अवसर प्रस्तुत करती हैं और हमें अपने ग्राहकों को व्यापक समाधान प्रदान करने की अनुमति देती हैं। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल उभरते बाजार के रुझानों को भुनाने और अपने ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष हाइड्रोजियोलॉजिकल सेवाओं को सक्रिय रूप से प्राथमिकता दे रहा है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और सीएमपीडीआईएल के व्यवसाय क्षेत्र में गतिशीलता लाने के लिए, उत्पादकता में और सुधार के माध्यम से अन्वेषण क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करना यथार्थवादी होगा, विशेष रूप से, 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण और अन्य भू-भौतिकीय विधियों के व्यापक उपयोग, जहां भी आवश्यक हो, मौजूदा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का उन्नयन और आधुनिकीकरण, जनशक्ति उपयोग और कार्यकारी जनशक्ति प्रेरण को युक्तिसंगत बनाना, कोयले के अलावा खनिज, खनन और संबद्ध इंजीनियरिंग क्षेत्रों के नए क्षेत्रों में विविधीकरण, मूल्य के संदर्भ में बाहरी नौकरियों (गैर-सीआईएल) की मात्रा में वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग के माध्यम से ड्रिलिंग और इन्वेंट्री नियंत्रण सहित कोर क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी प्रणाली की स्थापना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी की स्थापना आदि।

### 1.3.4 उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति :

खनिज, खनन और संबद्ध क्षेत्रों में सीएमपीडीआईएल के ज्ञान और बाजार में अपने विशिष्ट स्थान के साथ, यह अपने कॉर्पोरेट उद्देश्यों को साकार करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों और व्यवसाय योजना को अपना रहा है:

- जहां तक संभव हो भौतिक ड्रिलिंग के स्थान पर 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से गवेषण क्षमता को बढ़ाना आदि।
- कोयला के अलावा खनिज, खनन और संबद्ध इंजीनियरिंग क्षेत्रों के नए क्षेत्रों में विविधीकरण,
- राजस्व में बाहरी ग्राहकों के लिए बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि,

- देश के भीतर और बाहर, दोनों जगह रणनीतिक साझेदारों के साथ गठजोड़,
- मौजूदा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का उन्नयन और आधुनिकीकरण,
- परिचालन दक्षता और कार्य गुणवत्ता में वृद्धि,
- कॉर्पोरेट संस्कृति और आंतरिक प्रणालियों में सुधार,
- कोयला उद्योग के लिए निरंतर योजना और विशेषीकृत समर्थन सुनिश्चित करने के लिए जनशक्ति उपयोग और कार्यकारी जनशक्ति प्रेरण को युक्तिसंगत बनाना,
- बेहतर लागत नियंत्रण उपाय और निगरानी, और
- कोयला आधारित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु सेवाएं प्रदान करना।

### 1.3.5 सामर्थ्य और कमज़ोरी सामर्थ्य

- खनन कार्य के बाद लगभग सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करता है।
- भारत में विस्तृत कोयला गवेषण पर प्रभुत्व । सीएमपीडीआईएल को सरकारी 'प्राथमिकताएं' के अलावा भारतीय ग्राहकों के बीच सबसे पसंदीदा सलाहकार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।
- रणनीतिक रूप से स्थित क्षेत्रीय संस्थानों के जरिए, यह कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के साथ-साथ कोयला मंत्रालय सहित सभी को डोर स्टेप सेवा प्रदान करने में सक्षम है। सीएमपीडीआईएल की कोयला उत्पादक क्षेत्रों के आसपास अखिल भारतीय उपस्थिति है।
- सीएमपीडीआईएल को कोयला ब्लॉकों, कोयला भंडार, कोयले की गुणवत्ता आदि से संबंधित एक बड़ा, प्रामाणिक डेटा-बेस रखने का गौरव प्राप्त है, जो कोयला क्षेत्र में उपलब्ध विशाल संसाधनों के ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है



- इसमें 900 से अधिक बहु-विषयक कुशल श्रमशक्ति का प्रतिभा बैंक है।
- 1300 से अधिक एकीकृत कोयला अन्वेषण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने, 75 एमटीवाई ओपनकास्ट खदान और 6 एमटीवाई भूमिगत खदान तक की व्यक्तिगत परियोजना क्षमता के साथ 1300 से अधिक खनन परियोजना रिपोर्ट की योजना बनाने, बड़ी संख्या में बुनियादी सुविधाओं आदि का समृद्ध अनुभव है
- इसमें प्रयोगशाला सुविधाएं, आधारभूत डेटा उत्पादन क्षमता आदि सहित कोयला गवेषण के लिए सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा (विस्तृत अन्वेषण के लिए देश में ड्रिल का सबसे बड़ा बेड़ा) है, जिसका भौगोलिक विस्तार 8 राज्यों में है।

#### कमजोरी

- कंपनियों और कोयला मंत्रालय पर अत्यधिक निर्भरता।
- कुशल और अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उच्च दर।
- धीमी गति से विविधीकरण अर्थात् मुख्यतः कोयला उद्योग तक सीमित।

#### 1.3.6 अवसर और जोखिम

##### अवसर

- कोयले की मांग बढ़ने की संभावना है और 2030 के मध्य तक यह चरम पर पहुंच सकती है, जिससे सीएमपीडीआई एल सेवाओं के लिए संभावनाएं पैदा होंगी।
- सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं निजी दोनों कंपनियों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी/ आबंटन से सीआईएल के बाहर सीएमपीडीआईएल के लिए बाजार अवसर पैदा हुए हैं।
- कोयला क्षेत्र में आईटी के अनुप्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता
- गैर-कोयला क्षेत्र में विविधीकरण
- सीबीएम/सीएमएम/ यूसीजी/ अन्य गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के दोहन के क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार।
- सीआईएल कोयले के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी विविधीकरण के प्रयास कर रही है।

सक्रिय कदमों के माध्यम से पहचाने गए क्षेत्रों में अपने क्षितिज का विस्तार करने का अवसर मिलेगा।

#### जोखिम

- भारतीय कोयला क्षेत्र 100% एफडीआई के साथ उदारीकरण की ओर बढ़ रहा है। कोयला क्षेत्र को और अधिक खोलने से अन्य घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय परामर्श सेवा प्रदाताओं से बाजार में प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
- पिछले कुछ वर्षों में, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास बढ़ने की संभावना है, जिससे यह सस्ता हो सकता है, जिससे सीएमपीडीआई के पारंपरिक व्यवसाय को कुछ हद तक खतरा पैदा हो सकता है।
- वन क्षेत्र में उत्खनन पर प्रतिबंध तथा कानून-व्यवस्था की समस्या के कारण ड्रिलिंग प्रभावित हो रही है।
- एक प्रमुख मानव संसाधन संचालित कंपनी होने के नाते, वर्तमान उच्च आयु प्रोफाइल भविष्य में हानिकारक साबित होगी। विशेषज्ञ श्रमशक्ति कम होती जा रही है, क्योंकि इसके कई अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

#### 1.3.7 मूल्य निर्धारण

**परामर्श सेवाओं से राजस्व कोल इंडिया की सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल द्वारा सीमित:**

गवेषण, खान योजना/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरण योजनाओं और अन्य इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए परामर्श सेवाओं से उत्पन्न राजस्व की पहचान ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अपनाए गए मूल्य निर्धारण फार्मूले पर आधारित है।

#### 1.3.8 विपणन नीति

सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मांगे जाने पर सभी संभावित क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, सीएमपीडीआईएल सीआईएल के बाहरी ग्राहकों से भी काम लेने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां भी ऐसे बाहरी परामर्श कार्य किए जा



सकते हैं, महत्व और रणनीतिक मूल्यों पर उचित विचार किया जाता है।

### 1.3.9 दृष्टिकोण और तैयारी

सीएमपीडीआई ने ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपनी ड्रिलिंग क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की। 2007-08 में 2.09 लाख मीटर की उपलब्धि हासिल करने से सीएमपीडीआई ने 2011-12 (ग्यारहवीं योजना का अंतिम वर्ष) में 4.98 लाख मीटर और 2016-17 (बारहवीं योजना का अंतिम वर्ष) में 11.26 लाख मीटर की उपलब्धि हासिल की। 2017-18 में सीएमपीडीआई की कुल ड्रिलिंग उपलब्धि 13.66 लाख मीटर पर पहुंच गई। इसके अलावा, सीएमपीडीआई ने 2018-19 में 13.60 लाख मीटर, 2019-20 में 12.94 लाख मीटर, 2020-21 में 12.48 लाख मीटर और 2021-22 में 7.91 लाख मीटर ड्रिलिंग हासिल की। इसके अलावा, विभागीय ड्रिल के माध्यम से, 2018-19 के दौरान 619 मीटर/ड्रिल/माह की उत्पादकता के साथ 5 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई, जो सीएमपीडीआईएल के इतिहास में सबसे अधिक विभागीय ड्रिलिंग है। विभागीय ड्रिलों का आधुनिकीकरण, नई उच्च क्षमता वाली यांत्रिक और हाइड्रोस्टैटिक ड्रिलों को शामिल करना, उच्च उत्पादकता के परिणामस्वरूप उच्च प्रदर्शन वाले बिट्स की शुरुआत, नवीनतम मड प्रौद्योगिकी को अपनाना, ड्रिलिंग सहायक उपकरण और श्रमशक्ति की प्रभावी व्यवस्था, सीएमपीडीआईएल की ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाने की कुंजी रही है।

2022-23 के दौरान केवल 6.85 लाख मीटर की ड्रिलिंग की जा सकेगी, खास तौर पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत अन्वेषण के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा फंड में कटौती के कारण। हालांकि, अक्टूबर 2022 में, EFC ने 15 वें वित्त आयोग चक्र यानी 2025-26 तक कोयला और लिग्नाइट में अन्वेषण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को जारी रखने की सिफारिश की। नतीजतन, सीएमपीडीआई 2023-24 में लगभग 26% की वृद्धि के साथ लगभग 8.625 लाख मीटर ड्रिलिंग हासिल कर सकता है। कोयले में आगे गवेषण करने की तात्कालिकता को देखते हुए, केंद्रीय क्षेत्र योजना/एनएमईटी के तहत फंडिंग जारी रखने की आवश्यकता होगी।

19 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए विस्तृत गवेषण के माध्यम से लगभग 12 बिलियन टन कोयला संसाधनों को मापित (प्रमाणित) श्रेणी में जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, 12 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए प्रमोशनल (क्षेत्रीय) अन्वेषण में लगभग 11 बिलियन टन नए कोयला संसाधन (संकेतित और अनुमानित श्रेणियों में) जोड़े गए हैं। सीएमपीडीआई ने बॉक्साइट क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए प्रस्तुत 2 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के साथ अपने अन्वेषण क्षेत्र का और विस्तार किया, जिससे संभावित रूप से राष्ट्रीय सूची में लगभग 16.093 मिलियन टन एल्युमिनियम लेटराइट और लगभग 9.285 मिलियन टन बॉक्साइट संसाधन जुड़ गए।

भारत सरकार ने गवेषण की गति को कम करने और लागत कम करने के लिए ड्रिलिंग के लिए बोरहोल की संख्या कम करने के साथ-साथ 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण तकनीक की शुरुआत पर जोर दिया है। सीएमपीडीआईएल ने गवेषण की विभिन्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण तकनीकों जैसे आधुनिक तकनीकों का गहन उपयोग करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि ड्रिलिंग की समय लेने वाली प्रक्रिया पर निर्भरता कम हो और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने में उनका उपयोग किया जा सके। इससे भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने में तेजी आएगी और ब्लॉकों के भूवैज्ञानिक मॉडल में बेहतर विश्वास पैदा होगा।

कोयले की तेजी से खोज करने और उपलब्ध जनशक्ति और मशीनों का उपयोग करने के लिए विभागीय 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षणों पर नए सिरे से जोर दिए जाने के तहत, विभागीय स्तर पर 205 लाइन किमी 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण किए गए, जो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के लगभग 162.90 लाइन किमी की उपलब्धि से 26% अधिक है। कुल मिलाकर, सीएमपीडीआईएल ने 2023-24 में आउटसोर्स ड्रिलिंग के माध्यम से 234.57 लाइन किमी 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया।

भूजल मॉडलिंग अध्ययन करने के लिए सीएमपीडीआईएल के अन्वेषण प्रभाग के हाइड्रोजियोलॉजी अनुभाग को जीडब्ल्यूसीओ (क्यूसीआई-एनएबीईटी) और भूजल पेशेवरों (सीजीडब्ल्यूए, नई दिल्ली) के रूप में नई मान्यता मिलने से सीएमपीडीआईएल को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीजीडब्ल्यूए, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली से एनओसी के लिए 94 व्यापक हाइड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट और 83 भूजल मॉडलिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया गया है। यह आने वाले वर्षों में अतिरिक्त राजस्व सृजन का स्रोत भी होगा।

विभागीय तौर पर 200 लाइन किलोमीटर के 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के जरिए डाटा अधिग्रहण के साथ 10.0 लाख मीटर ड्रिलिंग का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। पिछले तीन वर्षों में, गवेषण की गति में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण गैर-सीआईएल और प्रमोशनल ब्लॉकों में कोयला अन्वेषण के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत कोयला मंत्रालय से वित्त पोषण में कमी है। इसके अतिरिक्त, सीआईएल क्षेत्रों में ड्रिलिंग की सीमित गुंजाइश ने भी बढ़े हुए मीटररेज लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों में बाधा डाली है। इन चुनौतियों के बावजूद, अक्टूबर 2022 में ईएफसी की सिफारिश ने 2025-26 तक दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत अन्वेषण के लिए वित्त पोषण जारी रखने की सिफारिश ने नए सिरे से प्रोत्साहन प्रदान किया है। सीएमपीडीआईएल निकट भविष्य में देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कोयले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्वेषण क्षेत्र में विकास को गति देने तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्त पोषण संबंधी बाधाओं पर काबू पाने और अन्वेषण प्रयासों को अनुकूलतम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष के दौरान प्रस्तुत 40 परियोजना रिपोर्टों (पीआर) में से 29 पीआर ओपनकास्ट परियोजनाओं की थीं, जिनमें 8 मेगा परियोजनाओं (क्षमता 10 मीट्रिक टन प्रति वर्ष और उससे अधिक), 10 भूमिगत परियोजनाओं की पीआर और 1 मिश्रित परियोजना की पीआर शामिल थीं। 40 पीआर में से 6 पीआर गैर-सीआईएल खदानों के लिए नियोजित की गई हैं, जिसमें 1 गैर-सीआईएल भूमिगत खदान शामिल है। इसमें ज़ाम्बेज़ कोल प्रोजेक्ट के लिए मोज़ाम्बिक में विदेशों से 11 मीट्रिक टन क्षमता की एक ओपनकास्ट पीआर शामिल है। ( ग्रीनफील्ड) मेसर्स आईसीवीएल से वैश्विक बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त

किया गया। सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल की भूमिगत खदानों से 100 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन के लिए 'सीआईएल की यूजी विजन योजना' के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है।

सीएमपीडीआईएल में सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। एनएबीएल प्रमाणन से मान्यता प्राप्त भू-रासायनिक प्रयोगशाला वर्तमान में नमूना तैयारी इकाई में स्वचालन शुरू करके कोयला कोर विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने की अपनी योजना को लागू कर रही है जो बड़ी संख्या में विश्लेषण को संभालने में मदद करेगी। हाल ही में, प्रयोगशाला को एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर (एक्सआरडी) प्रणाली से सुसज्जित किया गया है जो अज्ञात नमूनों में खनिजों की उपस्थिति, खदान धूल के नमूनों में मुक्त सिलिका का विश्लेषण करने में सक्षम है। पेट्रोग्राफी लैब में पेट्रोग्राफर्स को कोयला और जैविक पेट्रोलॉजी की अंतर्राष्ट्रीय समिति (ICCP) द्वारा प्रमाणित किया गया है।

कोयला एवं खनिज तैयारी (सीएमपी) प्रयोगशाला को एनएबीएल प्रमाणन से भी मान्यता प्राप्त है। ऐसे मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त होना परीक्षण के परिणामों की पारस्परिक स्वीकृति की सुविधा के लिए एक आवश्यक कदम माना जाता है। एनएबीएल ने गैर-विनाशकारी परीक्षण के क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल मुख्यालय की एनडीटी प्रयोगशाला को मान्यता जारी रखी। उचित उपकरण और संसाधनों के साथ सीएमपीडीआईएल के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में एनडीटी सेल स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय संस्थानों की प्रयोगशालाओं को भी एनएबीएल मान्यता दिलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय संस्थान VI में एनडीटी प्रयोगशाला को भी अप्रैल 2023 में मान्यता दी गई। सीबीएम/शेल गैस से संबंधित अध्ययन, जलाशय की विशेषताओं और सीबीएम और शेल गैस संसाधनों के आकलन से संबंधित सभी पैरामीट्रिक डेटा के उत्पादन की सुविधा के लिए सीएमपीडीआईएल में अत्याधुनिक सीबीएम लैब कार्यात्मक है।

मौजूदा पर्यावरण प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक उपकरणों से मजबूत किया गया है। सीएमपीडीआईएल मुख्यालय, आरआई-I, आरआई-II, आरआई-IV, आरआई-V और आरआई-VII की पर्यावरण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है। सीएमपीडीआईएल मुख्यालय की पर्यावरण प्रयोगशाला को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सीपीसीबी से मान्यता भी मिल गई है। सीएमपीडीआईएल मुख्यालय की पर्यावरण प्रयोगशाला ने आईएस/आईएसओ 45001:2018 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) के लिए मान्यता प्राप्त की है।

वर्ष 2023-24 के दौरान 54 रिपोर्टें अर्थात 25 ड्राफ्ट ईआईए/ईएमपी/परिशिष्ट ईआईए/ईएमपी (पर्यावरण प्रभाव आकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ) और 29 फॉर्म-I/फॉर्म-IV/फॉर्म-VI तैयार किए गए, तथा आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुंडा, हसदेव, जयंत, भुवनेश्वर और रांची में स्थित नौ पर्यावरण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सीआईएल की 299 परियोजनाओं/क्लस्टरों/प्रतिष्ठानों की पर्यावरण निगरानी (वायु, जल और ध्वनि) की गई। सीएमपीडीआईएल द्वारा कुछ विशेष कार्य जैसे कि वहन क्षमता अध्ययन, खदान की पारिस्थितिक निगरानी, पुनर्ग्रहण स्थलों के जैव विविधता मूल्यांकन अध्ययन, एसटीपी और ईटीपी का डिजाइन भी किया गया। सीआईएल की खदानों के साथ-साथ बाहरी ग्राहकों के लिए लिडार सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक मृदा नमी संरक्षण (एसएमसी) अध्ययन किए गए। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल ने खनन गतिविधियों से प्रभावित भूमि की बहाली पर एक संकल्पनात्मक रिपोर्ट तैयार करके मेघालय राज्य को अपनी विशेषज्ञता प्रदान की।

सीएमपीडीआईएल 2008 से उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले उपग्रह डेटा के आधार पर नियमित आधार पर सीआईएल की खदानों की सैटेलाइट डेटा आधारित भूमि पुनर्ग्रहण निगरानी कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में, कुल 121 परियोजनाओं की भूमि पुनर्ग्रहण निगरानी सफलतापूर्वक पूरी की गई, जिसमें 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) श्रेणी से अधिक उत्पादन करने वाली 76 ओपनकास्ट परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी वार्षिक आधार पर निगरानी की जाती है और 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) श्रेणी से कम उत्पादन करने वाली 45 खदानें/क्लस्टर, जिनकी निगरानी सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के तहत चरणबद्ध तरीके से तीन साल के अंतराल पर की जाती है। वर्ष के दौरान सात कोयला क्षेत्रों के वनस्पति आवरण का मानचित्रण भी किया गया।

सीएमपीडीआईएल ने टोपोग्राफिकल मैपिंग, कोयला खदान अग्नि मानचित्रण, वनस्पति आवरण मानचित्रण, बस्तियों का मानचित्रण, वृक्षारोपण ऊंचाई आकलन और खनन से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए ड्रोन/यूएवी आधारित सर्वेक्षणों का संचालन शुरू किया है। इसके अलावा, 1 एमटीवाई से अधिक उत्पादन करने वाली सभी ओसी खदानों, आउटसोर्स और विभागीय दोनों का ओबीआर मापन और 1 एमटीवाई (केवल किराए के पैच) से कम उत्पादन करने वाली ओसी खदानों का वार्षिक मापन पूरा हो चुका है और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। कोयला मंत्रालय के लिए लगभग 60 नीलामी ब्लॉकों के लिए वीडियो फुटेज तैयार करने के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इरकॉन और आईटीडी सीमेंटेशन के लिए पश्चिम बंगाल के सिवोक-रंग पीओ रेल लिंक परियोजना में जाइरोमैट 3000 का उपयोग करके सुरंग संरेखण के लिए जाइरोस्कोपिक सर्वेक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

वर्ष के दौरान सीसीएल और बीसीसीएल की कोकिंग कोल खदानों की व्यवहार्यता के साथ व्यापक वाशेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कोकिंग कोल की मांग से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार की गई और उसे कोयला मंत्रालय को सौंप दिया गया। सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में डीशेलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने में सीएमपीडीआईएल सक्रिय रूप से शामिल था। जनवरी 2024 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के आधार पर, विभिन्न सहायक कंपनियों में स्थापित किए जाने वाले 4 डीशेलिंग प्लांट की पहचान की गई है।

सीएमपीडीआईएल ने कोयला आधारित गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के वाणिज्यिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ वाणिज्यिक और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है। सीएमपीडीआईएल लगातार कोल बेड मीथेन (सीबीएम) और कोल गैसीफिकेशन जैसे कोयला आधारित अपरंपरागत संसाधनों के विकास के लिए काम कर रहा है। सीएमपीडीआईएल सीबीएम के विकास के लिए ईसीएल, बीसीसीएल और एसईसीएल के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है। तीन सीबीएम ब्लॉक अर्थात् झरिया सीबीएम ब्लॉक-I, रानीगंज सीबीएम ब्लॉक और झरिया सीबीएम ब्लॉक-II वर्तमान में सीआईएल लीजहोल्ड क्षेत्रों में विचाराधीन हैं।

झरिया सीबीएम ब्लॉक-I (बीसीसीएल लीजहोल्ड क्षेत्र) को राजस्व साझेदारी के आधार पर सीबीएम निकालने के लिए मेसर्स प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (पीईपीएल) को दिया गया है। अन्वेषण चरण के लिए वैधानिक मंजूरी (ईसी, सीटीई और सीटीओ) प्राप्त कर ली गई है और ब्लॉक अन्वेषण चरण में है। झरिया सीबीएम ब्लॉक-II के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट बीसीसीएल को सौंप दी गई है। रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के क्षेत्र का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है जिसके बाद सीबीएम डेवलपर के चयन के लिए निविदा जारी की जाएगी।

सी.एम.पी.डी.आई.एल. सी.आई.एल. तथा उसकी सहायक कम्पनियों में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) भी है। भारतीय भू-खनन परिस्थितियों में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यू.सी.जी.) प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए एक आर.एंड.डी. पायलट परियोजना का क्रियान्वयन सी.एम.पी.डी.आई.एल., ई.सी.एल. तथा एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजी इंक. (ई.ई.टी.आई.), कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सी.एम.पी.डी.आई.एल. तथा ई.सी.एल. प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी हैं तथा ई.ई.टी.आई., कनाडा उप-कार्यान्वयन एजेंसी है। परियोजना को सी.आई.एल. आर.एंड.डी. बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा 29 मार्च, 2024 से प्रभावी रूप से शुरू किया गया है।

सीएमपीडीआईएल कोयला मंत्रालय और सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत वित्त पोषित अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों/संगठनों द्वारा किए जा रहे विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यों के समन्वय के अलावा, सीएमपीडीआईएल अपनी अच्छी तरह से स्थापित प्रयोगशालाओं के साथ कोयला/लिग्नाइट खनन उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान भी कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, इनमें से कई शोध परियोजनाओं ने परिचालन में सुधार, सुरक्षित कार्य स्थितियों, बेहतर संसाधन पुनर्प्राप्ति और पर्यावरण की सुरक्षा के परिणामस्वरूप काफी लाभ दिया है। जबकि कुछ शोध परियोजनाओं ने सीधे उद्योग पर एक ठोस प्रभाव डाला है, वहीं कुछ अन्य हैं जिन्होंने खदान नियोजन, डिजाइन और तकनीकी सेवाओं को मजबूत किया है जो संचालित खदानों और भविष्य की खनन परियोजनाओं दोनों के लिए आवश्यक हैं।

सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में भारत और विदेशों में अधिक विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों को शामिल करने के प्रयास जारी हैं ताकि यह आत्मनिर्भर बनकर देश की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा प्रबंधन और डिजिटलीकरण, कार्बन उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई और आईओटी का उपयोग, अपशिष्ट से धन सृजन, अन्वेषण में नई तकनीकों की तैनाती आदि के क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करके अनुसंधान एवं विकास पहलों के विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 9 शोध परियोजनाएं पूरी



हो चुकी हैं और प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से 43 चल रही शोध परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं।

सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानकों के कार्यान्वयन के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है और विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, आईएसओ 50001, आईएसओ/आईईसी 27001, आईएसओ 37001 आदि के अनुप्रयोग के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। सीएमपीडीआईएल को अपने सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ आईएसओ 9001:2015 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है। हमारे मार्गदर्शन और समर्थन के तहत, सीआईएल मुख्यालय, कोलकाता को आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001: 2015 और आईएसओ 50001: 2018 के लिए प्रमाणन मिला है और सीआईएल की पांच सहायक कंपनियां यानी ईसीएल, सीसीएल, एनसीएल, एमसीएल और डब्ल्यूसीएल (83 इकाइयां) एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001: 2015 और आईएसओ 45001: 2018) के लिए प्रमाणित हैं।

कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी में सीएमपीडीआईएल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोयला मंत्रालय द्वारा नीलामी के विभिन्न चरणों के लिए चुने गए कोयला ब्लॉकों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा खदान डोजियर और खदान सारांश प्रस्तुत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इन सभी कोयला ब्लॉकों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा निविदा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण इनपुट डेटा भी कोयला मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया था। कोयला मंत्रालय द्वारा नीलामी के 9 वें चरण तक 110 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

सीएमपीडीआईएल ने एनआईसी के साथ मिलकर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म विकसित किया है। सीएमपीडीआईएल ने जून 2023 से सीआईएल की सहायक कंपनियों के लिए सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक सिस्टम पर कोयला ई-नीलामी शुरू की है। इस पोर्टल का औपचारिक उद्घाटन 03.10.2023 को कोयला मंत्रालय के सचिव द्वारा किया गया था। मार्च 2024 तक 5265 बोलीदाताओं ने कोयला ई-नीलामी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2023-24 के दौरान सीआईएल की सहायक कंपनियों के लिए 49 मिलियन टन से अधिक के लिए 87 ई-नीलामी सफलतापूर्वक आयोजित की हैं।

सीएमपीडीआईएल ने टीसीआईएल के सहयोग से एनसीएल की अमलोहरी ओपनकास्ट परियोजना में कोयला खनन में भारत के पहले निजी 5जी नेटवर्क की तैनाती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ऐतिहासिक उपलब्धि कोल इंडिया की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोयला खदानों में 5जी अनुप्रयोग की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, 'कोयला उद्योग के लिए सीएमपीडीआईएल में 5जी उपयोग केस परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना' और 'ओपनकास्ट कोयला खदानों में एकीकृत आवाज, वीडियो और डेटा संचार के लिए 5जी कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क' से संबंधित दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और कार्यान्वयन के अधीन हैं।

### 1.3.10 सीएमपीडीआईएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश करता है, ताकि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश के अनुसार गैर-अनुपालन के लिए नकारात्मक अंकन के साथ कुछ अनुपालन मापदंडों के साथ भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन के लिए विभिन्न पैरामीटर निर्धारित किए जा सकें। उपलब्धियों को 1 से 5 के पैमाने पर ग्रेड किया गया था; 'उत्कृष्ट' ग्रेड 1.0 से 1.5 और 'खराब' ग्रेड 4.51 से 5.0 वित्त वर्ष 2014-15 तक। वित्त वर्ष 2009-10 के लिए, सीएमपीडीआईएल को 1.00 (उत्कृष्ट) की उच्चतम समझौता ज्ञापन रेटिंग दी गई थी और वित्त वर्ष 2014-2015 के दौरान, इसे लोक उद्यम विभाग द्वारा उत्कृष्ट (1.002) रेटिंग दी गई थी, जो सभी सीपीएसई में तीसरी सर्वश्रेष्ठ थी और अपने सिंडिकेट में सर्वश्रेष्ठ थी। सीएमपीडीआईएल को 2007-08 से 2021-22 तक उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग प्रदान की गई है, तीन वर्षों को छोड़कर जब यह बहुत अच्छा था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एमओयू का प्रदर्शन मूल्यांकन सीआईएल, कोलकाता में मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

### 1.3.11 जोखिम और चिंताएँ

- बोरहोल घनत्व की बढ़ी हुई संख्या के साथ वन क्षेत्रों में ड्रिलिंग के लिए अनुमोदन प्राप्त करना तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं ड्रिलिंग के मार्ग में प्रमुख बाधाएं हैं।

- विस्तृत ड्रिलिंग क्षमता को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण में समान वृद्धि सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, जो कि कठिन प्रतीत होता है। इसके अलावा, वन क्षेत्र में अन्वेषण में प्रतिबंध विस्तार कार्यक्रम में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं।
- कोयला क्षेत्र के खुलने के मददेनजर अन्य घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय परामर्श सेवा प्रदाताओं से बाजार प्रतिस्पर्धा ।
- कोयले का स्थान तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन आदि द्वारा लिया जा रहा है। आने वाले वर्षों में, इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास बढ़ेगा और ये सस्ते भी हो सकते हैं , जिससे सीएमपीडीआईएल के पारंपरिक व्यवसाय को खतरा हो सकता है ।
- एक प्रमुख मानव संसाधन संचालित कंपनी होने के नाते, वर्तमान उच्च आयु प्रोफाइल भविष्य में हानिकारक साबित होगी। विशेषज्ञ जनशक्ति कम हो रही है क्योंकि इसके कई अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ सेवानिवृत्त हो रहे हैं ।

### 1.3.12 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- सीएमपीडीआईएल के पास कारोबार के सुचारु और कुशल संचालन के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं तथा यह प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।
- सुचारु निर्णय लेने के लिए शक्तियों का व्यापक हस्तांतरण मौजूद है।
- एकरूप अनुपालन के लिए खातों की तैयारी हेतु विस्तृत दिशानिर्देशों का लगातार पालन किया जाता है।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए लेखापरीक्षा समिति का गठन किया जाता है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/कॉस्ट एकाउंटेंट फर्मों द्वारा की जाती है।

- प्रमुख नियंत्रणों की पहचान करने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा डिजाइन किए गए प्रमुख नियंत्रणों की परिचालन दक्षता के पर्यवेक्षण हेतु आंतरिक नियंत्रण ढांचा विकसित किया गया है।
- व्हिसिल ब्लोअर नीति अपनाई गई है और उसका पालन किया जा रहा है।
- कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में तथा जोखिम प्रबंधन के संबंध में सीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार , सीएमपीडीआई एल में एक बोर्ड स्तर के सदस्य की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है ।

### 1.3.13 मानव संसाधन में भौतिक विकास

सीएमपीडीआईएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसके कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी और लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और गैर-कार्यकारियों के लिए 5 साल में एक बार और अधिकारियों के लिए 10 साल में एक बार तय किए जाते हैं। सीएमपीडीआईएल अपने कर्मचारियों, मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों, अन्य अधिकारियों और प्रबंधन प्रशिक्षुओं को निरंतर प्रशिक्षण और विकास के अवसर भी प्रदान करता है। इसके अलावा, कंपनी भारत के बाहर बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करती है। इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट रिपोर्ट के संबंधित हिस्से में शामिल है।

### 1.3.14 परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

कंपनी की कुल आय में मुख्य रूप से सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी गई परामर्श सेवाओं से होने वाली आय, अन्य आय और अर्जित ब्याज शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुल आय पिछले वर्ष के 1398.78 करोड़ रुपये की तुलना में 1770.18 करोड़ रुपये है, इस प्रकार 26.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का कुल व्यय 1031.83 करोड़ रुपये की तुलना में 1037.34 करोड़ रुपये है, जिसके परिणामस्वरूप 0.53% की वृद्धि हुई है।

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय या क्रेडिट शामिल है, जो संशोधित आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार परिकल्पित किया गया है। वर्तमान करों के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम के अनुसार भत्ते और छूट के लिए अनुमानित कर देयता के आधार पर मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को समय के अंतर के कारण भविष्य के कर परिणामों के लिए मान्यता प्राप्त है। उन्हें बैलेंस शीट की तारीख तक लागू किए गए कर दरों और कर विनियमों का उपयोग करके मापा जाता है। कर दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव को दर में परिवर्तन के प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त है। आगे ले जाने वाले घाटे के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता प्राप्त है कि यह निश्चित है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को प्राप्त किया जा सकता है।

कर-पूर्व लाभ 732.84 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 366.95 करोड़ रुपये था, जिसमें 365.89 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। कर-पश्चात लाभ 503.23 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 296.66 करोड़ रुपये था, जिसमें 206.57 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

## 1.4 सीएमपीडीआईएल का वित्तीय अवलोकन

विवेच्य वर्ष के दौरान कर के पश्चात 503.23 करोड़ रु. का लाभ कमाया। पिछले तीन वर्षों के कामकाजी परिणामों का सारांश इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

| विवरण                              | सीएमपीडीआईएल का प्रदर्शन |                    |                    |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | वित्त वर्ष 2021-22       | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2023-24 |
| 1. कर पूर्व लाभ                    | 366.04                   | 366.95             | 732.84             |
| 2. करों के बाद लाभ                 | 282.12                   | 296.66             | 503.23             |
| 3. टर्नओवर                         | 1208.43                  | 1386.09            | 1732.69            |
| 4. टर्नओवर के लिए कर पूर्व लाभ (%) | 30.29%                   | 26.47%             | 42.30%             |
| 5. प्रति शेयर आय                   | 1975.63                  | 2077.45            | 3524.02            |

### 1.4.1 सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवीय अंकेक्षक रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी

सांविधिक अंकेक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक विपरीत रिर्माक (टिप्पणी) अथवा आरक्षण, योग्यता पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी तथा सांविधिक अंकेक्षक की रिपोर्ट को **परिशिष्ट-4** के रूप में संलग्न किया गया है।

सचिवीय अंकेक्षकों द्वारा किए गए रिर्माक (टिप्पणी) पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण और सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट को रिपोर्ट के **परिशिष्ट-5** में दिया गया है।

### 1.4.2 कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसार कंपनी को दिए गए ऋण, किए गए निवेश अथवा की गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराए गए सिक्युरिटी तथा ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी में रेसिपिएंट द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी के उद्देश्य के पूरे विवरण को वित्तीय विवरण में सदस्यों के लिए प्रकट करना चाहिए।

किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को कोई ऋण नहीं दिया गया, निवेश नहीं किया गया या गारंटी नहीं दी गई अथवा सिक्युरिटी मुहैया नहीं कराई गई। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरण में दिया गया है।

### 1.4.3 कंपनी मामले की स्थिति

कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के मुकाबले 142.80 करोड़ रुपये है। पूंजी आरक्षित राशि 18.87 करोड़ रुपये है, सामान्य आरक्षित राशि 69.94 करोड़ रुपये है और पी/एल खाते में अधिशेष 1378.87 करोड़ रुपये (ओसीआई सहित) है और शेयरधारकों के फंड में पूरी तरह से 1610.48 करोड़ रुपये है। गैर चालू देनदारी 83.39 करोड़ रुपये और चालू देनदारी 477.50 करोड़ रुपये है।

कंपनी की शुद्ध अचल संपत्ति 246.75 करोड़ रुपये, आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध) 17.69 करोड़ रुपये, अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति 17.00 करोड़ रुपये और वर्तमान संपत्ति 1889.96 करोड़ रुपये है।

परिचालन और अन्य आय से कुल राजस्व 1770.18 करोड़ रुपये है और सभी व्यय और करों को पूरा करने के बाद, शुद्ध लाभ 503.23 करोड़ रुपये है। प्रति शेयर कमाई (अंकित मूल्य 1000 रुपये प्रति शेयर) 3524.02 रुपये बैठती है।

#### 1.4.4 31 मार्च, 2024 तक पूंजीगत व्यय

(करोड़ रु. में)

| विवरण            | 2022-23 | 2023-24 |
|------------------|---------|---------|
| भूमि एवं भवन     | 0.90    | 0.29    |
| संयंत्र एवं मशीन | 25.30   | 26.31   |
| कार्यालय उपकरण   | 1.73    | 1.72    |
| फर्नीचर          | 5.99    | 3.07    |
| दूरसंचार         | 0.60    | 0.02    |
| वाहन             | 1.09    | 1.87    |
| सॉफ्टवेयर        | 7.30    | 1.52    |
| ईआरपी विकासाधीन  | -       | -       |
| कुल              | 42.91   | 34.80   |

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीएसटी सहित पूंजीगत व्यय 40.6 करोड़ रु. है

#### 1.4.5 अंतरिम लाभांश की घोषणा

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 14 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी 276वीं बोर्ड बैठक में 31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि के कामकाजी परिणामों के आधार पर अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी, 100 करोड़ रुपये यानी 700.29 रुपये प्रति शेयर (लाभांश प्रति शेयर) ) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31.12.2023 को कंपनी के लाभ और हानि खाते में चालू वर्ष के कर के बाद लाभ और अधिशेष से 1000/- प्रत्येक (शेयर का अंकित मूल्य) के 14,28,000 इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया जाएगा।

#### 1.4.6 31.03.2024 के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन:

कंपनी के वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई है।

#### 1.5 निगमित शासन

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके शेयर होल्डर तथा अन्य स्टोक होल्डरों के बीच संबंधों का एक सेट है। यह कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन तथा कार्यनिष्पादन की मॉनिटरिंग की पद्धति का एक सेट है।

अंकेषक द्वारा किए गए रिमार्क पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण तथा कारपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट के रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट-3 में संलग्न किया गया है।

#### 1.6 कंपनी का दर्शन

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन, पारदर्शिता, इंटीग्रिटी, विश्वसनीयता, कंफीडेंसियलिटी, नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, डिसक्लोजर और रिपोर्टिंग जो नियम, अधिनियम विनियमन और दिशा-निर्देश का पालन करता हो, को सुनिश्चित करना है।

निगमित शासन गतिवधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने निम्नलिखित को शामिल करते हुए सुस्पष्ट नीति बनाई है:

- निदेशकों तथा वरीय प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता (कोड आफ कंडक्ट)
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंतरिक ट्रेडिंग के संरक्षण के लिए आचार संहिता
- विसिल ब्लोअर पालिसी
- जोखिम प्रबंधन योजना

#### 1.7 निदेशक मंडल

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है। कंपनी के निदेशकों की संख्या को समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर को रखने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक और गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्तों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, बैठक, शुल्क आदि दिए जाते हैं।

#### क) निदेशक मंडल का आकार

कंपनी के वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई है।



## ख) निदेशक-मंडल का कोटिवार गठन:

31 मार्च, 2024 के अनुसार सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल में 7 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित पांच (5) पूर्णकालिक निदेशक दो(2)अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

पहले नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों का पद समाप्त होने के बाद कोयला मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। इस प्रकार बोर्ड की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का पालन केवल स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर किया जा सकता है।

31 मार्च, 2024 को निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

### I. पूर्णकालिक निदेशक

#### क) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

1. श्री मनोज कुमार

#### B. कार्यकारी निदेशक

1. श्री शंकर नागाचारी
2. श्री अजय कुमार
3. श्री सतीश झा
4. श्री अच्युत घटक

### II. अंशकालिक सरकारी निदेशक

1. डॉ. बी. वीरा रेड्डी
2. श्री अजितेश कुमार

## (ग) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या और तिथि

निदेशक मंडल कंपनी का सर्वोच्च निकाय है जो कंपनी के समग्र कार्यों की देखरेख करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 10 (दस) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

| क्रम सं. | बैठकों की संख्या  | दिनांक     | दिन      | बैठक का स्थान   |
|----------|-------------------|------------|----------|-----------------|
| 1.       | 267 <sup>th</sup> | 02.05.2023 | मंगलवार  | रांची           |
| 2.       | 268 <sup>th</sup> | 22.06.2023 | गुरुवार  | रांची           |
| 3.       | 269 <sup>th</sup> | 27.07.2023 | गुरुवार  | रांची           |
| 4.       | 270 <sup>th</sup> | 10.09.2023 | रविवार   | कुमारकोम , केरल |
| 5.       | 271 <sup>st</sup> | 05.10.2023 | गुरुवार  | रांची           |
| 6.       | 272 <sup>nd</sup> | 30.10.2023 | सोमवार   | रांची           |
| 7.       | 273 <sup>rd</sup> | 22.12.2023 | शुक्रवार | रांची           |
| 8.       | 274 <sup>th</sup> | 29.01.2024 | सोमवार   | रांची           |
| 9.       | 275 <sup>th</sup> | 08.02.2024 | गुरुवार  | रण , गुजरात     |
| 10.      | 276 <sup>th</sup> | 14.03.2024 | गुरुवार  | रांची           |



### (D) बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

| क्र. सं.                      | निदेशक                      | उनके कार्यावधि में हुई बोर्ड बैठक की संख्या | बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या | अंतिम एजीएम में उपस्थिति |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>कार्यकारी निदेशक</b>       |                             |                                             |                                      |                          |
| 1.                            | श्री मनोज कुमार             | 10                                          | 10                                   | हाँ                      |
| 2.                            | श्री आरएन झा                | 3                                           | 2                                    | हाँ                      |
| 3.                            | श्री सतेन्द्र कुमार गोमस्ता | 4                                           | 4                                    | हाँ                      |
| 4.                            | श्री शंकर नागाचारी          | 10                                          | 10                                   | हाँ                      |
| 5.                            | श्री अजय कुमार              | 10                                          | 9                                    | हाँ                      |
| 6.                            | श्री सतीश झा                | 7                                           | 7                                    | -                        |
| 7.                            | श्री अच्युत घटक             | 6                                           | 6                                    | -                        |
| <b>अंशकालिक सरकारी निदेशक</b> |                             |                                             |                                      |                          |
| 8.                            | डॉ. बी. वीरा रेड्डी         | 10                                          | 10                                   | हाँ                      |
| 9.                            | श्री मनोज कुमार गुप्ता      | 7                                           | 6                                    | हाँ                      |
| 10.                           | श्री अजितेश कुमार           | 3                                           | 3                                    | -                        |

क्र.सं. 8 को दिनांक 22.02.2022 से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था ।

क्र.सं. 9 को 22.02.2023 से 27.12.2023 तक कोयला मंत्रालय द्वारा नामित सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

क्र.सं. 10 को 27.12.2023 से कोयला मंत्रालय द्वारा नामित सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था ।

### (इ) 31 मार्च, 2024 के अनुसार रुचि का प्रकटीकरण ।

| क्र. सं.                | निदेशकों के नाम    | जिस कंपनी के लिए वे इच्छुक हैं              | रुचि की प्रकृति यानि अध्यक्ष, निदेशक प्रबंधक एवं सचिव |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>कार्यकारी निदेशक</b> |                    |                                             |                                                       |
| 1.                      | श्री मनोज कुमार    | शून्य                                       | -                                                     |
| 2.                      | श्री शंकर नागाचारी | भारत कोकिंग कोल लिमिटेड                     | निदेशक                                                |
| 3.                      | श्री अजय कुमार     | शून्य                                       | -                                                     |
| 4.                      | श्री सतीश झा       | सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड                  | निदेशक                                                |
| 5.                      | श्री अच्युत घटक    | कोयला लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड | निदेशक                                                |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



| अंशकालिक सरकारी निदेशक |                      |                                                |                             |
|------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6.                     | श्री बी. वीरा रेड्डी | 1. कोल इंडिया लिमिटेड                          | 1. निदेशक                   |
|                        |                      | 2. कोयला लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड | 2. निदेशक                   |
|                        |                      | 3. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड             | 3. निदेशक                   |
|                        |                      | 4. सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड                    | 4. निदेशक                   |
|                        |                      | 5. सीआईएल नवकरणीय उर्जा लिमिटेड                | 5. निदेशक                   |
|                        |                      | 6. कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा               | 6. अध्यक्ष                  |
|                        |                      | 7. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड                  | 7. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक |
| 7.                     | श्री अजितेश कुमार    | शून्य                                          | -                           |

## (च) बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की गई जानकारी

बोर्ड के पास कंपनी के भीतर किसी भी जानकारी तक पूरी पहुंच है। बोर्ड को दी गई जानकारी में शामिल हैं:

- पूंजीगत और राजस्व बजट.
- कंपनी के त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- कंपनी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा।
- भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की आवधिक समीक्षा।
- लागू कानूनों के अनुपालन पर आवधिक रिपोर्ट।
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
- लेखापरीक्षा समिति, सीएसआर समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।
- बड़े ठेकों/समझौतों को देना
- अन्य कंपनियों में निदेशक पद और उनके द्वारा ग्रहण किए गए पद के बारे में निदेशकों की रुचि का खुलासा
- स्वतंत्र निदेशक द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा.
- श्रमशक्ति बजट.
- कोई अन्य भौतिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी



**श्री मनोज कुमार**  
(डीआईएन 09225497)  
वर्ष 1986 में IIT-BHU, वाराणसी से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1990 में प्रथम

श्रेणी के खदान प्रबंधक का योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 1986 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के कोरबा क्षेत्र से कोयला उद्योग में अपना करियर शुरू किया। और यूजी और ओसी दोनों खानों के क्षेत्र स्तर पर काम करने का व्यापक अनुभव है।

वह 1998 में सीएमपीडीआईएल में शामिल हुए और उन्होंने यूजी और ओसी खान योजना में काम किया और भारत की सबसे बड़ी कोयला खदानों जैसे गोवरा, कुसुमुंडा और दीपका खानों की योजना बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें सीएमपीडीआईएल के तीन क्षेत्रीय संस्थानों के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में 9 साल का प्रशासनिक अनुभव भी है, जहां उन्होंने एनसीएल, एसईसीएल और सीसीएल के लिए भविष्य का रोडमैप बनाने में मदद की।

वह सीएमपीडीआईएल के सीबीएम/सीएमएम क्लियरिंग हाउस के एचओडी भी थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सीआईएल के सीबीएम ब्लॉकों की पहली दो परियोजना रिपोर्टों को मंजूरी दी। उन्हें वर्ष 2019 में कोल इंडिया स्तर पर सर्वश्रेष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सम्मानित किया गया था।

उन्होंने आधिकारिक क्षमता में पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान का दौरा किया और वैश्विक खनन प्रथाओं का अनुभव किया।

दिनांक 04.10.2021 से वे सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं।



**डॉ बी वी रेड्डी**  
(डीआईएन 08679590)  
ने 1 फरवरी 2022 से निदेशक (तकनीकी), सीआईएल का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वे 01.01.2020 से

31.01.2022 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन थे। उन्होंने वर्ष 1986

में उस्मानिया विश्वविद्यालय के कोठागुडेम स्कूल ऑफ माइन्स से खनन में बी.टेक किया और वर्ष 1990 में डीजीएमएस द्वारा प्रथम श्रेणी प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 2000 में उस्मानिया विश्वविद्यालय के कोठागुडेम स्कूल ऑफ माइन्स से माइन प्लानिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी पूरा किया है। श्री रेड्डी वर्ष 1987 में एससीसीएल में शामिल हुए और उन्हें कोयला खनन, योजना, खरीद और संचालन में 32 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड और ओपनकास्ट खानों और एससीसीएल के कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग विभाग में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के एड्रियाला लॉन्गवॉल प्रोजेक्ट एरिया के महाप्रबंधक के रूप में काम किया।



**श्री अजितेश कुमार**  
(डीआईएन 08765626):  
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस एक्जामिनेशन 2005 के

जरिए चयनित सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग (ग्रुप-ए) सेवा के 2006 बैच से हैं। उन्होंने अपने बी-टेक (इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग) की डिग्री गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंत नगर (उत्तराखंड) से ली।

उन्होंने 2008 में सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी आथरिटी, नई दिल्ली में ज्वाइन किया और 2016 तक हाइड्रोइलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन भी किया। वर्ष 2016 में उनकी नियुक्ति हैड्स-ऑन-एक्सपोजर टू वापर प्लांट आपरेशन के लिए टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसीएल) के लिए हुई और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट, उत्तराखंड के पावर हाउस में पदस्थापित रहे।



वर्ष 2017 में सीईए से लौटने के पश्चात् उनकी पदस्थापना पावर सिस्टम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन में हुई जहाँ उन्हें वे राष्ट्रीय महत्व के टेरिफ आधारित बिडिंग स्कीम और अन्य ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट से संबंधित मामले देखने का कार्य दिया गया।

वर्तमान में, वह कोयला मंत्रालय में निदेशक (पी एंड एस-1/पी एंड एस-11/एनए) के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 13.01.2020 से 26.12.2023 तक सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें 22.02.2023 से सीसीएल के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 27.12.2023 से सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है।



**श्री मनोज कुमार गुप्ता**  
(डीआईएन: 09460769)

05.02.1990 को अपनी सेवा की शुरुआत की। उन्होंने 03.01.2022 से 21.02.2023 तक नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) के बोर्ड में आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्य किया है।

उन्हें स्थापना, कार्मिक मामले, भर्ती नियम, भर्ती/पदोन्नति प्रस्ताव, कार्य अध्ययन, डीडीओ, नकद/योजना, बजट, एनएचडीपी और अन्य एनएच सड़क परियोजनाओं/अनुमानों, योजनाओं, एमपी/वीआईपी संदर्भों, वार्षिक योजना की तैयारी, सीएमपीएफ और एमपी अधिनियम, 1948, सीएमपीएस, 1998 का विनियमन और सीएमपीएफओ के प्रशासनिक और वित्तीय मामले, कोयला मंत्रालय के सीआईएमएस पोर्टल से संबंधित मामले, संसदीय समिति के मामले में व्यापक अनुभव है।

उन्हें 22.02.2023 से 27.012.2023 तक सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।



**श्री शंकर नागाचारी**  
(DIN:- 09729657)

ने सीएमपीडीआईएल में निदेशक (तकनीकी/इंजीनियरिंग सेवाएँ) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले

वह एसईसीएल में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। श्री नागाचारी ने 1988 में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री और इग्नू से मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए की डिग्री प्राप्त की। श्री नागाचारी ने अपना करियर अंबारा कोलियरी, कन्हान एरिया वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से शुरू किया। श्री नागाचारी ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट खदानों में खान प्रबंधक से लेकर क्षेत्रीय महाप्रबंधक तक विभिन्न क्षमताओं में कोयला उत्पादन गतिविधियों में काम किया। उनके नेतृत्व में एसईसीएल के बैकुंठपुर क्षेत्र और सोहागपुर क्षेत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ।

श्री नागाचारी के विशाल अनुभव और ज्ञान से न केवल सीएमपीडीआईएल बल्कि संपूर्ण कोयला उद्योग को लाभ होने की उम्मीद है।



**श्री अजय कुमार**  
(डीआईएन: 09774347)

ने 26.10.2022 से सीएमपीडीआईएल में निदेशक (तकनीकी/योजना एवं डिजाइन) के रूप में कार्यभार ग्रहण

किया। इससे पहले, उन्होंने एनटीपीसी लिमिटेड, सीएमपीडीआईएल क्षेत्रीय संस्थान-वी, बिलासपुर, सीएमपीडीआईएल और सीसीएल में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

श्री अजय कुमार ने 1989 में आईआईटी (आईएसएम) -धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और उसी वर्ष, श्री कुमार ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के एनके एरिया से अपना करियर शुरू किया। श्री कुमार ने वर्ष 1993 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

श्री कुमार ने आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा किया और इन देशों में कोयला खदानों के काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी हासिल की।

श्री कुमार के पास ओपन कास्ट माइन प्लानिंग और माइन डेवलपमेंट में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है, जिससे सीएमपीडीआईएल के साथ-साथ पूरे कोयला खनन उद्योग को लाभ होगा।



**श्री सतीश झा**  
(डीआईएन 10299809)

ने 1990 में नागपुर विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरिंग की डिग्री और

1998 में आईएसएम, धनबाद से औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन में एम.टेक की डिग्री प्राप्त की है। श्री झा आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी से माइन प्लानिंग में पीएचडी भी कर रहे हैं।

श्री झा ने 1990 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से जूनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू किया। श्री झा ने ज्यादातर कोयला उत्पादक कंपनियों जैसे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की विभिन्न भूमिगत और खुली खदानों में खान प्रबंधक से लेकर जीएम (कॉर्पोरेट प्लानिंग) और क्षेत्रीय महाप्रबंधक तक विभिन्न पदों पर काम किया है।

निम्नलिखित कार्यों में श्री झा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

- 1) 1996 में झरिया कोयला क्षेत्र की व्यापक जल प्रबंधन योजना ।
- 2) लॉन्गवॉल और शॉर्टवॉल संचालन का प्रबंधन ।
- 3) नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ड्रैगलाइन खदानें।
- 4) एनसीएल की अमलोहरी परियोजना में "ओबी टू एम-सैंड प्लांट" की स्थापना और कमीशनिंग ।

लॉन्गवॉल और शॉर्टवॉल संचालन के सफलतापूर्वक प्रबंधन के लिए 2003 में श्री झा को "एसईसीएल सम्मान " पुरस्कार भी मिला। श्री झा ने अपनी आधिकारिक हैसियत से जापान और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है।

श्री झा के भूमिगत खदानों और खुली खदानों दोनों में 33 वर्षों के व्यापक अनुभव से न केवल सीएमपीडीआईएल बल्कि पूरे कोयला उद्योग को लाभ होने की उम्मीद है।

उन्हें 01.09.2023 से सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया । इससे पहले उन्होंने एनसीएल में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है।



**श्री अच्युत घटक**  
(डीआईएन 08923591)

ने 1989 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। रायपुर में अध्ययन

किया और 1993 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने 1989 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में जूनियर कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और वहां 19 वर्षों तक सेवा की, जिनमें से अधिकांश मशीनीकृत भूमिगत खदानों में थे।

अगस्त, 2008 के बाद, उन्होंने सीआईएल मुख्यालय कोलकाता में परियोजना निगरानी और कॉर्पोरेट योजना के महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया।

उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई:

- 1) कोयला खनन परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए सीआईएल में पहली बार एमएस-प्रोजेक्ट का उपयोग किया गया।
- 2) सीआईएल की 1 बीटी योजना के लिए रोडमैप तैयार करना।
- 3) सीआईएल की भूमिगत विजन योजना तैयार करना और उसे लागू करना।
- 4) सीआईएल के विजन 2047 का निर्माण और एमओसी के विजन 2047 दस्तावेज की तैयारी में सहायता करना।

अपनी आधिकारिक हैसियत में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और अमेरिका का दौरा किया है। भूमिगत खनन और परिचालन योजना में उनके विशाल अनुभव से न केवल सीएमपीडीआई को बल्कि सीआईएल को भी भविष्य में भूमिगत खनन में परिचालन के लिए लाभ मिलने की संभावना है।



## श्री रवीन्द्र नाथ झा

(डीआईएन 05195902)

भारतीय खनि विद्यापीठ,  
धनबाद से 1985 में खनन  
अभियांत्रिकी से स्नातक हैं।

इन्होंने 1990 में डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी माइन  
मैनेजर कम्पीटेंसी सर्टिफिकेट (कोल) प्राप्त किया है।  
ये एक प्रमुख क्वालिटी सिस्टम ऑडिटर भी हैं। और  
एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट  
डिप्लोमा धारक हैं।

इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत भारत के सबसे गहरे  
कोयला खान, ईसीएल के चिनाकुरी के पिट-1 एवं 2 से  
की है। इन्होंने स्टोविंग माइन सहित लौंगवाल में भी  
कार्य किया है। ईसीएल में 7 वर्षों तक अपनी सेवा देने  
के बाद वे 1992 में सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण  
किया। इन्होंने सीएमपीडीआई और इसके विभिन्न  
क्षेत्रीय संस्थानों के परियोजना मॉनीटरिंग/एग्रेजल  
डिविजन, खुली खदान खनन, भूमिगत खनन और  
पर्यावरण विभागों में कार्य किया है।

इन्होंने जनवरी, 2012 में निदेशक (तकनीकी) के रूप  
मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड में  
योगदान दिया।

- एमईसीएल को उनकी कार्य अवधि में मिनीरल  
(श्रेणी-II) कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ।
- एमईसीएल 25 वर्षों के अंतराल के बाद 2014  
में भारत सरकार को डिविडेंड (लाभांश) देना  
शुरू किया।
- एमईसीएल ने वर्ष 2012 में डीआरडीओ के लिए  
चुमाथन (लेह के निकट) में एक भू-तापीय  
परियोजना सफलतापूर्वक पूरा किया है।
- इनके कार्यअवधि में वेधन वर्ष 2012 में 2.96  
लाख मीटर से बढ़कर वर्ष 2018 में 6.32  
लाख मीटर हो गया और पीएटी रु.10 करोड़  
से बढ़कर रु. 95 करोड़ हो गया।
- एमईसीएल मार्च, 2018 में तीसरा वेतन समझौता  
करने वाली पहली पीएसयू है।
- एमईसीएल ने माननीय कोयला मंत्री श्री पीयूष  
गोयल और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री श्री  
धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा फरवरी, 2018 में मिनी  
रत्न पीएसयू के बीच सर्वोत्तम वित्तीय कार्य  
निष्पादन के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा

“हिन्दुस्तान रत्न” का प्रथम पुरस्कार प्राप्त  
किया।

- इन्होंने फरवरी, 2018 में, मुंबई में आयोजित  
वल्ड एचआर कांग्रेस द्वारा एचआर ओरिएंटेशन  
सहित सीईओ का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

ये मिनरल एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट माइनिंग  
से संबंधित विभिन्न समितियों में एमईसीएल और  
खान मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। ये कनाडा,  
दुबई, पेरू आदि देशों का दौरा किया और मिनरल  
एक्सप्लोरेशन और माइनिंग से संबंधित अनेकों  
तकनीकी आलेख प्रस्तुत किए।

सीएमपीडीआईएल में निदेशक (तकनीकी/रिसर्च,  
डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी) के रूप में 30.01.2019  
से 31.08.2023 तक कार्य किया।



## श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता

(डीआईएन- 08714820)

ने वर्ष 1984 में रायपुर  
इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर  
से खनन अभियंत्रण में डिग्री  
प्राप्त की। इन्होंने 1989 में

फस्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ  
कंपिटेंसी उत्तीर्ण की है। इन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट  
में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। उन्होंने  
अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1984 में  
डब्ल्यूसीएल से कोयला उद्योग में की। इन्होंने  
कोल इंडिया लिमिटेड के सबसिडियरी कंपनियों  
मुख्यतः डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और एनसीएल में  
विभिन्न क्षमता वाले भूमिगत और खुली खदान  
खनन में कार्य किया है। उनका खुली खदान खानों  
में 16 वर्षों तथा भूमिगत खानों में 18 वर्षों का  
व्यापक खनन अनुभव से कोयला खनन उद्योग के  
साथ-साथ सीएमपीडीआईएल को व्यापक लाभ  
मिलेगा।

उन्होंने उच्च प्रबंधन पाठ्यक्रम में भाग लेने के  
लिए इन्होंने वर्ष 2014 में स्वीटजरलैंड तथा फ्रांस  
का दौरा किया। श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता ने  
दिनांक: 25.2.2020 को सीएमपीडीआईएल के  
निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किए।  
इसके पहले ये नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,  
सिंगरौली में महाप्रबंधक (खनन) के पद पर  
कार्यरत थे।

दिनांक: 25.02.2020 से 30.09.2023 तक  
सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल में निदेशक  
(तकनीकी) (कोयला संसाधन विकास) के पद पर  
नियुक्त किया गया है।





### 1.9 (क) अंकेक्षण समिति:

अंकेक्षण समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षक लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी ओवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक मंडल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति अतिरिक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्धियों, सुझावों और अन्य संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

### (ख) विचारार्थ विषय:

अंकेक्षण समिति की विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कारपोरेट-गवर्नेंस पर आधारित दिशा-निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ-साथ संगठन के सभी व्यावसायिक पहलुओं को कवर करेगा।

- i. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
- ii. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण।
- iii. शासकीय अंकेक्षण तथा सांविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
- iv. मानक पारामीटरों के साथ-साथ संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।

- v. परियोजनाओं तथा अन्य पूंजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
- vi. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।
- vii. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।
- viii. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

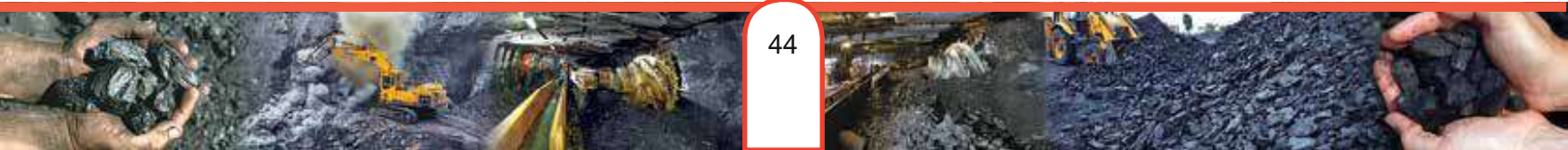
### (ग) अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र:

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक, सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना है।
4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।

(क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) और 134(5) के संदर्भ में शामिल किए जाने वाला डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट में शामिल होने वाले अपेक्षित मामले।

(ख) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसका कारण।







- (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविष्टि (इंट्री)।
- (घ) अंकेक्षण निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
- (ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, अधिनियम तथा कंपनी नीतियाँ) का अनुपालन।
- (च.) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा
- (छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।
5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल होल्डिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृत्ति सहित, यदि कोई हो तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।
8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।
9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध, धोखाधड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेटिरियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।
10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार-विमर्श, ऑडिट कामनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार-विमर्श करना।
11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।
12. सी एंड ए जी ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।
14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समिति एक सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिट समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।
16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाएँ तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।
17. अपेक्षित सूचना की अधिकता या क्रिया-कलापों की संभावना पर किसी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पायी गई

किसी कठिनाइयों तथा पूर्व के अंकेक्षण की अनुशंसाओं की स्थिति सहित विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्षों के लिए प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ विचार-विमर्श करना तथा समीक्षा करना।

18. डिपोजिटर्स, डिबैंचर धारकों, शेयर होल्डरों (घोषित लाभांश के नन पेमेंट के मामले में) को भुगतान में पर्याप्त त्रुटि के कारणों का पता लगाना।

19. पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट (कोपू) पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का अनुसरण कर समीक्षा करना।

20. अंकेक्षण कमेटी के विचाराधीन विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना

#### (घ) अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ:

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी:

1. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना।
3. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।

4. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

5. व्हिसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।

6. अंकेक्षकों की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए हितों के टकराव को रोकना।

7. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

#### (ड.) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा:

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी:

- i. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार-विमर्श तथा विश्लेषण।
- ii. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण।
- iii. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।
- iv. आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
- v. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखना तथा,
- vi. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

#### 1.10 गठन

अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है:

| क्र.सं. | निदेशक के नाम      | स्थिति  |
|---------|--------------------|---------|
| 1       | डॉ. बी वीरा रेड्डी | अध्यक्ष |
| 2       | श्री अजितेश कुमार  | सदस्य   |
| 3       | श्री शंकर नागाचारी | सदस्य   |
| 4       | श्री सतीश झा       | सदस्य   |

महाप्रबंधक (वित्त), विभागाध्यक्ष (आईएडी) और सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटी की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। सीएफओ स्थायी आमंत्रित सदस्य तथा कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है।

आंतरिक अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटी की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

## बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 02.05.2023, 22.06.2023, 27.07.2023, 09.09.2023, 05.10.2023, 30.10.2023, 22.12.2023, 29.01.2024, 07.02.2024, 14.03.2024 को क्रमशः 10 (दस) बैठकें आयोजित की गईं। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों द्वारा भाग लेने का विवरण निम्नानुसार है

| क्र.सं.                      | निदेशक के नाम          | उनके कार्यावधि के दौरान आयोजित अंकेक्षण समिति की बैठकों की संख्या | अंकेक्षक समिति की बैठक में उपस्थिति की संख्या |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>कार्यकारी निदेशक</b>      |                        |                                                                   |                                               |
| 1.                           | श्री एस.के.गोमस्ता     | 04                                                                | 04                                            |
| 2.                           | श्री शंकर नागचारी      | 10                                                                | 10                                            |
| 3.                           | श्री सतीश झा           | 06                                                                | 06                                            |
| <b>अंशकालिक सरकारी सदस्य</b> |                        |                                                                   |                                               |
| 4.                           | डॉ. बी. वीरा रेड्डी    | 10                                                                | 10                                            |
| 5.                           | श्री मनोज कुमार गुप्ता | 07                                                                | 06                                            |
| 6.                           | श्री अजितेश कुमार      | 03                                                                | 03                                            |

## 1.11 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

बोर्ड ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सर्वोत्तम अभ्यास का पालन करने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए लिस्टिंग समझौते का अनुपालन करने के लिए 30.12.2015 को आयोजित अपनी 191 वीं बोर्ड बैठक में सीएमपीडीआईएल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया।

### (क) गठन

दिनांक: 09.06.2020 को आयोजित 234वीं बोर्ड की बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है:

| क्र.सं. | निदेशक का नाम          | स्थिति          |                        |
|---------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 1       | श्रीमती अलका पांडा     | अध्यक्ष         | स्वतंत्र निदेशक        |
| 2       | डॉ. कृष्ण चंद्र पांडे  | सदस्य           | स्वतंत्र निदेशक        |
| 3       | श्री प्रमोद सिंह चौहान | सदस्य           | स्वतंत्र निदेशक        |
| 4       | श्री मुकेश चौधरी       | सदस्य           | सरकारी अंशकालिक निदेशक |
| 5       | श्री एस.के.गोमस्ता     | स्थायी आमंत्रित | कार्यकारी निदेशक       |

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा विभागाध्यक्ष (कार्मिक एवं प्रशासनिक) समिति के नोडल अधिकारी होंगे, जो समिति को सभी सेवाएं प्रदान करेंगे।

**ख. बैठक एवं उपस्थिति:**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

**1.12 अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक निदेशकों का पारिश्रमिक :**

कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सभी पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के नियम और शर्तें तथा पारिश्रमिक कंपनी/कोल इंडिया लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं।

**(क) कार्यकारी निदेशक**

वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के लिए कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े रु. में)

| नाम                 | पदनाम                     | सकल वेतन और महंगाई भत्ता | पर्स (बैलिंक का 35%+एनी पर्स) | एचआरए       | सीएमपीएफ नियुक्ता का अंशदान (पीएफ+पेंशन और सीआईएल ईडीसीपीएस) | अवकाश नकदी करणपी | आरपी अग्रिम/ पीआरपी | ग्रेज्युटी   | चिकित्सा व्यय | कुल            |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| श्री मनोज कुमार     | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 40,12,736.57             | 9,95,091.65                   | -           | 12,03,820.97                                                 | -                | 21,08,363.00        | -            | 2,11,930.00   | 85,31,942.19   |
| श्री अजय कुमार      | निदेशक (तकनीकी)           | 38,89,047.78             | 9,64,450.20                   | 66,643.92   | 11,66,714.33                                                 | 6,71,517.00      | -                   | -            | 70,599.00     | 68,28,972.23   |
| श्री शंकर नागाचारी  | निदेशक (तकनीकी)           | 39,50,729.56             | 9,68,561.60                   | -           | 11,71,718.87                                                 | 4,36,486.05      | 15,07,584.00        | -            | 1,47,876.00   | 81,37,976.08   |
| श्री सतीश झा        | निदेशक (तकनीकी)           | 21,77,896.14             | 5,32,679.00                   | -           | 6,63,368.84                                                  | -                | 17,21,411.98        | -            | 24,247.00     | 51,09,602.96   |
| श्री अच्युत घटक     | निदेशक (तकनीकी)           | 19,31,568.75             | 4,70,295.00                   | 1,81,399.50 | 5,79,470.63                                                  | -                | 15,64,025.76        | -            | 12,310.00     | 47,39,069.64   |
| श्री आर.एन. झा      | निदेशक (तकनीकी)           | 16,29,238.35             | 4,12,354.72                   | -           | 4,88,771.51                                                  | 11,72,609.14     | 22,10,478.00        | 20,00,000.00 | 19,426.00     | 79,32,877.72   |
| श्री एस.के. गोमस्ता | निदेशक (तकनीकी)           | 19,49,614.78             | 4,92,884.00                   | -           | 5,84,884.43                                                  | 23,55,190.96     | 23,16,887.00        | 20,00,000.00 | 62,786.00     | 97,62,247.17   |
| कुल                 |                           | 1,94,95,831.93           | 48,36,336.17                  | 2,48,043.42 | 58,48,749.58                                                 | 46,35,803.15     | 1,14,28,749.74      | 40,00,000.00 | 5,49,174.00   | 5,10,42,687.99 |

**(ख) अंशकालिक सरकारी निदेशक**

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है:-

1. श्री अजितेश कुमार, निदेशक (पी एंड एस-I, पी एंड एस-II/एनए) कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। उनका पारिश्रमिक कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
2. डॉ. बी. वीरा रेड्डी , निदेशक (तकनीकी) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के नामित निदेशक हैं और उनका पारिश्रमिक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया जा रहा है ।

**1.13 वार्षिक आम बैठक:-**

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विवरण इस प्रकार है:



# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



| विवरण              | 2021-22<br>47वाँ वार्षिक आम बैठक                                                  | 2022-23<br>48वाँ वार्षिक आम बैठक                                                  | 2023-24<br>49वाँ वार्षिक आम बैठक                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| बैठक की तिथि       | 21.07.2022                                                                        | 21.07.2023                                                                        | 05.07.2024                                                                        |
| समय                | 04:00 अपराह्न                                                                     | 10:45 पूर्वाह्न                                                                   | 03:00 अपराह्न                                                                     |
| कार्यक्रम का स्थान | कंपनी के पंजीकृत कार्यालय,<br>गौडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची,<br>झारखंड - 834008 | कंपनी के पंजीकृत कार्यालय,<br>गौडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची,<br>झारखंड - 834008 | कंपनी के पंजीकृत कार्यालय,<br>गौडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची,<br>झारखंड - 834008 |
| विशेष संकल्प       | शून्य                                                                             | शून्य                                                                             | शून्य                                                                             |

## 1.14 असाधारण आम बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित असाधारण आम बैठक का विवरण इस प्रकार है:

| विवरण  | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|--------|---------|---------|---------|
| दिनांक | शून्य   | शून्य   | शून्य   |
| समय    |         |         |         |
| स्थल   |         |         |         |

## 1.15 प्रकटीकरण (डिसक्लोजर):

### • मैटेरियली सिग्नीफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन:

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कर्मियों या उनके संबंधियों के साथ किसी भी पार्टी मामलों (ट्रांजेक्शन) से संबंधित किसी भी विषय की दृष्टि से मैटेरियली सिग्नीफिकेंट में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रुचि हो।

सम्बद्ध पार्टी सहित किसी संविदा या व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक में कोई एजेंडा पेश नहीं किया गया।

संबंधित पार्टी के लेन-देन संबंधि नीति के अनुसार किसी भी दो सरकारी कंपनी तथा नियंत्रक कंपनी एवं उसकी अनुषंगी कंपनी के बीच लेन-देन में छूट है।

धारा 188(1) के तहत पार्टी से संबंधित कंट्रैक्ट या अरेंजमेंट को परिशिष्ट- VI में संलग्न किया जाता है।

### • कंपनी द्वारा नियमों/कानून क अनुपालन का विस्तृत विवरण:

कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन की यह कम्पनी मानिट्रिंग कर रही है तथा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी ऑथॉरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्तमान में कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के लिए कोई भी विपरीत मामला नहीं है।

### • व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति तक पहुँच

यह नीति प्रबंधन तथा अंकेक्षण समिति को गैर-नीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाधड़ी, अथवा कंपनी के कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन के उदाहरण की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है।

व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार किसी भी कर्मियों द्वारा अंकेक्षण समिति तक पहुँच को नकारा नहीं गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

• **कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन**

निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड आफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है। तथापि, पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किया जाता है, इसका अनुपालन सीएमपीडीआईएल द्वारा भी किया जाता है। कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण-पत्र इसके साथ परिशिष्ट-III में संलग्न है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशक की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय जो अप्वाइंटिंग आथरिटी है को इससे अवगत करा दिया है।

• **इन्टीग्रेटी पैकट एवं आईईएम**

कंपनी के पास अपने व्यापारिक ट्रान्जेक्शन, संविदा, प्राप्ति प्रक्रिया में प्रबंधन में पादशिता संवृद्धि पर जोर देते हुए इंटिग्रेटी पैकट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांटेक्ट कार्यों में इंटिग्रेटी पैकट कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। दो स्वतंत्र बाह्य मोनिटरर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनिटर करते हैं। इन्टीग्रेटी पैकट ने ट्रस्ट स्थापित कर स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त किया है तथा जिसे सीवीसी का पूरा सपोर्ट है।

• **सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण**

कंपनी के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक(वित्त)/सीएफओ द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को “सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण” प्रदान कर दिया है जिसे डायरेक्टरों की रिपोर्ट के परिशिष्ट-II के रूप में लगाया गया है।

• **निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता (कोड आफ कंडक्ट):**

कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया है, तथा कंपनी के इंटरनेट पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन का समर्थन किया है।

• **किए गए खर्च का ब्यौरा:**

बुक ऑफ एकाउन्ट में व्यय के किसी वैसे मद को डेबिट नहीं किया गया है जो निजी प्रकृति के हैं तथा निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन पर खर्च किया गया है तथा कंपनी के अंकेक्षकों ने इस तरह के किसी खर्च के लिए रिपोर्ट भी नहीं किया है।

• **राष्ट्रपति का निर्देश:**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेंसियल निर्देश जारी नहीं किया गया है।

**1.16 संचार के साधन:**

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम बैठक तथा डिसक्लोजर अपने वेबसाइट, कार्यालयी पत्रिका गोंदवाना भारती, माइनटेक, प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा स्थानीय दैनिक के माध्यम से अपने शेयर होल्डर्स के साथ संप्रेषण करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट एवं कंपनी का तिमाही परिणाम तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट यानि [www.cmpdi.co.in](http://www.cmpdi.co.in) पर उपलब्ध करा दिया गया। कंपनी से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा घोषणाएँ कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कंपनी की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है।

## 1.17 ऑडिट योग्यता

कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की टिप्पणियों को **परिशिष्ट-VII** में शामिल किया गया है।

## 1.18 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:

कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी मामले, इसके संबंधित जोखिम तथा कंपनी की भावी रणनीति आदि के सार (संक्षिप्त विवरण) से निदेशक-मंडल को पूर्णतः अवगत करा दिया जाता है।

सभी कार्यकारी निदेशक संबंधित क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर संबंधित कार्य क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा जोखिमों से अवगत होते हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल से पूर्णतः वाकिफ होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को निगमित शासन के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जाता है। सभी सरकारी निदेशकों की कोल इंडिया लिमिटेड की पॉलिसी के अनुसार भारत और विदेश दोनों के लिए स्पांसर किया जाता है। कंपनी में नव-नियुक्त निदेशकों को कंपनी के कंस्टीच्यूशन, विजन एवं मिशन स्टेटमेंट, मुख्य क्रिया-कलाप, बोर्ड की प्रक्रिया/पद्धति, रणनीतिक दिशा-निर्देश के विस्तृत प्रजेन्टेशन, विचार-विमर्श आदि के माध्यम से पूर्णतः अवगत कराया जाता है।

## 1.19 व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक आचरण को सशक्त करने तथा विभिन्न स्टैक होल्डरों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमपीडीआईएल में 2011-12 में व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई तथा दिनांक 8.11.2011 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को इससे अवगत करा दिया गया। यह नीति वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाधड़ी या इसका उल्लंघन के मामले को प्रबंधन के पास रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। सूचीबद्ध कंपनी तथा स्टॉक एक्सचेंज के बीच लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 में संशोधन किया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2010 से लागू हो गया है। खंड 49 में अन्य बातों के साथ-साथ “व्हिसिल ब्लोअर नीति” नामक मेकानिज्म स्थापित करने के लिए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नन मेंडेटरी रिक्वायरमेंट प्रदान करता है। यह प्रतिशोध या उत्पीड़न से कर्मचारियों को बचाने में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है।

तथापि, इस नीति के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खराब कार्य निष्पादन या कदाचार, जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए स्पष्टीकरण से अलग हो, के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई को इसके तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

## 1.20 जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनांक: 02.02.16 को आयोजित सीएमपीडीआईएल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर की 192वीं बैठक में किया गया तथा दिनांक: 29.01.2024 को आयोजित बोर्ड की 274वीं बैठक में इसे पुनर्गठित किया गया।

### क. गठन:

जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, जिसकी अध्यक्षता गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक करते हैं

| क्र.सं. | निदेशक का नाम      | स्थिति  |                  |
|---------|--------------------|---------|------------------|
| 1       | श्री शंकर नागाचारी | अध्यक्ष | कार्यकारी निदेशक |
| 2       | श्री अजय कुमार     | सदस्य   | कार्यकारी निदेशक |
| 3       | श्री अच्युत घटक    | सदस्य   | कार्यकारी निदेशक |

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और महाप्रबंधक (ई एंड एम) समिति को सभी सेवाएं प्रदान करने वाली समिति के नोडल अधिकारी होंगे।

### ख. बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक: 28.03.2024 को एक बैठक हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित हैं:

| क्र.सं. | निदेशक का नाम      | स्थिति  | बैठक में उपस्थिति |
|---------|--------------------|---------|-------------------|
| 1       | श्री शंकर नागाचारी | अध्यक्ष | 1                 |
| 2       | श्री अजय कुमार     | सदस्य   | 1                 |
| 3       | श्री अच्युत घटक    | सदस्य   | 1                 |

### 1.21 इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाव के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचार संहिता:

नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी के आधार पर किसी इनसाइडर द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूति से डील करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया को कोड संहिता को अपनाया है। यह संहिता (केस) सीएमपीडीआईएल द्वारा भी अपनाई गई है। इस संहिता के तहत जैसे इनसाइडरों को डिजिटल कर्मचारी का नाम दिया गया है, जो ट्रेडिंग बिन्दुओं के बंद होने के दौरान सीआईएल के शेयरों से डील करने से रोके जाते हैं। विहित सीमा से अधिक प्रतिभूति डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जैसा कि संहिता में परिभाषित है, सभी डिजिटल कर्मचारी को नियमित रूप से संबंधित जानकारी प्रकट करना आवश्यक है। इस कोड के लिए कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचार संहिता को भी सीएमपीडीआईएल के वेब साइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

### 1.22 निदेशकों का दायित्व

आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले डीपीई दिशा-निर्देश में दिए गए प्रावधान के अनुसार सीएमपीडीआईएल के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में सेट किए गए टारगेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआईएल के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। यह “फाइव प्वाइंट स्केल” तथा “क्राइटेरिया वेट” की पद्धति को अपनाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप “कम्पोजिट स्कोर” की गणना की जाती है। “कम्पोजिट स्कोर”, कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डीपीई तथा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है।

समझौता संलेख सिस्टम दक्षतापूर्वक काम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्तीय एवं गैर-वित्तीय दोनों प्रकार के (डायनेमिक, क्षेत्र विशिष्ट तथा उद्यम विशिष्ट पारामीटर) पारामीटरों की विविधता है। इस प्रक्रिया से दीर्घकालीन उद्देश्य तथा संपूर्ण विकास प्राप्त करने में अधिक मदद मिलती है। संपूर्ण प्रक्रिया से स्टोक होल्डरों के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

### 1.23 निगमित शासन के अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति

अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति का विकास किया गया है। इसके अनुपालन में सीएमपीडीआईएल द्वारा कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से तथा समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती रही है।

### 1.24 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधान के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2024 को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित हैं:



|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| श्री मनोज कुमार     | : | सीईओ       |
| श्री शंकर नागचारी   | : | निदेशक     |
| श्री अजय कुमार      | : | निदेशक     |
| श्री सतीश झा        | : | निदेशक     |
| श्री अच्युत घटक     | : | निदेशक     |
| श्री एस. बी. तिवारी | : | सीएफओ      |
| श्री अभिषेक मुंथड़ा | : | कंपनी सचिव |

## 1.25 सीएमपीडीआईएल में सीएसआर पहल

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनेबिलिटी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के अनुकूल ढंग से कार्य, जो पारदर्शी तथा नैतिक हो, करने के लिए अपने स्टोक होल्डरों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी क्षमता निर्माण, सामुदायिक अधिकारिता, समावेशी, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, तथा समाज के सीमांत तथा अर्ध-सुविधायुक्त तबकों की उन्नति आदि पर विशेष जोर देता है। कंपनी ने दिनांक: 27.02.2014 को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन तथा डीपीई की गाइड लाइन और कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 135 तथा उसके तहत बने नियम के अनुसार स्वयं की सीएसआर नीति बनाई है।

सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी खनन उद्योग के लिए न सिर्फ जोखिम लाता है बल्कि यह अवसर का समूह भी सृजित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी कंपनी को परिचालन, सस्टेनेबुल डेवलपमेंट में सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी के प्रति सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है। नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआईएल में “टू-टीयर डिसिजन मेकिंग कमिटी” का गठन किया गया है।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर, सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी क्रिया-कलाप प्रारंभ किया है, जिसे रिपोर्ट के भाग “ख” में देखा जा सकता है।

## 1.26 वार्षिक रिटर्न

कंपनी का वार्षिक रिटर्न हमारे वेबसाइट लिंक <https://www.cmpdi.co.in/annualrpt.php> पर उपलब्ध है।

## 1.27 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय और आऊटगो:

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय और आऊटगो को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है (परिशिष्ट-I में)।

## 1.28 बोर्ड की समिति तथा निदेशकों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन:

सूचीबद्ध कंपनी या गत वर्ष के अंत में परिकलित प्रदत्त पूंजी 25 करोड़ रु. या उससे अधिक रखने वाली अन्य सार्वजनिक कंपनी के मामले में कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8 तथा धारा 134(3) (पी) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक विवरण के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें उस ढंग को दर्शाया गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अपनी उपलब्धि तथा इसकी समिति की उपलब्धि तथा प्रत्येक निदेशक की उपलब्धि को दर्शाया गया है।

सीएमपीडीआईएल की प्रदत्त शेयर पूंजी 142.80 करोड़ रु. है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज की है तथा किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है एवं तदनु रूप कंपनी को अपने निदेशक मंडल, समिति तथा प्रत्येक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है।

बोर्ड में दो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण बोर्ड द्वारा अपना वार्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन तथा अपना एवं समिति का मूल्यांकन नहीं हो सका। तथापि, उस नीति के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा जिसे नियंत्रक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनी के लिए कोल इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली नीति बनाए जाने की संभावना है।

## वार्षिक उपलब्धि का पर्यवलोकन

### 1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण और ड्रिलिंग

- 1.0.1 सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2023-24 में भी मुख्य रूप से सीआईएल, गैर-सीआईएल, प्रमोशनलएनएमईटी और कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में कोयला गवेषण गतिविधियों को जारी रखा। सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के प्रोजेक्ट प्लानिंग/उत्पादन सपोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल ब्लॉकों में गवेषण किया गया, जबकि गैर-सीआईएल/कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में गवेषण भावी उद्यमियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन को सरल बनाने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रमोशनल और एनएमईटी-वित्त पोषित पहलों ने नए पहचाने गए, अज्ञात ब्लॉकों को लक्षित किया, जिसका लक्ष्य अन्वेषण और कोयला ब्लॉक नीलामी/आवंटन दोनों को सुविधाजनक बनाना है।
- 1.0.2 सीएमपीडीआईएल ने XI और XII पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ड्रिलिंग की क्षमता में काफी सुधार किया है। विभागीय संसाधनों एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2007-08 में 2.09 लाख मीटर की उपलब्धि के मुकाबले, सीएमपीडीआईएल ने 2011-12 (XI योजना का अंतिम वर्ष) में 4.98 लाख मीटर, 2016-17 (XI योजना का अंतिम वर्ष) में 11.26 लाख मीटर, 2019-20 में 12.93 लाख मीटर, 2020-21 में 12.48 लाख मीटर और 2021-22 में 7.91 लाख मीटर एवं 2022-23 में 6.85 लाख मी. हासिल किया है।
- 1.0.3 वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीएमपीडीआई ने 7.500 लाख मीटर के लक्ष्य को पार करते हुए 8.625 लाख मीटर ड्रिलिंग की। सीएमपीडीआई के 67 विभागीय ड्रिल में से 26 हाइड्रोस्टैटिक थे, और 41 यांत्रिक थे। हालाँकि, वर्ष के विभिन्न चरणों में 7 मैकेनिकल ड्रिल रिग्स के सर्वेक्षण के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में अधिकांश समय केवल 60 विभागीय रिग ही चालू थे।

### 1.1 वर्ष 2023-24 में ड्रिलिंग का प्रदर्शन:

- 1.1.1 सीएमपीडीआई ने सीआईएल, गैर-सीआईएल, प्रमोशनल और कंसल्टेंसी ब्लॉकों के विस्तृत गवेषण के लिए अपने विभागीय संसाधनों को तैनात किया। सीएमपीडीआई के साथ समझौता ज्ञापन के तहत, एमईसीएल ने सीआईएल, गैर-सीआईएल, प्रमोशनल, एनएमईटी वित्त पोषित और कैप्टिव ब्लॉकों में अपने संसाधनों को तैनात किया। डीजीएम (नागालैंड), डीजीएम (असम) ने प्रमोशनल गवेषण में अपने विभागीय संसाधनों को तैनात किया। डीजीएम (असम), डीजीएम (अरुणाचल प्रदेश), डीएमआर (मेघालय) ने अपनी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से गैर-सीआईएल/प्रमोशनल ब्लॉकों में गवेषण में भाग लिया। इसके अलावा, छह संविदा एजेंसियों ने सीआईएल, गैर-सीआईएल, प्रमोशनल और एनएमईटी ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग/अन्वेषण के लिए अपने संसाधनों को भी तैनात किया है। 2023-24 में कुल 120 से 140 ड्रिल तैनात किए गए, जिनमें से 67 विभागीय ड्रिल थे।
- 1.1.2 1-1-2वर्ष 2023-24 में, सीएमपीडीआई और इसकी संविदात्मक/एमओयू एजेंसियों ने 14 राज्यों में स्थित 26 कोयला क्षेत्रों और 2 लिग्नाइट क्षेत्रों के 124 कोयला ब्लॉकों/खानों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग का कार्य किया। 124 ब्लॉकों/खानों में से 23 गैर-सीआईएल ब्लॉक हैं, 7 कंसल्टेंसी ब्लॉक हैं, 52 सीआईएल ब्लॉक/खान हैं और 29 प्रमोशनल ब्लॉक हैं तथा 13 एनएमईटी द्वारा वित्तपोषित ब्लॉक हैं। इसके अलावा, सीएमपीडीआई ने झारखंड राज्य में एनएमईटी फंडिंग के माध्यम से बेस मेटल्स के लिए 02 बॉक्साइट ब्लॉकों और झारखंड राज्य में 1 ब्लॉक में अन्वेषण भी किया। भारत में विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयला ब्लॉकों का वितरण इस प्रकार है: सोहागपुर: 17 ब्लॉक, वर्धा घाटी: 18 ब्लॉक, सिंगरौली: 9 ब्लॉक, उत्तर करणपुरा: 9 ब्लॉक, रानीगंज: 8 ब्लॉक, मांड-रायगढ़: 9 ब्लॉक, सोनहत: 7 ब्लॉक, राजमहल: 6 ब्लॉक, ईब घाटी: 5 ब्लॉक, कोरबा: 4 ब्लॉक, मकुम: 4 ब्लॉक, पीकेटी: 3 ब्लॉक, बिश्रामपुर: 3 ब्लॉक, मेलक-त्सुरांग (झांजी-दिसाई) घाटी: 3 ब्लॉक, तालचर: 2 ब्लॉक, दक्षिण करणपुरा: 2 ब्लॉक, मिर्किर हिल्स: 2 ब्लॉक, कैम्पटी: 2 ब्लॉक, बिश्रामपुर के पूर्व: 2 ब्लॉक, नामचिक नामफु 2 लिग्नाइट ब्लॉक क्रमशः तमिलनाडु और राजस्थान राज्य में रामनाद और नागौर लिग्नाइटफील्ड में हैं।

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



बिश्रामपुर: 3 ब्लॉक, मेलक-त्सुरांग (झांजी-दिसाई) घाटी: 3 ब्लॉक, तालचेर: 2 ब्लॉक, दक्षिण करणपुरा: 2 ब्लॉक, मिकिर हिल्स: 2 ब्लॉक, कैम्पटी: 2 ब्लॉक, विश्रामपुर के पूर्व: 2 ब्लॉक, नामचिक नामफु 2 लिग्नाइट ब्लॉक क्रमशः तमिलनाडु और राजस्थान राज्य में रामनाद और नागौर लिग्नाइटफील्ड में हैं।

सीएमपीडीआई ने कोयला और खनिज अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं। सीएमपीडीआई ने वित्तीय वर्ष के दौरान 26% की वृद्धि के साथ लगभग 8.625 लाख मीटर की ड्रिलिंग हासिल की।

2023-24 में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग का समग्र प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

(आंकड़े लाख किमी में)

| एजेंसी                                                    | लक्ष्य<br>2023-24 | 2023-24 में गवेषणात्मक<br>ड्रिलिंग का प्रदर्शन |                 | उपलब्धि<br>पिछला वर्ष:<br>2022-23 | वृद्धि<br>% |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
|                                                           |                   | Achieved                                       | Achieved<br>(%) |                                   |             |
| सीएमपीडीआई द्वारा की गई ड्रिलिंग :                        |                   |                                                |                 |                                   |             |
| I. विभागीय (सीआईएल,<br>परामर्श,प्रमोशनल और<br>गैर-सीआईएल) | 4.100             | 4.317                                          | 105%            | 4.210                             | 3%          |
| II. आउटसोर्सिंग                                           |                   |                                                |                 |                                   |             |
| राज्य सरकारें                                             | 0.020             | 0.022                                          | 109%            | 0.025                             | -13%        |
| एमईसीएल (एमओयू)                                           | 1.980             | 2.837                                          | 143%            | 1.459                             | 94%         |
| टेंडरिंग                                                  | 1.400             | 1.449                                          | 103%            | 1.154                             | 26%         |
| कुल आउटसोर्सिंग                                           | 3.400             | 4.308                                          | 127%            | 2.638                             | 63%         |
| कुल योग A (I + II)                                        | 7.500             | 8.625                                          | 115%            | 6.849                             | 26%         |

अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, 2023-24 के दौरान विभागीय ड्रिलिंग उपलब्धि लक्ष्य का 105% है। इन चुनौतियों में शामिल हैं (1) अप्रैल से नवंबर 2023 तक आरआई-VII क्षेत्र के तालचेर और कोसला कैंपों में ड्रिलिंग का पूर्ण निलंबन, जो क्रमशः 1 दिसंबर और 5 दिसंबर, 2023 को फिर से शुरू हुआ। (2) इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान राजनीतिक बंद और स्थानीय मुद्दों के कारण आरआई-III क्षेत्र में लगभग 15 दिनों तक काम पूरी तरह से बंद रहा। (3) इसके अलावा, आरआई-IV क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के कारण ट्रक और रिग डूब गए, जिससे जुलाई 2023 में ड्रिलिंग कार्य के लगभग 2 दिनों का संचयी नुकसान हुआ। इन असफलताओं के बावजूद, विभाग के लचीलेपन और प्रयासों से निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया गया, जिससे 3 % की वृद्धि दर्ज की गई। और लगभग 609 मीटर/ड्रिल/माह की औसत परिचालन ड्रिल उत्पादकता दर्ज की गई।

इसके अलावा, ड्रिलिंग गतिविधियों की आउटसोर्सिंग ने भी समग्र प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आउटसोर्सिंग के समग्र प्रयासों ने उम्मीदों को पार कर लिया, कुल आउटसोर्सिंग लक्ष्य का 127% हासिल किया। यह गवेषणात्मक ड्रिलिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभागीय और साथ ही बाहरी संसाधनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने की एजेंसी की क्षमता को दर्शाता है।

### 1.1.3 सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग

सीआईएल ब्लॉकों में, सीएमपीडीआई ने 52 ब्लॉकों में 3.80 लाख मीटर ड्रिलिंग की, जिसमें विभागीय संसाधनों के माध्यम से लगभग 3.00 लाख मीटर और आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगभग 0.80 लाख मीटर ड्रिलिंग शामिल है।

### 1.1.4 प्रमोशनल ब्लॉक में ड्रिलिंग

वर्ष 2023-24 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा कोयला और लिग्नाइट में 29 ब्लॉकों में कुल 1.743 लाख मीटर प्रमोशनल (क्षेत्रीय) ड्रिलिंग की गई। प्रमोशनल (क्षेत्रीय) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत सीएमपीडीआई ने कोयला क्षेत्र में एमईसीएल द्वारा 16 कोयला ब्लॉकों ( सोनहाट : 5 ब्लॉक, राजमहल , मांड-रायगढ़ और मकुम सीएफ में प्रत्येक में 2, गोदावरी घाटी, सिंगरौली , नॉर्थ करनपुरा , पीकेटी और कोरबा सीएफ में प्रत्येक में 1 ब्लॉक) में किए गए प्रमोशनल गवेषण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण जारी रखा। कोयला क्षेत्र में क्षेत्रीय ड्रिलिंग के लिए डीजीएम (नागालैंड) ने 3 ब्लॉक और डीजीएम (असम) ने 1 ब्लॉक का कार्य किया। सीएमपीडीआई ने विभागीय संसाधनों के माध्यम से 5 ब्लॉकों ( वर्धा घाटी सीएफ में 3, सोहागपुर सीएफ में 1 और सिंगरौली सीएफ में 1) में प्रमोशनल गवेषण किया। सीएमपीडीआई ने 2 ब्लॉकों में प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन में 2 आउटसोर्स एजेंसियों को भी शामिल किया है। इसके अलावा, लिग्नाइट में, सीएमपीडीआई ने तमिलनाडु और राजस्थान राज्य के दो ब्लॉकों में एमईसीएल द्वारा किए गए प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण भी किया।

2023-24 में प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन में सीएमपीडीआई का समग्र प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

(आंकड़े लाख किमी में)

| एजेंसी                                | वार्षिक लक्ष्य<br>2023-24 | अप्रैल-23 से मार्च-24 के<br>दौरान उपलब्धियां |                | पिछले वर्ष की<br>उपलब्धियां:<br>अप्रैल-22 से<br>मार्च-23 | विकास<br>% |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|
|                                       |                           | उपलब्धि                                      | उपलब्धि<br>(%) |                                                          |            |
| I. कोयला क्षेत्र                      |                           |                                              |                |                                                          |            |
| क. सीएमपीडीआई (विभागीय)               | 0.140                     | 0.222                                        | 158%           | 0.064                                                    | 246%       |
| ख. राज्य सरकारें .                    |                           |                                              |                |                                                          |            |
| i ) डीजीएम (नागालैंड)                 | 0.020                     | 0.019                                        | 96%            | 0.019                                                    | 2%         |
| ii) डीजीएम (असम)                      | 0.000                     | 0.003                                        | -              | 0.000                                                    | -          |
| उप-योग राज्य सरकार                    | 0.020                     | 0.022                                        | 109%           | 0.019                                                    | 16%        |
| ग. एमईसीएल- समझौता ज्ञापन             | 0.945                     | 1.196                                        | 127%           | 0.180                                                    | 565%       |
| घ. निविदा                             | 0.245                     | 0.115                                        | 47%            | 0.505                                                    | -77%       |
| ड.. उप-योग (आउटसोर्सिंग)<br>( ख+ग+घ ) | 1.210                     | 1.333                                        | 110%           | 0.704                                                    | 89%        |
| कुल कोयला ( क+ ड. )                   | 1.350                     | 1.555                                        | 115%           | 0.768                                                    | 102%       |
| II. लिग्नाइट क्षेत्र                  |                           |                                              |                |                                                          |            |
| क. एमईसीएल- समझौता ज्ञापन             | 0.150                     | 0.188                                        | 125%           | 0.000                                                    | -          |
| कुल लिग्नाइट (क)                      | 0.150                     | 0.188                                        | 125%           | 0.000                                                    | -          |
| कुल प्रमोशनल                          | 1.500                     | 1.743                                        | 116%           | 0.768                                                    | 127%       |



## 1.1.5 गैर-सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग :

वर्ष 2023-24 में गैर-सीआईएल ब्लॉकों में कुल **2.00 लाख** मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य रखा गया है (विभागीय = 0.66 लाख मीटर, आउटसोर्सिंग = 1.34 लाख मीटर)। इसके लक्ष्य के मुकाबले, सीएमपीडीआई द्वारा कुल **2.547 लाख मीटर** ड्रिलिंग की गई, जिसमें से सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिलों ने 0.983 लाख मीटर अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की, जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से **1.565 लाख मीटर** ड्रिलिंग की गई। गैर-सीआईएल ब्लॉकों में उपलब्धि 127% है।

विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 23 ब्लॉकों में किए गए गवेषण इस प्रकार वितरित हैं: इब वैली, ओडिशा: 2 ब्लॉक (सीएमपीडीआई द्वारा 1, एसडब्ल्यूपीई द्वारा 1), मकुम , असम: 1 ब्लॉक (एमएमपीएल), मिकिर हिल्स, असम: 1 ब्लॉक (डीजीएम (असम)), मांड-रायगढ़ , छत्तीसगढ़: 4 ब्लॉक (सीएमपीडीआई द्वारा 3 विभागीय, 1 एमईसीएल), नामचिक नामफुक , अरुणाचल प्रदेश: 1 ब्लॉक (एमएमपीएल द्वारा), नॉर्थ करणपुरा , झारखंड: 2 ब्लॉक (एमईसीएल), रानीगंज , पश्चिम बंगाल: 2 ब्लॉक (सीएमपीडीआई द्वारा विभागीय), सिंगरौली , मध्य प्रदेश: 2 ब्लॉक (सीएमपीडीआई द्वारा 2 विभागीय), सोहागपुर , मध्य प्रदेश: 3 ब्लॉक (सीएमपीडीआई द्वारा विभागीय), सोनहत , छत्तीसगढ़: 2 ब्लॉक (एमईसीएल), तालचेर , ओडिशा: 2 ब्लॉक (सीएमपीडीआई द्वारा विभागीय), वर्धा घाटी, महाराष्ट्र: 1 ब्लॉक (सीएमपीडीआई द्वारा विभागीय)।

## 1.1.6 कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में ड्रिलिंग :

आवंटियों को आवंटित 7 कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में लगभग 0.192 लाख मीटर की खोजपूर्ण ड्रिलिंग की। इन 7 ब्लॉकों में से 2 ब्लॉक उत्तरी करणपुरा और सोहागपुर सीएफ में विभागीय संसाधनों के माध्यम से किए गए और शेष 5 ब्लॉक राजमहल, वर्धा घाटी, कैम्पटी , सिंगरौली और ईब घाटी सीएफ में आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए गए।

## 1.1.7 एनएमईटी वित्त पोषित ब्लॉकों में ड्रिलिंग :

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सीएमपीडीआई ने खान मंत्रालय के एनएमईटी फंडिंग के माध्यम से 0.342 लाख मीटर ड्रिलिंग की, जिसमें 13 कोयला ब्लॉकों में 0.340 लाख मीटर ड्रिलिंग और 2 बॉक्साइट ब्लॉकों में 0.002 लाख मीटर ड्रिलिंग शामिल है।

## 1.2 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट:

1.2.1 पिछले वर्षों में किए गए विस्तृत/क्षेत्रीय अन्वेषण के आधार पर 2023-24 में 31 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की गईं ।

1.2.2 19 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए विस्तृत गवेषण के द्वारा लगभग 12 बिलियन टन कोयला संसाधनों को मापित (प्रमाणित) श्रेणी में जोड़े जाने की उम्मीद है।

1.2.2 इसके अतिरिक्त, 12 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) गवेषण से लगभग 11 बिलियन टन नए कोयला संसाधन (संकेतित और अनुमानित श्रेणियों में) जुड़ने की उम्मीद है।

1.2.4 सीएमपीडीआई ने बॉक्साइट क्षेत्रीय गवेषण के लिए प्रस्तुत 2 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के साथ अपने गवेषण क्षेत्र का विस्तार किया, जिससे राष्ट्रीय सूची में लगभग 16.093 मिलियन टन एल्युमिनियम लैटेराइट और लगभग 9.285 मिलियन टन बॉक्साइट संसाधन जुड़ने की संभावना है।

## 1.3 जल विज्ञान

1.3.1 सीएमपीडीआई को फरवरी 2023 में सीजीडब्ल्यूए द्वारा भूजल मॉडलिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए भूजल पेशेवरों के रूप में मान्यता दी गई है।

- 1.3.2 केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए), जल शक्ति मंत्रालय से एनओसी प्राप्त करने की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, सीएमपीडीआई ने कोयला खनन परियोजनाओं के लिए 2023-24 के दौरान 94 व्यापक जल विज्ञान रिपोर्ट (सीएचआर) और 83 भूजल मॉडलिंग रिपोर्ट (जीडब्ल्यूएम) तैयार की हैं।
- 1.3.3 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ईआईए/ईएमपी तैयार करने के लिए 25 खनन परियोजनाओं की हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- 1.3.4 2023-24 के दौरान पीजोमीटर / क्षति आकलन रिपोर्ट / भूवैज्ञानिक रिपोर्ट / परियोजना रिपोर्ट / ढलान स्थिरता रिपोर्ट / जलापूर्ति योजनाओं के लिए कुल 40 अन्य जल विज्ञान अध्ययन / अध्याय तैयार किए गए।
- 1.3.5 **बाहरी परामर्श कार्य और नए प्रकार के अध्ययन:** यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), जादुगुड़ा, झारखंड के बंडुहरांग ओसी, तुरामडीह यूजी और मोहुलडीह यूजीपी के सीजीडब्ल्यूए से एनओसी के लिए भूजल मॉडलिंग अध्ययन के साथ व्यापक हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार की गई है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रस्तुत की गई है।
- 1.3.6 सीएमपीडीआई भूजल स्तर के साथ-साथ ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एसईसीएल और एनसीएल की कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन के उद्देश्य से वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गुणवत्ता निगरानी कार्य में भी संलग्न है।
- 1.3.7 सीएमपीडीआई ने भूजल मॉडलिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीजीडब्ल्यूए, नई दिल्ली के अनुसार पैलबद्ध विशेषज्ञों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- 1.4 भूभौतिकीय सर्वेक्षण:**
- 1.4.1 **भूभौतिकीय लॉगिंग:** गवेषण उद्देश्यों के लिए ड्रिल किए गए बोरहोल्स को भूभौतिकीय रूप से लॉग किया गया ताकि बोरहोल्स में पाए जाने वाले विभिन्न स्तरों की इन-सीटू जानकारी प्राप्त की जा सके। वर्ष 2023-24 के दौरान, इस उद्देश्य के लिए सीआईएल और गैर-सीआईएल परियोजनाओं में मल्टी-पैरामीट्रिक भूभौतिकीय लॉगिंग उपकरणों के साथ कुल 4.852 लाख मीटर भूभौतिकीय लॉगिंग की गई है। इसमें से 1.719 लाख मीटर भूभौतिकीय लॉगिंग 6 विभागीय भूभौतिकीय लॉगिंग इकाइयों द्वारा की गई और 3.133 लाख मीटर लॉगिंग संविदा एजेंसियों द्वारा की गई।
- 1.4.2 **सतही भूभौतिकीय सर्वेक्षण:** सीएमपीडीआई ने कोयला सीमाओं की इन-क्रॉप के चित्रण, डाइक के चित्रण के लिए सीआईएल और गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विद्युत प्रतिरोधकता और चुंबकीय सर्वेक्षण भी किया है। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 40.99 प्रतिरोधकता प्रोफाइलिंग के लिए 152 लाइन किमी, गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण में 152 गुरुत्वाकर्षण स्टेशन और चुंबकीय सर्वेक्षण के लिए लगभग 40.66 लाइन किमी का कार्य किया गया है।
- कुल **234.568 लाइन किमी** का भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया है। 234.568 लाइन किमी में से, बुंदेली ब्लॉक, कोरबा कोलफील्ड, कोलार पिंपरी ब्लॉक के डिप साइड, वर्धा वैली कोलफील्ड, नूनबीरा ब्लॉक, कोरबा कोलफील्ड, उत्तरी करताली-1, कोरबा कोलफील्ड, सरिस्थली साउथ, रानीगंज कोलफील्ड और तामरा ब्लॉक, रानीगंज कोलफील्ड में विभागीय संसाधनों के माध्यम से लगभग **205 लाइन किमी** का 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण और आउटसोर्सिंग के माध्यम से 4.48 वर्ग किमी. (29.568 एलकेएम) 3 डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया है।
- 1.4.3 **रिपोर्ट:** 2023-24 के दौरान कुल 22 भूभौतिकीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिनमें से 6 शिड्युल रिपोर्ट और 16 अनशिड्युल रिपोर्ट थीं और जीआर के लिए अध्याय थे। इन 22 रिपोर्टों में से, भूकंपीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट, प्रतिरोधकता इमेजिंग सर्वेक्षण की दो रिपोर्ट, एकीकृत भूभौतिकीय सर्वेक्षण की पाँच रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट (पीआर) के लिए एक रिपोर्ट और तेरह जीआर के लिए भूभौतिकीय अध्याय हैं।

## 1.5 जियो-सिस्टम:

- 1.5.1 **कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए खान सारांश तैयार करना:** उपरोक्त गवेषण कार्य के अलावा, सीएमपीडीआई ने आवंटन के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय को मौजूदा कैप्टिव खनन ब्लॉकों की प्रारंभिक भूवैज्ञानिक जानकारी प्रदान की। आवंटन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, गवेषण की कुल लागत के भुगतान पर सीएमपीडीआई द्वारा आवंटी को मूल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रदान की जाती है।

कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए लगभग 100 कोयला ब्लॉकों का खान सारांश तैयार किया गया है। तथा ब्लॉक आवंटन/नीलामी के संबंध में बोलीदाताओं के विभिन्न प्रश्नों का स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है।

- 1.5.2 **लिग्नाइट कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए खान सारांश तैयार करना:** लिग्नाइट कोयला ब्लॉकों की पहचान के लिए खोजे गए क्षेत्र और लिग्नाइट विकास क्षेत्र में काफी अंतर होने के कारण ब्लॉक सीमा पर पुनः कार्य किया गया और इसके बाद नीलामी के लिए 9 लिग्नाइट कोयला ब्लॉकों की पहचान की गई। 9 लिग्नाइट कोयला ब्लॉकों के लिए खान दस्तावेज तैयार किए गए और इन ब्लॉकों के लिए डीएसएस/ईएसजेड विश्लेषण किया गया।

- 1.5.3 **भूवैज्ञानिक ब्लॉक सीमा प्रमाणीकरण:** खनन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार , सीएमपीडीआई आवंटियों द्वारा प्रस्तुत योजना को प्रमाणित कर रहा है, खनन योजना की तैयारी में उपयोग किए गए भूवैज्ञानिक निर्देशांक निहित आदेश के अनुसार हैं और खनन योजना द्वारा कवर किए गए भूवैज्ञानिक निर्देशांक किसी अन्य आसन्न ब्लॉक पर अतिक्रमण नहीं करते हैं।

कोयला मंत्रालय के 2015 के आदेश के अनुसार 10 गैर-सीआईएल कोयला ब्लॉक सीमाओं को प्रमाणित किया गया, तथा पूर्वक्षण लाइसेंस के लिए 3 गैर-सीआईएल कोयला ब्लॉक सीमाओं को प्रमाणित किया गया।

- 1.5.4 **वेब में ओसीबीआईएस अनुप्रयोग को अद्यतन करना:** वेब में ओसीबीआईएस अनुप्रयोग को नवीनतम ब्लॉक सीमा के साथ 49 कोयला क्षेत्रों के लिए अद्यतन किया गया।

- 1.5.5 **पूर्वानुमानित कोयला क्षेत्र का आकलन:** विभिन्न एजेंसियों द्वारा अर्जित ज्ञान और निरंतर क्षेत्रीय गवेषण के साथ, गोंडवाना कोलफील्ड्स (43 संख्या) और तृतीयक कोलफील्ड्स (19 संख्या) का कुल अनुमानित बेसिन क्षेत्र लगभग 67032 वर्ग किमी आंका गया है, जबकि देश का कुल पूर्वानुमानित कोयला क्षेत्र 01.04.2023 तक लगभग 32902 वर्ग किमी था।

- 1.5.6 **वल्कन सॉफ्टवेयर के माध्यम से धुधियासोल ईस्ट निकेल और कॉपर खनिज के लिए मॉडलिंग का काम पूरा हो गया।**

- 1.5.6 **जीएसआई अधिकारियों और अंतर विभागीय कर्मचारियों को जीआईएस और माइनेक्स सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण भी दिया गया।**

## 2.0 कोल बीएड मीथेन (सीबीएम)

- 2.1 **सीआईएल और ओएनजीसी के संघ द्वारा झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में सीबीएम का सहयोगात्मक वाणिज्यिक विकास**

भारत सरकार ने 2002 में सीबीएम के वाणिज्यिक विकास के लिए नामांकन के आधार पर ओएनजीसी-सीआईएल के संघ को दो सीबीएम ब्लॉक आवंटित किए: 1. झरिया सीबीएम ब्लॉक 2. रानीगंज उत्तर सीबीएम ब्लॉक।

सीएमपीडीआई इन दोनों ब्लॉकों के विकास के लिए सीआईएल का तकनीकी सलाहकार है।

झरिया सीबीएम ब्लॉक विकास चरण में है और मार्च 24 तक 11 विकास कुओं की खुदाई की जा चुकी है। पाइपलाइन बिछाने सहित सतही सुविधा का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

रानीगंज उत्तरी सीबीएम ब्लॉक के लिए संशोधित क्षेत्र विकास योजना (चरण-1) को 2023-24 में ओएनजीसी और सीआईएल दोनों द्वारा अनुमोदित किया गया है। ब्लॉक विकास चरण में है। विकास कुओं की ड्रिलिंग के लिए भूमि अधिग्रहण की गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।

## 2.2 सीआईएल लीजहोल्ड क्षेत्र में सीबीएम विकास

भारत सरकार ने सीबीएम नीति, 1997 दिनांक 8 मई, 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को कोयला खनन पट्टे के तहत अपने क्षेत्रों से सीबीएम की खोज और दोहन की अनुमति दी है।

सीएमपीडीआईएल सीआईएल पट्टा क्षेत्रों अर्थात बीसीसीएल, ईसीएल और एसईसीएल में सीबीएम के विकास के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है।

सीआईएल लीजहोल्ड क्षेत्रों में वर्तमान में तीन (03) सीबीएम ब्लॉक विचाराधीन हैं: 1.) झरिया सीबीएम ब्लॉक- I ( झरिया कोलफील्ड), 2.) रानीगंज सीबीएम ब्लॉक ( रानीगंज कोलफील्ड), 3.) झरिया सीबीएम ब्लॉक- II ( झरिया कोलफील्ड)

झरिया सीबीएम ब्लॉक-I (बीसीसीएल लीजहोल्ड क्षेत्र) को राजस्व साझेदारी के आधार पर सीबीएम निकालने के लिए मेसर्स प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (पीईपीएल) को दिया गया है। गवेषण चरण के लिए वैधानिक मंजूरी (ईसी, सीटीई और सीटीओ) प्राप्त कर ली गई है और ब्लॉक गवेषण चरण में है।

रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए 2020 और 2021 में तीन बार निविदा जारी की गई, लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। ब्लॉक के क्षेत्र का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके बाद सीबीएम डेवलपर के चयन के लिए निविदा जारी की जाएगी।

झरिया सीबीएम ब्लॉक-II के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट बीसीसीएल को सौंप दी गई है।

## 2.3 सीबीएम लैब

**सीबीएम लैब द्वारा 2023-2024 के दौरान संवर्धनात्मक गवेषण/क्षेत्रीय/विस्तृत गवेषण के अंतर्गत सीबीएम और शेल गैस से संबंधित अध्ययन**

सीएमपीडीआई प्रमोशनल/क्षेत्रीय/विस्तृत गवेषण के दौरान ड्रिल किए गए बोरहोल के माध्यम से "भारतीय कोयला क्षेत्रों/लिगनाइट क्षेत्रों के कोलबेड मीथेन गैस-इन-प्लेस संसाधन के आकलन" से संबंधित अध्ययन कर रहा है। प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत सीबीएम लैब ने वित्त वर्ष 2023-24 में 8 बोरहोल के प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले सीबीएम के लिए 15 बोरहोल और शेल गैस के लिए 5 बोरहोल में फील्ड डिसोर्प्शन अध्ययन पूरा किया, जिससे लैब द्वारा उत्पन्न वार्षिक राजस्व में 56% की पर्याप्त वृद्धि हुई।

110 कोयला नमूनों और 50 शेल नमूनों में गैस पारगम्यता परीक्षण पूरे किए गए, जबकि 110 कोयला नमूनों और 50 शेल नमूनों में छिद्रता अध्ययन पूरे किए गए। शेल गैस के लिए 7 बोरहोल में TOC विश्लेषण पूरा हो चुका है और 7 बोरहोल में रॉक इवल पायरोलिसिस अध्ययन भी पूरा हो चुका है।

यह अध्ययन सीबीएम और शेल गैस संभाव्यता के आकलन के लिए डाटा बेस तैयार करता है तथा सीबीएम और शेल गैस विकास के लिए और अधिक ब्लॉकों के निर्धारण में सहायता करता है।

इसके अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास अध्ययनों के भाग के रूप में, सीबीएम लैब ने 2023-24 में पहली बार कोयला नमूनों में रॉक इवैल्यूएशन पायरोलिसिस अध्ययन किया और परिणामों का उपयोग एस एंड टी परियोजना में किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है " कार्बन पृथक्करण के लिए संवर्धित कोल बेड मीथेन रिकवरी और संभावनाओं के लिए कोयला जलाशय का जलाशय लक्षण वर्णन और संख्यात्मक मॉडलिंग"।



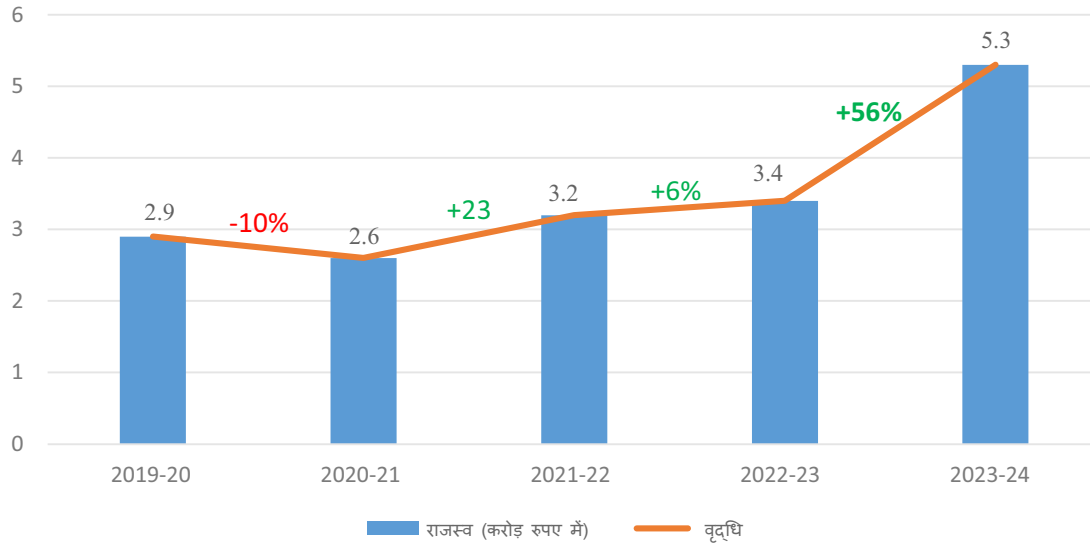
# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



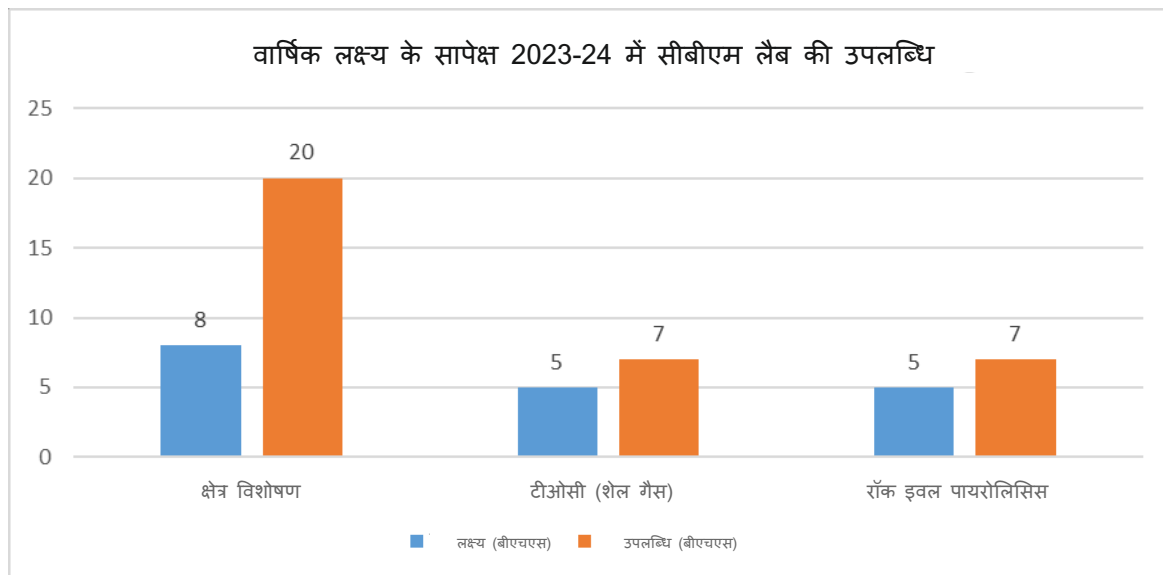
राजस्व सृजन के संदर्भ में पिछले पांच वर्षों में सीबीएम लैब की वृद्धि और वार्षिक लक्ष्य के संबंध में वित्त वर्ष 2023-24 में सीबीएम लैब की उपलब्धि क्रमशः चित्र (ए) और चित्र (बी) में दर्शाई गई है।

पिछले 5 वर्षों में सीबीएम लैब की वृद्धि



चित्र (ए): पिछले 05 वर्षों में सीबीएम की वृद्धि

वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 2023-24 में सीबीएम लैब की उपलब्धि



चित्र (बी): वित्त वर्ष 2023-24 में सीबीएम लैब की उपलब्धि



## 2.4. कोयला गैसीकरण :

सीएमपीडीआईएल, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है।

डब्ल्यूसीएल कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदा अगस्त, 2022 और मार्च 2023 में दो बार जारी की गई थी। बोली 06 दिसंबर, 2023 को खोली गई। हालाँकि, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

## 2.5 कोलबेड मीथेन और कोयला गैसीकरण पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

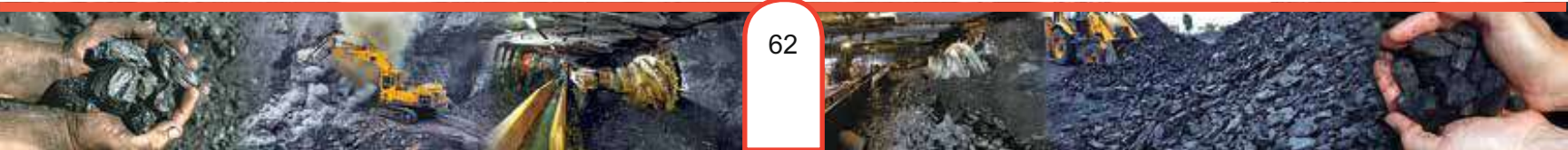
| क्र. सं. | विवरण                                                                                                                                | आरंभ की तिथि    | पूरा करने की तिथि | परियोजना की लागत | कार्यान्वयन एजेंसियां         | कार्य की स्थिति                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | "भारतीय भू-खनन परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) पर एक पायलट परियोजना"                 | 29 मार्च , 2024 | 28 दिसंबर, 24     | 23.09 करोड़      | सीएमपीडीआईएल और ईसीएल         | चरण-1 के परियोजना प्रस्ताव को 29 फरवरी, 2024 को सीआईएल के 35वें अनुसंधान एवं विकास बोर्ड में मंजूरी दे दी गई है ।                                                                                                              |
| 2.       | "कोल बेड मीथेन रिकवरी और कार्बन पृथक्करण की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कोयला रिजर्वार का रिजर्वार लक्षण वर्णन और संख्यात्मक मॉडलिंग" | 03 जनवरी, 2023  | 02 जनवरी, 2025    | 1.93 करोड़       | आईआईटी बॉम्बे और सीएमपीडीआईएल | झरिया , रानीगंज और सोहागपुर कोयला क्षेत्रों के अंतर्गत 5 (पांच) ब्लॉकों से नमूना संग्रह किया गया है। पहचान की गई कोयला परतों के लिए कुछ ब्लॉकों से संबंधित भू-यांत्रिक, खनिज/ रासायनिक और पेट्रोफिजिकल डेटा तैयार किया गया है। |

## 3.0 परियोजना आयोजन एवं अभिकल्पन:

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान 128.67 मीट्रिक टन की अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता के निर्माण के लिए नई/विस्तार/पुनर्गठन खदानों के लिए परियोजना रिपोर्ट (पीआर) की तैयारी की गई। नई पीआर के साथ-साथ परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट/ लागत अनुमानों का संशोधन भी किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्य भी किए गए:

- नई/मौजूदा कोयला वाशरियों के लिए संकल्पनात्मक/व्यवहार्यता रिपोर्ट, निविदा/बोली दस्तावेज, बोलियों का मूल्यांकन आदि तैयार करना
- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)



- ओसी और यूजी खदानों की खनन योजनाएँ और खदान बंद करने की योजनाएँ
- सीआईएल की खुली और भूमिगत खदानों की खदान क्षमता का आकलन।
- खुली और भूमिगत खदानों के संचालन से संबंधित विभिन्न तकनीकी अध्ययन।
- सीआईएल की ओसी खदानों में संचालित एचईएमएम का प्रदर्शन विश्लेषण।
- भूमिगत खदानों, खुली खदानों, बंद खदानों के लिए एमडीओ दस्तावेज
- कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण
- पुनः प्राप्त ओबी डंप साइटों की जैव विविधता का आकलन
- हार्डवॉल खनन परियोजनाओं के लिए मॉडल एमडीओ दस्तावेज
- मृदा नमी संरक्षण अध्ययन
- सिविल कार्यों, ईटीपी/एसटीपी, सौर ऊर्जा संयंत्रों आदि के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएँ
- व्यापक जल विज्ञान रिपोर्ट
- कोयला निकासी मास्टर प्लान/कोयला क्षेत्रों की मास्टर प्लान
- विस्तृत डिजाइन और चित्र, एनआईटी, निविदा जांच, आदि।

वर्ष 2023-24 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को पर्यावरणिक प्रबंधन और मोनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग, ऊर्जा आडिट (डीजल एंड इलेक्ट्रीकल) तथा ओपन कास्ट खानों का बेंच मार्किंग, रॉक और कोयला नमूनों पर फिजिको-मैकेनिकल टेस्ट, धूसान अध्ययन, स्ट्रेटा कंट्रोल, गैर विध्वंसक जाँच (एनडीटी), नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन और विस्फोटक उपयोग, भूमिगत खानों का संवातन गैस सर्वेक्षण, माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला नमूनों पर पेट्रोग्रफिक अध्ययन, कोल कोर प्रोसेसिंग एंड विश्लेषण, धोवन क्षमता परीक्षण, ओबीआर सर्वेक्षण, मैन राइडिंग सिस्टम, स्टडी ऑफ रिवराइन ईकोसिस्टम और कोयला खनन क्षेत्रों का कैरिंग क्षमता, विंड ब्रिंक (डब्ल्यू बी) और वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम (बीजीएस), स्लोप स्थायित्व अध्ययन, इफ्लूएंट/सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, माइन क्लोर ऑडिटिंग इत्यादि के क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों का विशेषज्ञ परामर्श सेवाएँ प्रदान की गईं।

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 338 रिपोर्ट तैयार की गई है। तैयार की गई रिपोर्ट का ब्रेक अप नीचे दिया गया है:

| रिपोर्ट                            | संख्या     |
|------------------------------------|------------|
| भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट               | 31         |
| प्रोजेक्ट रिपोर्ट                  | 40         |
| ड्राफ्ट ईएमपी (फार्म-I/IV/VI सहित) | 54         |
| अन्य अध्ययन                        | 213        |
| <b>कुल</b>                         | <b>338</b> |

## वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा विवरण 2023-24

2023-24 की अवधि के दौरान तैयार की गई रिपोर्टों का विवरण नीचे दिया गया है:

### 2023-24 के दौरान पूरी की गई रिपोर्टों की सूची

| क्षेत्रीय संस्थान/मुख्यालय  | रिपोर्ट का नाम                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>भूवैज्ञानिक रिपोर्ट:</b> |                                             |
| आरआई-I                      | 1. देओचा पचामी दीवानगंज हरिनसिंघा (परामर्श) |
|                             | 2. गुरवानी (एनएमईटी)                        |
|                             | 3. हिंगला के दक्षिण (गैर-सीआईएल)            |
|                             | 4. चुपरभिता के पूर्व (एनएमईटी)              |
|                             | 5. बिचारपुर दक्षिण (गैर-सीआईएल)             |
| आरआई-II                     | 1. दामुडा के दक्षिण (एनएमईटी)               |
| आरआई-III                    | 1. कोयाद किशनपुर दक्षिण                     |
|                             | 2. अशोक करकट्टा पश्चिम फेज-II (उत्तरी भाग)  |
| आरआई-IV                     | 1. एकार्जुन के पूर्व में                    |
| आरआई-VI                     | 1. मारवाटोला I और II (एनएमईटी)              |
|                             | 2. मारवाटोला III और IV (एनएमईटी)            |
|                             | 3. उलिया गम्हारडीह (एनएमईटी)                |
|                             | 4. टेराम (गैर-सीआईएल)                       |
|                             | 5. सेंदुरी (प्रचारात्मक)                    |
| आरआई-VII                    | 1. बलभद्र उत्तर विस्तार .                   |
|                             | 2. पलासबानी पश्चिम (गैर-सीआईएल)             |
|                             | 3. मीनाक्षी पश्चिम (गैर-सीआईएल)             |
| मुख्यालय                    | 1. लाब्जिपुसला के उत्तर में (एनएमईटी)       |
|                             | 2. चूलिया के उत्तर में भुलिया (एनएमईटी)     |
| संविदात्मक                  | 1. राजबर ए                                  |
|                             | 2. पथोरा पश्चिम (गैर-सीआईएल)                |
|                             | 3. करतला (प्रचारात्मक)                      |
|                             | 4. मिर्जागांव (गैर-सीआईएल)                  |
|                             | 5. भालुकस्बा सुरनी पीएच - III               |
|                             | 6. सरधापुर जलाताप (प्रचारात्मक)             |
|                             | 7. बटाटी कोल्गा उत्तर पूर्व (गैर-सीआईएल)    |
|                             | 8. फुतामुरा (गैर-सीआईएल)                    |
|                             | 9. बटाटी कोल्गा ईस्ट (गैर-सीआईएल)           |
|                             | 10. बटाटी कोल्गा पश्चिम (गैर-सीआईएल)        |
|                             | 11. बादाम डिप साइड (गैर-सीआईएल)             |
|                             | 12. उस्ताली (प्रचारात्मक)                   |
| <b>परियोजना रिपोर्ट:</b>    |                                             |
| आरआई-I                      | 1. नबाकाजोरा माधबपुर यूजी+ओसी पुनर्रचना     |
|                             | 2. संग्रामगढ़ ओ.सी.                         |
|                             | 3. परस्कोल जामबाद ओसी                       |
|                             | 4. निमचा यूजी                               |
| आरआई-II                     | 1. रामनगर कल्याणेश्वरी ओसी पुनर्रचना        |
|                             | 2. पूरे बेनिडीह ब्लॉक- II ओसीपी             |

| क्षेत्रीय संस्थान/मुख्यालय                | रिपोर्ट का नाम                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                           | 3. चंद्रपुरा ओसी पुनर्रचना                                 |
| आरआई-III                                  | 1. हेसालोंग ओसी                                            |
|                                           | 2. संघमित्रा ओसी                                           |
|                                           | 3. बोकारो फेज-II ओसी                                       |
|                                           | 4. रोहने ओसी, मेसर्स एनएमडीसी                              |
|                                           | 5. उत्तर धाडू ओसी (पश्चिमी भाग)                            |
| आरआई-IV                                   | 1. गौरी सेंट्रल ओसी माइन का पुनर्निर्माण                   |
|                                           | 2. बोर्डो यूजी सीएम के साथ                                 |
|                                           | 3. गडेगांव ओसी पुनर्रचना                                   |
|                                           | 4. गौरी पौनी विस्तार ओसी सम्मेलन                           |
|                                           | 5. कोलार पिंपरी स्ट्राइक एक्सटेंशन . ओसी                   |
|                                           | 6. मुंगोली निरगुडा दीप ओसी - उत्तरी विस्तार ।              |
|                                           | 7. वाघोडा यूजी रीकास्ट                                     |
|                                           | 8. नीलगांव ओसी ( साओनेर II)                                |
|                                           | 9. गोंडेगांव घटरोहन विस्तार ओसी                            |
|                                           | 10. थेसगोरा यूजी से ओसी पुनर्रचना                          |
| आरआई-V                                    | 1. मानिकपुर ओसी विस्तार                                    |
|                                           | 2. अमृतधारा यूजी (एमडीओ पीआर)                              |
|                                           | 3. कुसमुंडा विस्तार ओसी पुनर्रचना                          |
|                                           | 4. बदौली यूजी रीकास्ट                                      |
|                                           | 5. झिरिया पश्चिम ओ.सी.                                     |
|                                           | 6. रेहार विस्तार यूजी माइन रीकास्ट                         |
|                                           | 7. ओनगांव पोडिया ओसी                                       |
|                                           | 8. मालाचुआ यूजी                                            |
| आरआई-VII                                  | 1. अनंत एक्सपें . ओसी चरण-IV                               |
|                                           | 2. भुवनेश्वरी ओसी (आउटसोर्सिंग संस्करण)                    |
|                                           | 3. मनोहरपुर ओसी, मेसर्स ओसीपीएल                            |
|                                           | 4. लाजकुरा डिप साइड OC में विस्तार                         |
| मुख्यालय                                  | 1. तलाईपल्ली ओसी, मेसर्स एनटीपीसी                          |
|                                           | 2. चुपरभिता - सिमलॉग संयुक्त - एमडीओ                       |
|                                           | 3. मकरी बोर्का यूजी                                        |
|                                           | 4. ब्लॉक-ई ओसीपी, बीसीसीएल                                 |
|                                           | 5. अमेलिया यूजी, मेसर्स टीएचडीसी                           |
|                                           | 6. ज़ाम्बेज कोल प्रोजेक्ट, आईसीवीएल                        |
| <b>पर्यावरण प्रबंधन योजना:</b>            |                                                            |
| <b>फॉर्म-I (फॉर्म III, IV और VI सहित)</b> |                                                            |
| आरआई-I                                    | 1. क्लस्टर संख्या 3 (ईसीएल की 3 खदानों का समूह)            |
|                                           | 2. क्लस्टर संख्या 12 (ईसीएल की 14 खदानों का समूह)          |
| आरआई-II                                   | 1. पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी                               |
| आरआई-IV                                   | 1. चिंदा ओसी (संशोधन)                                      |
|                                           | 2. न्यू सेठिया ओसी (संशोधन)                                |
|                                           | 3. धुप्ताला ओसी                                            |
|                                           | 4. सम्मेलित येकोना I और II OC (संशोधन)                     |
|                                           | 5. बल्लारपुर ओसी (रैत पृथक्करण संयंत्र का समावेश) (संशोधन) |



# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



| क्षेत्रीय संस्थान/मुख्यालय | रिपोर्ट का नाम                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6.                         | बल्लारपुर उत्तर पश्चिमी तटबंध                       |
| 7.                         | पिंपलगांव डीप ओ.सी. (संशोधन)                        |
| 8.                         | मकरधोकड़ा -I OC (संशोधन)                            |
| 9.                         | धुप्ताला विस्तारित ओसी (फॉर्म III: ToR में संशोधन ) |
| 10.                        | पिंपलगांव डीप ओसी (फॉर्म IV: ईसी में संशोधन)        |
| 11.                        | कोलगांव ओसी                                         |
| 12.                        | घोन्सा एक्सटेंशन ओसी                                |
| 13.                        | उमरेर विस्तार ओसी (फॉर्म-VI: ईसी का विस्तार)        |
| आरआई-V                     | 1. महामाया ओसी                                      |
|                            | 2. सिंघाली यूजी (फॉर्म-VI: वैधता विस्तार)           |
|                            | 3. विंध्य यूजी (फॉर्म-VI: वैधता विस्तार)            |
|                            | 4. उमरिया यूजी (फॉर्म-VI : वैधता विस्तार)           |
| आरआई-VI                    | 1. ब्लॉक-बी ओसीपी (फॉर्म III: टीओआर में संशोधन)     |
|                            | 2. निगाही ओ.सी.पी. (फॉर्म III: ToR में संशोधन)      |
|                            | 3. विस्तार के लिए फॉर्म-I)                          |
|                            | 4. खड़िया ओसीपी (फॉर्म III: ToR में संशोधन)         |
|                            | 5. बीना ओसीपी (ईसी का संशोधन और विस्तार)            |
| आरआई-VII                   | 1. कुल्दा ओ.सी.पी. (ई.सी. में संशोधन)               |
|                            | 2. गर्जनबहाल ओ.सी.पी. (ई.सी. में संशोधन)            |
|                            | 3. जगन्नाथ ओसी (ईसी में संशोधन)                     |
| मुख्यालय                   | 1. टिकक विस्तार ओसीपी ( क्षमता में विस्तार)         |
| ड्राफ्ट ईएमपी              |                                                     |
| आरआई-II                    | 1. क्लस्टर VIII (परिशिष्ट EIA/EMP)                  |
| आरआई-III                   | 1. पिपरवार यूजीपी (चरण-I)                           |
|                            | 2. राजरप्पा वाशरी                                   |
|                            | 3. रोहिणी विस्तार ओसीपी                             |
|                            | 4. केदला ओ.सी.पी. (उल्लंघन हेतु परिशिष्ट)           |
|                            | 5. उत्तर उरीमारी ओ.सी.पी. (खण्ड 7(ii))              |
| आरआई-IV                    | 1. वाघोडा यूजी (पुनर्वैधीकरण)                       |
|                            | 2. दिनेश एक्सपेंशन ओसी                              |
|                            | 3. विष्णुपुरी -II यूजी (पुनर्वैधीकरण)               |
|                            | 4. तवा यूजी (पुनर्वैधीकरण)                          |
|                            | 5. भटडी विस्तार ओसी (संशोधित)                       |
| आरआई-V                     | 1. गायत्री यूजी विस्तार                             |
|                            | 2. खैराहा यूजी विस्तार                              |
|                            | 3. कुसमुंडा ओसीपी (द्वितीय चरण)                     |
|                            | 4. रेहर यूजी खदान (पुनर्वैधीकरण मामला)              |
|                            | 5. कटकोना यूजी खदान (पुनर्वैधीकरण मामला)            |
| आरआई-VI                    | 1. बीना ओसी (परिशिष्ट ईआईए)                         |
|                            | 2. ब्लॉक बी ओसीपी                                   |
|                            | 3. निगाही ओ.सी.पी.                                  |
| आरआई-VII                   | 1. लालमा सहित कुल्दा ओसीपी                          |

| क्षेत्रीय संस्थान/मुख्यालय | रिपोर्ट का नाम                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2.                         | लखनपुर ओसीपी विस्तार .                                    |
| 3.                         | विंध्य यूजी, एसईसीएल (पुनर्वैधीकरण के लिए परिशिष्ट ईएमपी) |
| मुख्यालय                   | 1. विजय पश्चिम यूजी खदान, एसईसीएल ( विस्तार 7 (ii) में)   |
|                            | 2. रानी अटारी यूजी खदान, एसईसीएल ( विस्तार 7 (ii) में)    |
|                            | 3. टिकक ओ.सी.पी. (7(ii) 50% विस्तार के अंतर्गत)           |

## 4. कोयला और खनिज परिष्करण :

कोल एंड मिनरल प्रिपारेशन डिवीजन ग्रीनफील्ड कोल वाशरीज, मिनरल बेनिफिशिएशन प्लांट और मौजूदा प्लांटों के संशोधन /आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में विस्तृत प्रयोगशाला अध्ययन, परियोजना रिपोर्ट (पीआर), वैचारिक रिपोर्ट (सीआर), बोली प्रक्रिया प्रबंधन, अनुबंध दस्तावेज तैयार करना और परियोजना निष्पादन के दौरान ड्राइंग की जांच के बाद कार्यों के पुरस्कार में सहायता शामिल है। यह आर एंड डी सेवाओं और कॉर्पोरेट समर्थन की विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करता है। सीएमपी लैब को जुलाई 2022 में परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से पुनः मान्यता प्राप्त हुई है। इस तरह के पुनर्गठित निकाय को परीक्षण परिणामों की पारस्परिक स्वीकृति की सुविधा के लिए पहला आवश्यक कदम माना जाता है।

सीएमपीडीआईएल प्रयोगशाला स्तर के अध्ययन करने के लिए आधुनिकतम और परिष्कृत उपकरणों सहित आईएसओ प्रमाणित आधुनिक प्रयोगशाला से सुसज्जित है।

वर्ष 2023-2024 के दौरान इस प्रभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूरे किए गए हैं।

### 4.1 संकल्पनात्मक रिपोर्टें

- बसंतपुर-तापिन वाशर (4.0 मीट्रिक टन), सीसीएल के सीआर का यूसीई

### 4.2 पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

- कथारा क्षेत्र में नई सवांग कोकिंग कोल वाशरी की स्थापना के लिए संशोधित पूर्व- व्यवहार्यता रिपोर्ट।
- सीएचपीपी और लॉजिस्टिक्स,आईसीवीएल के साथ ज़ाम्बेजी खदान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। सीएमपी डिवीजन ने सीएचपीपी की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की।

#### 4.3 निविदा दस्तावेज

- सीआईएल के लिए हाईवॉल खनन परियोजना के लिए एमडीओ मोड में मॉडल एनआईटी दस्तावेज तैयार करने में सहायता।
- राजस्व साझाकरण के आधार पर ओपनकास्ट, भूमिगत बंद खदानों के लिए जीईएम अनुरूप एमडीओ दस्तावेज तैयार करने में सहायता।
- एमसीएल के लखनपुर में आईबी वैली वाशरी के संबंध में नमूना लेने के लिए स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति के कार्य के लिए निविदा दस्तावेज तैयार करना।
- बीओओ अवधारणा पर सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में कोयला वाशरी की स्थापना के लिए संशोधित मॉडल बोली दस्तावेज तैयार करना।
- बीओओ अवधारणा पर
- बीओओ अवधारणा पर बसंतपुर तपिन वाशरी (4 एमटीवाई) के संशोधित बोली दस्तावेज की तैयारी
- बीओओ अवधारणा पर नई सवांग वाशरी (1.5 एमटीवाई) के संशोधित बोली दस्तावेज की तैयारी
- एसईसीएल के कोरबा क्षेत्र के मानिकपुर ओसीपी के लिए रेत/एगीगेट पृथक्करण संयंत्र की स्थापना के लिए ई-टेंडरिंग मोड में बोली दस्तावेज (आरएफक्यू के साथ आरएफपी)
- टर्नकी अवधारणा पर
- मौजूदा बीना डीशेलिंग प्लांट में अतिरिक्त सर्किट की स्थापना के लिए मसौदा एनआईटी।

#### 4.4 निविदा दस्तावेज के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन

- प्रस्तावित ढोरी कोकिंग कोल वाशरी, नई सवांग कोकिंग कोल वाशरी और नई कथारा वाशरी के लिए बीओओ आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन।

#### 4.5 निर्माण चित्रों की जांच

- बीसीसीएल की भोजुडीह वाशरी, पाथरडीह-II वाशरी।

- इब-वैली लखनपुर वाशरी, एमसीएल।

#### 4.6 चैप्टरों की तैयारी

- नेहरू शताब्दी नगर के एसटीपी के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चैप्टर की तैयारी।
- एनसीएल के नेहरू शताब्दी नगर और दुधीचुआ खदान के ईटीपी
- एनसीएल के निगाही के ईटीपी और एसटीपी के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चैप्टर की तैयारी
- पीआर ब्लॉक ई, बीसीसीएल के लिए चैप्टर।

#### 4.7 ट्रायल रन और पीजीटी

- एमसीएल के लखनपुर में आईबी वैली वाशरी की स्थापना के संबंध में ट्रायल रन और पीजीटी के दौरान सहायता

#### 4.8 अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ

- कार्बन मूल्यों की वसूली के लिए कोकिंग कोल वाशरी के मिडिलिंग और फाइनस का प्रभावी उपयोग" और "सिमुलेशन विश्लेषण के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड की कोकिंग कोल वाशरी का प्रदर्शन अध्ययन" नामक अनुसंधान और विकास परियोजनाएँ क्रमशः फरवरी 2024 और दिसंबर 2023 में पूरी हो गई हैं। पूरा होने की रिपोर्ट विचार-विमर्श और सीआईएल के अनुसंधान और विकास बोर्ड में इसकी स्वीकृति के लिए सीएमपीडीआई को प्रस्तुत की गई है।

#### 4.9 कॉर्पोरेट सहायता

- कोकिंग कोल की मांग से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए रिपोर्ट सीएमपीडीआई के सीएमडी और मेकॉन के सीएमडी की संयुक्त अध्यक्षता में एमओसी द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार की गई थी।
- सीसीएल और बीसीसीएल की कोकिंग कोल खदानों की व्यवहार्यता के साथ व्यापक वाशबिलिटी रिपोर्ट।
- सीआईएल ने कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर-कोकिंग कोल वाशरी या डीशेलिंग प्लांट की स्थापना के लिए सीआईएल की सहायक कंपनियों में खदानों की पहचान करने के लिए अप्रैल 2023

में एक समिति का गठन किया। सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में डीशेलिंग प्लांट की स्थापना पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीएमपी डिवीजन सक्रिय रूप से शामिल था। जनवरी 2024 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के आधार पर, विभिन्न सहायक कंपनियों में स्थापित किए जाने वाले 4 डीशेलिंग प्लांट की पहचान की गई है।

## 5. परियोजना मूल्यांकन:

- 5.1 वर्ष 2023-24 के दौरान, सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थानों तथा मुख्यालय के विभागों द्वारा तैयार किए गए 21 ड्राफ्ट पीआर/आरपीआर/ईपीआर की संवीक्षा तथा मूल्यांकन तथा मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पूर्व सीएमपीडीआई मुख्यालय में उनके प्रस्तुतिकरण के लिए समन्वय।
- 5.2 वर्ष 2023-24 के दौरान क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 12 वैचारिक नोट की संवीक्षा तथा मूल्यांकन और मसौदा पीआर/आरपीआर/ईपीआर तैयार करने के पहले प्रमुख तकनीकी पारामीटरों को अंतिम रूप देने के लिए ओसी/यूएमडी विभाग तथा पीएडी विभाग के साथ निदेशक (तक./पी एण्ड डी) द्वारा मूल्यांकन हेतु समन्वयन।
- 5.3 खासकर कोयला (सचिव) की तिमाही/मासिक समीक्षा बैठक के लिए सीएमपीडीआई के दायित्व के तहत कार्रवाई के संबंध में 3 एमटीवाई से अधिक क्षमता की 500 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतनीकरण।
- 5.4 कोयला सचिव द्वारा सीएमपीडीआईएल की मासिक समीक्षा के लिए वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान प्रस्तुत पीआर की अनुमोदन स्थिति की निगरानी करना।
- 5.5 एमओसी की सलाह के अनुसार 01.04.2023 तक देश में शेष भूवैज्ञानिक कोयला संसाधनों और निकाले जाने योग्य कोयला भंडार का आकलन।
- 5.6 विजन सीआईएल@2047 के निर्माण के लिए समिति के हिस्से के रूप में योगदान दिया।

## 6.0 खुली खदान खनन

### 6.1 पूर्ण किये गये प्रमुख बाहरी परामर्श कार्य:

#### क. अंतरराष्ट्रीय:

- ज़ाम्बेज़ कोयला परियोजना (11Mty) के लिए डीपीआर : - ज़ाम्बेज़ कोयला परियोजना (ग्रीनफील्ड) के लिए डीपीआर (खनन, सीएचपीपी और कोयला रसद) की तैयारी

#### ख. घरेलू:

- मेसर्स एनटीपीसी की तलाईपल्ली ओ.सी. परियोजना (25 मेगाटन) के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट
- मेसर्स जेएसडब्ल्यू के बनई और भालूमंडा कोयला ब्लॉकों के लिए संकल्पनात्मक रिपोर्ट
- भविष्य की कोयला उत्पादन क्षमता का आकलन । मेसर्स सीईएससी लिमिटेड।

### 6.2 पूर्ण किये गये प्रमुख सीआईएल कार्य:

- क. ब्लॉक-ई ओसीपी (15एमटीवाई), बीसीसीएल की परियोजना रिपोर्ट
- ख. संयुक्त चुपरबिटा-सिमलॉग ओसीपी (6एमटीवाई), ईसीएल के लिए पीआर
- ग. चुबरबिटा-सिमलॉग संयुक्त ओसीपी के लिए अनुकूलित एमडीओ दस्तावेज़ और संक्षिप्त पीआर।
- घ. टिकक एक्सटेंशन ओसीपी (0.3 एमटीवाई) की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट सहित खनन योजना, (एनईसी)
- ङ. निम्न के लिए GeM संगत मॉडल NIT दस्तावेज़ निम्न के लिए: -
  - हाईवॉल खनन.
  - परित्यक्त खदान
  - खुली खदान.
  - आंशिक रूप से अन्वेषण किया गया ब्लॉक
  - भूमिगत खदान
- च. सीआईएल में नई प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए दिशा-निर्देशों पर रिपोर्ट

छ. राजबार ई एंड डी ब्लॉक, टीवीएनएल के लिए एमडीओ के चयन के लिए बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किए गए ड्राफ्ट उत्तर की जांच।

ज. सीएमआर 2017 के अनुसार सीआईएल की विभिन्न ओसी परियोजनाओं के लिए भू-तकनीकी प्रयोगशाला में ढलान स्थिरता और बड़े बॉक्स कतरनी परीक्षण सहित वैज्ञानिक अध्ययन:

- जयंत ओसीपी, एनसीएल
- खड़िया ओसीपी, एनसीएल
- लीडो ओसीपी का बाहरी ओबी डंप
- ब्लॉक-ई ओसीपी
- झिंगुरदाह बॉटम, एनसीएल
- ब्लॉक-बी ओसीपी, एनसीएल
- बलकदरा ओसीपी, सीसीएल

झ. आरआई में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विभिन्न ओसीपी के ओबी नमूनों के लिए भू-तकनीकी प्रयोगशाला में बड़े बॉक्स शियर परीक्षण:

- राजनगर ओसी, एसईसीएल
- गेवरा ओसी, एसईसीएल
- कुल्दा ओसी, एमसीएल
- शारदा ओसीपी, एसईसीएल

ञ. खान क्षमता मूल्यांकन/उपकरण प्रदर्शन/विशिष्ट खपत अध्ययन:

- 22-23 फरवरी के दौरान सीआईएल की खुली खदानों की क्षमता और क्षमता उपयोग का आकलन
- सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के लिए 2022-23 के दौरान एचईएमएम का प्रदर्शन
- 2022-23 के दौरान सीआईएल की खुली खदानों में डीजल, विस्फोटक और विद्युत शक्ति की विशिष्ट खपत
- 2022-23 के दौरान एचईएमएम डम्पर्स, एक्सकेवेटर का प्रदर्शन और सी.आई.एल का सारांश

ट. मिर्जागांव उत्तर और दक्षिण ब्लॉक की रेटेड क्षमता का आकलन और उत्पादन निर्माण।

ठ. तिराप ओसीपी (0.6Mty) के लिए वर्ष कोयला और ओबी लीड मूल्यांकन

### 6.3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तकनीकी पत्रों की प्रस्तुति

तकनीकी पेपर ओसी डिवीजन की दो सदस्यीय टीम द्वारा 24-26 अप्रैल 2023 को टोरंटो, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय रॉकसाइंस सम्मेलन (आरआईसी 2023) में प्रस्तुत किया गया।

### 6.4 पृथ्वी विज्ञान संग्रहालय:

ओपनकास्ट खदान की गैलरी की स्थापना में तकनीकी सहायता, जिसमें बेंच, ओबी डम्प, निकासी, ड्रैगलाइन, सरफेस माइनर, शॉवेल-डम्पर, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग आदि की कार्यप्रणाली दर्शाई जाएगी।

बड़े स्क्रीन पर ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले के लिए ओपनकास्ट खनन ऑपरेशन को दिखाने वाली एक वीडियो फिल्म तैयार करते समय जांच और अंतिम रूप देने में सहायता की गई।

वी.आर. सेट के माध्यम से ऑगमेंटेड रियलिटी मोड और वर्चुअल रियलिटी मोड में ओसी माइन के संचालन को देखने का भी प्रावधान है।

### 7.0 भूमिगत खनन

#### 7.1 प्रमुख पूर्ण कार्य

क. बाहरी परामर्श नौकरियाँ:

- मेसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अमेलिया कोल ब्लॉक के यू/जी खनन के लिए डीपीआर।
- मेसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल के समग्र डीपीडीएच ब्लॉक के लिए संकल्पनात्मक रिपोर्ट।
- राजबार ईएंडडी कोयला के विकास और संचालन के लिए खान डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) के चयन के लिए लेनदेन सलाहकार मेसर्स ए'एक्सवाईकेनो कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए संभावित बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब की जांच।

ख. सीआईएल के कार्य:

- गायत्री, एसईसीएल के लिए 3डी अवतलन पूर्वानुमान और प्रबंधन अध्ययन।



- सीआईएल के लिए उच्च दीवार खनन परियोजनाओं के लिए मॉडल एनआईटी दस्तावेज तैयार करना।
- बांधा यूजी खदान की सीम VII और VIII की संकल्पनात्मक नोट सह पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट।
- वर्ष 2023-24 के लिए सीआईएल की यूजी खदानों की खान क्षमता मूल्यांकन।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खनन उपकरण के लिए मानक मूल्य सूची।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीआईएल की यूजी खदानों के लिए खदान क्षमता उपयोग।
- एसईसीएल की रानी अटारी और विजय पश्चिम खदानों के लिए 3डी अवतलन पूर्वानुमान और प्रबंधन अध्ययन।
- झारखंड यूजी, सीसीएल की संकल्पनात्मक रिपोर्ट।
- गोविंदपुर यूजी के खदान डोजियर और एमडीओ दस्तावेज (एमसीए और आरएफबी) की तैयारी।
- ओसी, यूजी, बंद खदानों और आंशिक रूप से अन्वेषण किए गए कोयला ब्लॉकों के जीईएम संगत एमडीओ निविदा दस्तावेज।
- ईसीएल के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक का GeM संगत एमडीओ दस्तावेज।

## ग. MoC के लिए अन्य कार्य:

- वाणिज्यिक कोयला खनन की नीलामी के लिए नए ब्लॉकों (कोयला और लिग्नाइट) की पहचान।
- 8वें/18वें और 9वें/19वें चरण के 62 कोयला ब्लॉकों के लिए खदान डोजियर और खदान सारांश (मानचित्र और मुख्य बिंदुओं सहित) तैयार किए गए और कोयला मंत्रालय को भेजे गए।
- वाणिज्यिक कोयला खनन की नीलामी के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर तैयार करना और प्रस्तुत करना।

## 7.2 प्रगति पर कार्य:

### क. बाहरी परामर्श के कार्य:

- राजस्व साझेदारी के आधार पर चिनाकुरी यूजी खदान के पुनः खोलने, बचाव, पुनर्वास, विकास और संचालन के कार्य की खनन योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (डीपीआर की मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत)।

### ख. सीआईएल के कार्य:

- एकीकृत गोधुर कुसुंडा यूजी के लिए परियोजना रिपोर्ट (ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत)।
- एसईसीएल के भटगांव क्षेत्र की शिवानी यूजी खदान का 3डी अवतलन पूर्वानुमान अध्ययन।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजना का शीर्षक "हाईवॉल खनन व्यवहार्यता मूल्यांकन और लेआउट डिजाइन" है।

## 8. सिविल अभियंत्रण सेवायें

### 8.1 परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य

- 1) आईआईसीएम, रांची के छात्रावास भवन का निर्माण
- 2) हजारीबाग क्षेत्र में महाप्रबंधक कार्यालय, इंडोर स्टेडियम और बड़का सयाल, रामगढ़ क्षेत्र, सीसीएल, झारखंड में इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम और ईटीपी के निर्माण के लिए वास्तुकला और संबंध परामर्श सेवाएं।
- 3) एमसीएल के लखनपुर क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कायाकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबंध परामर्श सेवाएं।
- 4) एमसीएल के हिंगुला क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कायाकल्प

- के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- 5) एमसीएल के लिंगराज क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
  - 6) एमसीएल के जगन्नाथ क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
  - 7) भरतपुर क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
  - 8) तालचर क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
  - 9) एमसीएल के आईबी वैली क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
  - 10) एमसीएल मुख्यालय, संबलपुर में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
  - 11) केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर, सीसीएल रांची से उत्पन्न तरल अपशिष्ट के लिए 25 केएलडी क्षमता के अपशिष्ट उपचार संयंत्र की योजना, जांच, डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निर्माण, स्थापना, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, ट्रायल रन और कमीशनिंग, जिसमें सभी सिविल, संरचनात्मक, विद्युत और यांत्रिक कार्य और अन्य सभी सहायक उपकरण और सुविधाएं शामिल हैं, जो टर्नकी आधार पर सभी तरह से इसे पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें छह साल का संचालन और 01 वर्ष की वारंटी अवधि के बाद पांच साल के लिए संयंत्र का व्यापक रखरखाव शामिल है।
  - 12) कोनार ओसीपी, बी एंड के क्षेत्र, सीसीएल, बोकारो , जिला , झारखंड के लिए सभी बुनियादी ढांचे के साथ आवासीय और सेवा भवनों का निर्माण शामिल है।
  - 13) नईसराय , रामगढ़ सीसीएल में 80 केएलडी (पूर्व उपचार के लिए 25 केएलडी के ईटीपी सहित) के एसटीपी की योजना, जांच, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, ट्रायल रन और कमीशनिंग।
  - 14) सीसीएल, रांची के जीएम यूनिट के तहत बीटीटीआई, भुरकुंडा में बरका - सयाल क्षेत्र के जीएम कार्यालय के लिए सामुदायिक भवनों सहित जीएम कार्यालय और नई टाउनशिप का निर्माण के लिए वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
  - 15) जारंगडीह ओसीपी, कथारा क्षेत्र, सीसीएल में विभिन्न सामुदायिक भवनों के विध्वंस और पुनर्निर्माण के लिए वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
  - 16) दीपका क्षेत्र में पार्किंग के लिए भूतल (स्टिल्ट) और रहने योग्य मंजिलों के साथ मोनोलिथिक/

पारंपरिक आरसीसी निर्माण के साथ बहुमंजिला आवासीय प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण और संबद्ध बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।

- 17) गेवरा क्षेत्र, एसईसीएल में पार्किंग के लिए भूतल (स्टिल्ट) और रहने योग्य मंजिलों के साथ मोनोलिथिक/पारंपरिक आरसीसी निर्माण के साथ बहुमंजिला आवासीय प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण और संबद्ध बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- 18) कुसमुंडा क्षेत्र में पार्किंग के लिए भूतल (स्टिल्ट) और रहने योग्य मंजिलों के साथ मोनोलिथिक/पारंपरिक आरसीसी निर्माण के साथ बहुमंजिला आवासीय प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्यूसी) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- 19) घरघोड़ा, रायगढ़ क्षेत्र, एसईसीएल में पार्किंग के लिए भूतल (स्टिल्ट) और रहने योग्य मंजिलों के साथ मोनोलिथिक/पारंपरिक आरसीसी निर्माण के साथ बहुमंजिला आवासीय प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- 20) योजना, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, स्थापना, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, ट्रायल रन और 03 नगों की कमीशनिंग अस्पताल कॉलोनी, लापंगा कॉलोनी और पटेल नगर के लिए अनुक्रमिक बैच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक पर आधारित 200 केएलडी क्षमता के एसटीपी सीसीएल के बरका-सयाल क्षेत्र के नगर कॉलोनी में सभी सिविल, संरचनात्मक, विद्युत और यांत्रिक कार्य और अन्य सभी सहायक उपकरण और सुविधाएं शामिल हैं,

जिसमें पूर्ण सीवेज नेटवर्क का निर्माण भी शामिल है, ताकि इसे टर्नकी आधार पर सभी तरह से पूर्ण बनाया जा सके, जिसमें छह साल के लिए संचालन और 01 वर्ष की वारंटी अवधि के बाद पांच साल के लिए संयंत्र और अन्य बुनियादी ढांचे का व्यापक रखरखाव शामिल है।

- 21) उरीमारी परियोजना, बरका सयाल क्षेत्र, सीसीएल में ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- 22) नईसराय कॉलोनी, सीसीएल रांची में अस्पताल भवन सहित विभिन्न आरसीसी फ्रेमयुक्त संरचनाओं और चिनाई संरचनाओं के संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक सदस्यों के सुदृढ़ीकरण, रेट्रोफिटिंग, पुनर्वास के लिए वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- 23) एमसीएल के महालक्ष्मी क्षेत्र में जीएम कार्यालय महालक्ष्मी क्षेत्र सह सियारमल ओसीपी के परियोजना कार्यालय के निर्माण के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- 24) एमसीएल के जगन्नाथ क्षेत्र में समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (जीवीटीसी) के निर्माण के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- 25) एमसीएल के विभिन्न स्थानों पर 3 इको पार्क के विकास के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध कार्य।
  1. हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत बलराम ओसीपी के गांधीसागर में श्रमिक गौरव वाटर पार्क
  2. लखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत लिलारी ओसीपी में इको पार्क (द्वितीय चरण)
  3. ओरिएंट क्षेत्र के अंतर्गत ओरिएंट कोलियरी खदान संख्या 04 में इको पार्क (द्वितीय चरण)

- 26) आईआईसीएम में खेल परिसर के साथ-साथ संबद्ध अवसंरचनाओं के निर्माण" के लिए वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- 27) धनबाद , बीसीसीएल में नए ओपीडी भवन का निर्माण" के लिए वास्तुकला और संबद्ध कार्य।
- 28) सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की योजना, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए पीएमसी सेवाएं ।
- 29) डब्ल्यूसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की योजना, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए पीएमसी सेवाएं ।

## 8.2 एफएमसी और अन्य परियोजनाओं की डिजाइन/ड्राइंग स्कूटिनी

- 1) भोजपूरी के लिए डिजाइन/ड्राइंग की जांच वाशरी , बीसीसीएल.
- 2) पाथरडीह के लिए डिजाइन/ड्राइंग की जांच वाशरी , बीसीसीएल.
- 3) राजमहल सीएचपी, ईसीएल के लिए डिजाइन/ड्राइंग की जांच ।
- 4) झांझरा सीएचपी, ईसीएल के लिए डिजाइन/ड्राइंग की जांच ।
- 5) ब्लॉक-बी सीएचपी, एनसीएल के लिए डिजाइन/ड्राइंग की जांच।
- 6) कनिहा सीएचपी, एमसीएल के लिए डिजाइन/ड्राइंग की जांच ।
- 7) गेवरा 5 एवं 6 साइलो, एसईसीएल के लिए डिजाइन /ड्राइंग की जांच ।
- 8) हुरा-सी सीएचपी, ईसीएल के लिए डिजाइन/ड्राइंग की जांच।
- 9) अमलोहरी ओसीपी में 190 टी डम्पर मरम्मत कार्यशाला की ड्राइंग जांच
- 10) ब्लॉक बी ओसीपी कार्यशाला, एनसीएल की ड्राइंग जांच।

- 11) एनसीएल के जयंत ओसीपी में 190 टी डम्पर मरम्मत कार्यशाला की ड्राइंग जांच।
- 12) सीडब्ल्यूएस जयंत (उन्नयन), एनसीएल की ड्राइंग जांच।
- 13) जयंत ओसीपी सेकेंडरी साइजर, एनसीएल की ड्राइंग जांच।
- 14) पाथरडीह , न्यू वाशरी , बीसीसीएल के बीओबीआर ट्रैक हॉपर की ड्राइंग जांच ।
- 15) एडब्ल्यूपी 2023-24 के अनुसार दुधिचुआ ओसीपी, एनसीएल में कार्यशाला और स्टोर के चित्रों/दस्तावेजों की जांच ।
- 16) आरजीओसी 3 6 सीएचपी, आरजी 2 क्षेत्र, एससीसीएल में कोयला हैंडलिंग संयंत्र के लिए डिजाइन/ड्राइंग की जांच।

## 8.3 परियोजना नियोजन कार्य:

### क. पीआर तैयारी/ निम्न के सिविल भाग की अद्यतन लागत

1. तलईपल्ली (25 एमटीवाई), एनटीपीसी
2. ब्लॉक ई (15.0 एमटीवाई), बीसीसीएल
3. क्यादा चौधर गरियापानी , ईसीएल
4. आरसीई का हुरा -सी ओसीपी ऑफ ईसीएल.
5. चुपरभिता-सिमलॉग ओसीपी, राजमहल क्षेत्र के लिए संयुक्त पीआर और अनुकूलित एमडीओ दस्तावेजों की तैयारी ।
6. जीवनधारा (2.5 एमटीवाई), सीसीएल

ख. वर्ष भर में पीएडी द्वारा तकनीकी जांच के लिए इस विभाग को भेजी गई 18 रिपोर्टों के लिए पीआर/आरपीआर की तकनीकी जांच की गई।

## 8.4 सिविल एवं वास्तुकला विस्तृत डिजाइन एवं ड्राइंग कार्य:

- 1) कथारा क्षेत्र के जारंगडीह ओसीपी (1.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष ) के संबंध में उत्खनन कार्यशाला और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए डिजाइन, संरचनात्मक ड्राइंग, विस्तृत अनुमान आदि की तैयारी।



- 2) एमसीएल के समलेश्वरी ओसीपी के लिए रेलवे साइडिंग की परिधि के साथ पवन अवरोध प्रणाली के साथ चारदीवारी का डिजाइन।
- 3) 4.0 एमटीपीए के लिए झिंगुरदा ओसीपी की संशोधित खान योजना के अनुसार ईटीपी का स्थानांतरण।

## 8.5 जल विज्ञान अध्ययन से सम्बंधित कार्य:

- 1) ईसीएल के बैकोला क्षेत्र के नकरकोंडा-कुमारडीही बी कोलियरी में टुमनी नाला के मोड़ का अध्ययन।
- 2) पतरातू एबीसी, यूजीपी, संघमित्रा ओसीपी, चंद्रगुप्त ओसीपी, पुंडी ओसीपी, अशोक एक्सप्लोरेशन और अरगडा ओसीपी में 06 नालों के डायवर्जन का अध्ययन।
- 3) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के महालक्ष्मी क्षेत्र में सियारमल ओपन कास्ट परियोजना में बसुंधरा नदी, चतुर्धारा / तेलेंद्र नाला, और छतझोर नाला के जल निकास के साथ तटबंध का वैज्ञानिक अध्ययन और डिजाइन
- 4) दामोदर नदी के एचएफएल के विरुद्ध 1100 मीटर लंबे तटबंध के इंजीनियरिंग डिजाइन और मजबूती के लिए वैज्ञानिक अध्ययन।
- 5) बंगारू का डिजाइन भरतपुर ओसीपी, एमसीएल के लिए नाला डायवर्जन।
- 6) सुपाई का जल विज्ञान संबंधी अध्ययन बैतरणी पश्चिम कोयला खदान, तालचेर कोयला क्षेत्र, ओएमसी के लिए नाला।
- 7) ब्लॉक ई परियोजना, बीसीसीएल के लिए कटरी नदी पर कंक्रीट लाइनिंग का डिजाइन।

## 8.6 बाहरी कार्य:

- 1) ईपीसी मोड पर आरजीओसी 3 6 सीएचपी, आरजी 2 क्षेत्र में कोयला हैंडलिंग संयंत्र की स्थापना के लिए परामर्श सेवा अनुबंध।

## 8.7 निविदा दस्तावेज/अनुमान तैयार करना:

- 1) बसुंधरा क्षेत्र कॉलोनी के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवेज नेटवर्क के लिए योजना और टर्नकी निविदा दस्तावेज तैयार करना।

- 2) मोहनपुर ओसीपी ( फेज- II), सालनपुर क्षेत्र, ईसीएल के कोयला हैंडलिंग प्लांट (2.5 एमटीवाई) के लिए एनआईटी, अनुमान (वॉल्यूम II और III) की तैयारी।
- 3) बोन्जेमहेरी ओसीपी, सालनपुर क्षेत्र, ईसीएल में 2X2एमवीए, 11केवी/3.3केवी सबस्टेशन के निर्माण के लिए एनआईटी।
- 4) तापिन दक्षिण ओसीपी, हजारबाग क्षेत्र, सीसीएल में 2X1.6 एमवीए, 11 केवी/3.3 केवी सबस्टेशन के निर्माण के लिए एनआईटी।
- 5) कृष्णशिला सीएचपी, एनसीएल में सेकेंडरी साइजर्स के लिए एनआईटी/निविदा दस्तावेज।
- 6) निगाही ओसीपी, एनसीएल में रेलवे साइडिंग, सीएचपी और ओबी डंप क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क के किनारे स्थिर जल छिड़काव प्रणाली (फॉग-मिस्ट) प्रकार की स्थापना की योजना।
- 7) ईटीपी और एसटीपी का संशोधन और दुधिचुआ परियोजना, एनसीएल के लिए एनआईटी की तैयारी।
- 8) मौजूदा जयंत सीएचपी, एनसीएल में सेकेंडरी साइजर्स (-100 मिमी) की स्थापना के लिए एनआईटी (तकनीकी और वाणिज्यिक) की तैयारी।
- 9) गिददी में 33 केवी / 11 केवी / 3.3 केवी सबस्टेशन के निर्माण के लिए एनआईटी और लागत अनुमान की तैयारी वाशरी, अरगडा क्षेत्र, सीसीएल।
- 10) ककरी अमलगमेशन ओसीपी, एनसीएल (14 एमटी) में नई कार्यशाला और स्टोर के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और कमीशनिंग के लिए एनआईटी।
- 11) 15 मीट्रिक टन क्षमता के चंद्रगुप्त सीएचपी के लिए अनुमान तैयार करने हेतु परामर्श सेवाएं।
- 12) सीएचपी, बीना परियोजना, एनसीएल में जाइरेटरी क्रशर हाउस, 1 सी टनल और एमसीसी 2 के आसपास सिविल कार्यों के लिए डीपीआर और टर्नकी निविदा दस्तावेज तैयार करना।
- 13) एनसीएल के ब्लॉक-बी ओसीपी की ओवरहेड लाइन के स्थानांतरण के लिए एनआईटी/निविदा दस्तावेज।

- 14) केदला में एचईएमएम शेड के निर्माण के लिए एनआईटी की तैयारी वाशरी , हजारीबाग क्षेत्र, सीसीएल।
- 15) एसईसीएल के कोरबा क्षेत्र के मानिकपुर ओसीपी (3.5 एमटीवाई ) में इनपिट क्रशिंग व्यवस्था के लिए एनआईटी की तैयारी ।
- 16) चूरी यू/जी खदान, एनके क्षेत्र, सीसीएल में मौजूदा सतह मुख्य बेल्ट कन्वेयर के नवीनीकरण कार्य के लिए निविदा दस्तावेज तैयार करना।
- 17) कुसुंडा क्षेत्र में कन्वेयर परिवहन प्रणाली (विशेष रूप से उपयुक्तता के अनुसार पाइप कन्वेयर परिवहन प्रणाली) की स्थापना के लिए विस्तृत तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना और डीपीआर भी तैयार करना।
- 18) अमलोहरी परियोजना में सीएचपी चरण-I (पुराने सीएचपी) में धूल निष्कर्षण और वेंटिलेशन सिस्टम के लिए एनआईटी/निविदा दस्तावेज तैयार करना।
- 19) खड़िया परियोजना में कार्यशाला/रनिंग रिपेयर डम्पर शेड के लिए योजना, डिजाइन, आकलन और एनआईटी तैयारी।
- 20) एबीओसीपी खदान से 5 एमटीपीए, मधुबन वाशरी, बीसीसीएल तक कोयले के लिए आवश्यक बेल्ट कन्वेयर की संपूर्ण डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, सिविल कार्य, स्थापना परीक्षण, कमीशनिंग के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट और एनआईटी तैयार करना।
- 21) बलंदा सबस्टेशन, एमसीएल के निर्माण के लिए एनआईटी की तैयारी ।

#### 8.8 योजना/रिपोर्ट तैयार करना:

- 1) शताब्दी चिकित्सालय (एनएससी), अस्पताल, जयंत, एनसीएल में अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए योजना की तैयारी ।
- 2) बसुंधरा क्षेत्र कॉलोनी, एमसीएल के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवेज नेटवर्क के लिए योजना और टर्नकी निविदा दस्तावेज तैयार करना।

- 3) कृष्णशिला परियोजना, एनसीएल में आगामी 4 एमटीवाई सीएचपी में सेकेंडरी साइजर (-100 मिमी) की स्थापना के लिए योजना की तैयारी।
- 4) नेहरू प्रशासनिक भवन, एसईसीएल, मुख्यालय के लिए सीवेज उपचार संयंत्र (उन्नत निर्मित आर्द्रभूमि प्रणाली पर आधारित) की योजना तैयार करना।
- 5) निगाही परियोजना की सीटीई (22.50 एमटीपीए) की तत्काल अनुपालन शर्त के लिए निगाही के मौजूदा ईटीपी के उन्नयन के लिए योजना, डिजाइन और चित्र तैयार करना।
- 6) शताब्दी चिकित्सालय (एनएससी), अस्पताल, जयंत, एनसीएल में अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए योजना की तैयारी ।
- 7) ज़ाम्बेज़ के लिए डीपीआर की तैयारी ।
- 8) बलराम ओसीपी (15 मीट्रिक टन ), हिंगुला क्षेत्र, एमसीएल में सीएचपी/साइलो के काम के लिए लागत अनुमान के साथ योजना की तैयारी ।

#### 8.9 एमओसी से कार्य:

- 1) पीएम- गति शक्ति के लिए सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) पोर्टल में सीएमपीडीआई के भूमि विवरण (कुल 7 पार्सल) और भवन विवरण (कुल 128 पार्सल) का समय पर और पूर्ण अद्यतन ।



चित्र 1 सीसीएल के बरकासयाल क्षेत्र में प्रस्तावित जीएम कार्यालय ।



चित्र 2 बरकासयाल क्षेत्र, सीसीएल में प्रस्तावित टाउनशिप ।



चित्र 3 डीएवी उरीमारी , बरका का सभागार सयाल क्षेत्र, सीसीएल .



चित्र 4 दरभंगा हाउस, सीसीएल में बहुस्तरीय कार पार्किंग

## 9 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवाएं

वित्त वर्ष 2023-24 में किए गए कार्य

### 9.1 खान योजना (बुनियादी ढांचा)

➤ परियोजना रिपोर्ट की तैयारी

✓ मुख्यालय

- जीवनधारा ओसीपी, बरका सयाल क्षेत्र, सीसीएल
- प्रस्तावित पुनर्गठित ओपनकास्ट ब्लॉक ई
- मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड की तलाईपल्ली कोयला खदान की बंद करने की योजना, खान योजना और व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी।
- चुपरभिता-सिमलॉग ओसीपी (6 एमटीवाई)
- प्रस्तावित ज़ाम्बेज़ ओसी, मोज़ाम्बिक के लिए सीएचपीपी के लिए डीपीआर

### ✓ क्षेत्रीय संस्थान ।

- पारस्कूल जामबाद यूजी के लिए पीआर
- नबकाजोरा माधवपुर यूजी के लिए पीआर
- निमचा यूजी के लिए पी.आर.
- संग्रामगढ़ ओ.सी. के लिए पी.आर.
- रंगमती यूजी के लिए पीआर

### ✓ क्षेत्रीय संस्थान II

- फुलवारीटांड कोलियरी और अमलगमेटेड ब्लॉक -II ओसीपी, ब्लॉक क्षेत्र (1.92 मीट्रिक टन) के शुद्ध बेनीडीह इनक्लाइन की संयुक्त संपत्ति में यूजी खनन के लिए पीआर
- कल्याणेश्वरी ओसी को सेल के रामनगर ब्लॉक, सीवी क्षेत्र (4.0 मीट्रिक टन) की संपत्ति के साथ मिलाने के लिए पीआर
- एकीकृत एनटी-एसटी कुजामा ओसीपी (8.50 मीट्रिक टन) के आरपीआर के एमडीओ निविदा के लिए व्यवहार्यता मूल्यांकन

### ✓ क्षेत्रीय संस्थान III

- उत्तर धाधु (3.0 एमटीवाई), एनएलसी
- रोहने ओसीपी (8.0 एमटीवाई), एनएमडीसी
- संघमित्रा ओसीपी (20.0 एमटीवाई)
- बोकारो ओसीपी (2.0 एमटीवाई)





#### क्षेत्रीय संस्थान IV

- वाघोडा (1.02 मीट्रिक टन) यूजी, डब्ल्यूसीएल
- गौरी सेंट्रल (7.0 मीट्रिक टन) ओसीएम, डब्ल्यूसीएल
- बोर्डा (3.06 मीट्रिक टन) यूजी, डब्ल्यूसीएल
- गोंडेगांव (4.0 मीट्रिक टन), डब्ल्यूसीएल ओसीएम
- अनंत (3.37 मीट्रिक टन) यूजी, एमसीएल
- नीलगांव ओसी (2.0 मीट्रिक टन), डब्ल्यूसीएल
- कोलार पिंपरी ओसी, डब्ल्यूसीएल
- अमलगमेटेड गौरी पौनी OC (9.0 मीट्रिक टन), WCL
- थिसगोरा यूजी (2.5 मीट्रिक टन), डब्ल्यूसीएल
- पेंगागा ओसीएम (2.5 मीट्रिक टन), डब्ल्यूसीएल
- टांडसी यूजी, डब्ल्यूसीएल



#### क्षेत्रीय संस्थान V

- कुसमुंडा OC विस्तार (50-75 मीट्रिक टन)
- मानिकपुर OC विस्तार (3.5-6 मीट्रिक टन)
- बगदेवा यूजी 1.08 मीट्रिक टन
- मालाचुआ यूजी 1.08 मीट्रिक टन
- केवाई यूजी 5एमटीवाई
- अमृतधारा यूजी 0.96 मीट्रिक टन
- ओंगाओ पोटिया OC 8Mty
- रेहर यूजी 1.56 मीट्रिक टन
- मालाचुआ यूजी 1.44एमटीवाई
- बदौली यूजी 1.44एमटीवाई
- बगदेवा यूजी 1.08एमटीवाई
- नंदीरा यूजी 0.78एमटीवाई, एमसीएल



#### क्षेत्रीय संस्थान VI

- जयंत ओसीपी की ईपीआर (38 एमटीपीए)

#### परियोजना रिपोर्ट / लागत अनुमान का अद्यतनीकरण

##### क्षेत्रीय संस्थान II

- चंद्रपुरा ओसीपी के लिए पुनर्निर्धारित पी. आर. (1.50 मीट्रिक टन)

- कपूरिया यूजी पीआर (1.83 मीट्रिक टन) की वर्तमान व्यवहार्यता/उपयुक्तता का अद्यतनीकरण

#### क्षेत्रीय संस्थान V

- दुर्गापुर ओसीपी 6एमटीवाई का पीआर
- झिरिया पश्चिम ओसीपी 1.5Mty का पीआर
- मदननगर एमडीओ ओसीपी 12 एमटीवाई के पीआर
- राजेंद्र करकट्टी यूजी का पीआर 0.87 एमटी

#### 9.2 कोयला हैंडलिंग प्लांट: ई-टेंडर दस्तावेजों की तैयारी:



#### मुख्यालय

- आमपाली सीएचपी (25 एमटीवाई), एनसीएल का एनआईटी
- सीसीएल के चुरी यूजी के सतह बेल्ट सीएचपी के नवीनीकरण के लिए एनआईटी
- चंद्रगुप्त सीएचपी, सीसीएल के लिए योजना



#### क्षेत्रीय संस्थान III

- मगध सीएचपी के लिए एनआईटी (51.0 मीट्रिक टन)
- कारो सीएचपी (7.0 एमटीवाई) के लिए एनआईटी।
- मगध ओसीपी (10.0 मीट्रिक टन) से एनटीपीसी बेल्ट कन्वेयर को वैकल्पिक कोयला फीडिंग व्यवस्था के लिए एनआईटी
- मगध ओसीपी में एनटीपीसी बेल्ट को वैकल्पिक कोयला आपूर्ति व्यवस्था के लिए योजना की तैयारी



#### क्षेत्रीय संस्थान IV

- गौरी-पौनी-सस्ती ओसी परियोजना, बल्लारपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल (10 एमटीवाई)
- मकरधोकरा-I OC विस्तार परियोजना, उमरेर क्षेत्र, WCL. (4.90 MTY)
- अमलगमेटेड धनकसा-जमुनिया, पेंच क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल (2.0 एमटीवाई)



## ✓ क्षेत्रीय संस्थान V

- रामपुर बटुरा ओसीपी का सीएचपी (4 मीट्रिक टन)
- पोरडा चिमटापानी ओसीपी के लिए सीएचपी (10 मीट्रिक टन)

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान VI

- मौजूदा अमलोहरी ओसीपी सीएचपी (10 एमटीपीए) में सेकेंडरी साइजर की स्थापना के लिए एनआईटी।

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान VII

- कुल्दा गर्जनबहाल ओसीपी से सरडेगा सीएचपी (यू/सी) तक स्वतंत्र टीआरएच और पाइप कन्वेयर के साथ कोयला निकासी प्रणाली (12.5 एमटीवाई) के कार्य के लिए योजना, निविदा दस्तावेज और लागत अनुमान
- बरपाली बल्ब, बसुंधरा क्षेत्र में कुल्दा-गर्जनबहाल ओसीपी के लिए 3 साइलो के माध्यम से कोयला निकासी प्रणाली और प्रेषण के लिए निविदा-दस्तावेज और लागत अनुमान तैयार करना
- योजना/ई-एनआईटी लखनपुर टीएलएस से सड़क पर बिकने वाले ट्रकों में पे लोडर लोडिंग की प्रथा समाप्त हो जाएगी।
- लखनपुर क्षेत्र (चरण-II), 20 मीट्रिक टन में सीएचपी/एसआईएलओ के कार्य के लिए निविदा दस्तावेज और लागत अनुमान तैयार करना।
- रिपोर्ट, चित्र, योजना, परीक्षण रिपोर्ट और बीओक्यू की जांच और पुराने भरतपुर सीएचपी, एमसीएल के नवीनीकरण की योजना और डिजाइन

## 9.3 कार्यशाला एवं स्टोर: ई-निविदा दस्तावेजों की तैयारी

### ✓ मुख्यालय

- केदला वाशरी में एचईएमएम शेड के लिए एनआईटी।

- खड़िया परियोजना में कार्यशाला/चल मरम्मत डम्पर शेड के लिए एनआईटी की तैयारी।
- कुसुंडा क्षेत्र, बीसीसीएल में कन्वेयर परिवहन प्रणाली की स्थापना के लिए डीपीआर और व्यवहार्यता रिपोर्ट
- कृष्णशिला परियोजना (04 मीट्रिक टन), एनसीएल में द्वितीयक साइजर (-100 मिमी) की स्थापना की योजना
- जारंगडीह ओसीपी (1.5 एमटीवाई), कथारा क्षेत्र, सीसीएल के संबंध में उत्खनन कार्यशाला और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए डिजाइन, संरचनात्मक ड्राइंग, विस्तृत अनुमान आदि की तैयारी।

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान V

- कुसमुंडा ओसीपी में पुराने वर्कशॉप नंबर-1 का नवीनीकरण/उन्नयन

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान VII

लखनपुर- बेलपहाड़- लिलारी एकीकृत परियोजना की अनुमोदित परियोजना के अंतर्गत स्टोर के साथ-साथ एचईएमएम और ईएंडएम कार्यशाला परिसर का निर्माण।

## 9.4 सबस्टेशन: ई-टेंडर दस्तावेजों की तैयारी

### ✓ क्षेत्रीय संस्थान I

- श्यामसुंदरपुर सबस्टेशन 2x7.5 एमवीए - 33 केवी / 3.3 केवी के लिए एनआईटी तैयारी ।
- नकरकोंडा कुमारडीह बी सबस्टेशन 2 x 4 एमवीए, 33 केवी/6.6 केवी के लिए एनआईटी तैयारी।

### ✓ क्षेत्रीय संस्थान III

- रजरप्पा सबस्टेशन के लिए योजना और निविदा दस्तावेज।
- एमआरएसएस बीएंडके सबस्टेशन के लिए योजना और निविदा दस्तावेज।

- कल्याणी ओसीपी, ढोरी क्षेत्र में 33 केवी स्विचिंग स्टेशन सह सबस्टेशन के लिए योजना और निविदा दस्तावेज। (ड्राफ्ट प्रस्तुत)

#### 9.5 सीएचपी/वर्कशॉप/सबस्टेशन के चित्रों की जांच/अनुमोदन

##### ✓ मुख्यालय

- सीडब्ल्यूएस जयंत (उन्नयन) की ड्राइंग जांच
- मौजूदा जयंत सीएचपी (10 एमटीपीए) में 4 सेकेंडरी साइजर्स की स्थापना और कन्वेयर सी13 के नवीनीकरण की ड्राइंग जांच।
- हुरा-सी ओसीपी की ड्राइंग की जांच
- राजमहल सीएचपी (10 एमटीपीए) की ड्राइंग स्कूटनी
- कनिहा सीएचपी (10 एमटीपीए) की ड्राइंग जांच
- आरजी ओसी सीएचपी की ड्राइंग जांच
- ब्लॉक बी सीएचपी की ड्राइंग जांच
- झांझरा सीएचपी की ड्राइंग स्कूटनी
- दुधिचुआ कार्यशाला की ड्राइंग जांच
- ब्लॉक बी कार्यशाला की ड्राइंग जांच

##### ✓ क्षेत्रीय संस्थान I

- सीएचपी की जांच का आरेखण
- कुमारडीह बी, बंकोला क्षेत्र
- उप-स्टेशनों की ड्राइंग जांच
- सोनपुर बाजारी क्षेत्र के भटमुरा सबस्टेशन 2x10 एमवीए, 33kV/6.6KV की ड्राइंग जांच
- झांझरा सबस्टेशन 2x10 एमवीए, 33kV/6.6KV की ड्राइंग जांच

##### ✓ क्षेत्रीय संस्थान III

- कोनार सीएचपी की ड्राइंग संवीक्षा।

##### ✓ क्षेत्रीय संस्थान IV

- सीएचपी की जांच का आरेखण
- मुंगोली-निरगुडा ओसीएम (10 एमटीवाई) सीएचपी, वानी क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल
- बरौद ओसीएम (10 एमटीवाई) सीएचपी, रायगढ़ क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल
- दिनेश ओसीएम (8 एमटीवाई) सीएचपी, उमरेर एरिया, डब्ल्यूसीएल
- उप-स्टेशनों की ड्राइंग जांच
- दिनेश मकरधोकरा ओसीएम के लिए 33kV/11kV, 6.3 MVA और 33kV/6.6kV, 7.5 MVA सबस्टेशन

##### ✓ क्षेत्रीय संस्थान V

- सीएचपी की जांच:
  - क) गेवरा चरण-II
  - ख) दीपका मैकेनाइज्ड साइडिंग (25 मीट्रिक टन)
  - ग) छाल सीएचपी (6 मीट्रिक टन)
  - घ) मानिकपुर सीएचपी (5 मीट्रिक टन)
  - ड) कुसमुंडा चरण-III (40 मीट्रिक टन)
  - च) पूर्व वजन हॉपर साइलो 3 और 4 गेवरा
- सबस्टेशन की ड्राइंग जांच:
  - क) गेवरा ओसीपी पर 3 नं. 33 केवी सबस्टेशन (35-70 मीट्रिक टन)
  - ख) बारौद ओसीपी (10 मीट्रिक टन) में 33 केवी सबस्टेशन।
  - ग) छाल ओ.सी.पी. पर 33 के.वी. सबस्टेशन।
  - घ) कुसमुंडा क्षेत्र में 33 केवी टाउनशिप सबस्टेशन।

##### ✓ क्षेत्रीय संस्थान VI

- एनसीएल के निगाही सीएचपी (10 एमटीपीए) की ड्राइंग स्कूटनी।
- एनसीएल के बीना सीएचपी (9.5 एमटीपीए) की ड्राइंग स्कूटनी।

- एनसीएल परियोजनाओं के बीना स्विचिंग उप-स्टेशन की ड्राइंग जांच।
- एनसीएल परियोजनाओं के निगाही उप-स्टेशन की ड्राइंग जांच।
- ✓ **क्षेत्रीय संस्थान VII**
  - भुवनेश्वर सीएचपी, फेज-II (15 मीट्रिक टन) के लिए ड्राइंग की जांच
  - अनंता सीएचपी (20 मीट्रिक टन) के लिए जांच का आरेखण
  - गर्जनबहाल ओसीपी में 33/6.6 केवी परियोजना सबस्टेशन और 33 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए ड्राइंग की जांच
  - सरडेगा सीएचपी द्वारा कन्वेयर द्वारा कोयला परिवहन तथा महालक्ष्मी क्षेत्र में 20 मीट्रिक टन क्षमता वाले रैपिड लोडिंग सिस्टम (आरएलएस) के साथ सर्ज बिन के माध्यम से प्रेषण के लिए जांच की जा रही है।
  - हिंगुला क्षेत्र के हिंगुला ओसीपी में टीएच-2 पर पाइप कन्वेयर के शीर्ष सिरे से साइलो (निर्माणाधीन) तक कोयला परिवहन (10 एमटीवाई) के लिए सीएचपी के निर्माण के लिए ड्राइंग जांच
- 9.6 **ऊर्जा लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग**
  - मुख्यालय, रांची द्वारा निम्नलिखित सहायक कंपनियों के लिए सत्तासी (87) खुली खदानों + सीसीएल (मुख्यालय) की 1 खदान के लिए वार्षिक डीजल बेंचमार्किंग
    - ✓ **मुख्यालय**
      - बीसीसीएल के 11 ओसीपी
      - कुल मिलाकर 28 ओ.सी.पी.+ सी.सी.एल.
      - ईसीएल के 07 ओसीपी
      - एमसीएल के 12 ओसीपी
      - एनसीएल के 10 ओसीपी
      - एसईसीएल के 01 ओसीपी
      - डब्ल्यूसीएल के 15 ओसीपी
    - ✓ **क्षेत्रीय संस्थान III**
      - जारंगडीह ओसीपी, सीसीएल
      - सिरका ओसीपी, सीसीएल
      - पुंडी ओसीपी, सीसीएल
    - **विस्तृत डीजल बेंचमार्किंग**
      - ✓ **मुख्यालय**
        - गेवरा और कुसमुंडा ओसीपी, एसईसीएल (अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत)
      - ✓ **क्षेत्रीय संस्थान II**
        - गेवरा और कुसमुंडा (मुख्यालय परियोजना)
      - ✓ **क्षेत्रीय संस्थान VI**
        - बीना ओसीपी का डीजल ऑडिट
      - **विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग**
        - ✓ **मुख्यालय**
          - एएमपी कोलियरी, बीसीसीएल
          - दामोदा कोलियरी, बीसीसीएल
          - गिद्दी ए, अरगाडा क्षेत्र
          - सिरक ओसी, अरगाडा क्षेत्र
          - जारंगडीह, कथारा क्षेत्र
          - डाकरा ओसीपी, एनके क्षेत्र
          - एमकेडी-I, उमरेर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल
          - एमकेडी-III, उमरेर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल
        - ✓ **क्षेत्रीय संस्थान II**
          - एबीओसीपी (विभागीय) एवं मधुबंद डी/जी सबस्टेशन
        - ✓ **क्षेत्रीय संस्थान III**
          - उत्तर उरीमारी ओसीपी, सीसीएल
        - ✓ **रोशनी सर्वेक्षण**
        - ✓ **क्षेत्रीय संस्थान II**
          - बीसीसीएल का बस्ताकोला ओसीपी
          - बीसीसीएल के कुया ओसीपी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान VI**

- खड़िया ओ.सी.पी.
- ब्लॉक-बी ओ.सी.पी.
- दुधिचुआ ओ.सी.पी.

**9.7 विद्युत आपूर्ति और वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली**

✓ **मुख्यालय**

- सीसीएल के अरगडा क्षेत्र के गिददी वाशरी में 33 केवी/11 केवी/3.3 केवी सबस्टेशन के निर्माण के लिए एनआईटी और लागत अनुमान तैयार करना।
- सीसीएल के ओसीपी के तापिन साउथ में स्विच यार्ड और बाउंड्री वॉल के साथ 2x1.6 एमवीए, 11 केवी/3.9 केवी सबस्टेशन के निर्माण के लिए एनआईटी।
- ब्लॉक-बी ओसीपी की ओएच लाइन के स्थानांतरण के लिए एनआईटी/निविदा दस्तावेज
- D.33/11 केवी केंद्रीय सबस्टेशन, बलंदा, जगन्नाथ क्षेत्र का नवीनीकरण।

✓ **क्षेत्रीय संस्थान II**

- कल्याणेश्वरी ओसीपी के लिए अनुमान और लेआउट ड्राइंग
- एकीकृत ब्लॉक-II और शुद्ध बेनिडीह यू/जी खदान के लिए अनुमान और लेआउट ड्राइंग

✓ **क्षेत्रीय संस्थान IV**

- एमाल्गमेटेड इंदर कैम्पटी (डीप) ओसी सबस्टेशन, 2X5MVA, 33/6.6kV
- साओनेर सबस्टेशन, 2X5MVA, 33/3.3kV
- धनकसा सबस्टेशन, 2X6.3MVA, 33/6.6kV
- निलजाई सबस्टेशन, 2X7.5MVA, 33/6.6kV

✓ **क्षेत्रीय संस्थान V**

- 33kV सबस्टेशन बरौद ओसीपी, रायगढ़ क्षेत्र के लिए एनआईटी
- 132kV सबस्टेशन बरौद ओसीपी, रायगढ़ क्षेत्र के लिए एनआईटी
- 33kV सबस्टेशन मानिकपुर ओसीपी, कोरबा क्षेत्र के लिए एनआईटी
- 2X10 MVA, 33/6.6kV सबस्टेशन दीपका OCP के लिए एनआईटी
- कुसमुंडा क्षेत्र में 33/6.6-3.3 केवीटाउनशिप सबस्टेशन के लिए एनआईटी
- कंचन ओसीपी, जोहिल्ला क्षेत्र में 2X 2.5MVA 33/3.3Kv के लिए एनआईटी
- शिवानी यूजी, भटगांव क्षेत्र में 2X 4MVA 33/3.3Kv के लिए एनआईटी
- एनएसएन कॉलोनी एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में 2X3.15 एमवीए 33/0.433 केवी सबस्टेशन के लिए एनआईटी
- 33kV सबस्टेशन कटकोना यूजी, बैकुंठपुर क्षेत्र के लिए एनआईटी
- गोवरा ओसीपी में स्टील टावरों पर 33 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के पुनः टेंडर के लिए एनआईटी
- दीपका ओसीपी में स्टील टावरों पर 33 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की एनआईटी

✓ **क्षेत्रीय संस्थान VII**

- लखनपुर-बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी की एकीकृत पीआर के अनुसार दक्षिण खदान में 3X12.5 एमवीए, 33/6.6/3.3 केवी सबस्टेशन और 132/33 केवी जोराबगा सबस्टेशन से दक्षिण खदान लखनपुर क्षेत्र, एमसीएल में फेज-II सबस्टेशन तक अलग 33 केवी फीडर (टावर लाइन) के काम के लिए ई-एनआईटी और लागत अनुमान तैयार करना”

**9.8 सौर पहल**

✓ **मुख्यालय**

- सीसीएल कमांड क्षेत्र के पिपरवार क्षेत्र में



10 मेगावाट हाइब्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र (ग्राउंड माउंटेड, फ्लोटिंग और रूफ टॉप) की स्थापना के लिए अवधारणा से कमीशनिंग तक पीएमसी सेवाओं के तहत सीसीएल को योजना प्रस्तुत की गई।

- सीसीएल में 15073 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए निविदा दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं तथा 27.53 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए निविदा जारी कर दी गई है।
- निविदा को अंतिम रूप दिया गया और कार्य प्रदान किया गया:
- सीएमपीडीआई (मुख्यालय) में 115 किलोवाटपी
- आरआई-VII, भुवनेश्वर में 40KWp.
- बी एंड के एरिया, सीसीएल में 8.5 मेगावाट एसपीपी
- सीसीएल के गिरिडीह क्षेत्र में 4 मेगावाट एसपीपी।
- मगध क्षेत्र, एनके क्षेत्र, आम्पाली क्षेत्र, पिपरवार क्षेत्र, गिरिडीह क्षेत्र और कथारा क्षेत्र में 1.03 मेगावाट रूफ-टॉप, सीसीएल
- बरका सयाल क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र और बरकाकाना क्षेत्र में 1.02 मेगावाट रूफ-टॉप, सीसीएल

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान III

- सीसीएल के बरकासयाल क्षेत्र में 5 मेगावाट एसपीपी

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान IV

- शारदा ओसीपी में 1.5 मेगावाट ऊर्जा सरोवर फ्लोटिंग सौर संयंत्र की डीपीआर

## 9.9 अन्य रिपोर्ट/निविदा दस्तावेज/योजना

### ✓ मुख्यालय

- एनसीएल के निगाही ओसीपी में सेंट्रल हॉल रोड पर ऑटो स्प्रींकलिंग सिस्टम की कमीशनिंग के लिए योजना ।
- एनसीएल का पावर अस्सेस्मेंट.
- मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड की तलाईपल्ली कोयला खदान की बंद करने की योजना, खान योजना और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

- एबी ओसी2 खदानों से नए 5 एमटीपीए एनएलडब्ल्यू, बीसीसीएल तक कन्वेयर की स्थापना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट

- एनसीएल के खड़िया परियोजना के क्रशर हाउस फेज II सीएचपी में स्थापित किए जाने वाले बैग फिल्टर प्रकार के धूल निष्कर्षण प्रणाली के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग और परीक्षण के लिए योजना, अनुमान और एनआईटी की तैयारी

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान II

- भुरुगुनिया यूजी की अस्थायी खदान बंद करने की योजना

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान IV

- टांडसी यूजी की योजना
- बरौद ओसी सीएचपी, एसईसीएल की एफएमसी परियोजनाओं की गुणवत्ता लेखापरीक्षा रिपोर्ट
- दिनेश ओसी सीएचपी, डब्ल्यूसीएल की एफएमसी परियोजनाओं की गुणवत्ता लेखापरीक्षा रिपोर्ट

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान V

- शारदा ओसीपी, एसईसीएल के जोखिम आकलन अध्ययन' के लिए रिपोर्ट तैयार करना ।
- एफएमसी परियोजनाओं की गुणवत्ता लेखापरीक्षा रिपोर्ट- दीपका मैकेनाइज्ड साइडिंग सीएचपी
- एफएमसी परियोजनाओं की गुणवत्ता लेखापरीक्षा रिपोर्ट- कुसमुंडा सीएचपी फेज-3
- एफएमसी परियोजनाओं की गुणवत्ता लेखापरीक्षा रिपोर्ट- छाल सीएचपी

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान VII

- एमसीएल द्वारा हीराकुंड जलाशय के जल निकाय पर 1000 मेगावाट फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- एमसीएल के बसुंधरा क्षेत्र में 10 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए साइट विजिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

- ओडिशा में एमसीएल द्वारा 100 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए एनआईडब्ल्यूई, चेन्नई के साथ पवन संसाधन मूल्यांकन मस्तूल की स्थापना के लिए साइट का दौरा और उपयुक्त भूमि की पहचान की गई।

#### 9.10 निरीक्षण सेवाएँ

- निर्माता के कारखाने में सभी सीआईएल सहायक कंपनियों द्वारा खरीदे गए संयंत्र और मशीनरी के लिए प्रेषण-पूर्व निरीक्षण सेवाएँ
- वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थानों सहित सीएमपीडीआई द्वारा सेवाओं से अर्जित राजस्व लगभग 4.27 करोड़ रुपये है।

#### 9.11 एनडीटी (गैर-विनाशकारी परीक्षण) नौकरियाँ

##### ✓ मुख्यालय

- एनडीटी सेल, सीएमपीडीआई (मुख्यालय) का एनएबीएल वार्षिक डेस्कटॉप ऑडिट भारतीय गुणवत्ता परिषद (एनएबीएल बोर्ड) द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है।
- शिवानी और नवापारा यूजी खदानों, भटगांव क्षेत्र, एसईसीएल में स्टील वायर रोप के एनडीटी के लिए कार्य आदेश प्राप्त हो गया है। इसे एनडीटी सेल, सीएमपीडीआई (मुख्यालय) के लिए कार्य के नए दायरे के रूप में पेश किया गया है। इस प्रकार सीएमपीडीआईएल के लिए अधिक राजस्व सृजन होगा।
- एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में 04 सीएचपी का एनडीटी।
- एनसीएल की निगाही परियोजना के खंड ए-सीएचपी में लगातार हो रहे कंपन की निगरानी एनडीटी निरीक्षण दल द्वारा तीन चरणीय निरीक्षण में की गई तथा उसे रोका गया।
- एचईएमएम का एनडीटी तथा एनसीएल एवं सीसीएल का अन्य पीएंडएम।
- एनडीटी, चंद्रपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल की 06 मेन डायरेक्ट हौलेज।

- सीएमपीडीआई को एनडीटी जॉब्स और सीसीएल की सहायक कंपनियों की 52 परियोजनाओं की निष्पादन रिपोर्ट के लिए 7.07 करोड़ रुपये (लगभग) प्राप्त हुए।

##### ✓ क्षेत्रीय संस्थान VI

- बीना ओसीपी में एनडीटी (02 ड्रैगलाइन और 05 शॉवेल)
- खड़िया ओसीपी पर एनडीटी (03 ड्रैगलाइन)

#### 9.12 आईएसओ परामर्श:

##### ✓ मुख्यालय

- एनसीएल के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2013 - सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन कार्य हेतु परामर्श कार्य पूरा हो गया।
- आईएसओ 9001:2015 - सीएमपीडीआई (मुख्यालय) और इसके सभी सात क्षेत्रीय संस्थानों के लिए क्यूएमएस पुनः प्रमाणन पूरा हो गया।
- सीसीएल की 05 इकाइयों के लिए आईएसओ 50001:2018 के कार्यान्वयन और प्रमाणन परामर्श कार्य के लिए परामर्श।
- सहायक कंपनी द्वारा आवश्यकतानुसार ईसीएल, सीसीएल, एनसीएल, एमसीएल और डब्ल्यूसीएल के लिए आईएमएस पोस्ट प्रमाणन सहायता कार्य।
- एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षा के लिए एमसीएल, एनसीएल, सीएमपीडीआई और एनटीपीसी तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजनाओं के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन।

#### 9.13 अन्य प्रमुख कार्य

##### ✓ मुख्यालय

- बलराम ओसीपी (15 एमटीवाई), हिंगुला क्षेत्र में सीएचपी/साइलो की योजना
- अमलोहरी पुराने सीएचपी में धूल निष्कर्षण और वेंटिलेशन प्रणाली की स्थापना



## ✓ क्षेत्रीय संस्थान I

- वाहन किराये पर लेना और रखरखाव
- GeM पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद।
- सिस्टम से संबंधित सभी कार्य (कम्प्यूटर परिधीय, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक्स, वीसी सिस्टम, सीयूजी आदि)
- एसी, ईपीएबीएक्स, जल आपूर्ति पंप, लिफ्ट, 80 किलोवाट सौर प्रणाली आदि का रखरखाव।
- सीएमपीडीआई कार्यालय भवन और सीएमपीडीआई कॉलोनी का विद्युत रखरखाव कार्य।
- टेलीफोन का रखरखाव कार्य - लैंड लाइन और सीयूजी, डेटा पैक आदि।

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान III

- निर्माणाधीन एफएमसी परियोजनाओं (उत्तरी उरीमारी सीएचपी) की गुणवत्ता लेखापरीक्षा।

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान II

- खदान बंद करने की योजना की तैयारी
- निम्नलिखित के लिए खनन योजना और खदान बंद करने की योजना
- ईस्ट बुसेरिया कोलियरी
- राजापुर कोलियरी
- कुजामा कोलियरी
- तेतुलमारी ओ.सी.पी. (द्वितीय सीम बेस)
- एना कोलियरी
- सेंदरा- बांसजोरा और निचितपुर कोलियरी का एकीकरण
- अमालगमेटेड बेरा-डोबारी-क्या-घनूडीह कोलियरी
- ब्लॉक IV कोलियरी, गोविंदपुर क्षेत्र
- •AKWMC, कतरास क्षेत्र
- सीएमपीडीआई, आरआई-II, धनबाद की पूंजीगत और राजस्व वस्तुओं की खरीद।

- सीएमपीडीआई, धनबाद के सभी कंप्यूटर बाह्य उपकरणों का सिस्टम रखरखाव।

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान IV

- सीएमपीडीआई, आरआई-IV के गवेषण शिविरों के लिए 02 स्कूल बस किराये पर लेने के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया।
- विभागीय एवं किराये के वाहनों का संचालन तथा विभागीय वाहनों का रखरखाव।
- सीआईएल की सहायक कंपनियों के लिए पचास (56) तृतीय पक्ष प्री-डिस्पैच पीएंडएम निरीक्षण आयोजित किए गए।
- सीएमपीडीआई आरआई-IV के सबस्टेशन का रखरखाव

## ✓ क्षेत्रीय संस्थान V

- कोरबा मास्टर प्लान की तैयारी, एसईसीएल।
- कोयला निकासी मास्टर प्लान की तैयारी, एसईसीएल।

## 9.14 बाहरी परामर्श के कार्य

### ✓ मुख्यालय

- झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी (जेएसएसपीएस) के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ऊर्जा लेखापरीक्षा
- मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड की तलाईपल्ली कोयला खदान की बंद करने की योजना, खान योजना और व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी।

### ✓ क्षेत्रीय संस्थान VII

- ओडिशा के नैनी ओसी में 10 एमटीपीए कोयला हैंडलिंग प्लांट के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के लिए एससीसीएल को परामर्श सेवाएं प्रदान करना
- ईपीसी मोड पर केजीएम क्षेत्र में वीके-7 सीएचपी की स्थापना के लिए डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग के लिए परामर्श सेवाएं

# 10 नगर अभियंत्रण सेवायें:

नगर अभियंत्रण विभाग की मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

- i) इमारतों का रखरखाव, जैसे कार्यालय भवन और आवासीय स्टाफ क्वार्टर। आवश्यक बागवानी कार्यों के साथ साफ-सफाई, स्वच्छ और हरित वातावरण का निर्माण और उसका रखरखाव।
- ii) कार्यालय से संबंधित सभी विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक उपकरणों का रखरखाव तथा उनकी सूची बनाए रखना।
- iii) सभी कार्यालय फर्नीचर का रखरखाव।
- iv) आवश्यक कदम उठाकर जल आपूर्ति प्रबंधन।
- v) बिजली संरक्षण एवं बचत के लिए आवश्यक कदम उठाकर विद्युत प्रबंधन।
- vi) बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी बिल और अन्य वैधानिक भुगतान आदि के भुगतान के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति, जांच और प्रस्तुति सुनिश्चित करना।
- vii) विभाग नगर निगम और जेबीवीएनएल जैसी स्थानीय वैधानिक संस्थाओं के साथ संपर्क का काम करना।

सीएमपीडीआई (मुख्यालय) के टीई और सीएम प्रभाग में 2023-24 में पूंजीगत कार्यों, चालू मरम्मत कार्यों, विशेष मरम्मत कार्यों और सीएसआर कार्यों के तहत पूर्ण और चालू कार्यों की सूची निम्नलिखित है:

| वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व बजट |                                                                                                                         |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| क्र.सं.                              | कार्य का नाम                                                                                                            | (रुपये लाख में) |
|                                      | <b>विद्युत कार्य</b>                                                                                                    |                 |
| 1                                    | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में स्थापित एसी की एएमसी।                                                                  | 25.00           |
| 2                                    | सौर पैनल की सफाई और झाड़ू लगाना।                                                                                        | 2.00            |
| 3                                    | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में कागज रीसाइक्लिंग संयंत्र का संचालन और रखरखाव।                                          | 2.00            |
| 4                                    | सीएमपीडीआई परिसर, रांची में आवासीय क्वार्टर में रिवायरिंग कार्य (शेष कार्य)।                                            | 10.00           |
| 5                                    | बिजली बिल का भुगतान                                                                                                     | 250.00          |
|                                      | <b>क. कुल</b>                                                                                                           | 289.00          |
|                                      | <b>सिविल कार्य</b>                                                                                                      |                 |
| 1                                    | सीएमपीडीआई, रांची में कार्यालय और सेवा भवन के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।                                         | 340.00          |
| 2                                    | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में आवासीय क्वार्टरों के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।                                 | 350.00          |
| 3                                    | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), कांके रोड, रांची में मच्छर नियंत्रण और सामान्य कीट नियंत्रण सेवाओं के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध। | 8.00            |



# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



|    |                                                                                 |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4  | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में जल उपचार संयंत्र का संचालन और रखरखाव।          | 3.35           |
| 5  | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में ठोस अपशिष्ट खाद संयंत्र का संचालन और रखरखाव।   | 3.10           |
| 6  | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में कार्यालय और सेवा भवन में आरओ पेयजल की आपूर्ति। | 5.00           |
| 7  | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में वित्त विभाग की मरम्मत और नवीनीकरण              | 20.00          |
| 8  | सीएमपीडीआई कॉलोनी, रांची में जलापूर्ति पाइपलाइन का प्रतिस्थापन।                 | 35.00          |
| 9  | नगरपालिका कर (जल शुल्क) का भुगतान                                               | 30.00          |
| 10 | नगरपालिका कर (होल्डिंग टैक्स) का भुगतान                                         | 30.00          |
|    | <b>ख. कुल</b>                                                                   | <b>824.45</b>  |
|    | <b>कुल (क+ख)</b>                                                                | <b>1113.45</b> |

| क्र.सं. | पूँजीगत प्रकृति के कार्य                                                                                                                                                                                      | (रुपये लाख में) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में नए कोयला नमूनाकरण शेड का निर्माण                                                                                                                                             | 8.93            |
| 2       | सीएमपीडीआई (मुख्यालय) परिसर, रांची में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर वृक्ष और नेट मीटरिंग का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग, परीक्षण और व्यापक रखरखाव                                      | 80.66           |
| 3       | सीएमपीडीआई (मुख्यालय) सबस्टेशन, रांची में मौजूदा वीसीबी और ट्रांसफार्मर को हटाने के बाद 1 नंबर 11 केवी 1250 ए वीसीबी और 1 नंबर 11 केवी 433 वी 630 केवीए ट्रांसफार्मर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग | 25.96           |
| 4       | सीएमपीडीआई कॉलोनी में 1.00 लाख लीटर क्षमता का जल भंडारण टैंक उपलब्ध कराना एवं स्थापित करना।                                                                                                                   | 14.00           |
| 5       | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), कॉम्प्लेक्स, रांची में बैडमिंटन कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण।                                                                                                                          | 40.00           |
| 6       | सीएमपीडीआई, रांची में गोंडवाना हाउस के लिए हाइड्रोलिक मास्ट रोप टाइप 350 किलोग्राम भार क्षमता वाली यात्री लिफ्ट (जी+1) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)।                                   | 8.87            |
| 7       | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में 500 किलोग्राम/दिन की एकीकृत क्रशर क्षमता के साथ स्वचालित सतत ड्रम कंपोस्टर की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग।                                                                  | 35.88           |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8  | जी4 बिल्डिंग के लिए लिफ्ट 8 यात्री भार 544 किलोग्राम गति 1 मीटर प्रति सेकंड की डिजाइन, आपूर्ति निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग, लिफ्ट शाफ्ट वेल का डिजाइन और निर्माण सहित सभी कार्य पूर्ण।                             | 20.00         |
| 9  | सीएमपीडीआई (मुख्यालय) परिसर, रांची में 02 25 एचपी मोनो ब्लॉक पंप सेट की आपूर्ति और स्थापना के साथ पंप हाउस का निर्माण।                                                                                              | 4.30          |
| 10 | सीएमपीडीआई कॉलोनी परिसर, रांची में जल उपचार संयंत्र (400 केएलडी) का डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण स्थापना और कमीशनिंग (टर्न-की आधार पर) और एक वर्ष की वारंटी अवधि के बाद 5 वर्षों के लिए व्यापक संचालन रखरखाव (सीओएमसी)। | 8.80          |
| 11 | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में रेडियोधर्मी स्रोत भंडारण कक्ष का निर्माण।                                                                                                                                          | 2.85          |
|    | <b>कुल</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>250.25</b> |

#### 11.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ:

##### 11.1 कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एस एंड टी परियोजनाएं

- 1.0 कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) गतिविधियों को एक शीर्ष निकाय, स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) होते हैं। इस शीर्ष निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के अध्यक्ष, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के महानिदेशक (डीजी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के महानिदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, सलाहकार ऊर्जा, नीति आयोग, निदेशक, सीआईएमएफआर, धनबाद शामिल हैं। निदेशक, टीईआरआई और एसएसआरसी की तकनीकी उप - समिति के अध्यक्ष होते हैं। एसएसआरसी का मुख्य कार्य बजट की योजना बनाना, कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, नई अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी देना, पूरी की गई परियोजनाओं के परिणामों की निगरानी करना और वास्तविक क्षेत्र की स्थिति में उनकी प्रतिकृति बनाना है।
- 2.0 विभागाध्यक्ष (खनन) आईआईटी-केजीपी/आईआईटी-आईएसएम/आईआईटी-बीएचयू की अध्यक्षता में एक तकनीकी उप-समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उप-समिति भूमिगत खनन और ओपन कास्ट खनन से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार, अपशिष्ट से धन, कोयले और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के वैकल्पिक उपयोग, कोयला लाभकारी और उपयोग, अन्वेषण, नवाचार और स्वदेशीकरण (मेक-इन-इंडिया अवधारणा के तहत) आदि के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी/पद्धति से संबंधित नए अनुसंधान प्रस्तावों से संबंधित है।
- 3.0 सीएमपीडीआईएल कोयला क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, उन एजेंसियों की पहचान करना जो पहचाने गए क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य कर सकते हैं, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की जांच और प्रसंस्करण करना, अनुसंधान गतिविधियों के लिए बजट अनुमान तैयार करना, परियोजना की प्रगति के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का वितरण और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना आदि शामिल है।

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोयला इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



- शुरू की गई एस एंड टी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2024तक) - 419.
- पूरी हुई एस एंड टी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2024 तक) - 338.

## 4.0 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन

### क. भौतिक प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला एस एंड टी परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है (अनुलग्नक-क):

|                                     |   |       |
|-------------------------------------|---|-------|
| 01.04.2023 तक चालू परियोजनाएँ       | - | 15    |
| एसएसआरसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाएँ | - | 11    |
| पूरी हुई परियोजनाएँ                 | - | 04    |
| समाप्त/जब्त कर दी गई परियोजनाएँ     | - | शून्य |
| 01.04.2024 तक चालू परियोजनाएँ       | - | 22    |

### ख. वित्तीय प्रदर्शन:

बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय नीचे दिखाए गए हैं:

(करोड़ रुपये में)

| 2022-23 |                          |          | 2023-24 (31.3.2024 तक) |                          |          |
|---------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------------|----------|
| आरई     | एमओसी से फंड प्राप्त हुआ | वास्तविक | आरई                    | एमओसी से फंड प्राप्त हुआ | वास्तविक |
| 8.35    | 6.94                     | 7.88     | 18.00                  | 18.00                    | 18.00    |

अनुलग्नक - क

## 2023-24 के दौरान अनुमोदित कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एस एंड टी परियोजनाओं का नाम

| क्रम सं. | परियोजना का नाम                                                                                                                                                  | परियोजना का कोड | कार्यान्वयन एजेंसियां                                                                                                                                                                              | स्वीकृत लागत (लाख रुपये में) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.       | जल और पर्यावरण के सतत प्रबंधन के लिए पिट झीलों में अजैविक और जैविक कारकों का आकलन                                                                                | ईई-52           | बीआईटी, मेसरा , सीएमपीडीआईएल, रांची, सीसीएल, रांची, और एमसीएल, संबलपुर                                                                                                                             | 208.58                       |
| 2.       | कोयला गुणवत्ता मापदंडों के तत्काल पूर्वानुमान के लिए एनआईआर स्पेक्ट्रोस्कोप का स्वदेशी विकास                                                                     | सीपी-52         | श्री रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ( आरसीओईएम ) , नागपुर, सीआईएमएफआर, नागपुर और एससीसीएल, कोठागुडेम                                                                                | 110.75                       |
| 3.       | कोयला खदान से निकलने वाले अतिरिक्त कोयले को पुनर्चक्रित कर मूल्यवर्धित निर्माण सामग्री के रूप में पुनः उपयोग करना ताकि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके | ईई-53           | जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी), नागपुर, बीआईटी, मेसरा , विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर (वीएनआईटी), नागपुर, और सीएमपीडीआईएल, रांची | 285.92                       |

| क्रम सं. | परियोजना का नाम                                                                                                                         | परियोजना का कोड | कार्यान्वयन एजेंसियां                                                                                                                                                                            | स्वीकृत लागत (लाख रुपये में) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4.       | कोयला उद्योग के लिए सीएमपीडीआईएल में 5जी उपयोग केस परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना                                                        | एमटी-179        | टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), नई दिल्ली, सीएमपीडीआईएल, रांची, और आईआईआईटी, रांची                                                                                       | 454.15                       |
| 5.       | हाइड्रोलिक स्टोइंग विधि का उपयोग करके बैकफिलिंग सामग्री के रूप में सिंथेटिक हल्के समुच्चयों का विकास                                    | एमटी-180        | आईआईटी (आईएसएम), धनबाद                                                                                                                                                                           | 36.47                        |
| 6.       | ओपनकास्ट खदानों के लिए एआई-सक्षम धूल दमन प्रणाली का डिजाइन और विकास                                                                     | एमटी-181        | केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमईआरआई), दुर्गापुर, प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), तिरुवनंतपुरम, यूनिरशापा कॉर्पोरेशन लॉर्ड टेक. (यूसीएलटी), रांची और ईसीएल, सेंक्टोरिया | 340.84                       |
| 7.       | ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए कोयले से कठोर कार्बन और अति उच्च विशिष्ट सतह क्षेत्र छिद्रित सक्रिय कार्बन का विकास                     | सीयू-61         | सीएमईआरआई, दुर्गापुर, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन केंद्र (सीएसईएसटी), भौतिकी स्कूल, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद और एससीसीएल, कोठागुडेम                          | 155.62                       |
| 8.       | पूर्वतर कोयला क्षेत्रों की ऊपरी सतह से दुर्लभ मृदा तत्वों सहित महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास      | सीपी-53         | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और एनईसी, मार्गैरिटा                                                                                                         | 581.05                       |
| 9.       | पूर्व-निर्मित 3डी वॉल्यूमेट्रिक निर्माण तत्वों और उनकी प्रणाली (3डीवीसीईएस) के लिए कोयला खान ओवरबर्डन अल्कली-सक्रिय कंपोजिट (सीएमओएससी) | एमटी-182        | वीएनआईटी, नागपुर, जेएनएआरडीडीसी, नागपुर, आरआई-IV, सीएमपीडीआईएल, नागपुर और आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी                                                                                               | 259.37                       |
| 10.      | पाइप फॉलोइंग रोबोट का उपयोग करके एक मॉडल कार्गो-हाइपरलूप का डिजाइन और विकास                                                             | एमटी-183        | ईट कानपुर                                                                                                                                                                                        | 219.63                       |
| 11.      | IoT सक्षम उपकरणों और AI-ML तकनीकों का उपयोग करके एक स्वदेशी ग्राउंड वाइब्रेशन मॉनिटरिंग और विश्लेषण प्रणाली का विकास                    | एमटी-184        | सीएमपीडीआईएल, रांची, आईआईटी, खड़गपुर, एससीसीएल, कोठागुडेम और एनसीएल, सिंगरौली                                                                                                                    | 209.77                       |



2023-24 के दौरान पूरा किया गया कोयला मंत्रालय ( एमओसी ) द्वारा वित्त पोषित एस एंड टी परियोजनाओं का नाम

| क्रम सं. | परियोजना का नाम                                                                                                                                                                                                            | कार्यान्वयन एजेंसियां                                                                   | स्वीकृत लागत (लाख रुपये में) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.       | भूभौतिकीय तकनीक का उपयोग करके भूमिगत कोयला खदानों में दुर्गम पुराने कार्यों में खनन से प्रेरित उप-सतही गुहाओं और जलभराव वाले क्षेत्रों के कारण खतरों का अध्ययन<br>[प्रोजेक्ट कोड: MT-173]                                  | आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ईसीएल, सैंक्टोरिया                                              | 199.96                       |
| 2.       | कोयला और गैर-कोयला स्तर में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) और अन्य आर्थिक संसाधनों का आकलन तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) कोयला क्षेत्र से अम्लीय खान जल निकासी की विशेषता और उसका प्रदूषण नियंत्रण<br>[प्रोजेक्ट कोड: EE-51] | पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, सीएमपीडीआईएल, रांची और इयूक विश्वविद्यालय, यूएसए          | 361.38                       |
| 3.       | खुली खदानों में विफलताओं/ढलान अस्थिरताओं की भविष्यवाणी के लिए प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली का स्वदेशी विकास -<br>[परियोजना कोड: MT-169]                                                                                  | समीर, मुंबई, सीएसआरई, आईआईटी, बॉम्बे और सीएमपीडीआईएल, रांची                             | 585.58                       |
| 4.       | सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए लॉन्गवॉल शील्ड दबाव की निगरानी, विश्लेषण और व्याख्या के लिए IoT सक्षम प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास<br>[प्रोजेक्ट कोड: MT-172]                                                       | सीएमपीडीआईएल, रांची, आईआईटी, खड़गपुर और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सैंक्टोरिया | 471.00                       |

## 11.2 कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

- 1.0 सीआईएल के इन-हाउस आर एंड डी कार्य के लिए, सीआईएल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक आर एंड डी बोर्ड है। आर एंड डी बोर्ड को सीआईएल के निदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सीएमपीडीआईएल अनुसंधान गतिविधियों के लिए बजट अनुमान तैयार करने, नए परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन और परियोजना की प्रगति के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को धन का वितरण, परियोजनाओं की प्रगति की उनके पूरा होने तक निगरानी करने और अनुसंधान निष्कर्षों के प्रसार आदि के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- 2.0 मार्च 2008 को आयोजित अपनी बैठक में सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड और अनुसंधान एवं विकास बोर्ड की शीर्ष समिति को पर्याप्त शक्तियां सौंपी हैं। सर्वोच्च समिति को सभी परियोजनाओं पर विचार करते हुए प्रति वर्ष 25.0 करोड़ रुपये की सीमा के साथ 5.0 करोड़ रुपये तक की व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास परियोजना को मंजूरी देने का अधिकार है और सीआईएल अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये आवंटित करने और 50.0 करोड़ रुपये तक की व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास परियोजना को मंजूरी देने का अधिकार है।
  - शुरू की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2024 तक) - 117
  - पूरी की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2024 तक) - 76

## 3.0 2023-24 के दौरान भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन:

### क. भौतिक प्रदर्शन:

2023-24 के दौरान सीआईएल अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:

| क्र.सं. | पैरामीटर                                     | मात्रा |
|---------|----------------------------------------------|--------|
| 1       | 01.04.2023 तक चालू परियोजनाएँ                | 26     |
| 2       | 2023-24 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं          | 03     |
| 3       | 2023-24 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं       | 05     |
| 4       | 2023-24 के दौरान परियोजनाएं समाप्त/बंद हो गई | 02     |
| 5       | 01.04.2024 तक चालू परियोजनाएँ                | 22     |

### ख. वित्तीय प्रदर्शन:

विवेच्य अवधि के दौरान वास्तविक निधि संवितरण की तुलना में बजट प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

( करोड़ रुपये में)

| 2022-23 |          | 2023-24 |                        |
|---------|----------|---------|------------------------|
| आरई     | वास्तविक | बीई     | 2023-24 (31.3.2024 तक) |
| 67.00   | 66.98    | 70.00   | 43.31                  |

### अनुलग्नक ख

2023-24 के दौरान मंजूर की गई सीआईएल द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

| क्रम सं. | परियोजना का नाम                                                                                                                                                           | कार्यान्वयन एजेंसियां                                                                                       | स्वीकृत लागत (लाख रुपये में) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.       | बाई फेसिअल पेरोव्स्काइट मॉड्यूल - लीडिंग टू 4-टी पेरोव्स्काइट-Si टैंडेम स्ट्रक्चर<br>[प्रोजेक्ट कोड:सीआईएल/आरएंडडी/04/19/2023]                                            | आईआईटी, बॉम्बे                                                                                              | 1770.00                      |
| 2.       | खुली कोयला खदानों में एकीकृत आवाज, वीडियो और डेटा संचार के लिए 5G कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क।<br>[प्रोजेक्ट कोड:सीआईएल/आरएंडडी/05/03/2024]                             | सी-डैक, तिरुवनंतपुरम और सीएमपीडीआई, रांची                                                                   | 2406.54                      |
| 3.       | भारतीय भू-खनन परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) पर एक पायलट परियोजना (चरण-I)।<br>[प्रोजेक्ट कोड:सीआईएल /आरएंडडी/04/20/2023] | सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), रांची, ईसीएल, सैंक्टोरिया और मेसर्स एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजीज इंक (ईईटीआई), कनाडा | 2309.63                      |

## 2023-24 के दौरान पूरी हुई सीआईएल द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

| क्रम सं. | परियोजना का नाम                                                                                                                                                                                            | कार्यान्वयन एजेंसियां                                                                                      | स्वीकृत लागत (लाख रुपये में) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.       | मोबाइल मशीनरी के लागत प्रभावी सुरक्षित संचालन के लिए रियल-टाइम प्रोग्नोसिस सिस्टम (आरटीपीएस) का विकास और अपनाना: डम्पर बेड़े का प्रदर्शन।<br>[प्रोजेक्ट कोड: सीआईएल/आर&डी/01/71/2019]                      | आईआईटी, खड़गपुर, सीआईएमएफआर, धनबाद, लुलिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (एलटीयू), स्वीडन और ईसीएल, सैंक्टोरिया | 440.30                       |
| 2.       | ओपनकास्ट माइन डंप पर ब्लास्टिंग का प्रभाव तथा विस्फोट प्रेरित कंपन और डंप डिजाइन के बीच संबंध का विकास।<br>[प्रोजेक्ट कोड: सीआईएल/आर&डी/01/73/2021]                                                        | सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), रांची, बीआईटी, मेसरा और आईआईटी-आईएसएम, धनबाद                                      | 344.22                       |
| 3.       | भूमिगत कोयला खदानों में बड़े जलस्तर के विरुद्ध सुरक्षात्मक अवरोध स्तंभ का डिजाइन।<br>[प्रोजेक्ट कोड: सीआईएल/आर&डी/1/75/2021]                                                                               | आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी और ईसीएल, सैंक्टोरिया                                                               | 87.47                        |
| 4.       | सिंगरौली कोयला क्षेत्र में ट्रेस तत्वों और आर्सेई सांद्रता के लिए गोंडवाना तलछट (कोयला, मिट्टी, शेल, बलुआ पत्थर) का मूल्यांकन।<br>[प्रोजेक्ट कोड: सीआईएल/आर&डी/04/13/2021]                                 | सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), रांची और एनसीएल, सिंगरौली                                                         | 210.81                       |
| 5.       | विस्फोट के इन-द-होल वेग [वीओडी] को मापने और क्षेत्र की स्थिति में विस्फोटक के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए एक स्वदेशी ऑप्टिकल फाइबर आधारित उपकरण का विकास।<br>[प्रोजेक्ट कोड: सीआईएल/आर&डी/01/72/2021] | इनोवेशन सेल एवं माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक (एमई) प्रभाग, सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), रांची                          | 495.97                       |

## 12 विस्फोटन

सीएमपीडीआईएल ने नियंत्रित ब्लास्टिंग और कंपन अध्ययन, विस्फोटकों और सहायक उपकरणों के परीक्षण, विखंडन मूल्यांकन और एचईएमएम के लाभकारी उपयोग के लिए सुधार अध्ययन के क्षेत्र में मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमताएं विकसित की हैं। सीएमपीडीआईएल का ब्लास्टिंग डिवीजन अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। हाई स्पीड कैमरा, इन-द-होल वीओडी माप के लिए डेटा ट्रैप-II, विपफ्रैग सॉफ्टवेयर द्वारा विखंडन मूल्यांकन और माप, जेके सिम्ब्लास्ट द्वारा ब्लास्ट सिमुलेशन और विस्फोटक और सहायक उपकरण परीक्षण करने के लिए उच्च नमूना दर के साथ उच्च आवृत्ति ऑसिलोस्कोप।

**2023-24 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों और बाहरी एजेंसियों को प्रदान की गई तकनीकी सेवाएँ:**

### 12.1 सीआईएल की सहायक कंपनियों में कार्य:

1. पूरे वर्ष के दौरान विस्फोटकों ( थोक विस्फोटक, गैर-अनुमत बड़े व्यास (एनपीएलडी) और अनुमत छोटे व्यास वाले विस्फोटक (पीएसडी)) और सहायक उपकरण ( नॉनेल , डेटोनेटिंग फ्यूज, एमएस कनेक्टर, कॉर्ड रिले, पीईटीएन कास्ट बूस्टर, इमल्शन कास्ट बूस्टर, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और सीडीडी/सीईडी डेटोनेटर) का यादृच्छिक नमूनाकरण और परीक्षण:

- बीसीसीएल, सीसीएल और एनईसी - सीएमपीडीआई एल (मुख्यालय) के ब्लास्टिंग डिवीजन द्वारा परीक्षण - 60 रिपोर्ट
- ईसीएल - सीएमपीडीआई (मुख्या.) और आरआई-I, सीएमपीडीआईएल के ब्लास्टिंग सेल द्वारा परीक्षण - 28 रिपोर्ट
- डब्ल्यूसीएल - आरआई-IV, सीएमपीडीआईएल के ब्लास्टिंग सेल द्वारा परीक्षण - 28 रिपोर्ट
- एसईसीएल- आरआई-V, सीएमपीडीआईएल के ब्लास्टिंग सेल द्वारा परीक्षण - 28 रिपोर्ट
- एनसीएल - आरआई-VI, सीएमपीडीआईएल के ब्लास्टिंग सेल एल द्वारा परीक्षण - 28 रिपोर्ट
- एमसीएल - सीएमपीडीआई (मुख्या.) और आरआई-VII, सीएमपीडीआईएल के ब्लास्टिंग सेल द्वारा परीक्षण - 28 रिपोर्ट

## 2. बेंच मार्क पाउडर फैक्टर (BMPF) का निर्धारण

- सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) का ब्लास्टिंग डिवीजन - 6 रिपोर्ट
- आरआई-I, सीएमपीडीआईएल का ब्लास्टिंग सेल - शून्य
- आरआई-IV, सीएमपीडीआईएल का ब्लास्टिंग सेल - 3 रिपोर्ट
- आरआई-V, सीएमपीडीआईएल का ब्लास्टिंग सेल - 3 रिपोर्ट
- आरआई-VI, सीएमपीडीआईएल का ब्लास्टिंग सेल - शून्य
- आरआई-VII, सीएमपीडीआईएल का ब्लास्टिंग सेल - शून्य

## 3. नियंत्रित ब्लास्टिंग एवं कंपन अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन:

- सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) का ब्लास्टिंग डिवीजन - 3 रिपोर्ट
- आरआई-I, सीएमपीडीआई एल का ब्लास्टिंग सेल - शून्य
- आरआई-IV, सीएमपीडीआई एल का ब्लास्टिंग सेल - शून्य
- आरआई-VI, सीएमपीडीआई एल का ब्लास्टिंग सेल - 6 रिपोर्ट
- आरआई-VI, सीएमपीडीआई एल का ब्लास्टिंग सेल - 2 रिपोर्ट
- आरआई-VII, सीएमपीडीआई एल का ब्लास्टिंग सेल - 3 रिपोर्ट

## 4. कंपन अध्ययन की नियमित निगरानी

- सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) का ब्लास्टिंग डिवीजन - 4 खदानें

### 12.2 सीएमपीडीआई (मुख्यालय) के ब्लास्टिंग डिवीजन द्वारा किए गए आउट-साइड कंसल्टेंसी कार्य

- एनएलसी इंडिया लिमिटेड की खदानों में विभिन्न निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए गए विस्फोटकों और सहायक उपकरणों का प्रदर्शन मूल्यांकन -3 रिपोर्ट
- तालाबूरा II और III खदानों में विभिन्न निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए गए विस्फोटकों और सहायक उपकरणों का प्रदर्शन मूल्यांकन - 4 रिपोर्ट
- एससीसीएल की भूमिगत और खुली खदान परियोजनाओं में कोयले में विस्फोट के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमत विस्फोटकों (पी1 और पी5) और डेटोनेटर और एलडीसी विस्फोटकों और सहायक उपकरणों का 2 साल की अवधि के लिए आवधिक याहचिछक परीक्षण - 2 रिपोर्ट



- नए विस्फोटकों और सहायक उपकरणों का प्रदर्शन मूल्यांकन: - 1 रिपोर्ट
- मिर्जापुर में जार्जो बांध के लिए कंपनी अध्ययन - 1 रिपोर्ट

## 12.3 आरआई-VII, सीएमपीडीआई के ब्लास्टिंग सेल द्वारा किया गया बाहरी परामर्श कार्य

- नियंत्रित ब्लास्टिंग और कंपनी अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन: - 4 रिपोर्ट

## 12.4 सीएमपीडीआई (मुख्यालय) के ब्लास्टिंग डिवीजन द्वारा किए गए विशेष कार्य

- कोल इंडिया लिमिटेड की खदानों में उन्नत कार्यप्रणाली के आधार पर बेंचमार्क पाउडर फैक्टर के निर्धारण के लिए वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना - 3 रिपोर्ट
- मिर्जापुर में जार्जो बांध को बचाने के लिए कंपनी अध्ययन - 1 रिपोर्ट
- सीआईएल द्वारा अनुमोदित विस्फोटकों और सहायक उपकरणों की उत्पाद सूची में विस्फोटक निर्माताओं को सूचीबद्ध करने के संबंध में एसओपी का अद्यतनीकरण।
- आरआई/सीआईएल के लिए रिपोर्टों की तकनीकी सहायता/परीक्षण।

## 13 प्रयोगशाला सेवाएँ

### 13.1 रासायनिक प्रयोगशाला

रासायनिक प्रयोगशाला थर्मोग्राविमेट्रिक जैसे पारंपरिक और परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित है कोयला/कोक/लिग्नाइट के निकटतम विश्लेषण के लिए विश्लेषक, कोयला और लिग्नाइट के सकल कैलोरी मान के निर्धारण के लिए स्वचालित बम कैलोरीमीटर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर का निर्धारण, कोयले के राख संलयन तापमान सीमा (आईडीटी, एसटी, एचटी और एफटी) के लिए एफटीआर उपकरण, कोयले की प्लास्टिसिटी के निर्धारण के लिए प्लास्टोमीटर और मैनुअल परीक्षण और विशेष परीक्षण करने के लिए अन्य उपकरण और कोयले की राख में ऑक्साइड के रूप में तत्वों के निर्धारण के लिए एक्स-रे फ्लोरोसेंस (एक्सआरएफ)। प्रयोगशाला ने हाल ही में गैर-कोयला नमूनों में खनिज चरणों की पहचान और खदान धूल के नमूनों में मुक्त सिलिका की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर प्रणाली (एक्सआरडी) से खुद को सुसज्जित किया है।

### 13.2 कोयला पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला

पेट्रोग्राफी लैब पेट्रोग्राफिक विश्लेषण कर रही है जैसे कि मैकेरल संरचना, यादृच्छिक परावर्तन (आरओआर %) और औसत अधिकतम परावर्तन% (एमएमआर%) का निर्धारण। यह अध्ययन नमूनों के कोयला-प्रकार और कोयला रैंक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह अध्ययन हाइड्रोकार्बन, तेल शेल, कोल बेड मीथेन और शेल गैस मूल्यांकन के लिए स्रोत रॉक मूल्यांकन के लिए भी उपयोगी है।

पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जैसे कि मैकेरल विश्लेषण और परावर्तन माप के लिए फोटोमीटर अटैचमेंट के साथ उन्नत धुवीकरण माइक्रोस्कोप, पेट्रोग्राफिक अध्ययन और क्लीट अध्ययन के लिए कोयला छरों की तैयारी के लिए अपघर्षक कटिंग मशीन और हॉट माउंटिंग प्रेस।

### 13.3 कोल प्रेपरेशन प्रयोगशाला

सीएमपी प्रयोगशाला आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कोयला क्षेत्रों के कोकिंग और नॉन-कोकिंग कोयले के नमूनों के

लिए वाशेबिलिटी विश्लेषण (समीपस्थ विश्लेषण, जीसीवी, एचजीआई, केकिंग गुण आदि सहित) में कार्यरत है। ये विश्लेषण बोर कोर कोयला नमूनों और आरओएम कोयले के लिए किए जाते हैं। 2023-2024 के दौरान जिन कोयला नमूनों का विश्लेषण किया गया है, उनकी संख्या नीचे दी गई है:

1. बोर कोर कोयला नमूने - 11 नमूने
2. आरओएम कोयला नमूने - 01 नमूना संख्या
3. सीआईएल की सहायक कंपनियों (सीसीएल) के कोयला नमूनों के गुणवत्ता मापदंड- 43 नमूने
4. व्यापक धुलाई योग्यता परीक्षण - 13 नमूने

### 13.4 एमवी और एमटी लैब

एमवी एवं एमटी लैब सेवा विभाग, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची इंजीनियरों एवं वैज्ञानिक सहायकों द्वारा संचालित नवीनतम कम्प्यूटरीकृत यूटीएम मशीन से सुसज्जित है।

यह प्रयोगशाला एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है और परीक्षण की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

प्रयोगशाला में उपलब्ध परीक्षण सुविधाएं हैं: असीमित संपीड़न शक्ति, तन्य शक्ति, कतरनी शक्ति, प्रत्यास्थ स्थिरांक (यंग मापांक, पॉइसन अनुपात), थोक घनत्व, त्रिअक्षीय संपीड़न शक्ति (संसंजन और आंतरिक घर्षण कोण), प्रोटोड्याकोनोव शक्ति सूचकांक (पीएसआई), बिंदु भार सूचकांक, स्लेक स्थायित्व सूचकांक।

**वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ/कार्य किए गए हैं**

#### क. रॉक यांत्रिकी :

**4705 मीटर लंबाई वाले कोर का भौतिक-यांत्रिक गुण (पीएमपी) परीक्षण:**

- कोयदा किशनपुर साउथ ब्लॉक, एनके कोलफील्ड के बीएच नंबर सीकेकेएस-30 का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण। (अप्रैल 2023)
- जिल्गा-बरपाली, मांड-रायगढ़ कोलफील्ड के बीएच नंबर एमएमजेबी-172 का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण। (जून 2023)
- मकरी बरका ईस्ट और इंगुरी संयुक्त ब्लॉक, मेन बेसिन, सिंगरौली कोलफील्ड के बीएच नंबर सीएमएमआईसी 021 का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण। (जून 2023)
- मकरी बरका ईस्ट और इंगुरी संयुक्त ब्लॉक, मेन बेसिन, सिंगरौली कोलफील्ड के बीएच नंबर सीएमएमआईसी 023 का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण। (जुलाई 2023)
- लखीमाता कपासरा मांडमान ब्लॉक, रानीगंज कोलफील्ड के बीएच नंबर सीएमएलके-114 का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण। (अक्टूबर 2023)
- पतरातू साउथ ब्लॉक, साउथ करनपुरा कोलफील्ड के बीएच नंबर एपीपीएस - 28 (पी- 45) का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण। (फरवरी 2024)
- चैनपुर ब्लॉक, मांड-रायगढ़ कोलफील्ड, एसईसीएल के बीएच नंबर एमसीएचपी - 85 का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण। (फरवरी 2024)

- ज. कोटमेर ब्लॉक, मांड रायगढ़ कोलफील्ड के बीएच नंबर एमकेटीडी - 129 का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण।
- झ. पतरातू साउथ ब्लॉक, साउथ करनपुरा कोलफील्ड के बीएच नंबर एपीपीएस - 27 (पी- 44) का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण।- प्रगति पर
- ञ. कोटमेर ब्लॉक, मांड-रायगढ़ कोलफील्ड के बीएच नंबर एमकेटीडी - 60 का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण। - प्रगति पर।

## ख. स्तर नियंत्रण:

### आरएमआर/वैज्ञानिक अध्ययन और एससीएमपी रिपोर्ट पूरी हुई :

- (i) नंदीरा कोलियरी, एमसीएल के डब्ल्यूपी वीई-1 पैनल का वैज्ञानिक अध्ययन और स्ट्रेटा नियंत्रण और निगरानी योजना (एससीएमपी)।
- (ii) कोरबा क्षेत्र, एसईसीएल के राजगामार 4 और 5 इनक्लाइन के आर-II सीम के विकसित पैनल एफ (एफ 2 और एफ 3) के डिपिलरिंग के लिए स्ट्रेटा नियंत्रण और निगरानी योजना की तैयारी के लिए वैज्ञानिक अध्ययन।

## ग. खदान वेंटिलेशन / स्तंभ स्थिरता अध्ययन / यूजी अग्नि डीलिंग और खदान गैस सर्वेक्षण

### (1) खान वेंटिलेशन/गैस सर्वेक्षण

- (i) शिवानी यू/जी, एसईसीएल का गैस सर्वेक्षण ।
- (ii) अमालिया यूजी माइन, एनसीएल का वेंटिलेशन नेटवर्क विश्लेषण
- (iii) बोर्ड यूजी माइन, डब्ल्यूसीएल का वेंटिलेशन नेटवर्क विश्लेषण
- (iv) गोधुरा का वेंटिलेशन नेटवर्क विश्लेषण कुसुंडा यूजी माइन, बीसीसीएल
- (v) चिनाकुरी यूजी माइन, ईसीएल का वेंटिलेशन नेटवर्क विश्लेषण ।

### (2) स्तंभ स्थिरता/सतह अवतलन पूर्वानुमान।

- (i) निमचा यूजी खदान, ईसीएल के लिए पिलर स्थिरता का अध्ययन ।
- (ii) नवापारा यूजी खदान, एसईसीएल के लिए स्तंभ स्थिरता का अध्ययन
- (iii) बोर्ड यूजी परियोजना, डब्ल्यूसीएल में विकसित स्तंभ के सुरक्षा कारक ( एफओएस ) का आकलन
- (iv) नंदीरा यू/जी, एमसीएल के डब्ल्यूपी-IV पैनल के डिपिलरिंग के लिए वैज्ञानिक एजेंसी की नियुक्ति
- (v) रंगमती -ए यूजी परियोजना में विकसित स्तंभों के सुरक्षा कारक ( एफओएस ) का आकलन।
- (vi) कोरबा क्षेत्र, एसईसीएल के राजगामार 4 और 5 ढलान के पिलर स्थिरता का अध्ययन ।
- (vii) रानी अटारी यूजी खदान, एसईसीएल की सतह अवतलन भविष्यवाणी।
- (viii) विजय पश्चिम यूजी खदान, एसईसीएल की सतह अवतलन भविष्यवाणी

### (3) परियोजना रिपोर्ट (पीआर)

- (i) एमडीओ मोड में मकरी / बोरका यू/जी माइंस, एनसीएल के लिए पीआर
- (ii) भौरा उत्तर यू/जी, बीसीसीएल की परियोजना रिपोर्ट - प्रगति पर

**घ. अनिर्धारित नौकरियाँ**

- क. राजनगर ओसी, हसदेव क्षेत्र, एसईसीएल में कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम ।
- ख. नंदीरा यूजी, एमसीएल में कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम।
- ग. खड़िया ओसीपी, एनसीएल में कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम ।
- घ. एस एंड टी परियोजना के लिए सेंट्रल सालानपुर , रानीगंज कोलफील्ड के बीएच नंबर सीएमसीएसए -15 के कोयला नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम।
- ङ. एस एंड टी परियोजना के लिए दक्षिण दामुडा के बीएच संख्या एसजेएसडी 11 और बीएच संख्या-एमएमडब्लू - 22, महल पश्चिम ब्लॉक, झरिया कोलफील्ड के कोयला नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम।
- च. दीपका विस्तार परियोजना, दीपका क्षेत्र के लिए चट्टान के नमूनों का परीक्षण ।
- छ. ब्लॉक बी और झिंगुरदह परियोजना, एनसीएल के चट्टान नमूनों का पीएमपी परीक्षण।
- ज. नवापारा यूजी खदान, भटगांव क्षेत्र, एसईसीएल के चट्टान नमूनों का पीएमपी परीक्षण
- झ. अमलोहरी परियोजना और दुधीचुआ परियोजना, एनसीएल में कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम
- ञ. शारदा ओसीएम, एसईसीएल में कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम
- ट. बालकुदरा ब्लॉक, सीसीएल में कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम ।

**ड. अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्य**

**अनुसंधान एवं विकास**

- क. यूजी माइन (आईआईटी-आईएसएम)/सीएमपीडीआईएल की वर्चुअल माइन सिम्युलेटर लैब का विकास।

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**

- क. कोयला खनन कार्य की विभिन्न खनन पद्धति के लिए स्तंभ विधि के स्तंभ/ आयों का डिजाइन और स्थिरता । (सीआईएमएफआर)/आईआईटी (आईएसएम)/सीएमपीडीआईएल

**14. पर्यावरण सेवा**

**14.1 ईआईए/ईएमपी**

**सीआईएल परियोजनाएं**

वर्ष 2023-24 के दौरान, पर्यावरण विभाग ने कुल 29 फॉर्म-1 (फॉर्म III, IV और VI सहित) और 25 ड्राफ्ट ईएमपी/परिशिष्ट ईएमपी तैयार किए। कुल 54 रिपोर्ट तैयार की गईं।

**14.2 बाहरी परियोजनाएँ**

वर्ष 2023-24 के दौरान पर्यावरण विभाग ने तैयार की:

- मेघालय राज्य में खनन प्रभावित भूमि के पुनर्स्थापन की संकल्पनात्मक रिपोर्ट।
- नैनी कोयला खदान, मेसर्स एससीसीएल के लिए अंतिम मृदा नमी संरक्षण (एसएमसी) रिपोर्ट ।
- लेवल-1 एक्वीफर और मृदा नमी संरक्षण (एसएमसी) अध्ययन पर अंतिम रिपोर्ट राधिकापुर पश्चिम और राधिकापुर पूर्व कोयला खदान, मेसर्स वेदांता एंटरप्राइजेज लिमिटेड।



- कार्बन फुटप्रिंट की अंतिम अध्ययन रिपोर्ट और कार्बन तटस्थता के लिए रोडमैप, मेसर्स एससीसीएल।

## 14.3 वायु, जल और ध्वनि की पर्यावरणीय निगरानी

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( एमओईएफ एंड सीसी ) खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) इस शर्त पर देता है कि नियमित पर्यावरणीय निगरानी (आरईएम) की जाए। परियोजना स्थलों पर लागू प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता को सत्यापित करने और खदानों के परिचालन चरण के दौरान निर्धारित ईसी शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह निगरानी आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सीआईएल की 299 परियोजनाओं/क्लस्टरों/प्रतिष्ठानों (ईसीएल-16, बीसीसीएल-17, सीसीएल-72, डब्ल्यूसीएल-84, एसईसीएल-69, एनसीएल-13 और एमसीएल-28) की पर्यावरण निगरानी आसनसोल, धनबाद , नागपुर , बिलासपुर , भुवनेश्वर, हसदेव , जयंत और रांची में स्थित आठ पर्यावरण प्रयोगशालाओं के माध्यम से की गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एकत्रित और विश्लेषित कुल नमूने : वायु: 1,39,005 संख्या, ध्वनि: 23,313 संख्या +312 संख्या (दिन और रात + केवल दिन) और जल: 21,023 संख्या।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पर्यावरण सेवाओं से अर्जित कुल राजस्व जीएसटी को छोड़कर 315.95 करोड़ रुपये (अंतिम) है ।



नमूना विश्लेषण: पर्यावरण प्रयोगशाला, सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), रांची का एक दृश्य



### 14.4 सीएमपीडीआईएल को ईआईए परामर्श संगठन के रूप में मान्यता

सीएमपीडीआईएल को भारतीय गुणवत्ता परिषद (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की नामित एजेंसी) द्वारा ओपनकास्ट/भूमिगत खनन क्षेत्र, थर्मल पावर और कोल वॉशरीज क्षेत्र, अपतटीय और तटवर्ती तेल एवं गैस अन्वेषण, कोल बेड मीथेन के ईआईए के लिए विकास और उत्पादन सहित खनिजों के खनन क्षेत्रों के लिए ईआईए मान्यता प्राप्त सलाहकार संगठन (एसीओ) के रूप में मान्यता प्राप्त है। सीएमपीडीआईएल ईआईए और ईएमपी की तैयारी के लिए भारत में सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त सलाहकार संगठन (एसीओ) है और इसके पास 80 से अधिक अनुमोदित विशेषज्ञ हैं।

### 14.5 सीएमपीडीआईएल पर्यावरण प्रयोगशाला का प्रत्यायन

सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची स्थित पर्यावरण प्रयोगशाला को आईएसओ/आईईसी 17025:2017 मानकों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह मान्यता 15 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसकी मान्यता भी 15 दिसंबर 2024 तक वैध है। प्रयोगशाला ने आईएस/आईएसओ 45001:2018 के अनुसार अपने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) के लिए भी मान्यता प्राप्त की है, जो 10 जुलाई 2025 तक वैध है।

I, आसनसोल , आरआई- II, धनबाद , आरआई- IV, नागपुर , आरआई- V: बिलासपुर और हसदेव , और आरआई- VII, भुवनेश्वर की पर्यावरण प्रयोगशालाएं भी आईएसओ/आईईसी 17025: 2017 मानकों के अंतर्गत एनएबीएल मान्यता रखती हैं।

### 14.6 कोयला परियोजनाओं के लिए ईटीपी/एसटीपी/एमडी(आईडब्ल्यूएसएस) योजना

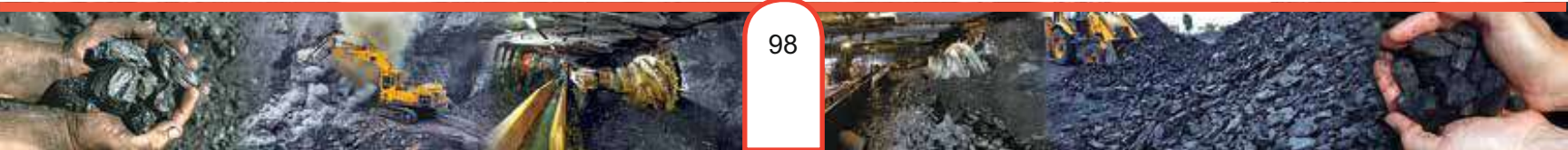
वित्तीय वर्ष के दौरान, निम्नलिखित सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) / अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) से संबंधित कार्य किए गए : -

- 30 MLD ETP दुधिचुआ ओसीपी, सिंगरौली, एनसीएल के स्थानांतरण की योजना ।
- निगाही ओसीपी, सिंगरौली , एनसीएल के 10.5 एमएलडी और 4.0 एमएलडी ईटीपी के उन्नयन और संशोधन की योजना ,
- 7.2 MLD ETP, झिंगुरदह ओसीपी, सिंगरौली, एनसीएल के स्थानांतरण की योजना ।
- 65 केएलडी एसटीपी के लिए योजना, नेहरू शताब्दी नगर,बिलासपुर,एसईसीएल .
- इसके अलावा, 1(एक) परियोजनाओं अर्थात सीवर नेटवर्क और 1.4 एमएलडी एसटीपी, बसुंधरा के लिए निविदा दस्तावेज (तकनीकी भाग) कॉलोनी, एमसीएल का भी प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।
- इसके अलावा, 4 (चार) परियोजनाओं के सफल बोलीदाताओं के डिजाइन और चित्रों की जांच अर्थात, 70 केएलडी ईटीपी, एनएससी अस्पताल, एनसीएल , ईटीपी का संशोधन , बीना ओसीपी, एनसीएल, एसटीपी का संशोधन , बीना ओसीपी, एनसीएल और सीवर नेटवर्क और 1.4 एमएलडी एसटीपी, बसुंधरा कॉलोनी,एमसीएल का कार्य किया गया।

### 14.7 कोयला खनन परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन

विवेच्य वर्ष में पर्यावरण प्रभाग द्वारा कोयला खनन परियोजनाओं के लिए 05 परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन किया गया है।

### 14.8 सतत विकास प्रकोष्ठ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सहायता के लिए



एमओसी के निर्देशानुसार एसडीसी कार्यों के अंतर्गत सीएमपीडीआईएल ने निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की हैं:

- कोयला मंत्रालय के लिए एसडीसी के तहत 2021-22 में कोयला खदानों में पर्यावरणीय स्थिरता की स्थिति सीएमपीडीआई एल द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई है ।
- कोयला एवं लिग्नाइट पीएसयू में हरित पहल के लिए एसडीसी के तहत एमओसी को सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है ।

## 14.9 विशेष अध्ययन

- सियार्मल ओसी, एमसीएल और छाल ओसी परियोजना, एसईसीएल के लिए मृदा नमी संरक्षण (एसएमसी) अध्ययन ।
- लेडो कोलियरी, एनईसी और बारगोलाई कोलियरी, एनईसी की खदान बंद करने की अंतिम योजना.
- घुग्घुस ओसी माइंस, वानी क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल और धोपताला ओसी माइंस, चंद्रपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के पुनः प्राप्त ओबी डंप स्थल की जैव विविधता का मूल्यांकन .
- भटाडी ओसीपी, डब्ल्यूसीएल के लिए नदी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता पर विस्तृत रिपोर्ट
- बीसीसीएल के सात क्लस्टरों के लिए प्रदूषण न्यूनीकरण अध्ययन पर मसौदा रिपोर्ट।
- आईएसएम, धनबाद के सहयोग से अनंत ओसीपी, एमसीएल की पारिस्थितिकी की निरंतर निगरानी ।

## 14.10 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/अनुसंधान एवं विकास अध्ययन

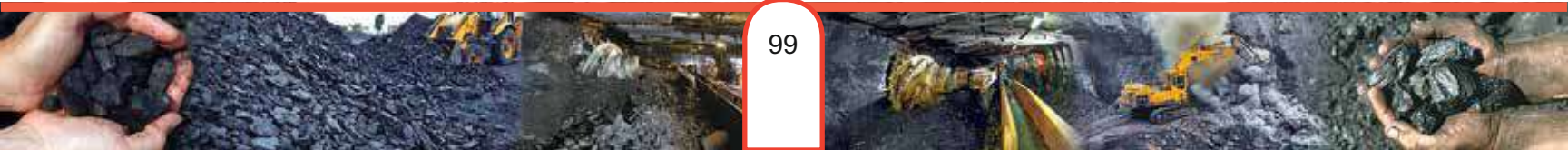
निम्नलिखित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं:

- जल और पर्यावरण के सतत प्रबंधन के लिए पिट झीलों में अजैविक और जैविक कारकों का आकलन
- सिंगरौली कोयला खदानों में एएनएन, पीएनएन और कार्ट मॉडल के माध्यम से पार्टिकुलेट मैटर और गैसीय प्रदूषक सांद्रता का पूर्वानुमान और कैलपफ और ईआईआरएमओडी के साथ तुलना।

## 14.11 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण

पर्यावरण प्रभाग, सीएमपीडीआईएल ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन किया था :-

- पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई), हैदराबाद में विभाग के 05 अधिकारियों (मुख्यालय और आरआई सहित) के लिए माइक्रोबायोलॉजी विधियों में उन्नत तकनीकों पर प्रशिक्षण।
- पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई), हैदराबाद में विभाग के 02 कर्मचारियों के लिए उन्नत उपकरणों पर प्रशिक्षण ।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की में विभाग के 15 अधिकारियों (मुख्यालय और आरआई सहित) के लिए खनन गतिविधियों से संबंधित प्रभाव आकलन पर हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग पर प्रशिक्षण ।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून में 01 अधिकारी के लिए वन्यजीव संरक्षण पर प्रशिक्षण।





## 14.12 पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम

### क. विश्व पर्यावरण दिवस का उत्सव

विश्व पर्यावरण दिवस 2023 5 जून 2023 को सीएमपीडीआईएल के मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थानों (आरआई) में मनाया गया। इस वैश्विक पालन के लिए अग्रणी और मिशन लाइफ के साथ संरेखण में, सीएमपीडीआईएल ने 18 मई 2023 से जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की मेजबानी की। ये कार्यक्रम विभिन्न पर्यावरण चिंताओं पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किए गए थे, जिसमें जल संरक्षण, खाद्य अपशिष्ट को कम करना, ई-कचरा प्रबंधन और एकल-उपयोग प्लास्टिक की कटौती शामिल है। मुख्यालय और सभी आरआई में 'अपने पेड़ को जानें' अभियान, स्लोगन और पोस्टर-मेकिंग प्रतियोगिता, क्विज़, साइक्लोथॉन, सेमिनार और निबंध प्रतियोगिताओं जैसे विविध अभियाओं और प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन पहलों का उद्देश्य सतत विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों का मुकाबला करने में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।





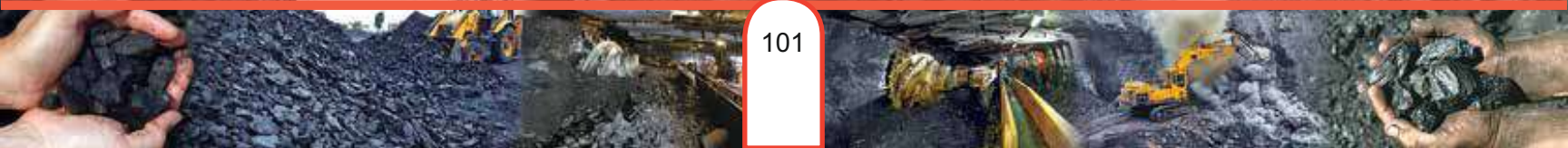
## ख. वृक्षारोपण अभियान

सीएमपीडीआईएल ने 20 स्थानों पर 478 पौधे लगाए, जिनमें से 93 पौधे कार्यालय सह आवासीय परिसर में लगाए गए और शेष 385 पौधे गांवों, स्कूलों और अन्य संस्थानों में लगाए गए। स्थानीय समुदायों के बीच अतिरिक्त 305 पौधे भी वितरित किए गए।



## ग. सीआईएल में पर्यावरणीय मुद्दे" पर कार्यशाला

सीएमपीडीआईएल ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विचारों के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने हेतु एक मंच प्रदान करने हेतु 11.08.2023 को सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), रांची में "सीआईएल में पर्यावरणीय मुद्दे" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के महाप्रबंधकों (पर्यावरण) ने भाग लिया।





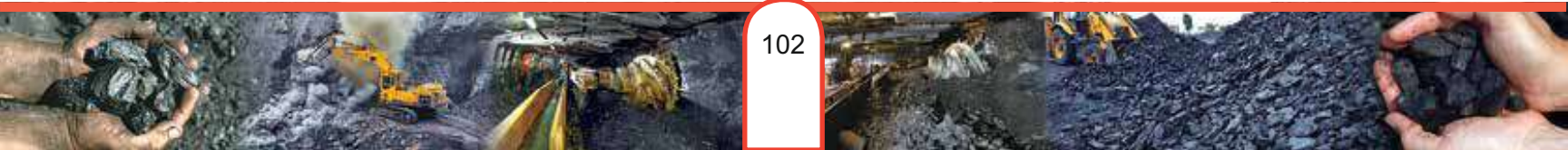
### 15.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।

इन-हाउस सहायता प्रदान करने के अलावा, सीएमपीडीआईएल का आईसीटी प्रभाग सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों को परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्यों की रूपरेखा नीचे दी गई है।

### 15.1 संपूर्ण सीआईएल के लिए आईसीटी प्रभाग सीएमपीडीआईएल द्वारा विकसित और अनुरक्षित केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर:

- क. अनुबंध श्रम सूचना पोर्टल (सीएलआईपी) के लिए पोर्टल।
- ख. अधिकारी सूचना प्रणाली (ईआईएस)।
- ग. पीआरआईडीई/पीएआर सहित ऑन-लाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस)।
- घ. सतर्कता निकासी प्रणाली/सतर्कता निगरानी प्रणाली।
- ङ. सभी अधिकारियों के लिए वार्षिक संपत्ति रिटर्न प्रणाली।
- च. बैंक कार्ड दर प्रणाली - कंपनियों की एफडी लगाने के लिए बैंकों से ब्याज दर कोटेशन आमंत्रित करती है।
- छ. भूमिगत और खुली खदान क्षमता का आकलन।
- ज. ऑनलाइन कोयला ब्लॉक सूचना प्रणाली।
- झ. सीआईएल द्वारा निगरानी की जा रही परियोजनाओं के लिए माइन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल (एमडीएमएस)। इसमें पर्यावरण मंजूरी (ईसी), वन मंजूरी (एफसी), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) आदि शामिल हैं।
- ञ. एमडीएमएस के साथ एकीकृत वेब पोर्टल जिसका उपयोग पर्यावरणीय स्थिति और ईसी-एफसी अनुपालन संबंधी डेटा (पर्यावरणीय स्थिति जैसे परिवेशी वायु, शोर, पेयजल, सतही जल आदि) की निगरानी के लिए किया जाता है।
- ट. एमडीएमएस के साथ एकीकृत वेब मॉड्यूल जिसका उपयोग सीआईएल स्तर पर 1 बीटी योजना की स्थिति की निगरानी के लिए किया जाता है।
- ठ. नवीकरणीय ऊर्जा, पारिस्थितिकी और जैव विविधता की बहाली और कोयला क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन के संबंध में एसडीसी योजनाओं के निर्माण के लिए एमडीएमएस पोर्टल के तहत सतत विकास सेल (एसडीसी)।
- ड. पीअर्स (सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान), सीआईएल और परियोजनाओं की संबंधित सहायक कंपनियों द्वारा फॉर्म 1,2,3,4,5 और ईआईए/ईएमपी के संबंध में ईसी/एफसी जांच पर परिवेश पोर्टल का क्लोन।
- ढ. एमओसी के लिए राष्ट्रीय कोयला पोर्टल नामक एक डैशबोर्ड।
- ण. यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के लिए सीआईएल हेतु एक सीएसआर पोर्टल तैयार किया गया है।
- त. सीआईएल के सतर्कता विभाग के लिए चल/अचल संपत्ति की सूचना/स्वीकृति के लिए एक पोर्टल

### 15.2 ईआरपी को इसके 6 मॉड्यूल अर्थात् एचसीएम, एफआईसीओ, पीएम, पीएस, एमएम और एसडी के साथ सीएमपीडीआईएल में लागू किया गया है। रेलटेल कॉर्पोरेशन द्वारा मुख्यालय, डीसी और डीआर में 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ और आरआई में 40 एमबीपीएस बैंडविड्थ के साथ प्राथमिक एमपीएलएस कनेक्टिविटी स्थापित की गई है। मुख्यालय पर 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ और आरआई पर 40 एमबीपीएस बैंडविड्थ के साथ माध्यमिक एमपीएलएस कनेक्टिविटी बीएसएनएल द्वारा स्थापित की गई है।

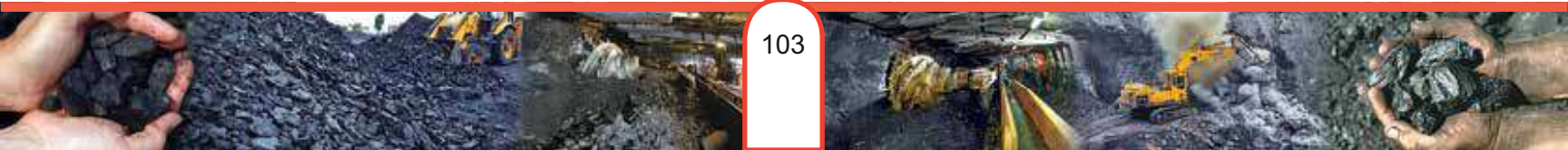


- 15.3 आईसीटी प्रभाग फाइबर ऑप्टिक बैकबोन के साथ लोकल एरिया नेटवर्क का रखरखाव कर रहा है। सभी आरआई को एमपीएलएस वीपीएन सर्किट के माध्यम से सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) से जोड़ा गया है। सीएमपीडीआई के पास बीएसएनएल के माध्यम से 1 जीबीपीएस समर्पित इंटरनेट लीज्ड लाइन और रेलटेल के माध्यम से 1 जीबीपीएस सेकेंडरी आईएलएल है।
- 15.4 सीएमपीडीआईएल मुख्यालय और आरआई से चालान अपलोड करने के लिए एक पोर्टल जो सीआईएल की सहायक कंपनियों को चालान डाउनलोड करने और उन्हें जल्दी से संसाधित करने की सुविधा देता है।
- 15.5 कार्यों / कार्रवाई बिंदुओं की वास्तविक समय की निगरानी के लिए, एक सीएमडी सीएमपीडीआईएल डैशबोर्ड विकसित किया गया है।
- 15.6 सीएमपीडीआईएल के लिए ऑनलाइन तिमाही आवंटन पोर्टल विकसित किया गया है और कार्यान्वयन के लिए तैयार है।
- 15.7 कॉलोनी शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस)।

## 16.0 सूचना प्रबंधन प्रणाली

वर्ष 2023-24 के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ/कार्य इस प्रकार हैं:

- 16.1 त्रैमासिक पत्रिकाएँ " माइनटेक " एवं " गोंडवाना भारती" का प्रकाशन  
वर्ष 2023-24 के दौरान उपरोक्त प्रत्येक पत्रिकाओं के चार-चार अंक प्रकाशित किये गये हैं।
- 16.2 पत्रिकाओं का प्रेषण:  
इन-हाउस वितरण के अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान दोनों पत्रिकाओं की लगभग 10000 प्रतियां MoC , CIL और इसकी विभिन्न सहायक कंपनियों (मुख्यालय, क्षेत्र और कोलियरी इकाई), विभिन्न संस्थानों और अन्य ज्ञात संगठनों को भेजी गई।
- 16.3 पुस्तक का प्रकाशन  
2023-24 के दौरान निम्नलिखित पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है:
1. कोयला और लिग्नाइट पीएसयू में हरित पहल" नामक पुस्तक।
  2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर सीवीसी/सीआईएल/एमओसी/डीओपीटी/सीएमपीडीआई परिपत्रों और दिशानिर्देशों के संग्रह की ई-बुक प्रकाशित की गई।
- 16.4 पुस्तक/ माइनटेक की बिक्री  
सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों और बाहरी पार्टियों में तकनीकी पुस्तकों और हमारे इन-हाउस जर्नल ' माइनटेक ' की बिक्री, जब भी उनकी आवश्यकता होती है, की जाती है।
- 16.5 विशेष उपलब्धियाँ
1. हमारी इन-हाउस तकनीकी पत्रिका माइनटेक के दो विशेष अंक यानी एक "जी20 विशेष संस्करण" और दूसरा "ओपन कास्ट माइनिंग" पर विशेष अंक प्रकाशित किए गए हैं।  
क. 15-17 मई 2023 के दौरान मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित G20, तीसरी ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की बैठक के दौरान G20 विशेष संस्करण का अनावरण किया गया है।
  2. प्रकाशित पुस्तक "कोयला और लिग्नाइट पीएसयू में हरित पहल" पर्यावरण विभाग के माध्यम से कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है और इसका विमोचन 11 मार्च 2024 को कोयला सचिव, एमओसी श्री अमृत लाल मीना और एमओसी के अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया है।





17 सतर्कता

17.1 निवारक सतर्कता

| प्रकार                               | वर्ष 2023-24<br>(1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक ) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| आकस्मिक जाँच                         | 22                                                   |
| फ़ाइल जांच                           | 12                                                   |
| गहन जांच (आईटीई मामले)               | 03                                                   |
| अधिकारियों के संपत्ति रिटर्न की जांच | 170                                                  |
| ऑडिट रिपोर्ट की जांच                 | 19                                                   |
| प्रशिक्षण                            | 36                                                   |

क. प्रणाली सुधार के उपाय

शिकायतों की जांच के दौरान तथा सतर्कता विभाग द्वारा आकस्मिक जांच के दौरान, प्रचलित प्रणाली में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर, प्रणाली सुधार के लिए निवारक उपायों की सिफारिश की जाती है। भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुशंसित कुछ प्रणाली सुधार उपाय निम्नलिखित हैं:

1. राजमहल कोलफील्ड्स के राजगांव ब्लॉक में गवेषण के लिए 3-डी भूकंपीय सर्वेक्षण के कार्य में एसआईएम ।
2. सीएमपीडीआईएल में विभागीय चयन के लिए एसओपी तैयार करने के संबंध में एसआईएम।
3. सरकारी व्यय के लिए व्यक्तिगत खाते में अग्रिम लेना बंद करने पर परामर्श।
4. डीजीआर सुरक्षा कार्मिकों से संबंधित सीएमपीएफ अंशदान के अनुपालन पर एसआईएम/सलाह।
5. एसआईएम/अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा जमा (एपीएसडी) खंड पर परामर्श।
6. जीईएम पोर्टल में वस्तुओं की खरीद से संबंधित एसआईएम/सलाह ।
7. क्रय/आपूर्ति/अनुबंध आदेश के विरुद्ध प्राप्त सामग्रियों के निरीक्षण पर एसआईएम/सलाह।
8. एसओपी तैयार करने पर एसआईएम/सलाह, जिसमें अनुमान तैयार करने से लेकर अनुबंध प्रदान करने तक की विभिन्न गतिविधियों के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट की गई हो।
9. एसआईएम/स्क्रैप के निपटान के लिए नीलामी प्रक्रिया को जीईएम पोर्टल पर स्थानांतरित करने पर परामर्श।



## 17.2 सहभागी सतर्कता

### क. सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 का आयोजन

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में सतर्कता जागरूकता अभियान-2023 दिनांक 16.08.2023 से 31.10.2023 तक सीएमपीडीआईएल के सभी क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालयों में बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। बैनर प्रदर्शन, नुक्कड़ जैसी आउटरीच गतिविधियाँ जैसे विभिन्न कार्यक्रम तीन महीने तक चलने वाले जागरूकता अभियान के दौरान नाटक, जागरूकता ग्राम सभा, स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम पहले की तुलना में पहले ही शुरू हो गए। खरीद, नैतिकता और शासन, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा और अनुशासनात्मक कार्यवाही में आईओ/पीओ की भूमिका जैसे विभिन्न विषयों पर क्षमता निर्माण के लिए कार्यशाला आयोजित करने पर विशेष जोर दिया गया।

### वीएडब्ल्यू-2023 के दौरान सीएमपीडीआई (मुख्यालय) में आयोजित गतिविधियाँ

| क्रम सं. | गतिविधि का नाम                                                                 | गतिविधि के प्रकार      | जगह                               | तारीख                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1        | मुख्यालय और आरआई-3 के सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ                 | इन-हाउस                | मुख्यालय                          | 30.10.2023                  |
| 2        | अधिकारियों के लिए भाषण प्रतियोगिता                                             | इन-हाउस                | मुख्यालय                          | 30.10.2023                  |
| 3        | कर्मचारियों के लिए भाषण प्रतियोगिता                                            | इन-हाउस                | मुख्यालय                          | 31.10.2023                  |
| 4        | डॉ प्रवीण कुमारी द्वारा नैतिकता और शासन पर व्याख्यान                           | क्षमता निर्माण         | मुख्यालय                          | 31.10.2023                  |
| 5        | अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता                          | इन-हाउस                | मुख्यालय                          | 01.11.2023                  |
| 6        | मुख्यालय और आरआई-3 के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता         | इन-हाउस                | मुख्यालय                          | 01.11.2023                  |
| 7        | विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता               | आउटरीच                 | मुख्यालय                          | 02.11.2023                  |
| 8        | विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता           | आउटरीच                 | मुख्यालय                          | 02.11.2023                  |
| 9        | टाटा अस्पताल जमशेदपुर के डॉ. अमित मुखर्जी द्वारा नैतिकता और शासन पर व्याख्यान। | क्षमता निर्माण         | मुख्यालय                          | 02.11.2023 से<br>03.11.2023 |
| 10       | विभिन्न विद्यालयों के छात्रों एवं सीएमपीडीआई के कर्मचारियों का वॉकथन           |                        | सीएमपीडीआई (मुख्यालय)             | 04.11.2023                  |
| 11       | नुक्कड़ नाटक                                                                   | पीआईडीपीआई पर जागरूकता | रांची कॉलेज और रांची रेलवे स्टेशन | 04.11.2023                  |
| 12       | ठाकुरगांव में ग्राम सभा                                                        | पीआईडीपीआई पर जागरूकता | ठाकुर गाँव                        | 05.11.2023                  |
| 13       | एफएम रेडियो पर जिंगल्स के माध्यम से जागरूकता                                   | पीआईडीपीआई पर जागरूकता | एफएम रेडियो                       | 30.10.2023 से 05.11.2023    |



सत्यनिष्ठा शपथ ग्रहण समारोह



वाद-विवाद प्रतियोगिता (आउटरीच कार्यक्रम)



कर्मचारियों के लिए भाषण प्रतियोगिता  
(इन-हाउस कार्यक्रम)



निबंध लेखन प्रतियोगिता (इनहाउस कार्यक्रम)



कर्मचारियों के बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता  
(इन-हाउस कार्यक्रम)



पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता (आउटरीच कार्यक्रम)







वॉकथॉन (आउटरीच कार्यक्रम)



बिरसा स्कूल में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम  
(आउटरीच कार्यक्रम)



नुक्कड़ नाटक (आउटरीच कार्यक्रम)



गोंडवाना पब्लिक स्कूल में सतर्कता जागरूकता  
कार्यक्रम (आउटरीच कार्यक्रम)



ग्राम सभा (आउटरीच कार्यक्रम)

## 18.0 जियोमैटिक्स

जियोमैटिक्स प्रभाग रिमोट सेंसिंग और सर्वेक्षण के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है। इसके प्रमुख कार्यों में भूमि पुनर्ग्रहण निगरानी, ओबी माप, वनस्पति आवरण मानचित्रण, भूमि उपयोग / आवरण मानचित्रण, निपटान मानचित्रण, कोयला खदान अग्नि मानचित्रण, डीजीपीएस सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूमिगत सहसंबंध सर्वेक्षण, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण आदि शामिल हैं।



## 18.1 सुदूर संवेदन सेल

### ■ भूमि पुनर्ग्रहण निगरानी

सीएमपीडीआई उच्च रिजॉल्यूशन उपग्रह डेटा के आधार पर नियमित रूप से सीआईएल खदानों की भूमि सुधार निगरानी कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में, सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के तहत 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) श्रेणी से अधिक उत्पादन करने वाली 76 ओपनकास्ट परियोजनाओं और 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) श्रेणी से कम उत्पादन करने वाली 45 खदानों/क्लस्टरों सहित कुल 121 परियोजनाओं की भूमि सुधार निगरानी पूरी हो चुकी है।

### ■ वनस्पति आवरण मानचित्रण

कोयला क्षेत्र में भूमि उपयोग/वनस्पति आवरण पर खनन के प्रभाव के आकलन के लिए उच्च रिजॉल्यूशन उपग्रह डेटा के आधार पर सीआईएल कोलफील्ड्स के वनस्पति आवरण का मानचित्रण नियमित रूप से किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सात कोयला क्षेत्रों के वनस्पति आवरण का मानचित्रण किया जाएगा। उमरेर और पेंच-कन्हान-तवा (डब्ल्यूसीएल), इब-वैली कोलफील्ड (एमसीएल), मंड रायगढ़ और सोहागपुर कोलफील्ड (एसईसीएल), रानीगंज और राजमहल कोलफील्ड (ईसीएल) का काम पूरा हो चुका है।

### ■ ईएमपी के लिए कोर और बफर जोन का भूमि उपयोग/कवर मानचित्रण

उपग्रह डेटा के आधार पर सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के तहत 21 परियोजनाओं के कोर और बफर जोन के भूमि उपयोग/कवर मानचित्रण का कार्य 2023-24 के दौरान पूरा कर लिया गया है।

### ■ डीएसएस विश्लेषण

डीएसएस विश्लेषण कार्य, जो कोयला ब्लॉक की नीलामी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है, आवश्यकतानुसार कोयला ब्लॉकों के लिए भी किया जा रहा है। डीएसएस विश्लेषण के माध्यम से, वन्यजीव गलियारों, अभयारण्यों, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों आदि से उनकी निकटता के संबंध में ब्लॉकों की पर्यावरणीय स्थिति का आकलन किया जाता है।

### ■ पीएम गति शक्ति परियोजना (राष्ट्रीय मास्टर प्लान)

कोयला मंत्रालय के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान, गांधीनगर (बीआईएसएजी-एन) के साथ पीएम गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर एमओसी पेज के विकास में समन्वय और सुविधा प्रदान कर रहा है। सीएमपीडीआई एल, बीआईएसएजी-एन के साथ समन्वय में पीएमजीएस-एनएमपी पोर्टल पर कई डीपीआर उपकरणों के विकास में भी शामिल है, जिनका उपयोग खदान योजना और खदान बंद करने की योजना सहित विभिन्न विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

उपरोक्त के अलावा, सीएमपीडीआई एल आगामी और विस्तार परियोजनाओं के विश्लेषण के लिए पीएमजीएस-एनएमपी पोर्टल का भी उपयोग कर रहा है और विभिन्न सहायक कंपनियों की 10 परियोजनाओं के लिए परियोजनावार रिपोर्ट तैयार की गई है।

पीएम गति शक्ति - कोयला क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान नामक एक व्यापक सूचना दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें उपयोगकर्ताओं के लिए विवरण और दिशानिर्देश शामिल हैं। यह दस्तावेज माननीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा 13.03.2024 को नई दिल्ली में जारी किया गया।

### ■ कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली

सीएमपीडीआई एल ने बीआईएसएजी-एन को तकनीकी सहायता प्रदान की है, जिससे कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ संबंधित मोबाइल ऐप "खनन" प्रहरी का सुचारु संचालन सुनिश्चित हो रहा है। हाल ही में सीएमएसएमएस वेब पोर्टल और संबंधित मोबाइल ऐप "खनन" प्रहरी को अधिक जानकारीपूर्ण और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए नए डैशबोर्ड और सुविधाओं के साथ अपडेट किया गया है।

### ■ चिरिमिरी ओसीएम, एसईसीएल में अग्नि मानचित्रण

सीएमपीडीआई एल को 5 वर्षों तक वार्षिक आधार पर सैटेलाइट थर्मल इमेजरी के माध्यम से चिरिमिरी ओसीएम में आग के स्थानों का पता लगाने और



उनकी पहचान करने का काम सौंपा गया है। नवंबर 2023 की थर्मल इंफ्रारेड इमेजरी पर आधारित रिपोर्ट पहले ही तैयार करके प्रस्तुत की जा चुकी है।

## ■ एमसीएल के सुभद्रा क्षेत्र में बस्तियों का मानचित्रण

सीएमपीडीआई एल ने सुभद्रा ओसीपी, सुभद्रा क्षेत्र, एमसीएल की अधिसूचना के अनुसार 9 गांवों अर्थात पीरखमन, कंकरेई, छोटाबेरेनी, रायझरन, कौनसिधिपा, बालीचंद्रपुर, बघुआबोला और कुमुंडा में संरचनाओं की पहचान के लिए उच्च संकल्प उपग्रह डेटा आधारित निपटान मानचित्रण किया है। रिपोर्ट एमसीएल को प्रस्तुत की गई है।

## ■ टाटा स्टील लिमिटेड के लिए भूमि उपयोग / कवर मानचित्रण

वर्ष 2023-24 में सीएमपीडीआई ने निम्नलिखित कार्य किए हैं: मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के लिए वेस्ट बोकारो कोलियरी के कोर और बफर जोन के भूमि उपयोग / कवर मानचित्रण। यह कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और संबंधित मानचित्र और रिपोर्ट मेसर्स टाटा स्टील को प्रस्तुत कर दी गई है।

## ■ ड्रोन/यूएवी आधारित सर्वेक्षण

सीएमपीडीआई एल ने नीति आयोग के निर्देशानुसार सीसीएल की चिन्हित 11 परित्यक्त खदानों का कार्य पूरा कर लिया है। आयोग द्वारा प्राप्त आंकड़ों को आगे की कार्यवाही के लिए सीसीएल को प्रस्तुत कर दिया गया है।

कोयला मंत्रालय के लिए नीलामी ब्लॉकों के लिए ड्रोन सर्वेक्षण भी चरणबद्ध तरीके से किया गया।

## ■ सीसीएल परियोजनाओं के लिए कैनोपी घनत्व का अध्ययन

वर्ष 2023-24 में, सीएमपीडीआई एल ने सीसीएल की 8 परियोजनाओं अर्थात गिरिडीह ओसीपी, डकरा ओसीपी, कथारा ओसीपी, गिद्दी ए ओसीपी, करगली ओसीपी, बोकारो ओसीपी, रजरप्पा ओसीपी और टोपा ओसीपी के एसीए में कैनोपी घनत्व का अध्ययन किया।

## 18.2 सर्वेक्षण विभाग

### ■ ड्रोन अनुप्रयोग

सीएमपीडीआई एल में स्थलाकृतिक मानचित्रण, कोयला खदान अग्नि मानचित्रण, वनस्पति आवरण मानचित्रण, बस्तियों का मानचित्रण, वृक्षारोपण ऊंचाई आकलन और खनन से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए पूर्णतः प्रचालनात्मक ड्रोन आधारित क्षमता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली कुछ प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- मृदा नमी संरक्षण अध्ययन के लिए सर्वेक्षण - एसईसीएल की 2 परियोजनाएं (छाल और बारोद) और तालचेर सी.एफ. में राधिकापुर (पश्चिम)।
- रजरप्पा ओसीपी के पुनः प्राप्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण
- गारे IV/2 और 3 के बुनियादी ढांचे के मानचित्रण के लिए सर्वेक्षण
- रामनगर ब्लॉक और बीसीसीएल के कल्याणेश्वरी ब्लॉक का सर्वेक्षण (21 वर्ग किमी)
- उरीमारी ओसीपी (7.50/10.0 एमटीवाई) के परियोजना क्षेत्र में आने वाले उरीमारी ओसीपी के पुराने ओबी डंपों के सर्वेक्षण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, जिससे वर्तमान उत्पादन क्षमता 4.50 एमटीवाई से बढ़ाकर 7.50 एमटीवाई की जा सके, बरका सयाल क्षेत्र, सीसीएल (24 फरवरी)
- पुंडी ओसीपी, सीसीएल के परियोजना क्षेत्र का वास्तविक समय हवाई फुटेज और वीडियो (24 फरवरी)
- वास्तविक समय फुटेज के लिए रजरप्पा प्रस्तावित वाशरी का यूएवी आधारित सर्वेक्षण
- बीएंडके क्षेत्र, सीसीएल के लगभग 818 हेक्टेयर क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण (24 दिसंबर)
- दहीबाड़ी कोयला खदान का यूएवी आधारित सर्वेक्षण।
- छत्तीसगढ़ के सेंदुर कोल ब्लॉक का यूएवी आधारित सर्वेक्षण

### 18.3 जाइरोस्कोपिक सर्वेक्षण

जियोमैटिक्स प्रभाग ने पश्चिम बंगाल के सिवोक-रंगपो रेल लिंक परियोजना में GYROMAT 3000 का उपयोग करके सुरंग संरेखण के लिए जाइरोस्कोपिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक किया है। (SSNR और ITD सीमेंटेशन)

### 18.4 ओबीआर/ ओबी+कोयला माप

एमटीवाई से अधिक उत्पादन करने वाली सभी आउटसोर्स और विभागीय ओसी खानों का ओबीआर मापन और 1 एमटीवाई से कम उत्पादन करने वाली ओसी खानों (केवल किराये पर लिए गए पैच) का वार्षिक मापन पूरा हो चुका है और रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है।

### 18.5 डीजीपीएस सर्वेक्षण कार्य:

#### सीआईएल के भीतर

डीजीपीएस सर्वेक्षण / के लिए

- पिपरवार ओसीपी, सीसीएल के 28.22 हेक्टेयर, 13.11 हेक्टेयर और 101.87 हेक्टेयर वन भूमि के टुकड़े
- प्रस्तावित ढोरी वाशरी के पांच स्थल
- बोकारो कोलफील्ड्स में वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित 100 हेक्टेयर भूमि में से 535.78 हेक्टेयर वन भूमि, कोनार वाशरी की 98 हेक्टेयर सीए भूमि
- पिपरवार यूजी फेज की सीए भूमि (75.62 हेक्टेयर) के मुकाबले 37.81 हेक्टेयर जीएम जेजे भूमि
- रोहिणी की 535.78 हेक्टेयर वन भूमि की भूमि उपयोग योजना करकट्टा ओसीपी, एनके एरिया, सीसीएल
- रेलिगेरा ओपनकास्ट (2 एमटीवाई) परियोजना, अरगाडा क्षेत्र, सीसीएल की पीआर सीमा के भीतर केएमएल योजना की तैयारी के लिए कैडस्ट्रल
- गतिशक्ति पोर्टल के लिए एनईसी की भूमि अधिग्रहित (ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजी गई)

- झारखण्ड लाईयो ओसीपी, सीसीएल की वन भूमि (135.02 हेक्टेयर)
- ईसीएल की 6 खदानें और 12 योजनाओं की जियो-रेफरेंसिंग
- सीसीएल की 8 परियोजनाओं ( गिरिडीह ओसीपी, करगली ओसीपी, टोपा ओसीपी, कथारा ओसीपी, रजरप्पा ओसीपी, गिदूदी ए ओसीपी, डकरा ओसीपी, बोकारो ओसीपी) का मान्यता प्राप्त प्रतिपूरक वनरोपण
- दुधीचुआ ओसीपी, एनसीएल का जियो-रेफरेंसिंग, डिजिटलीकरण और सीमांकन
- झरिया कोलफील्ड के दामुडा ब्लॉक के दक्षिण में एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित 11 बीएच प्वाइंट और 15 सीमा प्वाइंट
- झरिया सीबीएम ब्लॉक-II (पश्चिम महुदा ब्लॉक, भुरंगिया , कल्याणपुर , कुंजी शामिल) की परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना नूतनडीह उप-प्रखंड एवं मुरलीडीह उप-प्रखंड) (सीबीएम विभाग नौकरी)

#### सीआईएल के बाहर

- मेसर्स एपीएमडीसी लिमिटेड की ब्रह्मडीहा कोयला खदान के सीबीए (एएंडडी) अधिनियम की धारा 9 के अनुपालन के लिए कैडस्ट्रल मानचित्र पर आरोपित सीमा योजना की तैयारी।
- मेसर्स गंगारामचक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के बसंतपुर कोल ब्लॉक में डीजीपीएस योजना तैयार करना और 50 मीटर के अंतराल पर जमीन पर सीमा का सीमांकन करना।
- ब्लॉक सीमा को अंतिम रूप देने के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण 6 कोयला ब्लॉक ( शेरबंद , उत्तर धाधु (पूर्वी भाग), उत्तर धाधु (पश्चिमी भाग), उत्तर धाधु (पश्चिमी भाग), पथोरा पूर्व, पथोरा पश्चिम, मीनाक्षी पश्चिम) की हाल ही में वाणिज्यिक नीलामी के 7वें दौर के तहत सफलतापूर्वक नीलामी की गई।
- मेसर्स एनएमडीसी के रोहने कोल ब्लॉक की खनन पट्टा सीमाओं के प्रमाणीकरण के लिए कोइलांग , तलसवार , मालडीह , नापखुर्द, बरवानिया , लुरुंगा , चानो और पसेरिया गांव को कवर करते हुए 1245 हेक्टेयर क्षेत्र का डीजीपीएस सर्वेक्षण किया गया।

- मेसर्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के राबोडीह कोल ओसीपी कोल ब्लॉक की ब्लॉक सीमा को अंतिम रूप देने के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण, जिसमें सीसीएल की सीबीए अधिग्रहीत भूमि के साथ ब्लॉक के अतिव्याप्त क्षेत्र का आकलन शामिल है।
- मेसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल के तारा (पूर्व) और तारा (पश्चिम) कोयला ब्लॉक/खान की जमीन पर 50 मीटर के अंतराल पर डीजीपीएस योजना तैयार करना और ब्लॉक सीमा का सीमांकन करना
- कठौतिया खुली खदान कोयला खदान की ब्लॉक सीमा के भीतर कैडस्ट्रल मानचित्रों का जियोरेफरेंसिंग और कठौतिया खुली खदान कोयला खदान का सीमा सीमांकन।

## 19.0 खनन इलेक्ट्रॉनिक्स

सीएमपीडीआईएल का खनन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग संचार नेटवर्क स्थापित करने, यू/जी और ओ/सी खदानों के लिए पर्यावरण मापदंडों की टेलीमॉनीटरिंग, संग्रहालय और स्मार्ट क्लासरूम के लिए ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया सिस्टम स्थापित करने के लिए ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस) और निविदा दस्तावेजों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट, तकनीकी विनिर्देश, बीओक्यू और बजटीय लागत और पात्रता मानदंड तैयार करने में सेवाएं प्रदान करता है। यह शॉवेल, डंपर और ड्रैगलाइन आदि के लिए आयातित /स्वदेशी एचईएमएम इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण कार्ड की मरम्मत में सहायक कंपनी को भी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करता है। विभाग ने खदानों की उत्पादकता और सुरक्षा से संबंधित ओपन कास्ट और भूमिगत खदानों के लिए विभिन्न आरएंडडी/एसएंडडी परियोजनाएं भी शुरू की हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे/परिचालन में थे।

## 19.1 अनुसंधान एवं विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

- 1) एमओसी एसएंडडी परियोजना - "ओपन कास्ट माइन के लिए ऑन-लाइन कोल डस्ट सप्लेशन सिस्टम" - अशोका ओपनकास्ट माइन, सीसीएल। - समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर प्राप्त हुआ।

- 2) एमओसी एसएंडडी परियोजना - "ओ/सी खानों में विफलता/ढलान अस्थिरता की भविष्यवाणी के लिए प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली का स्वदेशी विकास" - पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

- 3) सीआईएल अनुसंधान एवं विकास परियोजना- "भूमिगत खदानों के लिए थू द अर्थ (टीटीई) दो-तरफा संचार प्रणाली का स्वदेशी विकास"। पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पेटेंट के लिए आवेदन किया गया।

- 4) मुद्रण द्वारा मोनोलिथिक पेरोवस्काइट मॉड्यूल विनिर्माण का स्वदेशी विकास। - डिवाइस उत्पादन और स्थिरता परीक्षण पूरा हो गया।

- 5) खदान ढलान की स्थिति की निगरानी के लिए रियल टाइम ऊर्जा कुशल साइबर-भौतिक इंटेलेजेंट प्रणाली। - सोनपुर बजारी, ईसीएल में एमईएमएस सेंसर का फील्ड ट्रायल चल रहा है।

- 6) कोयला उद्योग के लिए सीएमपीडीआई में 5जी यूज केस टेस्ट लैब की स्थापना, टीसीआईएल, सीएमपीडीआईएल और आईआईआईटी, रांची द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित। - 5G CoE परीक्षण लैब (उपकरण) निविदा GeM पर जारी की गई तथा 5G CoE लैब अवसंरचना (सिविल/आंतरिक) निविदा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जारी की गई।

- 7) सीआईएल आरएंडडी अनुदान के तहत एनसीएल के अमलोहरी ओसी माइंस में ओपनकास्ट कोल माइंस में एकीकृत वॉयस, वीडियो और डेटा संचार के लिए 5जी कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) को सीएमपीडीआई और सीडैक, तिरुवनंतपुरम द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया। - 5जी उपकरण और सॉफ्टवेयर के लिए विनिर्देशों की तैयारी जारी है।

## 19.2 पी एंड डी/एनआईटी/अन्य कार्य

- 1) सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों और बाहरी एजेंसियों की परियोजना रिपोर्टों में शामिल करने के लिए 24 यूजी और ओसी खानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार पर अध्याय तैयार किए गए हैं।

- 2) सीएमपीडीआईएल पृथ्वी विज्ञान संग्रहालय के लिए ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया सिस्टम। - कार्य पूरा हो गया। संग्रहालय चालू है।
- 3) SAP सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली. - फेस कम पाम बायोमेट्रिक सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित और चालू है।
- 4) अंगार संग्रहालय के लिए ऑडियो विजुअल सिस्टम और आईआईसीएम, रांची में मल्टीमीडिया स्मार्ट क्लासरूम - निविदा दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।
- 5) बिलासपुर कार्यालय भवन के लिए सीसीटीवी प्रणाली हेतु तकनीकी विनिर्देश - प्रस्तुत।

## 20.0 कोयला कैरेक्टराईजेशन एवं प्रयोगशाला

### 20.1 अवलोकन

कोयला अभिलक्षण प्रयोगशाला में रासायनिक और पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला शामिल है। रासायनिक और पेट्रोग्राफी प्रयोगशालाएं भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए नियमित आधार पर गवेषण चरण में कोयले के व्यवस्थित और विस्तृत लक्षण वर्णन करने में लगी हुई हैं। स्वच्छ कोयले के गुणों का पता लगाने के लिए कच्चे और स्वच्छ कोयले के नमूनों (वाशरी उत्पादों) का व्यवस्थित लक्षण वर्णन किया जा रहा है। सीबीएम मूल्यांकन के लिए कोयले के नमूनों का व्यवस्थित लक्षण वर्णन।

रासायनिक प्रयोगशाला में समीपस्थ विश्लेषण, अंतिम विश्लेषण और सकल कैलोरी मान निर्धारण जैसे परीक्षण किए जाते हैं। कोकिंग कोयले के लिए विशेष परीक्षण जैसे कि मुक्त सृजन सूचकांक, LTGK कोक प्रकार और प्लास्टोमेट्रिक परीक्षण किए जाते हैं। राख संलयन तापमान सीमा निर्धारण, गैर-कोकिंग कोयले के लिए HGI परीक्षण भी किए जाते हैं।

### 20.2 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोयला अभिलक्षणीकरण प्रयोगशाला की प्रगति

| प्रभाग                     | आइटम विवरण                      | वार्षिक लक्ष्य | उपलब्धि | प्रदर्शन (%) |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|---------|--------------|
| रासायनिक प्रयोगशाला प्रभाग | 1. नमूना विश्लेषण (संख्या)      | 55000          | 56599   | 102.91       |
|                            | 2. कोयला कोर (मीटर)             | 16000          | 17549.6 | 109.69       |
|                            |                                 |                |         |              |
| पेट्रोग्राफी प्रभाग        | 1. पेट्रोग्राफी अध्ययन (संख्या) | 955            | 960     | 100.52       |

### 20.3 प्रयोगशालाओं का पैन्लीकरण :

- निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार, कोयला कोर प्रसंस्करण क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला ने 24 अप्रैल तक 2 वर्षों के लिए 20000 मीटर के कोयला कोर का विश्लेषण करने में सक्षम 02 निजी प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध किया था।
- 2024-2026 की अवधि के लिए "विभिन्न कोयला क्षेत्रों के गवेषण ब्लॉकों के कोयला कोर के विश्लेषण के लिए कोयला परीक्षण निजी प्रयोगशालाओं का पैन्लीकरण" की प्रक्रिया चल रही है।
- समझौता ज्ञापन :** भारत के विभिन्न क्षेत्रों से खोजे गए कोयला कोर के गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए सीएमपीडीआई और सीएसआईआर-सीआईएमएफआर तथा इसकी सहयोगी प्रयोगशालाओं के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर प्रक्रियाधीन है।



## 20.4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना से संबंधित कार्य :

कोयला और गैर-कोयला स्तर में दुर्लभ मृदा तत्वों और अन्य आर्थिक संसाधनों का आकलन तथा एसिड माइन ड्रेनेज (एएमडी) का लक्षण-निर्धारण और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) कोयला क्षेत्र से इसका प्रदूषण नियंत्रण" शीर्षक से एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना पूरी हो गई है और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है ।

## 20.5 विविधीकरण:

- प्रयोगशाला गैर-कोयला मूल (हार्ड रॉक) के नमूने तैयार करने में सक्षम विभिन्न नमूना तैयारी इकाइयों से खुद को सुसज्जित करने की योजना बना रही है। ऐसे उपकरणों के लिए आपूर्ति आदेश दिए गए हैं और इन्हें अप्रैल 2024 तक स्थापित कर दिया जाएगा।
- इसके अलावा, आरईई और ट्रेस तत्वों सहित पार्टस पर ट्रिलियन (पीपीटी) से पार्टस पर बिलियन (पीपीबी) स्तर तक 75 से अधिक तत्वों के पूर्ण चित्रण के लिए आईसीपी-एमएस (एकीकृत युग्मित प्लाज्मा-मास स्पेक्ट्रोस्कोपी) उपकरण की खरीद शुरू की गई है।
- वर्तमान में प्रयोगशाला के पास एक्सआरएफ (एक्स-रे फ्लोरोसेंस) है और कोयला खदान की धूल में मुक्त सिलिका के विश्लेषण के साथ-साथ गैर-कोयला अयस्कों में विभिन्न खनिज चरणों के निर्धारण के लिए एक्सआरडी (एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर) भी खरीदा गया है।

## 20.6 बाहरी परामर्श नौकरियां:

- मिनरल लैब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के आयातित कोयले के नमूनों की जांच की गई, जिनकी कीमत लगभग 19 लाख रुपये थी और परिणाम समय पर सूचित किए गए।
- प्रयोगशाला ने आरडीसीआईएस सेल और सीएसजी एंड कंपनी के नमूनों का भी विश्लेषण किया ।
- प्रयोगशाला ईसीएल और सीसीएल की चालू खदानों से विभिन्न नमूनों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में है।

## 21.0 सामग्री प्रबंधन

वर्ष 2023-24 के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

### 21.1 आपूर्ति आदेश:

( ₹ करोड़ में )

|    | विवरण                                                                                              | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | कुल खरीद मूल्य                                                                                     | 92.41              | 160.89             |
| 2. | एमएसई से प्राप्त कुल मूल्य                                                                         | 72.85              | 130.25             |
| 3. | कुल अधिप्राप्त मूल्य केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई का है।   | 1.22               | 0.48               |
| 4. | कुल अधिप्राप्त मूल्य केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त किया गया              | 2.99               | 1.49               |
| 5. | एमएसई से खरीद का प्रतिशत                                                                           | 78.84%             | 80.95%             |
| 6. | कुल खरीद में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत | 1.33%              | 0.29%              |
| 7. | कुल खरीद में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत                         | 3.24%              | 0.92%              |

एमएसई से खरीद का प्रतिशत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 25% के लक्ष्य से काफी ऊपर है। एमएसएमई द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 से सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के लिए इस लक्ष्य को बढ़ाकर 35% कर दिया गया है, जैसा कि ईडी (एम एंड सी), सीआईएल के दिनांक 01.06.2022 के पत्र संख्या सीआईएल/सीआईएल/एमएसएमई/2022/169 के माध्यम से प्रसारित किया गया है। हालांकि, एचईएमएम, आयरन एंड स्टील, पीओएल, विस्फोटक आदि जैसी कुछ छूट प्राप्त श्रेणियों के सामान की खरीद के लिए कटौती, जो एमएसई की क्षमता से परे हैं, को भी एमएसई से प्रतिशत खरीद के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के लिए कुल खरीद मूल्य से अनुमति दी गई है।

## 21.2 वित्त वर्ष 2023-24 में GeM के माध्यम से खरीद की स्थिति

( ₹ करोड़ में )

| वित्तीय वर्ष | अनुमानित वार्षिक खरीद |        | GeM के माध्यम से वास्तविक खरीद |        | वार्षिक क्षमता में से जीईएम के माध्यम से खरीद का % |         |
|--------------|-----------------------|--------|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|
|              | वस्तुएं               | सेवाएं | वस्तुएं                        | सेवाएं | वस्तुएं                                            | सेवाएं  |
| 2023-24      | 55.00                 | 70.00  | 64.60                          | 84.70  | 117.45%                                            | 121.00% |

## 21.3 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खरीद लक्ष्य:

( ₹ करोड़ में )

| क्रम सं. | विवरण                                                                                                                       | वस्तुएं | सेवाएं | कुल    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 1.       | कुल लक्षित खरीद ( जीईएम + जीईएम के बाहर )                                                                                   | 56.00   | 60.00  | 116.00 |
| 2.       | एमएसई से लक्षित खरीद<br>(कुल खरीद का लगभग 40%, सीएमपीडीआई द्वारा जारी निविदाओं में एमएसई की भागीदारी के अधीन सीएमपीडीआईएल ) | 22.00   | 24.00  | 46.00  |

## 22.0 मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण एवं विकास कर्मचारियों की समृद्धि का अभिन्न अंग है। इसलिए सीएमपीडीआईएल में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका समग्र विकास वर्षों तक जारी रहे। संगठन में मानव पूंजी की क्षमता को अनलॉक करने के लिए "सीआईएल अधिकारी शिक्षण एवं विकास नीति" का पालन किया जा रहा है, जो कॉर्पोरेट योजनाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संगठनात्मक क्षमताओं के निर्माण में मदद करेगी।

नीति के अनुसार , किसी संगठन में प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रशिक्षण चक्र 2023-24 से शुरू होकर 4 वर्ष का होगा। सभी अधिकारी को एक प्रशिक्षण चक्र में 90 प्रशिक्षण घंटों का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा।

तदनुसार, सीएमपीडीआईएल के अधिकारियों को वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक 4 वर्ष की ब्लॉक अवधि में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन किया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित कुल ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण/सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला का सारांश नीचे दिया गया है: -

| कार्यक्रमों की संख्या | प्रशिक्षण दिवस | प्रतिभागियों की संख्या | प्रशिक्षण मानव दिवस |
|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| 206                   | 970            | 1610                   | 5049                |

उपरोक्त प्रशिक्षणों में से, शिक्षण एवं विकास नीति के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:

| कार्यक्रमों की संख्या | प्रशिक्षण दिवस | प्रतिभागियों की संख्या | प्रशिक्षण मानव दिवस |
|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| 161                   | 598            | 1048                   | 3125                |

संस्थानों में भी प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं :-

## 22.1 स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (एसटीसी) में प्रशिक्षण

1130 कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आंतरिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण इस प्रकार हैं:-

1. (भूविज्ञान) के लिए माइनेक्स सॉफ्टवेयर
2. टीएलएस सॉफ्टवेयर.
3. अनुबंध प्रबंधन - माल , कार्य और सेवाओं की खरीद ।
4. आईएसओ 9001:2015 और सीएमपीडीआईएल की प्रलेखित व्यवस्था
5. ऑटो सीएडी सॉफ्टवेयर.
6. कार्लसन सॉफ्टवेयर.
7. कोयला क्षेत्र के अधिकारी खदान बंद करने के पोर्टल पर।
8. वीटीओएल फिक्स्ड विंग ड्रोन (aarav\_enx6mc).
9. GeM के माध्यम से खरीद
10. मैपटेक वल्कन- 3डी माइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर
11. जीएसटी पर कार्यक्रम
12. एबीएमएस, आईएसओ 37001 और 2016
13. कर्मचारियों के लिए कार्यालय संस्कृति, व्यवहार और संचार कौशल।
14. प्रबंधन प्रणाली में आंतरिक लेखापरीक्षा कौशल पर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम-आईएसओ 9001:2015 (क्यूएमएस)
15. साइबर स्वच्छता और सुरक्षा

## 22.2 आईआईसीएम में प्रशिक्षण

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, मानव संसाधन विकास प्रभाग ने IICM के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार IICM में प्रशिक्षण के लिए बड़ी संख्या में वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों को नामांकित किया है। नामांकन प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन और HRIS प्लेटफॉर्म के आधार पर किए जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 113 अधिकारियों ने IICM में ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण लिया है।

## 22.3 उत्कृष्टता केन्द्र में प्रशिक्षण

को तकनीकी/प्रबंधकीय कौशल उन्नयन से संबंधित प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, कॉन्क्लेव और संगोष्ठी आदि में भाग लेने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थानों में भेजा जाता है और नवीनतम तकनीकी विकास के साथ तालमेल बिठाया जाता है । इस वर्ष भारत के विभिन्न स्थानों से 367 अधिकारियों और गैर-कार्यकारियों ने ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रमों में भाग लिया है ।

कुछ संस्थानों के नाम जहां हमारे कर्मचारियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया, निम्नानुसार हैं :-

- एनआरएससी हैदराबाद
- ईएससीआई हैदराबाद
- वीएनआईटी नागपुर
- ईट कानपुर
- आईएसएम धनबाद
- एनपीटीआई, बदरपुर
- आईआईसीए नई दिल्ली।
- बीएचयू वाराणसी
- एनआईटी राउरकेला
- ईपीटीआरआई, हैदराबाद
- फिक्की नई दिल्ली
- आईडीटी, देहरादून
- एससीआई, हैदराबाद
- एनआईटीएस, नोएडा
- आईआईएम, लखनऊ
- एक्सएलआरआई, जमशेदपुर
- आरजीएनडब्ल्यूटीआरआई, रायपुर.
- सत्यकिरण स्कूल ऑफ एनडीटी, नई दिल्ली

## 22.4 सीएमपीडीआईएल में इंटरनशिप प्रशिक्षण

एचआरडी प्रभाग द्वारा सीएमपीडीआईएल और मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में विभिन्न संस्थानों के छात्रों को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इंटरनशिप / औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2023-24 के दौरान सीएमपीडीआईएल में कुल 105 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। छात्रों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 4-6 सप्ताह का प्रशिक्षण / परियोजना कार्य किया है।

## 22.5 प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण

1961 के अनुसार , सीएमपीडीआईएल को ठेकेदार श्रमिकों सहित सीएमपीडीआईएल की औसत श्रमशक्ति का न्यूनतम 2.5% लक्ष्य प्राप्त करना है ( अर्थात 31 मार्च 2023 तक 3903 )। सीएमपीडीआईएल ने 166 प्रशिक्षुओं को एंगेज किया है जो कुल श्रमशक्ति का 4.5% है। इसमें विभिन्न विषयों जैसे मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग , केमिकल, माइनिंग आदि में 115 डिप्लोमा धारक और 45 डिग्री धारक और 06 फ्रेशर शामिल हैं । और उन्हें नियुक्त किया गया है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएमपीडीआईएल के विभिन्न आरआई और मुख्यालय में इन प्रशिक्षुओं को रखा गया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

| लगे हुए प्रशिक्षुओं की संख्या |                         |          |        |     |
|-------------------------------|-------------------------|----------|--------|-----|
| इंजीनियरिंग स्नातक            | गैर- इंजीनियरिंग स्नातक | डिप्लोमा | फ्रेशर | कुल |
| 41                            | 4                       | 115      | 6      | 166 |





## 23.0 श्रमशक्ति और कल्याण गतिविधियाँ

### 23.1 श्रमशक्ति की स्थिति :

| विवरण    |             | 31 मार्च 2023 तक | 31 मार्च 2024 तक |
|----------|-------------|------------------|------------------|
| अधिकारी  |             | 815              | 788              |
| कर्मचारी | मासिक रेटेड | 943              | 963              |
|          | दैनिक रेटेड | 1095             | 1015             |
|          | पीस रेटेड   | 2                | 1                |
|          | कुल योग     | 2855             | 2767             |

### 23.2 कल्याणकारी गतिविधियाँ

| क्रम सं. | कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                            | तारीख           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01       | अम्बेडकर जयंती समारोह , 2023                                                                                                                                                                                         | 14-अप्रैल-2023  |
| 02       | आतंकवाद विरोधी दिवस                                                                                                                                                                                                  | 21-मई-2023      |
| 03       | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची और सीएमपीडीआई आरआई-III, रांची के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन                                                                                     | 29 मई से        |
| 04       | 16 से 30 जून 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन                                                                                                                                                                       | 07 जून , 2023   |
| 05       | आगामी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "साथी (SUPERANNUATING AS THE HAPPIEST INDIVIDUAL)" का आयोजन                                                                                       | जून, 2023       |
| 06       | जनसुरक्षा योजनाओं अर्थात पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई पीएमजेजेबीवाई (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) और पीएमएसबीवाई (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के अंतर्गत सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के लिए नामांकन शिविर | 27-जुलाई-2023   |
| 07       | स्वतंत्रता दिवस का उत्सव                                                                                                                                                                                             | जुलाई, 2023     |
| 08       | सीएमडी बनाम डायरेक्टर्स टीम वॉलीबॉल मैच का आयोजन                                                                                                                                                                     | 15-अगस्त-2023   |
| 09       | 2 अक्टूबर, 2023 को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का समारोह                                                                                                                                                            | 15-अगस्त-2023   |
| 10       | कर्मचारियों के बीच एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध और शून्य अपशिष्ट कार्यक्रमों के लिए शपथ दिलाई गई                                                                                                                     | 02-अक्टूबर-2023 |
| 11       | विशेष अभियान 3.0 एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत वॉकथॉन का आयोजन                                                                                                                                              | 02-अक्टूबर-2023 |
| 12       | फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन                                                                                                                                                                                        | 02-अक्टूबर-2023 |
| 13       | 03.10.2023 को सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता वीरों का अभिनंदन                                                                                                                              | 02-अक्टूबर-2023 |
| 14       | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन                                                                                                                                                         | 03-अक्टूबर-2023 |
| 15       | विशेष अभियान 3.0 का आयोजन                                                                                                                                                                                            | 31-अक्टूबर-2023 |
| 16       | संविधान दिवस का उत्सव                                                                                                                                                                                                | 26-नवंबर-2023   |

|    |                                                                                                                                                                                             |                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 17 | 19 से 25 नवंबर, 2023 तक सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन                                                                                                                                  | 19 से 25 नवंबर , 2023         |
| 18 | कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना दिवस समारोह                                                                                                                                                   | 01-नवंबर-2023                 |
| 19 | स्थापना दिवस पर कक्षा 10वीं और 12वीं के उन मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिन्होंने कक्षा 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। | 01-नवंबर-2023                 |
| 20 | इंटर सीआईएल और आरआई टूर्नामेंट के लिए मुख्यालय टीम का चयन करने के लिए चयन ट्रायल                                                                                                            | अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022    |
| 21 | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची के अधिकारियों के लिए सीएमडी-XI बनाम निदेशक-XI टीम कैनवास बॉल क्रिकेट मैच का आयोजन                                                                              | 21-जनवरी-2024                 |
| 22 | सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची के गैर-कार्यकारियों के लिए सीएमडी-XI बनाम निदेशक-XI टीम कैनवास बॉल क्रिकेट मैच का आयोजन                                                                        | 18-फरवरी-2024                 |
| 23 | 29 फरवरी से 02 मार्च, 2024 तक 03 दिवसीय अंतर सीआईएल शतरंज टूर्नामेंट 2023-24 का आयोजन                                                                                                       | 29 फरवरी से 02 मार्च, 2024 तक |
| 24 | सीएमपीडीआई ग्राउंड, रांची में परेड के साथ गणतंत्र दिवस समारोह                                                                                                                               | 26-जनवरी-2024                 |
| 25 | वर्ष 2023-24 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सम्मान-सह-सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन।                                                                                      | अप्रैल 2023 से मार्च 2024     |

### 23.3 वर्ष 2023-24 हेतु अधिकारी स्थापना से संबंधित प्रमुख जानकारी

| क्रम सं | वार्षिक कार्य योजना                               | कार्रवाई की |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1       | टर्मिनल लाभ (ग्रेच्युटी) का निपटान                | 38          |
| 2       | जीवन बीमा भुगतान योजना                            | 02          |
| 3       | सीपीआरएमएसई के तहत मेडिकल कार्ड जारी करना         | 43          |
| 4       | सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अवकाश नकदीकरण             | 20          |
| 5       | सेटलड                                             | 13          |
| 6       | लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण रोक दिया गया | 04          |
| 7       | प्रक्रियाधीन                                      | 03          |

### 23.4 आरटीआई वार्षिक रिपोर्ट ( 01.04.2023 अप्रैल से 31.03.2024 मार्च )

| 31.12.23 को शेष | प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या | निपटाए गए आवेदनों की कुल संख्या | शेष आवेदन | दिनांक 31.03.24 को शेष अपील आवेदन | प्राप्त प्रथम अपील आवेदनों की कुल संख्या | प्रथम अपील आवेदन का निपटारा किया गया | शेष अपील आवेदन | सीआईसी( द्वितीय निवेदन आवेदन प्राप्त | सीआईसी (द्वितीय अपील आवेदन का निपटारा किया गया) |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 26              | 281                           | 284                             | 23        | 00                                | 04                                       | 04                                   | 00             | 00                                   | 00                                              |

## 23.5 वर्ष 2023-24 के दौरान सीपीजीआरएम से संबंधित जानकारी

| क्रम सं. | शिकायत स्रोत    | कुल प्राप्त आवेदन | आवेदन निपटाया गया | शेष/ प्रक्रियाधीन |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | स्थानीय/इंटरनेट | 32                | 32                | 0                 |
| 2        | पेंशन           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3        | पीएमओ           | 0                 | 0                 | 0                 |

## 23.6 वर्ष 2023-24 के दौरान वीआईपी संदर्भ से संबंधित जानकारी

| क्रम सं. | शिकायत स्रोत   | कुल प्राप्त आवेदन | आवेदन निपटाया गया | शेष/ प्रक्रियाधीन |
|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | Local/internet | 26                | 26                | 0                 |

## 23.7. वर्ष 2023-24 के दौरान पीएफ/पेंशन की स्थिति

| सीएम पीडीआईएल | वर्ष के दौरान प्राप्त कुल मामले | सेटलड | सीएमपीएफओ में लंबित | सीएमपीडीआईएल में लंबित |
|---------------|---------------------------------|-------|---------------------|------------------------|
| 1             | 127                             | 75    | 45                  | 7                      |

## 23.8 वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारियों से संबंधित जानकारी

| क्रम सं. | वार्षिक कार्य योजना                             | कार्रवाई की |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1        | टर्मिनल लाभ (ग्रेच्युटी) का निपटान              | 18          |
| 2        | जीवन बीमा भुगतान योजना                          | 02          |
| 3        | सीपीआरएमएसएनई के तहत मेडिकल कार्ड जारी करना     | 78          |
| 4        | सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अवकाश नकदीकरण           | 25          |
| 5        | सेटलड                                           | 12          |
| 6        | कंपनी क्वार्टर खाली न होने के कारण रोक दिया गया | 04          |
| 7        | प्रक्रिया के तहत                                | 08          |
| 8        | विवाद के कारण रोका गया                          | 01          |

## 23.9 राजभाषा (2023-24)

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के वैधानिक प्रावधानों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा), कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्देशों का क्रियान्वयन जारी रखा तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए।

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान क्षेत्र 'ग' में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य हासिल कर लिया है तथा क्षेत्र 'क' एवं 'ख' में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब है, जो गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किया गया था।

इसके अलावा, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेज, सीएमडी/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त, आपकी कंपनी की मासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट भी द्विभाषी रूप में तैयार की जाती रहीं। आपकी

कम्पनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की गृह पत्रिका " गोंडवाना भारती " ने भी हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देना जारी रखा, जिसकी देशभर में प्रशंसा हुई।

सितम्बर 2023 के महीने में, कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार "राजभाषा माह " का आयोजन किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के बीच हिंदी को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए, माह के दौरान कई हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। माह के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 5000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 4000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 3000 रुपये और सांत्वना पुरस्कार 800 रुपये दिए गए। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी संबंधित श्रेणी में प्रमाण पत्र भी दिए गए। इसके अलावा, शेष प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश एवं वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विभिन्न विभागों का निरीक्षण भी किया गया।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश एवं वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों में राजभाषा की त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें भी आयोजित की गईं।

राजभाषा की दो अर्धवार्षिक बैठकें भी आयोजित कीं। कार्यान्वयन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा प्रगति की समीक्षा के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा समिति का गठन किया गया।

### 24.0 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत प्रकटीकरण और जानकारी:

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण और सूचना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान सीएमपीडीआईएल में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों या शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

1. एक वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या - शून्य
2. एक वर्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या - शून्य
3. 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या - शून्य
4. एक वर्ष में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों या कार्यशालाओं की संख्या -01 (ऑनलाइन)
5. मामले के संबंध में नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति - लागू नहीं

### 25 सीएमपीडीआईएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन 2022-23 के भौतिक मापदंडों के सापेक्ष उपलब्धि

#### 25.1 ड्रिलिंग (केवल विभागीय ड्रिलिंग) :

सीएमपीडीआईएल के समझौता ज्ञापन 2023-24 के अनुसार, 'ड्रिलिंग (केवल ड्रिलिंग विभाग) (लाख मीटर), क्रम संख्या 2.0' शीर्षक के अंतर्गत, 4.1 लाख मीटर ड्रिलिंग के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 4.317 लाख मीटर ड्रिलिंग की रही।

#### 25.2 ड्रिलिंग (कुल):

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2023-24 के अनुसार, शीर्षक 'ड्रिलिंग (कुल) (लाख मीटर), क्रम संख्या 2.1' के अंतर्गत, लक्ष्य 7.5 लाख मीटर ड्रिलिंग के मुकाबले उपलब्धि 8.625 लाख मीटर ड्रिलिंग की रही।



## 25.3 अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जीईएम से खरीद:

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2023-24 के अनुसार, शीर्षक 'अनुमोदित खरीद योजना (%) के अनुसार जीईएम से खरीद क्रमांक 7.0' के अनुसार, 'अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार GeM से 100% खरीद' के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 119.4% रही।

## 25.4 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुत करना:

CMPDIL के समझौता ज्ञापन 2023-24 के अनुसार, 'भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (संख्या) की तैयारी और प्रस्तुत करना' शीर्षक के अंतर्गत, क्रम संख्या 8.0' के अनुसार, 'भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (संख्या) की तैयारी और प्रस्तुत करना' के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 31 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (संख्या) की तैयारी और प्रस्तुत करना थी।

## 25.5 यूजी खदानों के लिए परियोजना रिपोर्ट (संख्या) की तैयारी और प्रस्तुत करना:

CMPDIL के समझौता ज्ञापन 2023-24 के अनुसार, 'यूजी खदानों (संख्या) के लिए परियोजना रिपोर्ट (संख्या) की तैयारी और प्रस्तुत करना यूजी खदानों के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुतीकरण'।

## 25.6 ओसी खदानों के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुतीकरण:

सीएमपीडीआईएल के समझौता ज्ञापन 2023-24 के अनुसार, 'ओसी खदानों (संख्या) के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुतीकरण' शीर्षक के अंतर्गत, क्रम संख्या 9.2, 'ओसी खदानों के लिए 29 परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुतीकरण' लक्ष्य के मुकाबले ओसी खदानों के लिए 29 परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुतीकरण की उपलब्धि रही।

## 25.7 निर्दिष्ट समय के भीतर टीआरडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति:

सीएमपीडीआईएल के समझौता ज्ञापन 2023-24 के अनुसार, 'निर्दिष्ट समय (%) के भीतर टीआरडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति, क्रम संख्या 10.0' शीर्षक के अंतर्गत, 100% लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 100% रही।

## 25.8 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (विभागीय) के माध्यम से डेटा का अधिग्रहण:

सीएमपीडीआई के एमओयू 2023-24 के अनुसार, '2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (विभाग) (लाइन किमी) के माध्यम से डेटा का अधिग्रहण, क्रम संख्या 12.0' शीर्षक के अंतर्गत, '2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (विभाग) के माध्यम से 190 लाइन किमी डेटा का अधिग्रहण' के लक्ष्य के मुकाबले 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (विभाग) के माध्यम से 205 लाइन किमी डेटा का अधिग्रहण किया गया।

## 26.0 सीएमपीडीआईएल में कोल इंडिया स्थापना दिवस मनाया गया।

मिनी रत्न कंपनी सीएमपीडीआई ने 03 नवंबर, 2023 को रवींद्र भवन में कोल इंडिया स्थापना दिवस समापन-सह-पुरस्कार वितरण समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, सीआईएल के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल ने वर्चुअल माध्यम से स्थापना दिवस व्याख्यान दिया। अपने संबोधन में, श्री अग्रवाल ने सभी प्रकार की रिपोर्ट (यूजी/ओसी/परित्यक्त खदानों) प्रस्तुत/तैयार करके, एफएमसी परियोजनाओं (सीएचपी और साइलो) से संबंधित विभिन्न प्रकार के दस्तावेज/एनआईटी को सीआईएल द्वारा निर्धारित समय के भीतर तैयार करके और विभिन्न खनन अनुप्रयोगों में ड्रोन का उपयोग करके राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीएमपीडीआई की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न परामर्श सेवाओं के लिए सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के पीआईए के रूप में सीएमपीडीआई की भूमिका उल्लेखनीय है।



श्री अग्रवाल ने सीएमपीडीआई को गैर-कोयला खनिज क्षेत्र और महत्वपूर्ण खनिजों में अन्वेषण और परामर्श सेवाएं प्रदान करने की सलाह दी।

सीएमपीडीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार ने अपने संबोधन में पिछले एक वर्ष में सीएमपीडीआई की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण जैसे बेस मेटल्स एक्सप्लोरेशन (बॉक्साइट और एल्युमीनियम), इन-हाउस कोल ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का विकास; सौर परियोजनाओं के लिए पीएमसी सेवाएं आदि।

श्री कुमार ने कहा कि, कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएमपीडीआई ने कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिसंबर, 2025 तक 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न भारतीय मोबाइल कांग्रेस, 2023 में अलमोहरी कोल माइंस, एनसीएल में 5जी प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपयोग मामलों के सफल लाइव प्रदर्शन के लिए सीएमपीडीआई की सराहना की। कोयला उद्योग के लिए 5जी संचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सीएमपीडीआई को कोयला मंत्रालय द्वारा 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में नामित किया गया है।

सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को उनके संबंधित परिचालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर ड्रिल उत्पादकता के आधार पर गोपालपुर कैंप, आरआई-VII, भुवनेश्वर को प्रथम पुरस्कार और ओरला कैंप, आरआई-III, रांची को दूसरा पुरस्कार मिला।

सर्वश्रेष्ठ ड्रिल क्ल श्रेणी पुरस्कार (उच्चतम उत्पादकता) के अंतर्गत, गोपालपुर कैंप, रीजन-VII, भुवनेश्वर के आरडी-100-7 और कुसमुंडा कैंप, रीजन-V, बिलासपुर के सीएमकेआर-डब्ल्यूआईआईआईसी-06 के क्ल को क्रमशः प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

रिपोर्ट तैयार करने में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए, ओपनकास्ट परियोजना रिपोर्टों के लिए आरआई-IV, नागपुर के प्रबंधक (खनन) श्री रौनक जैन और वरिष्ठ प्रबंधक (उत्खनन) एसएम सुंदरम की टीम को पुरस्कार दिए गए और भूमिगत परियोजना रिपोर्टों के लिए आरआई-I आसनसोल के प्रबंधक (खनन) श्री सुधीर कुमार को; ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आरआई-VII, भुवनेश्वर के प्रबंधक (पर्यावरण) श्री नीरज कुमार सिंह को पुरस्कार दिए गए। आरआई-V के उप प्रबंधक (ईएंडएम) श्री आशीष अग्रवाल और उप प्रबंधक (ईएंडएम) श्री अमृतांशु की टीम को; और अवसंरचनात्मक योजना के लिए श्री निशांत रिशव, उप प्रबंधक (ईएंडएम) और श्री राजेश कुमार, प्रबंधक (सीपी), सीएमपीडीआई (मुख्यालय) की टीम को पुरस्कार मिले। आरआई-V, बिलासपुर श्री वमशी कृष्णा श्रीरंगम, वरिष्ठ प्रबंधक (भूविज्ञान) और श्रीमती वाष्णीय, उप प्रबंधक (भूविज्ञान) की टीम ने भूविज्ञान तैयारी के लिए पुरस्कार प्राप्त किया।

**पर्यावरण प्रयोगशाला सेवाओं और ब्लास्टिंग सेवाओं के लिए आरआई-VI, सिंगरौली ; पर्यावरण सेवाओं (ईआईए/ईएमपी और प्रयोगशाला सेवाओं के अलावा ) के लिए आरआई-V, बिलासपुर और अन्वेषण सेवाओं (ड्रिलिंग आदि के अलावा) के लिए सीएमपीडीआई (मुख्यालय) और आरआई-III की टीम; वित्तीय सेवाओं के लिए प्रबंधक (वित्त) श्री मनीष जैन; योजना सेवाओं (पी एंड डी के लिए) के लिए आरआई-VII, भुवनेश्वर।**

आरआई-I, आसनसोल को 2022-23 में प्राप्त बाहरी परामर्श कार्यों के अधिकतम मूल्य के लिए पुरस्कार मिला; जीएम (पर्यावरण), सीएमपीडीआई (मुख्यालय) को 2022-23 में बाहरी परामर्श कार्यों में अधिकतम वृद्धि के लिए पुरस्कार मिला। आरआई-III, रांची को **जियोमैटिक सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला ।**

**'नवाचार'** के लिए श्री रोहित सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (भूविज्ञान), डॉ. सिद्धार्थ राय, उप प्रबंधक (खनन), श्री अनंत प्रसाद, प्रबंधक, (खनन) और श्री सरोज कुमार लेंका, उप प्रबंधक (भूविज्ञान) और श्री अविक् सेन, वरिष्ठ प्रबंधक (भूविज्ञान) की टीम को पुरस्कार दिया गया।



सीएसआर के अंतर्गत, क्षेत्रीय संस्थान-VII, भुवनेश्वर को 2022-23 में सीएसआर बजट के अधिकतम उपयोग के लिए पुरस्कार मिला और क्षेत्रीय संस्थान-V, बिलासपुर को वित्त वर्ष 2022-23 में सभी क्षेत्रीय संस्थानों के बीच व्यय में वृद्धि के लिए पुरस्कार मिला।

डॉ हेमंत अग्रवाल, प्रबंधक (खनन), सीएमपीडीआई (मुख्यालय), श्री घनश्याम गहलोत, मुख्य प्रबंधक (खनन)/ विभागाध्यक्ष (ओसी/बीडीडी); श्री अपूर्व दास, प्रबंधक (भूविज्ञान), श्री नितिन कुमार उप प्रबंधक (ई एंड एम), आरआई-III। श्री अंकित रावल, उप प्रबंधक (एमएम) और श्री अम्बरीश चौबे, उप प्रबंधक (एमएम) की टीम; श्री देबाशीष बंद्योपाध्याय, वरिष्ठ प्रबंधक (भूविज्ञान) और डॉ राम बाबू सिंह, प्रबंधक (भूविज्ञान) की टीम; पी. संदीप नायडू, वरिष्ठ प्रबंधक (ई एंड एम) और श्री उत्पल कुमार सरकार, प्रबंधक (ई एंड एम) की टीम; सिविल विभाग, सीएमपीडीआई (मुख्यालय); डॉ. आरपी सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (भूविज्ञान); श्री सौरभ सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (भूविज्ञान), श्री अरिजीत साहा, वरिष्ठ प्रबंधक (भूविज्ञान), श्री अभिषेक मुखोपाध्याय, प्रबंधक (भूविज्ञान) श्री विक्रान्त त्रिवेदी, प्रबंधक (कार्मिक) और श्री संजय खंडेलवाल, सहायक प्रबंधक (प्रणाली/कार्मिक एवं प्रशासनिक); श्री डॉ. ओम प्रकाश, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमपीडीआई (मुख्यालय) **'विशेष उपलब्धि'** पुरस्कार मिला।

इसके अतिरिक्त, श्री. अभय नंद जी यादव, उप प्रबंधक (ई एंड एम), आरआई-V; श्री अपूर्व पॉल, उप प्रबंधक (भूविज्ञान), आरआई-II; श्री प्रीतिरंजन सिंह, उप प्रबंधक (खनन), आरआई-VII; श्रीमती अर्पिता डे, उप प्रबंधक (भूविज्ञान), आरआई-IV; ने 'युवा कार्यकारी' पुरस्कार जीता।

इसके अलावा, श्री नेहिल गणेश डागोर, कैट-V, वाहन अनुभाग; श्री संजय कुमार सिन्हा, ओएस-ग्रेड-ए, सीएमडी; श्री सुरेश चंद्र सिंह, ग्रेड-डी, डी (टी/आरडी एंड टी); श्री सुरेन्द्र सिंह, परिवहन पर्यवेक्षक; श्रीमती रिम्पी सैकिया, कैट-I; श्री बीएन डांडगे, प्रधान सर्वेक्षक (सी); श्री राज कुमार नेवार, कैट-II और श्री जेनेट सोनम एलएनजी, जूनियर वैज्ञानिक सहायक, सीएमपी डिवीजन ने कर्मचारी श्रेणी में अपनी-अपनी सेवाओं के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किए।

श्री मानवेन्द्र कुमार, जीएम (खनन) पीएडी प्रभाग; श्री सुभाष विश्वास, जीएम (ई एंड एम); श्री बीए रेड्डी, जीएम (आईसीटी); श्री सत्य प्रकाश नारायण, जीएम (एमएम); श्री अशोक प्रसाद, जीएम (उत्खनन), ओसी प्रभाग; श्री प्रभात कुमार, मुख्य प्रबंधक (एमएम), विभागाध्यक्ष (ईपी एंड सीए); श्री मुरारी प्रसाद, मुख्य प्रबंधक (ई एंड एम), ई एंड एम विभाग; श्री तुषार वर्मा, मुख्य प्रबंधक (खनन), पीएडी प्रभाग; श्री सरदिंदू मोहंता, मुख्य प्रबंधक (खनन), आरआई-II, धनबाद; श्री प्रकाश चंद्र झा, मुख्य प्रबंधक (पर्यावरण), आरआई-III और श्री एच.के.गौर मुख्य प्रबंधक (खनन), आरआई-V को "लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड" प्राप्त हुआ।

खेल श्रेणी में, श्री चन्द्र शेखर साबले, उप प्रबंधक (भूविज्ञान), आरआई-VI, सिंगरौली ने पुरस्कार प्राप्त किया।

इस अवसर पर श्री शंकर नागचारी, निदेशक (टी/सीआरडी); श्री अजय कुमार, निदेशक (टी/पी एंड डी); श्री सतीश झा, निदेशक (टी/ईएस); श्री अच्युत घटक निदेशक (टी/आरडी एंड टी); श्री सुमित कुमार सिन्हा, सीवीओ, सीएमपीडीआई; सभी क्षेत्रीय निदेशक; जीएम/एचओडी, जेसीसी के सदस्य, सीएमओआई के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड का कॉर्पोरेट गीत गाया गया।











## 27.0 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) सीएमपीडीआईएल की गतिविधियाँ।

डब्ल्यूआईपीएस, सीएमपीडीआईएल चैप्टर (मुख्यालय और आरआई-III) की "कार्यात्मक प्रबंधन समिति" के पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्य निम्नानुसार हैं :-

1. सुश्री शिल्पी स्वरूप , उप सीएमओ: समन्वयक
2. सुश्री आभा प्रसाद, महाप्रबंधक (सीपी): महासचिव
3. सुश्री स्वप्नाली बसु , मुख्य प्रबंधक (वित्त): कोषाध्यक्ष
4. सुश्री प्रियंका भट्टा, प्रबंधक (भूविज्ञान): वैकल्पिक समन्वयक
5. सुश्री चारु ओबेरॉय, सहायक प्रबंधक (सीपी): संयुक्त कोषाध्यक्ष

वित्तीय वर्ष 01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :-

## 27.1 सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का फोरम (डब्ल्यूआईपीएस), सीएमपीडीआईएल 13.04.2023 बिरसा स्कूल, कांके रोड, रांची की छात्राओं के लिए 'मासिक धर्म स्वच्छता' पर एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में रांची की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. निर्मला सिंह ने मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व और आवश्यकता के बारे में बताया तथा सत्र में उठाए गए प्रश्नों का समाधान किया गया। इस अवसर पर छात्राओं को कृमिनाशक दवा, आयरन की गोलियाँ और सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। डॉ. शिल्पी स्वरूप , उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और WIPS समन्वयक, श्रीमती स्वप्नाली बसु , विभागाध्यक्ष (आईएडी) और कोषाध्यक्ष, डब्ल्यूआईपीएस, अमिता मेहता, अनामिका और अमित उपस्थित थे।



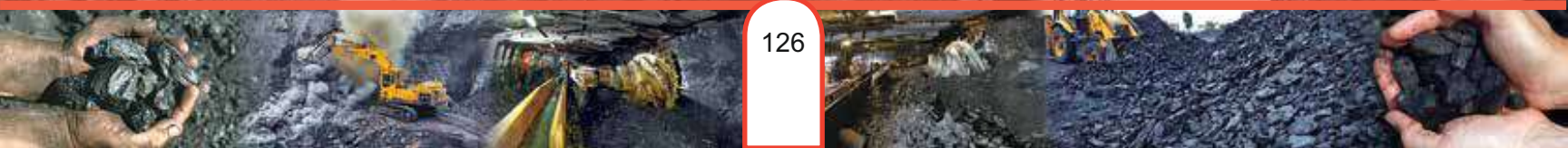




**27.2** WIPS ने 25 नवंबर को वित्तीय योजना और प्रबंधन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। अप्रैल 2023 को सीएमपीडीआईएल की सभी महिला कर्मचारियों के लिए कोयल हॉल, एसटीसी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध पीओएफ (डॉ) रमन बल्लभ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के स्मार्ट ट्रेनर, सीडीएसएल आईपीएफ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आईसीएआई, एनआईएसएम में रिसोर्स पर्सन, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एनएएसी और एनबीए के सलाहकार उपस्थित थे।



**27.3** महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच के लिए मेडिकल कैंप 12 जून 2023 और 7 दिसंबर 2023 को सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) डिस्पेंसरी में आयोजित किया गया (रांची कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित, टाटा कैंसर केयर फाउंडेशन की एक इकाई, महिला कर्मचारियों, आश्रित महिला जीवनसाथी और महिला संविदा कर्मियों के लिए)।





**27.4 9 सितंबर 2023** को माइंडफुलनेस, लचीलापन और स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से कार्य-जीवन संतुलन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। .



रांची में 21-22 सितंबर , 2023 को दो दिवसीय इंद्रधनुष - सीएमपीडीआईएल उत्सव का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाएं (डब्ल्यूआईपीएस) और कस्तूरी महिला सभा, सीएमपीडीआई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह कार्यक्रम झारखंड की महिला उद्यमियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। यह मिशन "आत्मनिर्भर भारत" की दिशा में एक कदम था। इस कार्यक्रम में सभी आयु वर्ग की महिला उद्यमियों ने भाग लिया। स्टॉल में कपड़े, हस्तशिल्प, वृक्षारोपण और विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल थे। सीएमपीडीआईएल ने इन सभी उद्यमियों को कई संभावित ग्राहकों से संपर्क करने के लिए व्यापक मंच प्रदान किया।



**27.5 इंद्रधनुष (प्रदर्शनी सह बिक्री उत्सव) :** श्रीमती रूपाली गुप्ता, अध्यक्ष, कस्तूरी महिला सभा और श्री मनोज कुमार, सीएमडी, सीएमपीडीआईएल ने सीएमपीडीआईएल,





- 27.6** सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाएं (डब्ल्यूआईपीएस), सीएमपीडीआईएल चैप्टर, रांची ने 29 नवंबर, 2023 को बिरसा उच्च विद्यालय, हथिया गोंदा, में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने और संबंधित संक्रमणों को रोकने के लिए रांची की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। इसके अलावा, परजीवी कृमि संक्रमण के उपचार/रोकथाम के लिए और शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करने के लिए छात्राओं को डी-वर्मिंग गोलिएन वितरित की गई। कुल 160 छात्राएं लाभान्वित हुईं। WIPS, CMPDIL चैप्टर विभिन्न पहलों के माध्यम से एक स्वस्थ और सूचित समुदाय को बढ़ावा देने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
- 27.7** फोरम ऑफ वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (डब्ल्यूआईपीएस), सीएमपीडीआईएल चैप्टर ने 12 मार्च, 2024 को "समावेश को प्रेरित करें" थीम पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। कार्यक्रम में प्रख्यात वक्ताओं द्वारा प्रेरणादायक व्याख्यान दिए गए। प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. साक्षी सिंह ने महिलाओं में होने वाली आम स्वास्थ्य समस्याओं पर बात की। एक अन्य वक्ता डॉ. रमन बल्लभ ने वित्तीय प्रबंधन पर बात की। सीएमपीडीआईएल की सभी महिला कर्मचारी, कर्मचारियों की पत्नियाँ और कस्तूरी महिला सभा की सदस्य ने नारीत्व का जश्न मनाने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लिया। सीएमडी, निदेशक, मैडम रूपाली गुप्ता और मैडम सुषमा भारती ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।







## 28.0 निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण:

- 28.1 वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था।
- 28.2 निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- 28.3 निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी।
- 28.4 निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए थे।
- 28.5 निदेशकों ने पुष्टि की कि उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।



### लेखा परीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर मेसर्स केसी टाक एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रांची को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

### पावती:

आपके निदेशक भारत सरकार, विशेष रूप से कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड, तथा उसकी सहायक कम्पनियों, राज्य सरकारों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति आभारी हैं, जिनके साथ आपकी कम्पनी को निकट संपर्क में काम करना पड़ता है, तथा कम्पनी के कार्यों को पूरा करने में उनके सहयोग तथा प्रोत्साहन के लिए हम आभारी हैं। हम अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास जताया तथा हमें तथा कम्पनी के समर्पित कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान किया।

### परिशिष्ट :

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय, अनुसंधान और विकास, सीईओ और सीएफओ प्रमाणीकरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के तहत वार्षिक रिटर्न का सारांश , कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और प्रबंधन के उत्तर, सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रबंधन टिप्पणियों के उत्तर , एमओयू 2023-24 पर रिपोर्ट और प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक आदि के विवरण पर जानकारी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी भी इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

ह०/-

( मनोज कुमार)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : रांची

तारीख: : 05.07.2024

## परिशिष्ट - I

### निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली अपेक्षित सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के साथ, नियम-8, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में।

#### क. कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण पहल

सीएमपीडीआई ने 2023-24 में ऊर्जा संरक्षण अध्ययन किया है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) से मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में स्थित विभिन्न खुली और भूमिगत खदानों में डीजल ऑडिट और विशिष्ट डीजल खपत की बेंचमार्किंग के साथ-साथ विद्युत ऊर्जा ऑडिट और विशिष्ट विद्युत ऊर्जा खपत की बेंचमार्किंग का संचालन किया है।

डीजल बेंचमार्किंग अध्ययन में सीआईएल के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित मुख्य मद अपनाए गए हैं:

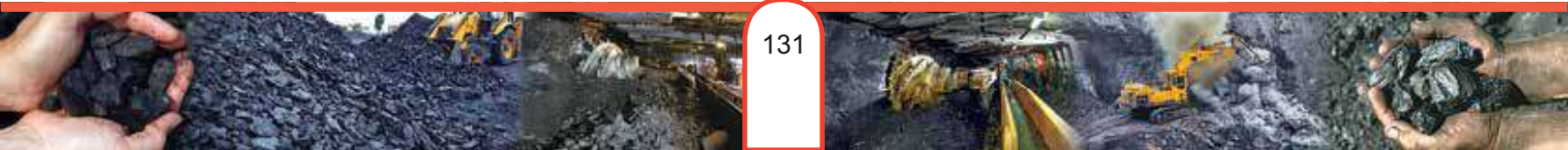
डीजल संरक्षण:

- रिसाव की पहचान एवं न्यूनीकरण तथा तैनात HEMM के लिए निवारक रखरखाव उपायों को अपनाना
- ढोने वाली सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए HEMM का गति अनुकूलन
- निष्क्रिय घंटों को कम करने और HEMM की अनावश्यक आवाजाही को रोकने के लिए समय अध्ययन
- सीएमपीडीआई योजना एवं डिजाइन मानदंडों के साथ तुलना, ट्रैक माउंटेड के लिए 0.1 लीटर/बीएचपी-घंटा, व्हील माउंटेड के लिए 0.06 लीटर/बीएचपी-घंटा और इलेक्ट्रिक व्हील माउंटेड एचईएमएम के लिए 0.054 लीटर/बीएचपी-घंटा

सीआईएल के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में किए गए विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग अध्ययनों में, पिछले तीन (3) वर्षों के ऐतिहासिक आंकड़ों और भूमिगत और खुली खदानों के क्षेत्र दौरे के दौरान किए गए विद्युत मापों के आधार पर प्रवृत्ति विश्लेषण में, निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण विधियों को अपनाया गया है:

- मांग पक्ष प्रबंधन
- संचरण एवं वितरण घाटे में कमी
- पावर फैक्टर सुधार
- कुशल रोशनी प्रणाली
- ट्रांसफार्मरों के पुनर्गठन द्वारा परिवर्तन ट्रांसफार्मर में कमी
- ऊर्जा निगरानी के लिए ऊर्जा मीटरों की स्थापना
- पम्पिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण के उपाय

बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए ऊर्जा लेखा परीक्षा और ऊर्जा बेंचमार्किंग अध्ययनों के लिए, कृपया नीचे दी गई तालिका देखें:







**(A1) वर्ष 2023-24 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा शुरू की गई ऊर्जा संरक्षण पहल**

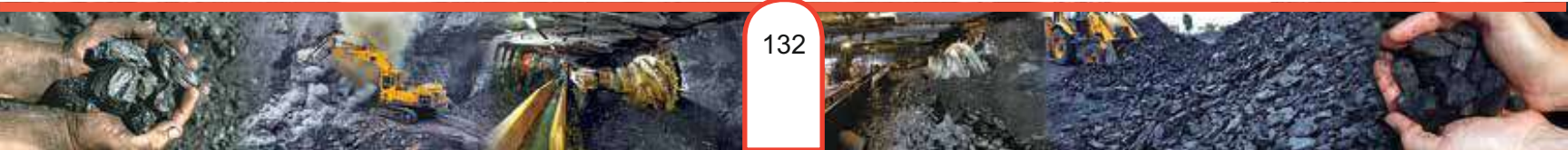
| A  | डीजल ऑडिट और बेंचमार्किंग                                                                                                                                                                                       | डीजल खपत (किलोलीटर) | प्रस्तावित बचत क्षमता |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1  | ईसीएल द्वारा पहचाने गए 7 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग                                                                                                                                                          | 26539               | 1149 K Litre/yr       |
| 2  | बीसीसीएल द्वारा चिन्हित 11 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग                                                                                                                                                        | 30009               | 1169 K Litre/yr       |
| 3  | सीसीएल द्वारा चिन्हित 29 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग                                                                                                                                                          | 47815               | 2125 K Litre/yr       |
| 4  | डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित 15 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग                                                                                                                                                     | 58692               | 2228 K Litre/yr       |
| 5  | एसईसीएल द्वारा चिन्हित 1 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग                                                                                                                                                          | 15048               | 665 K Litre/yr        |
| 6  | एनसीएल द्वारा चिन्हित 10 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग                                                                                                                                                          | 131908              | 5864 K Litre/yr       |
| 7  | एमसीएल द्वारा चिन्हित 12 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग                                                                                                                                                          | 46138               | 2084 K Litre/yr       |
| B  | 2023-24 के दौरान किए गए विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग के अध्ययन                                                                                                                                    |                     |                       |
| 1. | एएमपी कोलियरी और दामोदा कोलियरी, बीसीसीएल के लिए विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग रिपोर्ट।                                                                                                            |                     |                       |
| 2. | एमकेडी-I और एमकेडी-III, उमरेर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के लिए विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग रिपोर्ट                                                                                                    |                     |                       |
| 3. | सीसीएल की निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग रिपोर्ट।<br>• गिददी ए, अरगडा क्षेत्र<br>• सिरक ओसी, अरगडा क्षेत्र<br>• जारंगडीह, कथारा क्षेत्र<br>• डाकरा ओसीपी, एनके क्षेत्र |                     |                       |

**(A2) वर्ष 2023-24 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा की गई खान रोशनी सर्वेक्षण रिपोर्ट**

| क्र. सं. | कार्य विवरण                                  |
|----------|----------------------------------------------|
| 1.       | खड़िया ओसीपी, एनसीएल का रोशनी सर्वेक्षण      |
| 2.       | ब्लॉक-बी ओसीपी, एनसीएल का रोशनी सर्वेक्षण    |
| 3.       | दुधिचुआ ओसीपी, एनसीएल का रोशनी सर्वेक्षण     |
| 4.       | बस्ताकोला ओसीपी, बीसीसीएल का रोशनी सर्वेक्षण |
| 5.       | कुया ओसीपी, बीसीसीएल का रोशनी सर्वेक्षण      |

**(A3) सौर ऊर्जा संयंत्र पहल**

- सीसीएल कमांड क्षेत्र के पिपरवार क्षेत्र में 10 मेगावाट हाइब्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र (ग्राउंड माउंटेड, फ्लोटिंग और रूफ टॉप) की स्थापना के लिए अवधारणा से कमीशनिंग तक पीएमसी सेवाओं के तहत सीसीएल को योजना प्रस्तुत की गई।
- शारदा ओसीपी, एसईसीएल में 1.5 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा सरोवर फ्लोटिंग सौर संयंत्र की डीपीआर
- सीसीएल में 15.73 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए निविदा दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं तथा 27.53 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए निविदा जारी कर दी गई है।
- निविदा को अंतिम रूप दिया गया और कार्य प्रदान किया गया:
  - सीएमपीडीआई (मुख्यालय) में 115 किलोवाटपी
  - आरआई-VII, भुवनेश्वर में 40KWp.
  - बी एंड के एरिया, सीसीएल में 8.5 मेगावाट एसपीपी





- सीसीएल के गिरिडीह क्षेत्र में 4 मेगावाट एसपीपी।
- सीसीएल के मगध क्षेत्र, एनके क्षेत्र, आमपाली क्षेत्र, पिपरवार क्षेत्र, गिरिडीह क्षेत्र और कथारा क्षेत्र में 1.03 मेगावाट रूफ-टॉप,
- बरका सयाल क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र और बरकाकाना क्षेत्र में 1.02 मेगावाट रूफ-टॉप,
- सीसीएल के बरकासयाल क्षेत्र में 5 मेगावाट एसपीपी

## ख. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | विवरण                 | 2023-24 |
|---------|-----------------------|---------|
| 1.      | कमाई                  | 6.02    |
| 2.      | विदेशी मुद्रा पर व्यय | 0.58    |

## ग. अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी का समावेश

आरएंडडी परियोजना जिसका शीर्षक है "द्वि-चेहरे वाला पेरोवस्काइट मॉड्यूल - 4-टी पेरोवस्काइट-एसआई टैंडेम संरचना की ओर अग्रसर"- आईआईटी बॉम्बे .

- ❖ परियोजना का लक्ष्य मॉड्यूल स्तर पर ~ 20% दक्षता और सेल स्तर पर ~ 24% दक्षता प्राप्त करना है, साथ ही ~ 10 वर्षों के लिए अनुमानित स्थिरता भी। उपकरणों की विश्वसनीयता ISOS प्रोटोकॉल के अनुसार मापी जाएगी। TRL4/5 में विकसित मॉड्यूल का प्रोटोटाइप वितरित करने की योजना बनाई गई है।
- ❖ इसका उद्देश्य 4T टैंडेम डिवाइस को साकार करना है। इससे 4T Si-Perovskite टैंडेम संरचना विकसित करने की उम्मीद है, जिसकी मॉड्यूल स्तर पर अनुमानित दक्षता >25% और सेल स्तर पर >30% होगी। विकसित मॉड्यूल का प्रोटोटाइप TRL3/4 पर वितरित करने की योजना है।

## घ. प्रौद्योगिकी समावेश :

कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का उद्देश्य मुख्य रूप से खान सुरक्षा, कोयला लाभकारीकरण/उपयोग, खान पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा तथा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के विकास सहित खनन कार्यों में दक्षता मापदंडों में सुधार करना है।

सीएमपीडीआईएल एक नोडल एजेंसी और अनुसंधान संगठन होने के नाते, अपनी कुल परिचालन गतिविधियों में विभिन्न क्षेत्रों में कई तकनीकी पहल की है।

- भूमिगत खनन में, कई खदानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक शुरू की गई है। सीआईएल की 20 खदानों में अब तक सतत खनन तकनीक (27) शुरू की गई है, जो चालू हैं। बीसीसीएल की मूनीडीह खदान और ईसीएल की झांझरा खदान में लंबी दीवार वाली खनन तकनीक चालू है।
- एसईसीएल, ईसीएल और बीसीसीएल की परियोजनाओं में हाईवॉल माइनर्स के पांच सेट प्रचालन में हैं, जिनकी कुल क्षमता 2.35 मीट्रिक टन है। सीसीएल और बीसीसीएल की अन्य दो हाईवॉल माइनर परियोजनाओं के लिए एलओए जारी किया गया है, जिनकी कुल क्षमता लगभग 1.0 मीट्रिक टन है।
- सीआईएल की 44 भूमिगत खदानों में 55 मैन राइडिंग सिस्टम (एमआरएस) प्रचालन में हैं तथा सीआईएल की अन्य 13 भूमिगत खदानों के लिए मैन राइडिंग योजनाएं तैयार की गई हैं।

- बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक के साथ प्रस्तावित कुछ भूमिगत खदानों के लिए, लोगों और सामग्री के लिए ट्रैकलेस परिवहन प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, ईसीएल की झांझरा और खोट्टाडीह भूमिगत खदानों में वर्तमान में पांच फ्री-स्टीयर वाहन और छह मल्टी-यूटिलिटी वाहन परिचालन में हैं।
- खदान नियोजन के लिए जियोविया माइनेक्स, डेटा माइन, वल्कन, कार्लसन सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण पेश किया गया है। यह पिट डिजाइन, पिट ऑप्टिमाइजेशन, संसाधनों और डंपों की समय-सारणी आदि के माध्यम से सर्वोत्तम संसाधन नियोजन प्रदान करता है। साथ ही, रॉकसाइंड्स इंक से भू-तकनीकी सॉफ्टवेयर/उपकरण खरीदे गए हैं, ताकि चट्टान और मिट्टी की ढलान स्थिरता का विश्लेषण किया जा सके।
- आर एंड डी परियोजना (आईआईटी दिल्ली के सहयोग से डिजाइन) के माध्यम से 2500 केएन सामान्य शियर लोड क्षमता के साथ बड़ी डायरेक्ट शियर मशीन (भारत में सबसे बड़ी) की कमीशनिंग और एक भू-तकनीकी प्रयोगशाला की स्थापना। कमीशनिंग के बाद से एनसीएल, एसईसीएल, सीसीएल, एमसीएल, बीसीसीएल और एनटीपीसी की 18 खदानों से नमूने का परीक्षण किया गया है और ढलान स्थिरता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्टों में उपयोग किया गया है।
- ड्रिलिंग और विस्फोटन को समाप्त करने तथा चयनात्मक खनन को सुविधाजनक बनाने के लिए सीआईएल की कई खुली खदानों में 47 विभागीय सरफेस माइनर कार्यरत हैं।
- हाल ही में ओपनकास्ट खदानों में वाइब्रो रिपर के उपयोग पर एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से यह पता चला है कि वाइब्रो रिपर उन जगहों पर उपयुक्त है जहाँ पर्यावरण, सुरक्षा या अन्य कारणों से ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं है। वर्तमान में इन्हें एमसीएल की कनिहा और हिंगुला खदानों और एसईसीएल की गेवरा खदानों में लगाया गया है।
- कोयले की चोरी और संधमारी को रोकने के लिए कोयला परिवहन वाहनों में जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली [वीटीएस] शुरू की गई है।
- आरएफआईडी, सीसीटीवी और बूम बैरियर आधारित वजन निगरानी और नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई है। इसने केंद्रीय सर्वर को कोयले के वजन के आंकड़ों का वास्तविक समय पर प्रसारण सुनिश्चित किया है। इससे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और साथ ही पारगमन के दौरान कोयले की चोरी को कम करने में मदद मिली है।
- ऑपरेटर स्वतंत्रता ट्रक डिस्पैच प्रणाली (ओआईटीडीएस) - वर्तमान में अधिकांश खदानों में वाहनों की ट्रैकिंग के स्थान पर चक्र समय और लागत को कम करने के लिए डम्पर्स का स्वचालित आवंटन, रियल टाइम वाहन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, वीआईएमएस और ईंधन प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) का उपयोग किया जा रहा है।
- खुली खदानों में धूल को कम करने के लिए स्थायी प्रकार की स्वचालित स्प्रींकलर प्रणाली - आर एंड डी प्रयासों के माध्यम से पंप ड्राइव अर्थात् स्टार्ट, स्टॉप, ट्रिप आदि की निरंतर निगरानी शुरू की गई है।
- अन्वेषणात्मक ड्रिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पीसीडी बिट्स के साथ हाइड्रोस्टैटिक ड्रिलों की शुरुआत की गई है।
- सीएमपीडीआई ने हाल ही में कोयला गवेषण कार्य के लिए व्यापक पैमाने पर 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसमें अत्याधुनिक सीस्मोग्राफ और आधुनिक भूकंपीय स्रोतों (जैसे वाइब्रेटर/विस्फोटक आदि) का उपयोग किया जा रहा है, साथ ही आईएसपी, 2022 की शर्तों के अनुसार अनुकूलित ड्रिलिंग कार्य भी किया जा रहा है।
- सीएमपीडीआई भूकंपीय आंकड़ों के प्रसंस्करण और व्याख्या के लिए अत्याधुनिक पैराडाइम सॉफ्टवेयर के साथ-साथ घरेलू स्तर पर विकसित सॉफ्टवेयर "एसपीई" का उपयोग कर रहा है, जो कल्पनाशील प्रौद्योगिकी द्वारा उप-सतह की बेहतर संरचनात्मक जानकारी उत्पन्न करता है।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत संख्यात्मक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर (FLAC 3D) खरीदा गया/उन्नत किया गया, जिसका उपयोग स्ट्रेटा नियंत्रण से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए नियमित रूप से किया जा रहा है। यूजी खानों में वेंटिलेशन प्लानिंग के लिए VENTSIM सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है। उपरोक्त सॉफ्टवेयर के उपयोग से इन-हाउस जॉब/स्किल का निर्माण किया गया है।

- सीएमपीडीआई सीआईएल पट्टा क्षेत्रों अर्थात बीसीसीएल, ईसीएल और एसईसीएल में सीबीएम के विकास के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है।
- झरिया सीबीएम ब्लॉक-I (बीसीसीएल लीजहोल्ड क्षेत्र) को राजस्व साझेदारी के आधार पर सीबीएम के निष्कर्षण के लिए मेसर्स प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। अन्वेषण चरण के लिए वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और ब्लॉक अन्वेषण चरण में है।
- सीबीएम विकास के लिए पुनः निविदा हेतु रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के पुनर्निर्धारण पर विचार किया जा रहा है।
- ओएनजीसी-सीआईएल संयुक्त उद्यम: सीआईएल और ओएनजीसी के संघ द्वारा झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में सीबीएम का सहयोगात्मक वाणिज्यिक विकास। सरकार ने 2002 में ओएनजीसी-सीआईएल के संघ को सीबीएम के वाणिज्यिक विकास के लिए नामांकन के आधार पर दो सीबीएम ब्लॉक आवंटित किए हैं, जिनके नाम हैं झरिया सीबीएम ब्लॉक और रानीगंज उत्तर सीबीएम ब्लॉक।
- इन ब्लॉकों के विकास के लिए सीएमपीडीआई सीआईएल का तकनीकी सलाहकार है। झरिया सीबीएम ब्लॉक विकास चरण में है और 11 विकास कुओं की खुदाई की जा चुकी है। रानीगंज उत्तरी सीबीएम ब्लॉक की संशोधित फील्ड विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है।
- सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए सीएमपीडीआई प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) भी है।
- डब्ल्यूसीएल कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदा अगस्त, 2022 और मार्च 2023 में दो बार जारी की गई थी। हालाँकि, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।
- भारतीय भू-खनन परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) पर एक पायलट परियोजना" शीर्षक वाली एक आरएंडडी परियोजना- चरण-I को सीआईएल आरएंडडी बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना को सीएमपीडीआई, रांची और ईसीएल, सैंक्टोरिया दोनों द्वारा मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में तथा एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजीज इंक. (ईईटीआई), कनाडा द्वारा उप-कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- सीबीएम लैब द्वारा 2023-2024 के दौरान संवर्धनात्मक अन्वेषण/क्षेत्रीय/विस्तृत अन्वेषण के तहत सीबीएम और शेल गैस से संबंधित अध्ययन- सीएमपीडीआई संवर्धनात्मक/क्षेत्रीय/विस्तृत अन्वेषण के दौरान ड्रिल किए गए बोरहोल के माध्यम से "भारतीय कोयला क्षेत्रों/लिग्नाइट क्षेत्रों के कोलबेड मीथेन गैस-इन-प्लेस संसाधन के आकलन" से संबंधित अध्ययन कर रहा है।
- प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत सीबीएम लैब ने सीबीएम के लिए 15 बोरहोल और शेल गैस के लिए 5 बोरहोल में फील्ड डिसेप्शन अध्ययन पूरा किया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में 8 बोरहोल का प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य है, जिससे लैब द्वारा उत्पन्न वार्षिक राजस्व में 56% की पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह अध्ययन सीबीएम और शेल गैस क्षमता के आकलन के लिए डेटा बेस बनाता है और सीबीएम और शेल गैस विकास के लिए और अधिक ब्लॉकों के चित्रण की सुविधा प्रदान करता है।
- सीएमपीडीआई आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसका शीर्षक है "कोल बेड मीथेन रिकवरी में वृद्धि और कार्बन पृथक्करण की संभावनाओं के लिए कोयला जलाशय का संख्यात्मक मॉडलिंग और जलाशय लक्षण वर्णन"।

ड

2023-24 के दौरान पूरी की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं के संक्षिप्त परिणाम:

- (i) मोबाइल मशीनरी के लागत प्रभावी सुरक्षित संचालन के लिए रियल-टाइम प्रोग्नोसिस सिस्टम (आरटीपीएस) का विकास और अपनाना: डम्पर बेड़े का प्रदर्शन।

इस परियोजना का क्रियान्वयन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर, सीआईएमएफआर, धनबाद और एलटीयू, स्वीडन द्वारा किया गया।

इस परियोजना के तहत, डंपर्स पर एक्सेलेरोमीटर लगाकर विभिन्न घटकों के कंपन का उपयोग करके उनकी वास्तविक समय की निगरानी की जा सकी है। इस प्रणाली का एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया है जिसमें सॉफ्टवेयर विकास, हार्डवेयर डिजाइन और ऑनलाइन डेटा विश्लेषण शामिल है।

**(ii) ओपनकास्ट माइन डंप पर ब्लास्टिंग का प्रभाव तथा विस्फोट प्रेरित कंपन और डंप डिजाइन के बीच संबंध का विकास।**

इस परियोजना का क्रियान्वयन ब्लास्टिंग डिवीजन, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची, बीआईटी, मेसरा और आईआईटी-आईएसएम, धनबाद द्वारा किया गया।

इस परियोजना के अंतर्गत, विभिन्न विस्फोटक घनत्वों के साथ विस्फोट भार और ढलान से विस्फोट बिंदु की दूरी को ध्यान में रखते हुए ओबी डंप ढलानों की संभावित विफलता की स्थिति की सिफारिश की गई थी और प्रयोगशाला जांच में ओबी डंप सामग्रियों की विविधता पर विचार करने के महत्व को इंगित किया गया था।

कठोर संभाव्यता जांच के माध्यम से, विभिन्न अनिश्चित सामग्री मापदंडों पर विचार करते हुए ओबी डंप ढलान की स्थिरता के लिए एफओएस के पूर्वानुमान मॉडल की सिफारिश की गई थी। यह अध्ययन विस्फोट की इष्टतम दूरी का चयन करने में लाभकारी पाया गया जो ओबी डंप ढलान के स्वीकार्य प्रदर्शन की ओर ले जाता है।

**(iii) भूमिगत कोयला खदानों में बड़े जलस्तर के विरुद्ध सुरक्षात्मक अवरोध स्तंभ का डिजाइन।**

इस परियोजना का क्रियान्वयन आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी और ईसीएल, सैंक्टोरिया द्वारा किया गया।

इस परियोजना के अंतर्गत भूमिगत कोयला खदानों में सुरक्षात्मक जल अवरोधक स्तंभों (पीडब्लूबीपी) के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक स्थिर-अवस्था हाइड्रो-मैकेनिकल युग्मित संख्यात्मक मॉडलिंग दृष्टिकोण विकसित किया गया है। इस अध्ययन के परिणामों और खदानों में प्रचलित जल निकासी पद्धति के आधार पर रिसाव की गंभीरता वर्गीकरण का उपयोग करते हुए पीडब्लूबीपी के तर्कसंगत आकार का निर्धारण करने और मौजूदा अवरोधक स्तंभों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन मानदंड विकसित किए गए थे।

**(iv) सिंगरौली कोयला क्षेत्र में ट्रेस तत्वों और आरईई सांद्रता के लिए गोंडवाना तलछट (कोयला, मिट्टी, शेल, बलुआ पत्थर) का मूल्यांकन।**

इस परियोजना का क्रियान्वयन अन्वेषण प्रभाग, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची और एनसीएल सिंगरौली द्वारा किया गया।

इस परियोजना के अंतर्गत तलछट में आरईई सांद्रता का मूल्यांकन किया गया है और अध्ययन के आधार पर मोहर उप बेसिन के पूर्वी भाग में स्थित कोयला खदानों से एकत्र नमूनों में गैलियम सांद्रता (55 पीपीएम से 144 पीपीएम) (सांद्रता गुणांक > 5 से 12.2) में समृद्धि देखी गई और मुख्य बेसिन क्षेत्र के पश्चिम मध्य भाग से एकत्र किए गए बेड रॉक नमूनों में K<sub>2</sub>O सांद्रता (3.97% से 6.99%) में समृद्धि देखी गई।

**(v) विस्फोट के इन-द-होल वेग [वीओडी] को मापने और क्षेत्र की स्थिति में विस्फोटक के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए एक स्वदेशी ऑप्टिकल फाइबर आधारित उपकरण का विकास।**

यह परियोजना सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची द्वारा क्रियान्वित की गई।



इस परियोजना के तहत, एक वीओडी माप प्रणाली विकसित की गई थी जो सतह पर मौजूद कारतूस, बूस्टर और अन्य सहायक उपकरणों के साथ-साथ इन-द-होल विस्फोटक के विस्फोट के वेग को माप सकती है। यह प्रणाली उच्च सटीकता माप के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करती है। उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना उपकरण को चालू नहीं किया जा सकता है, इसलिए माप की प्रामाणिकता और परीक्षण किए गए विस्फोटकों और सहायक उपकरणों की सुरक्षा की गारंटी है।

इस डिवाइस को “आत्मनिर्भर भारत अभियान” या “मेक इन इंडिया” अवधारणा की भावना को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसका मुख्य लाभ यह है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं और विदेशी कंपनी या एजेंसी पर निर्भर हुए बिना कोई भी संशोधन/अनुकूलन किया जा सकता है। इससे इस डिवाइस के उपयोगकर्ताओं का समय और पैसा दोनों की काफी बचत होगी।

यह उपकरण अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर विकसित किया गया है। यह उपयोगकर्ता की प्रामाणिकता और डेटा सुरक्षा के साथ उत्पादन विस्फोट छेद में विस्फोटक के विस्फोट से संकेत को संसाधित करने के लिए उच्च अंत प्रोसेसर के साथ फाइबर ऑप्टिक्स आधारित माप उपकरण का उपयोग करता है। यह उपकरण विदेशों में भी उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर सकता है और इसलिए यह सरकार के “स्थानीय बनाओ और वैश्विक सोचो” दृष्टिकोण में फिट बैठता है।

## (vi) भूभौतिकीय तकनीक का उपयोग करके भूमिगत कोयला खदानों में दुर्गम पुराने कार्यों में खनन-प्रेरित उप-सतही गुहाओं और जलभराव वाले क्षेत्रों के कारण उत्पन्न खतरों का अध्ययन।

इस परियोजना का क्रियान्वयन आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ईसीएल, सैंक्टोरिया द्वारा किया गया।

इस परियोजना के अंतर्गत, विद्युत प्रतिरोधकता टोमोग्राफी (ईआरटी), सतही तरंग का बहु-चैनल विश्लेषण (एमएसडब्ल्यू), भू-भेदक रडार (जीपीआर), सूक्ष्म-चुंबकीय और सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण युक्त एकीकृत भूभौतिकीय दृष्टिकोण का उपयोग शामपुर-ए कोलियरी, रतिबाटी कोलियरी, ईसीएल और थापरनगर, मुग्गा क्षेत्र, ईसीएल के कुछ हिस्सों में 160 मीटर तक की अधिकतम गहराई तक परित्यक्त भूमिगत खदानों के अस्थिर क्षेत्रों के मानचित्रण/चित्रण और लक्षण वर्णन के लिए सफलतापूर्वक किया गया है।

## (vii) कोयला और गैर-कोयला स्तर में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) और अन्य आर्थिक संसाधनों का आकलन तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) कोयला क्षेत्र से अम्लीय खान जल निकासी की विशेषता और इसका प्रदूषण नियंत्रण।

यह परियोजना पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, सीएमपीडीआई, रांची और ड्यूक विश्वविद्यालय, अमेरिका द्वारा क्रियान्वित की गई।

इस परियोजना के तहत, यह पाया गया है कि माकुम कोलफील्ड में, गैर-कोयला स्तर में कुल दुर्लभ मृदा तत्वों (TREE) के लिए अनुमानित संसाधन 42,985 टन हैं, जिनका औसत ग्रेड 288.26 पीपीएम है, जो 250 पीपीएम के कट-ऑफ पर है। कोयला सीमों के लिए, अनुमानित संसाधन 1,450 टन है, जिसका औसत ग्रेड 132.51 पीपीएम है, जो 60 पीपीएम के कट-ऑफ पर है। कोयला और गैर-कोयला दोनों स्तरों में लिथियम के लिए कुल अनुमानित संसाधन 10,698 टन है, जो 100 पीपीएम के कट-ऑफ मूल्य के साथ 115.86 पीपीएम का औसत ग्रेड प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार, कोयला और गैर-कोयला स्तर में रुबिडियम के लिए अनुमानित संसाधन कुल 15492 टन है, जिसका औसत ग्रेड समान कट-ऑफ सीमा पर 114.24 पीपीएम है।

**(viii) खुली खदानों में विफलताओं/ढलान अस्थिरताओं की भविष्यवाणी के लिए प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली का स्वदेशी विकास।**

इस परियोजना का क्रियान्वयन समीर, मुंबई, सीएसआरई, आईआईटी, बॉम्बे और सीएमपीडीआई, रांची द्वारा किया गया।

इस परियोजना के तहत, एनसीएल के दुधुचुआ ओसीपी में एसएआर हार्डवेयर को सफलतापूर्वक विकसित, एकीकृत, कैलिब्रेट और स्थापित किया गया। इस तरह की प्रणाली को भारत में पहली बार डिजाइन, विकसित और संचालित किया गया था। ग्राउंड-आधारित इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार (GB-InSAR) बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध विभिन्न अन्य GB-SAR के बराबर है। स्वदेशी रूप से विकसित GB-InSAR प्रणाली में दूरस्थ स्थान से विरूपण की निगरानी करने की क्षमता है। यह एसएमएस के माध्यम से मोबाइल में ढलान विफलताओं की प्रारंभिक चेतावनी के लिए अलार्म/चेतावनी उत्पन्न करने के लिए उपयोगिता प्रदान करता है। विकसित की गई इस प्रोटोटाइप प्रणाली को वास्तविक परिचालन वातावरण में तैनात और सत्यापित किया जा रहा है और इसलिए इसने TRL 7 स्तर हासिल किया है।

**(ix) सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए लॉन्गवॉल शील्ड दबाव की निगरानी, विश्लेषण और व्याख्या के लिए IoT सक्षम प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास**

इस परियोजना का क्रियान्वयन सीएमपीडीआई, रांची, आईआईटी, खड़गपुर और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सैंक्टोरिया द्वारा किया गया।

इस परियोजना के तहत, झांजरा लॉन्गवॉल पैनेल से लॉन्गवॉल प्रेशर डेटा और शियरर पोजिशन डेटा एकत्र करने और उन्हें सरफेस कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए एक आंतरिक रूप से सुरक्षित डेटा अधिग्रहण प्रणाली (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों) का स्वदेशी रूप से विकास किया गया था। खनन चक्र मापदंडों की पहचान करने और बाद में फेस एडवांसमेंट के समय और दूरी के साथ दबावों के हीट-मैप बनाने के लिए "लॉन्गवॉल स्ट्रेटा कंट्रोल सिस्टम (एलएससीएस)" नामक एक स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दबाव डेटा का विश्लेषण किया गया। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, रिसाव, कम सेटिंग दबाव, दोषपूर्ण सेंसर आदि जैसे शील्ड पैरों के रखरखाव के मुद्दों की पहचान करने के अलावा आवधिक छत भार घटना का पता लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, बोल्ट वाले क्षेत्र में कोयला खदान की छत के व्यवहार को समझने के लिए यंत्रयुक्त रॉक बोल्ट भी विकसित किए गए और उन्हें पास की खदान में स्थापित किया गया।

**अन्य अनंतिम रूप से पूर्ण परियोजनाएं**

1. भूमिगत कोयला खदानों में प्रयुक्त पिट बॉटम बफर के लिए ड्रॉप टेस्ट सुविधा का डिजाइन और विकास।

यह परियोजना सीएमईआरआई, दुर्गापुर और ईसीएल, सैंक्टोरिया द्वारा क्रियान्वित की गई।

2. भूमिगत कोयला खदानों में विद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में वेंटिलेशन फैन पवन ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणाली का डिजाइन और परिनियोजन।

इस परियोजना का क्रियान्वयन आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ईसीएल, सैंक्टोरिया द्वारा किया गया।

3. मॉडलिंग और सिमुलेशन विश्लेषण के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड के तहत कोकिंग कोल वाशरी के प्रदर्शन में सुधार पर अध्ययन।

इस परियोजना का क्रियान्वयन एनएमएल, जमशेदपुर; सीएमपी डिवीजन, सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची और बीसीसीएल, धनबाद द्वारा किया गया।

4. कार्बन मूल्यों की वसूली के लिए कोकिंग कोल वाशरी के मिडिलिंग्स और फाइन्स का प्रभावी उपयोग।

इस परियोजना का क्रियान्वयन एनएमएल, जमशेदपुर; सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची; बीसीसीएल, धनबाद द्वारा किया गया।

## परिशिष्ट - II

प्रति

निदेशक मंडल

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

### सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

हम, मनोज कुमार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और एस.बी. तिवारी, विभागाध्यक्ष (वित्त)/सीएफओ, जो वित्त कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, प्रमाणित करते हैं कि:

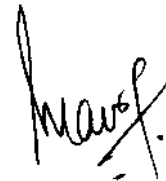
क. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार:

- i. इन वक्तव्यों में कोई भी असत्य कथन नहीं है या कोई भी तथ्य छूटा नहीं है या ऐसे वक्तव्य नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
  - ii. ये विवरण मिलकर कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमन के अनुरूप हैं।
  - iii. क्षेत्रीय संस्थान 7 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वार्षिक अवकाश शेष के साथ छेड़छाड़ प्रबंधन के ध्यान में आई है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 17.42 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया है और उनसे यह राशि वसूल कर ली गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय संस्थान 6 के मामले में ट्रकों की बीमा पॉलिसियों के लिए बीमा एजेंट को 1.03 लाख रुपये का बीमा भुगतान भी धोखाधड़ी के रूप में पहचाना गया। हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए कोई भी अन्य लेन-देन धोखाधड़ी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नहीं हैं।
- ख. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, के बारे में बताया है, जिनके बारे में उन्हें जानकारी है और उन्होंने इन कमियों को दूर करने के लिए जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव दिया है, उनके बारे में बताया है।
- ग. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित कर दिया है।
- i. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
  - ii. 31 मार्च 2024 समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए त्रुटियों को सुधारने और स्पष्टता बढ़ाने के लिए सामग्री लेखांकन नीतियों को अद्यतन किया गया है। इन अद्यतनों का कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है और
  - iii. क्षेत्रीय संस्थान 7 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वार्षिक अवकाश शेष के साथ छेड़छाड़ प्रबंधन के ध्यान में आई है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 17.42 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया है और उनसे यह राशि वसूल कर ली गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय संस्थान 6 के मामले में ट्रकों की बीमा पॉलिसियों के लिए बीमा एजेंट को 1.03 लाख रुपये का बीमा भुगतान भी धोखाधड़ी के रूप में पहचाना गया। हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष 31 मार्च 2024 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए कोई भी अन्य लेन-देन धोखाधड़ी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नहीं हैं।



(एस.बी. तिवारी)

विभागाध्यक्ष (वित्त)/सीएफओ



(मनोज कुमार)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

# Mehta & Mehta

## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25. GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

### कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन प्रमाणपत्र

कंपनी का सीआईएन : U14292JH1975GOI00122312

नाममात्र पूंजी : ₹ . 150,00,00,000 (एक सौ पचास करोड़ रुपये मात्र)

चुक्ता पूंजी : ₹ . 142,80,00,000 (रुपये एक सौ बयालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)

प्रति,

सदस्य,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड

गोंडवाना प्लेस, कांके रोड

रांची - 834031

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ("कंपनी") के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अनुपालन शर्तों की जांच की है, जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देश 2010 में निर्धारित है।

हमारी परीक्षा का सारांश इस प्रकार है :-

1. कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन (सर्वोत्तम प्रथाओं के मॉड्यूल) और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश 2010 के तहत संदर्भित कॉर्पोरेट प्रशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार है और कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी।

यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है। हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और हमें ऐसे रिकॉर्ड, दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि प्रदान किए गए हैं जिनकी हमें आवश्यकता थी।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी विभिन्न मॉड्यूल और मानकों के अनुरूप, अच्छे प्रशासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और जारी मानकों के अनुपालन की समीक्षा के लिए कदम उठाए हैं।

#### 1. निदेशक मंडल

कंपनी का व्यवसाय निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। समय-समय पर अध्यक्ष कंपनी के निदेशकों की संख्या निर्धारित करता है। निदेशकों को कोई योग्यता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक और गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नियुक्ति आदेश की शर्तों के अधीन भारत के राष्ट्रपति के तहत वेतन, भत्ते, बैठने की फीस आदि का भुगतान किया जाता है।





# Mehta & Mehta

## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25. GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

### (क) बोर्ड का आकार:

कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद के अनुसार, हमारे बोर्ड में निदेशकों की संख्या 2 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक/कार्यात्मक निदेशक, आधिकारिक अंशकालिक निदेशक या गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

### (ख) निदेशक मंडल की श्रेणीवार संरचना:

31 मार्च, 2024 तक सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल में 7 (सात) निदेशक शामिल हैं, जिनमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित पांच पूर्णकालिक निदेशक और दो अंशकालिक सरकारी निदेशक शामिल हैं। बोर्ड का नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार करते हैं।

पहले नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों के पद से हटने के बाद महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई है। ऐसे में बोर्ड की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का पालन केवल महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर ही किया जा सकता है।

31 मार्च, 2024 तक निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

#### **I. पूर्णकालिक निदेशक**

##### **क. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**

1. श्री मनोज कुमार

##### **ख. कार्यकारी निदेशक**

1. श्री शंकर नागचारी
2. श्री अजय कुमार
3. श्री सतीश झा
4. श्री अच्युत घटक

#### **II. अंशकालिक सरकारी निदेशक**

1. डॉ . बी. वीरा रेड्डी
2. श्री अजितेश कुमार



HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018  
Tel.: +91-22-6611 9696 • E-mail: info@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehata-mehta.com

# Mehta & Mehta

## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25. GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.

Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

### (ग) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या और तिथियाँ

निदेशक मंडल कंपनी का सर्वोच्च निकाय है जो कंपनी के समग्र कार्यों की देखरेख करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 10 (दस) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

| क्रम सं. | बैठकों की संख्या | तिथि       | दिन      | बैठक का स्थान       |
|----------|------------------|------------|----------|---------------------|
| 1.       | 267 वीं          | 02.05.2023 | मंगलवार  | रांची               |
| 2.       | 268 वीं          | 22.06.2023 | गुरुवार  | रांची               |
| 3.       | 269 वीं          | 27.07.2023 | गुरुवार  | रांची               |
| 4.       | 270 वीं          | 10.09.2023 | रविवार   | कुमारकोम , केरल     |
| 5.       | 271 वीं          | 05.10.2023 | गुरुवार  | रांची               |
| 6.       | 272 वीं          | 30.10.2023 | सोमवार   | रांची               |
| 7.       | 273 वीं          | 22.12.2023 | शुक्रवार | रांची               |
| 8.       | 274 वीं          | 29.01.2024 | सोमवार   | रांची               |
| 9.       | 275 वीं          | 08.02.2024 | गुरुवार  | कच्छ का रण , गुजरात |
| 10.      | 276 वीं          | 14.03.2024 | गुरुवार  | रांची               |



HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018  
Tel.: +91-22-6611 9696 • E-mail: info@mehta-mehta.com. • Visit us : www.mehata-mehta.com

# *Mehta & Mehta*

## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

### 2. क. लेखा परीक्षा समिति:

लेखापरीक्षा समिति का प्राथमिक कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त, लेखांकन और कंपनी की लेखापरीक्षा, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करके निदेशक मंडल को अपनी निगरानी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करना है।

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखापरीक्षकों से मिलती है और उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है तथा कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रमुख लेखांकन नीतियों की समीक्षा करती है।

### ख. संदर्भ की शर्तें:

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ-साथ संगठन के सभी वाणिज्यिक पहलुओं को कवर करेंगे,:

- i. बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा।
- ii. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा।
- iii . सरकारी लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा।
- iv . मानक मापदंडों की तुलना में परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा।
- V. परियोजनाओं एवं अन्य पूंजीगत योजना की समीक्षा।
- vi. आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों/टिप्पणियों की समीक्षा ।
- vii. एक समतुल्य एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का विकास।
- Viii. बोर्ड द्वारा संदर्भित मुद्दों सहित किसी भी मामले का विशेष अध्ययन/जांच।

### ग. लेखापरीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र:

लेखापरीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की देखरेख करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
2. बोर्ड को लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश करना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।



# Mehhta & Mehta

## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

4. बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
  - क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) और 134(5) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे।
  - ख. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;
  - ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;
  - घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
  - ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (लागू कानून, विनियमन और कंपनी नीतियों) का अनुपालन;
  - च. किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा; और
  - छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यताएं।
5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
6. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
8. आंतरिक लेखा परीक्षक और/या लेखा परीक्षकों के साथ किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
9. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रकृति की विफलता हो और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।
10. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा, साथ ही लेखापरीक्षा के बाद चर्चा, ताकि चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाया जा सके।
11. व्हिसल ब्लोअर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
12. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का खुला मार्ग उपलब्ध कराना।
14. कंपनी में सभी संबंधित पक्ष लेन-देन की समीक्षा करना और उन्हें मंजूरी देना। इस उद्देश्य के लिए, लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 18 में निहित संबंधित पक्ष लेन-देन की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा।





# Mehtha & Mehtha

## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की समीक्षा करना, ताकि कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी, तथा सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
16. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता की समीक्षा करना, तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ-साथ प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं की भी समीक्षा करना।
17. प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर विचार और समीक्षा करना, जिसमें पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति और लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली किसी भी कठिनाई, जिसमें गतिविधियों के दायरे या आवश्यक जानकारी तक पहुंच पर कोई प्रतिबंध शामिल है।
18. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चुक के कारणों की जांच करना।
19. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
20. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

### घ. लेखा परीक्षा समिति की शक्तियां:

लेखापरीक्षा समिति को अपनी भूमिका के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी:

1. अपने संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत किसी भी गतिविधि की जांच करना।
2. किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगना।
3. बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
4. यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. मुखबिरों की सुरक्षा करना।
6. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों को सशक्त बनाकर हितों के टकराव को कम करना।
7. आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।

### ड. लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा:

लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

- i. वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
- ii. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण;
- iii. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;



# Mehta & Mehta

## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

- iv. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
- v. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और हटाने का मामला लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा; और
- vi. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।

### च. संरचना:

बोर्ड ने 29.01.2024 को आयोजित अपनी 274 वीं बोर्ड बैठक में सीएमपीडीआईएल की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया। 31 मार्च, 2024 तक लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं और इसका नेतृत्व सरकारी अंशकालिक निदेशक करते हैं:

| क्रम सं. | निदेशक का नाम        | स्थिति  | कंपनी में पदनाम        |
|----------|----------------------|---------|------------------------|
| 1        | डॉ . बी. वीरा रेड्डी | अध्यक्ष | सरकारी अंशकालिक निदेशक |
| 2        | श्री अजितेश कुमार    | सदस्य   | सरकारी अंशकालिक निदेशक |
| 3        | श्री शंकर नागचारी    | सदस्य   | कार्यकारी निदेशक       |
| 4        | श्री सतीश झा         | सदस्य   | कार्यकारी निदेशक       |

विभागाध्यक्ष (आईएडी) और सांविधिक लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। सीएफओ स्थायी आमंत्रित व्यक्ति है और कंपनी सचिव समिति का सचिव है। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए वरिष्ठ कार्यात्मक अधिकारियों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग लेखा परीक्षा समिति की बैठक आयोजित करने और संचालन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

### छ. वित्त वर्ष 2023-24 में आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान क्रमशः 02.05.2023, 22.06.2023, 27.07.2023, 09.09.2023, 05.10.2023, 30.10.2023, 22.12.2023, 29.01.2024, 07.02.2024, 14.03.2024 को 10 (दस) बैठकें आयोजित की गईं।

### 3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

बोर्ड ने 30.12.2015 को आयोजित अपनी 191 वीं बोर्ड बैठक में सीएमपीडीआईएल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया।



HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018  
Tel.: +91-22-6611 9696 • E-mail: info@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com



## Mehhta & Mehhta

### COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25. GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

#### क. रचना

बोर्ड ने 09.06.2020 को आयोजित अपनी 234 वीं बोर्ड बैठक में सीएमपीडीआईएल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता एक गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) करते हैं:

| क्रम सं. | निदेशक का नाम          | स्थिति          | पद का नाम              |
|----------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 1        | श्रीमती अलका पांडा     | अध्यक्ष         | स्वतंत्र निदेशक        |
| 2        | डॉ. कृष्ण चंद्र पांडे  | सदस्य           | स्वतंत्र निदेशक        |
| 3        | श्री प्रमोद सिंह चौहान | सदस्य           | स्वतंत्र निदेशक        |
| 4        | श्री मुकेश चौधरी       | सदस्य           | सरकारी अंशकालिक निदेशक |
| 5        | श्री एस.के.गोमस्ता     | स्थायी आमंत्रित | कार्यकारी निदेशक       |

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा विभागाध्यक्ष (कार्मिक एवं प्रशासनिक) समिति के नोडल अधिकारी होंगे, जो समिति को सभी सेवाएं प्रदान करेंगे। उपरोक्त सदस्यों में से अन्य सभी निदेशक पद से मुक्त हो गए हैं।

#### ख. वित्त वर्ष 2023-24 में आयोजित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

#### 4. सीएसआर समिति

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता एक कंपनी की अपने हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता है कि वह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय तरीके से व्यवसाय संचालित करे जो पारदर्शी और नैतिक हो। हितधारकों में कर्मचारी, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, व्यापार भागीदार, ग्राहक, नागरिक समाज समूह, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण और समाज शामिल हैं।

प्रत्येक सीपीएसई को कंपनी के सीएसआर और स्थिरता नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करने और डीपीई द्वारा 01.04.2013 से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के इन एजेंडे को वांछित दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करने के लिए अध्यक्ष और/या प्रबंध निदेशक या एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तरीय समिति रखने की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएसआर और स्थिरता को एमओयू में गैर-वित्तीय मापदंडों के तहत एक अनिवार्य तत्व के रूप में शामिल किया गया है।

दिशानिर्देशों के अनुरूप, बोर्ड ने 10.05.2013 को आयोजित अपनी 172 वीं बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया।

#### क. रचना

31 मार्च, 2024 तक सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं और इसका नेतृत्व कार्यकारी निदेशक करते हैं:

1. श्री अजय कुमार -अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक



# Mehtha & Mehta

## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

2. श्री सतीश झा -सदस्य, कार्यकारी निदेशक

3. श्री अच्युत घटक -सदस्य, कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा महाप्रबंधक (एचआरडी/सीएसआर) समिति के नोडल अधिकारी होंगे, जो सीएसआर समिति को सभी सेवाएं प्रदान करेंगे।

### ख. वित्त वर्ष 2023-24 में आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 7 (सात) बैठकें क्रमशः 22.06.2023, 27.09.2023, 30.10.2023, 22.12.2023 और 29.01.2024, 07.02.2024 और 21.03.2024 को आयोजित की गईं।

### 5. जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सीएमपीडीआईएल निदेशक मंडल द्वारा 02.02.2016 को आयोजित 192 वीं बोर्ड बैठक में किया गया था और बोर्ड द्वारा 29.01.2024 को आयोजित 274वीं बोर्ड बैठक में इसका पुनर्गठन किया गया था।

### क. रचना

जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं और इसका नेतृत्व एक कार्यात्मक निदेशक करता है:

1. श्री शंकर नागचारी - अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक
2. श्री अजय कुमार- सदस्य, कार्यकारी निदेशक
3. श्री अच्युत घटक - सदस्य, कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा महाप्रबंधक (प्रकाशन) समिति के नोडल अधिकारी होंगे, जो समिति को सभी सेवाएं प्रदान करेंगे।

### ख. वित्त वर्ष 2023-24 में आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 28.03.2024 को 1 (एक) बैठक आयोजित की गई।

### 6. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित पर चर्चा करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करना आवश्यक है:

क. गैर-स्वतंत्र निदेशकों और पूरे बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा।

ख. कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा।

ग. कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन करना, जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निभाने के लिए आवश्यक है।





# Mehta & Mehta

## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

### ख. वित्त वर्ष 2023-24 में आयोजित स्वतंत्र निदेशक बैठक का विवरण:

सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

कृते मेहता और मेहता

कंपनी सचिव



रवीना दुगर अग्रवाल

एसीएस नं.: A51836

सीपी नं. : 26055



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति  
सदस्य  
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ("कंपनी") के साथ दिए गए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट, और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं तथा भारतीय लेखा मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के विवरण सहित इसके वित्तीय निष्पादन के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार इंड एस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों पर जोर

हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क. अधिकांश मामलों में ऋणों के शेष (नोट संख्या 4.2), अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट संख्या 4.6), अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (नोट संख्या 6.2), अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (नोट संख्या 6.1), व्यापार देय (नोट संख्या 8.3), व्यापार प्राप्य (नोट संख्या 4.3), अन्य वित्तीय देयताएँ (नोट संख्या 8.4) और अन्य व्यापक आय (नोट संख्या 10.2) की पुष्टि नहीं की गई है। इनमें पिछले कई वर्षों से खातों की पुस्तकों में अंतिम समाप्ति/स्क्वायर-अप के लिए लंबित पुराने शेष भी शामिल हैं। ऐसी शेष राशियों की पुष्टि/समाप्ति/स्क्वायर-अप पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में पता लगाने योग्य नहीं है।



इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

## मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से के इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

| S. No | मुख्य लेखापरीक्षा मामले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | लेखा परीक्षक का जवाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों और उसके प्रावधानों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।</p> <p>प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और जहाँ भी आवश्यक समझा जाता है, कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकार से सलाह द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम कंपनी के रिपोर्ट किए गए लाभ और शुद्ध परिसंपत्तियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है।</p> <p>इंड एस विवरण के लिए नोट 16 पैरा 4(ए) देखें।</p> | <p><b>प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं:</b></p> <p>हमारा लेखापरीक्षण विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों और प्रासंगिक कानून के निर्णयों/व्याख्या के विश्लेषण पर केंद्रित था।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रत्यक्ष कर/अप्रत्यक्ष कर/अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों सहित आकस्मिक देनदारियों की सूची प्राप्त करना।</li> <li>• विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हालिया आदेशों और/या संचार की नमूना जांच के आधार पर जांच करना तथा उसके आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।</li> <li>• मुकदमेबाजी/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना</li> <li>• विचाराधीन विषय-वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह के संदर्भ में करना</li> <li>• विचार-विमर्श के माध्यम से कंपनी के तर्कों की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय-वस्तु के विवरण का संग्रह, उन मुद्दों पर संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह।</li> </ul> <p><b>लेखापरीक्षा निष्कर्ष:</b></p> <p>हमारी प्रक्रियाओं में कोई भी भ्रम/अपवाद नहीं पाया गया।</p> |



### भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं, व्यवसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए.एस.) के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएं शामिल नहीं हैं और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ना है, तथा ऐसा करते समय इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत हैं, या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। चूंकि अन्य जानकारी हमें प्रदान नहीं की गई है, इसलिए हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करायी जाने की उम्मीद है, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों को सूचित करना आवश्यक है।

### भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तनों सहित एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) शामिल हैं, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं।

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का आकलन करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वैकल्पिक विकल्प न हो।





निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

## भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित संपत्ति और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।



भौतिकता भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाती है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

#### अन्य मामले

क. यह देखा गया कि देनदारों में सीआईएल की सहायक कंपनियों के खिलाफ 65.71 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 82.86 करोड़ रुपये) के पुराने बकाया शेष शामिल हैं, जो 1 वर्ष से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित हैं। सीआईएल द्वारा जारी परिपत्र संख्या सीआईएल/डीटी/2021/3093 के अनुसार; i) बिल मूल्य की मूल राशि का 70% और उस पर 18% जीएसटी (यानी, कुल बिल मूल्य का कुल 75%) का भुगतान सहायक कंपनियों द्वारा बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सीएमपीडीआई को किया जाना है; ii) भविष्य में बिल समाधान एक पोर्टल के माध्यम से होगा और सीएमपीडीआई पोर्टल पर कार्रवाई की सूचना देगा और सहायक कंपनियों के साथ संवाद करेगा; iii) एक वर्ष से अधिक के बकाया बिलों की समीक्षा सीएमपीडीआई और संबंधित सहायक कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी ऐसे शेषों की पुष्टि/समाधान/समायोजन पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में पता लगाने योग्य नहीं है।

ख. सीआईएल ने (जुलाई 2010) दो कार्यान्वयन एजेंसियों मेसर्स आर्डी हाई-टेक प्राइवेट लिमिटेड (एचपीएल) और मेसर्स एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (ईपीएल) द्वारा 25.56 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मधुबन वाशरी, बीसीसीएल में रेडियोमेट्रिक तकनीकों का उपयोग करके कोयला ड्राई बेनेफिशिएशन प्रणाली के प्रदर्शन से संबंधित एक आरएंडडी परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी सीएमपीडीआई थी। यह परियोजना सितंबर 2010 में शुरू हुई थी और अगस्त 2012 तक पूरी होने की योजना थी, लेकिन कई



कारणों से इसमें अत्यधिक देरी हुई - जैसे - संयंत्र स्थापना के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में देरी, उपकरण खरीद, बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित क्षमता (400 टीपीएच) पर क्षेत्र परीक्षण आदि। परियोजना का परीक्षण 2016-17 में किया गया था पूर्ण भार (400 टीपीएच) पर परीक्षण करने के लिए बीसीसीएल की तैयारी के बाद, दोनों एजेंसियों (एचपीएल और ईईपीएल) ने पूर्ण भार पर संचालन को मान्य करने में अनिच्छा दिखाई।

इनके मददेनजर, 25.11.2021 को सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड की शीर्ष समिति ने परियोजना को बंद करने की सिफारिश की और बीसीसीएल को संयंत्र का स्वामित्व लेने का निर्देश दिया। इसके बाद, सीएमपीडीआईएल ने मार्च 2022 में परियोजना बंद करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जुलाई 2022 में सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड ने अंततः परियोजना को बंद करने की मंजूरी दे दी और बीसीसीएल को भविष्य में उपयोग के लिए संयंत्र का अधिग्रहण करने का निर्देश दिया। मार्च 2024 तक, सीएमपीडीआईएल ने परिसंपत्तियों की खरीद के लिए 16.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के मुकाबले दोनों कार्यान्वयन एजेंसियों को 12.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। सीएमपीडीआईएल ने इस व्यय को सीआईएल आरएंडडी डब्ल्यूआईपी के तहत व्यापक शीर्षक परियोजनाएं अस्थायी निलंबित के तहत पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के तहत दर्ज किया।

हालांकि, प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मामला सीएमपीडीआईएल बोर्ड के अनुमोदन की प्रक्रिया में है क्योंकि सीएमपीडीआईएल के प्रबंधन ने 5 मार्च 2024 को सीओएफडी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें उनकी मंजूरी मांगी गई थी। सीओएफडी द्वारा गहन समीक्षा और अनुमोदन के बाद, अंतिम अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति के माध्यम से सीएमपीडीआईएल बोर्ड को प्रस्तुत करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद, 14 मार्च 2024 को 121वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक के दौरान बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, लेखा परीक्षा समिति ने प्रबंधन से अतिरिक्त विवरण और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। उपर्युक्त परिणामों के आलोक में, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन ने लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुरोधित विवरणों को शामिल करने के बाद अनुमोदन के लिए मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

ग. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अंतर्गत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से खरीदी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और भारत सरकार/सीआईएल से प्राप्त अनुसंधान और विकास अनुदान/निधि शामिल हैं। 31.03.2024 तक, इन निधियों से खरीदी गई 327 परिसंपत्तियों (संयंत्र और उपकरण) का अवशिष्ट मूल्य (डब्ल्यूडीवी) 21.05 करोड़ रुपये था। यह देखा गया कि 327 परिसंपत्तियों में से 1.77 करोड़ रुपये मूल्य की 209 परिसंपत्तियों का जीवन 15 वर्ष से अधिक था और 49 वर्ष (1975 से) तक था।

IND AS-16 के पैरा 16 के अनुसार, PPE के किसी आइटम की लागत को परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाएगी, जब: (a) यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को मिलेंगे; और (b) आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। इसके अलावा, PPE के किसी आइटम को निपटान के समय या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद न हो, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है।



कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संयंत्र एवं उपकरण परिसंपत्तियों के अंतर्गत किसी भी परिसंपत्ति का अधिकतम उपयोगी जीवन 15 वर्ष मानती है, इसलिए, 15 वर्ष या उससे अधिक की परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन पहले ही समाप्त हो चुका है और इन परिसंपत्तियों को पूंजी आरक्षित खाते में प्रभारित करके मान्यता समाप्त करने की आवश्यकता है, जिसमें निधियों/अनुदानों का रखरखाव किया जाता है।

हालांकि, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि एसएंडटी और आरएंडटी परिसंपत्तियों का स्वामित्व कोयला मंत्रालय और सीआईएल के पास है। कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते सीएमपीडीआईएल कोयला मंत्रालय/सीआईएल की पूर्व अनुमति के बिना अपने आप सर्वेक्षण की पहल नहीं कर सकता है और उन्होंने कोयला मंत्रालय और सीआईएल को मामले की जानकारी दी है, उनसे परिसंपत्तियों के निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाने और सीएमपीडीआईएल को अपडेट प्रदान करने का अनुरोध किया है। सीएमपीडीआईएल प्रबंधन के अनुस्मारक के बावजूद, अब तक इन परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में कोयला मंत्रालय और सीआईएल से निर्देश लंबित हैं। इस स्थिति को देखते हुए, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एसएंडटी परियोजनाओं और सीआईएल द्वारा वित्तपोषित आरएंडटी के तहत खरीदी गई परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए कोयला मंत्रालय और सीआईएल से आगे के संचार की प्रतीक्षा कर रहा है।

उपर्युक्त के मददेनजर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित 15 वर्ष या उससे अधिक उपयोगी अवधि वाली पुरानी परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने तथा 1.77 करोड़ रुपये के गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों एवं पूंजी रिजर्व में समायोजन चालू वित्त वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

घ. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दिनांक 25 अप्रैल, 2024 के वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा की गई टिप्पणियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। संशोधन इस प्रकार हैं:

- राय पैराग्राफ' के अंतर्गत 'पैराग्राफ 2' में, 'अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर' शब्दों को हटा दिया गया है।
- भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 38 पैरा 4(ए) देखें' संदर्भ को "मुख्य लेखापरीक्षा मामलों" के नीचे "भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 16 पैरा 4 (ए) देखें" से प्रतिस्थापित किया गया है और अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैराग्राफ-3(जे)(आई) में "नोट 38 पैरा 4(ए)" के स्थान पर "नोट 16 पैरा 4(ए)" से प्रतिस्थापित किया गया है।
- स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट - सीएजी के अतिरिक्त निर्देश - भाग-II के एसएल संख्या 2 अनुलग्नक-ए में लेखापरीक्षक के उत्तर को संशोधित कर निम्नलिखित कर दिया गया है:

"हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीएमपीडीआई और एमओसी/सीआईएल/एनएमईटी के बीच कोई समझौता ज्ञापन नहीं है। देश में कोयला और लिग्नाइट की खोज से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए सीएमपीडीआई नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई एमओसी/सीआईएल/एनएमईटी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित परियोजना/ब्लॉक के अनुसार विस्तृत और प्रचारात्मक ड्रिलिंग की गतिविधियों को या तो स्वयं या एमईसीएल और निजी पक्षों के साथ समझौतों के तहत करता है। नमूनों की हमारी जांच के आधार पर, यह पाया गया कि ब्लॉकों की खोज एमईसीएल और निजी पक्षों के साथ किए गए समझौतों के अनुपालन में पूरी की गई थी और विस्तृत और प्रचारात्मक ड्रिलिंग के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग किया जा रहा है और उसका उचित हिसाब-किताब रखा जा रहा है।"

- बिंदु 'घ' को "अन्य मामले पैराग्राफ" के अंतर्गत जोड़ा गया है।





इस ऑडिट रिपोर्ट का कंपनी के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह ऑडिट रिपोर्ट 25 अप्रैल, 2024 की तारीख वाली वित्तीय विवरणों पर मूल ऑडिट रिपोर्ट का स्थान लेती है।

मूल रिपोर्ट की तारीख के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं केवल 'राय पैराग्राफ' के अंतर्गत "पैराग्राफ 2" में संशोधन, "मुख्य लेखापरीक्षा मामलों" के नीचे 'नोट संख्या 38' के स्थान पर 'नोट संख्या 16' के प्रतिस्थापन और अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैराग्राफ-3(जे)(आई) में, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट - सीएजी के अतिरिक्त निर्देश - भाग-II के एसएल संख्या 2 अनुलग्नक-ए में "लेखापरीक्षक के उत्तर कॉलम" में संशोधन, और वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य मामले पैराग्राफ" के अंतर्गत बिंदु 'डी' को जोड़ने तक सीमित हैं।

उपरोक्त के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

## अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपेक्षित अनुसार, हम "अनुलग्नक क" में, लेखापरीक्षा की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/अतिरिक्त निर्देशों, उन पर की गई कार्रवाई और कंपनी के खातों और भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का विवरण दे रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम लागू सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक ख" में एक बयान देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे, जैसा कि ऊपर "मामलों का महत्व" पैराग्राफ के खंड (ए) में रिपोर्ट किया गया है।

ख. हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

ग. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

घ. हमारी राय में, हमारे पास ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है जिसका कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

ड. हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के साथ जारी प्रासंगिक नियम का अनुपालन करते हैं।



- च. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164 (2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- छ. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों के संबंध में हमारे पास कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- ज. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- झ. भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- ञ. संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- कंपनी ने भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के अतिरिक्त नोट 16 पैरा 4(ए) के अंतर्गत अपने लंबित मुकदमों का खुलासा किया है। इन मुकदमों का प्रभाव, यदि कोई हो, तब प्रभावी होगा जब उनका निर्धारण/निपटान हो जाएगा।
  - कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई भौतिक पूर्वानुमानित हानि हो, तो उसके लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किए हैं तथा कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं है।
  - प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
  - (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, को कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।



- (ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;
- (ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रावधान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण निहित है।
- v. कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुरूप नहीं है।
- vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष यही सुविधा संचालित की गई है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई मामला नहीं मिला और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल सुविधा को संरक्षित किया गया है।



केसी टाक एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का पंजीकरण नंबर: 000216C

  
सीए अनिल जैन  
पार्टनर

एम नं.: 079005

यूडीआईएन: 24079005BKGUAX2993

स्थान: रांची

दिनांक: 24/05/2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 1 में संदर्भित **परिशिष्ट "क"** के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि;

**भाग- I**

| क्र. सं. | दिशा-निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                         | लेखा परीक्षक का उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <p>क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है?</p> <p>यदि हां, तो आईटी प्रणालियों के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।</p> | <p>सभी भौतिक लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है और सभी अंतर्निहित व्यावसायिक लेनदेन की रिकॉर्डिंग इसके SAP-ERP सॉफ्टवेयर में की जाती है। तदनुसार, खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूचना/डेटा विभिन्न मॉड्यूल से प्रवाहित हो रहा है और वित्तीय लेखांकन और नियंत्रण (FICO), बिक्री और वितरण (S&amp;D), सामग्री प्रबंधन (MM), मानव पूंजी प्रबंधन (HCM), उत्पादन योजना (PP), परियोजना प्रणाली (PS) और संयंत्र रखरखाव (PM) जैसी प्रक्रियाओं के लिए SAP के तहत स्वचालन के माध्यम से वित्तीय में कैप्चर किया गया है।</p> <p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2022 को स्थिरीकरण चरण पूरा होने के बाद, सिस्टम एमसी चरण में है।</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि SAP के बाहर निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती हैं:</p> <p>वर्तमान वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में SAP में बैलेंस शीट (BS) और लाभ एवं हानि (P&amp;L) खातों की तैयारी शामिल है। हालाँकि, तिमाही/वार्षिक खातों की प्रस्तुति के लिए, SAP से प्राप्त प्रत्येक फुटनोट को मैनुअल रूप से एक अलग एक्सेल प्रारूप में संकलित किया जाता है। यह भारतीय लेखा मानक और कंपनी अधिनियम की अनुसूची III की प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खातों के लिए पूरक नोटों का निर्माण वर्तमान में एक मैनुअल प्रक्रिया है जिसे वर्ड दस्तावेज़ में किया जाता है। एसएपी के बाहर की गई गतिविधियों के संबंध में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारी राय में कोई भौतिक वित्तीय निहितार्थ नहीं है।</p> |
| 2.       | <p>क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को</p>                                                                                                                                         | <p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/उधार/सुधार आदि को माफ करने/बटुटे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





| S. No | Directions                                                                                                                                                                                                                                                                | Auditor's reply                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.    | <p>क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था?</p> <p>विचलन के मामलों की सूची बनाएं।</p>                                                              | <p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को विस्तृत एवं प्रचारात्मक ड्रिलिंग, अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और एनएमईटी के अलावा कोई धनराशि/अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है/प्राप्त होने वाला नहीं है, जैसा कि भाग-II - अतिरिक्त निर्देश (अनुलग्नक-'ए') के खंड 2 और 3 में उल्लिखित है।</p> |

## भाग-II - अतिरिक्त निर्देश

| क्र. सं. | दिशा-निर्देश                                                                                                                                                                                                           | की गई कार्रवाई एवं लेखा परीक्षक का उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <p>क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी तक डेटा स्थानांतरण प्रक्रिया का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया गया था।</p>                                                                                                   | <p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोलनेट पोर्टल से एसएपी तक डेटा के माइग्रेशन की प्रक्रिया का स्वतंत्र मूल्यांकन और प्रमाणन नहीं किया गया था। जैसा कि हमें बताया गया है, इस मामले को सीआईएल स्तर पर उठाया गया है।</p>                                                                                                                                                                |
| 2.       | <p>क्या ब्लॉकों की खोज समझौता ज्ञापन के अनुपालन में पूरी की गई तथा विस्तृत और प्रोत्साहन ड्रिलिंग के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग किया गया तथा उसका उचित तरीके से लेखा-जोखा रखा गया। विचलन के मामलों की सूची बनाएं।</p> | <p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीएमपीडीआई और एमओसी/सीआईएल/एनएमईटी के बीच कोई समझौता ज्ञापन नहीं है। देश में कोयला और लिग्नाइट की खोज से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए सीएमपीडीआई नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई एमओसी/सीआईएल/एनएमईटी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित परियोजना/ब्लॉक के अनुसार विस्तृत और प्रचारात्मक ड्रिलिंग की प्रक्रिया को या तो स्वयं या एमईसीएल और निजी कंपनियों के साथ</p> |

| क्र. सं. | दिशा-निर्देश                                                                                                                                                                       | की गई कार्रवाई एवं लेखा परीक्षक का उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                    | समझौतों के तहत करता है। नमूना जांच के आधार पर नमूनों की हमारी जांच के आधार पर, यह पाया गया कि ब्लॉकों की खोज एमईसीएल और निजी पार्टियों के साथ किए गए समझौतों के अनुपालन में पूरी की गई थी और विस्तृत और प्रचारात्मक ड्रिलिंग के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग किया जा रहा है और उसका उचित हिसाब-किताब रखा जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.       | क्या अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए प्राप्त निधि का नियम एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाइए। | <p>हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को कार्यान्वयन एजेंसी/संस्थान द्वारा सीएमपीडीआई को प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर कुछ नियमों व शर्तों के साथ मंत्रालय/सीआईएल की तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किया जाता है। सीएमपीडीआई सभी चालू या नई अनुसंधान एवं विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधि का अनुमान लगाता है और मंत्रालय/सीआईएल से एक समेकित मांग करता है। एक बार निधि प्राप्त हो जाने पर, सीएमपीडीआई परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर विभिन्न किस्तों में कार्यान्वयन एजेंसी/संस्थान को निधि वितरित करता है। एक बार परियोजना पूरी हो जाने और परियोजना पूर्णता रिपोर्ट को तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, कार्यान्वयन एजेंसी/संस्थान सीएमपीडीआई को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है और ऐसी परियोजनाओं पर प्राप्त निधि की अप्रयुक्त राशि को उन निधियों पर अर्जित ब्याज के साथ सीएमपीडीआई को वापस कर देता है।</p> <p>नमूना जांच के आधार पर नमूनों की हमारी जांच के आधार पर, यह देखा गया कि अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए प्राप्त निधियों का नियम व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था, सिवाय निम्नलिखित विचलनों की पहचान के:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>नियमों और शर्तों के अनुपालन के संबंध में कोई एमआईएस नहीं रखा जाता है, जैसे पार्टीवार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त हुए या नहीं, पार्टीवार अर्जित ब्याज का विवरण, परियोजना पूर्णता का विवरण, परियोजनावार परियोजना अवधि का विस्तार आदि।</li> <li>लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अभाव: यह पाया गया कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान किए गए अनुदानों से संबंधित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को अभिलेख में नहीं रखा गया है। इन वित्तीय विवरणों की कमी से निधि/उपयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंता पैदा होती है।</li> </ol> |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



K C TAK & Co.  
Chartered Accountants



| क्र. सं. | दिशा-निर्देश | की गई कार्रवाई एवं लेखा परीक्षक का उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |              | <p>3. अर्जित ब्याज पर दस्तावेजीकरण का अभाव: यह देखा गया कि बैंक खातों में रखे गए धन पर अर्जित ब्याज से संबंधित उपयुक्त रिकॉर्ड प्रबंधन द्वारा नहीं रखे जा रहे थे। विशेष रूप से, निम्नलिखित विवरण पर्याप्त रूप से प्रलेखित नहीं किए गए थे:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वर्गीकृत बैंक खातों में अर्जित ब्याज की राशि के साथ बैंक खातों के बारे में विस्तृत जानकारी।</li><li>लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अर्जित ब्याज की गणना।</li><li>अर्जित ब्याज के आधार पर धनराशि को आगे की किस्तों के लिए समायोजित किया जाएगा।</li></ul> |



3<sup>rd</sup> FLOOR, PARAS COMPLEX, NEAR AKASH INSTITUTE, CLUB ROAD, RANCHI - 834001

Mail Id : [fca.kctanil@gmail.com](mailto:fca.kctanil@gmail.com) Mob. No. +91 - 9031008947

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ २ में संदर्भित **परिशिष्ट - "ख"**, हम रिपोर्ट करते हैं कि;

- i.अ) (क) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति संयंत्र और उपकरण का पूरा विवरण दिखाने के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (ब) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, प्रबंधन ने सीआईएल नीति के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए विधिवत गठित टीम द्वारा उचित अंतराल पर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। जैसा कि हमें बताया गया है, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।
- (ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रकटित सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं।
- हालाँकि, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, सीएमपीडीआई आरआई1 (आसनसोल) से संबंधित भूमि स्वामित्व का स्वामित्व विलेख, सत्यापन हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका।**
- (घ) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा देखे गए अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों दोनों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।
- (ङ) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- (ii) क) कंपनी की नीति के अनुसार, कंपनी द्वारा विधिवत नियुक्त बाहरी एजेंसी द्वारा उचित अंतराल पर स्टोर और स्पेयर का भौतिक सत्यापन किया जाता है और 31 दिसंबर 2023 तक स्टॉक की स्थिति के लिए एक रिपोर्ट कंपनी द्वारा प्राप्त की गई है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है; इस तरह के सत्यापन पर इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।
- (ख) वर्ष के किसी भी समय में किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से कंपनी को कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।
- (iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं की है।
- (iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 में परिभाषित अनुसार ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।





- (v) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। हालाँकि, ग्राहकों/अन्य लोगों से बयाना राशि जमा, सुरक्षा जमा और अग्रिम जमा के रूप में कंपनी के कारोबार के दौरान या उसके उद्देश्य के लिए प्राप्त राशि के संबंध में शेष राशि, कंपनी का मानना है कि ये जमा राशियाँ कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के दायरे में नहीं आती हैं।
- (vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए गए हैं और बनाए रखे गए हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।
- (vii)(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, पेंशन निधि, व्यावसायिक कर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया के संबंध में लेखा पुस्तकों में कटौती/उपार्जित राशि को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है।
- हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर पेंशन निधि, व्यावसायिक कर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च 2024 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
- (ख) उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, इसमें सम्मिलित राशि तथा वह फोरम जहां ऐसा विवाद लंबित है, का उल्लेख "परिशिष्ट-1" में किया गया है।
- (viii) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण के अंतर्गत कर प्राधिकारियों द्वारा किसी ऐसे लेनदेन की पहचान या रिपोर्ट नहीं की गई है, जिसे वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किए जाने की आवश्यकता हो।
- (ix)(क) कंपनी ने किसी भी ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (ख) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (ग) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किए गए थे, उसके लिए कोई सावधि ऋण नहीं लिया गया।
- (घ) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पावधि आधार पर कोई ऋण नहीं जुटाई है जिसका उपयोग दीर्घावधि आधार पर किया गया हो।



- (ड) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।
- (च) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनी में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।
- (x)(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांची गई पुस्तकों और अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (x) पैरा (ए) लागू नहीं होता है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांची गई पुस्तकों और अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (x) पैरा (बी) लागू नहीं होता है।
- (xi)(क) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार की गई और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है, सिवाय आरआई-7, भुवनेश्वर में एक कर्मचारी द्वारा अनधिकृत ईएल नकदीकरण के माध्यम से धोखाधड़ी के, जिसमें 0.17 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जिसे कर्मचारी से वसूल किया गया है।
- (ख) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xii)(क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता है।
- (ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता है।
- (xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और धारा 188 के अनुपालन में हैं तथा ऐसे लेन-देनों का विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।



- (xiv)(क) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है;
- (ख) हां, लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे द्वारा विचार किया गया था;
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xv) लागू नहीं होता।
- (xvi)(क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) लागू नहीं होता है।
- (ख) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई भी गैर-बैंकिंग या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं, सिवाय इसके कि उसने अपनी कर्मचारी श्रीमती अनामिका सिंह, प्रबंधक (बीपी-ईई) (सीसीएल से स्थानांतरित) को सीआईएल हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम के तहत आवास ऋण प्रदान किया है।
- (ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
- (घ) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है और न ही इसके पास एक से अधिक सीआईसी हैं।
- (xvii) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।
- (xix) हमारी राय में, और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, और वित्तीय अनुपातों, आयु और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं के आधार पर, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है;
- (xx)(क) चालू परियोजना या चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी के पास कोई अव्ययित राशि शेष नहीं थी, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था;
- (xxi) यह खंड लागू नहीं है।

केसी टाक एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का पंजीकरण नंबर: 000216C

  
सीए अनिल जैन  
पार्टनर

एम नं.: 079005

यूडीआईएन: 24079005BKGUAX2993

स्थान: रांची  
दिनांक: 24/05/2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट पैराग्राफ 3 (एच) में संदर्भित परिशिष्ट - "ग", हम रिपोर्ट करते हैं कि;

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

'सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड' ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एस वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

#### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

#### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानी गई, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चूंकि कई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।





## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

## राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

हालाँकि, आगे और सुधार की आवश्यकता है: i) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का दस्तावेजीकरण, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों का जोखिम विश्लेषण और बीमा कवरेज के संबंध में निष्पक्षता सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना, ii) विविध खर्चों के संबंध में नियंत्रण को निष्पक्षता से मजबूत करना, iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियों, व्यापार देय और प्राप्त, अन्य वित्तीय देनदारियों और अन्य चालू और गैर-चालू देनदारियों की पुष्टि / समाधान / समायोजन।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय मान्य नहीं है।

केसी टाक एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का पंजीकरण नंबर: 000216C

  
सीए अनिल जैन  
पार्टनर

एम नं.: 079005

यूडीआईएन: 24079005BKGUAX2993

स्थान: रांची

दिनांक: 24/05/2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 2 में संदर्भित परिशिष्ट- "ख" के खंड vii में संदर्भित परिशिष्ट- "1"

31.03.2024 तक विवादित वैधानिक देयताओं का विवरण

| कानून की प्रकृति   | बकाया राशि की प्रकृति                                                                                                                | वह फोरम जहां विवाद लंबित है | लंबित अवधि जिससे राशि संबंधित है | मात्रा (करोड़ रुपए में) | प्रोटेस्ट स्वरूप भुगतान की गयी राशि (करोड़ रुपये में) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| आयकर अधिनियम, 1961 | पूर्व अवधि के व्यय की अस्वीकृतियाँ                                                                                                   | सीआईटी(ए)                   | कैलंडर वर्ष 2010-2011            | 1.05                    | 0.59                                                  |
| आयकर अधिनियम, 1961 | सीएसआर, चिकित्सा व्यय और परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ की अस्वीकृति                                                                    | सीआईटी(ए)                   | कैलंडर वर्ष 2012-2013            | 0.33                    | -                                                     |
| आयकर अधिनियम, 1961 | सीएसआर की अस्वीकृति, एनसीडब्ल्यूए के लिए प्रावधान, चिकित्सा व्यय, अनुदान, कैटीन, क्रेच और अन्य कर्मचारी लाभ                          | सीआईटी(ए)                   | A.Y. 2017-2018                   | 31.67                   | 25.12                                                 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | एनसीडब्ल्यूए, कर्मचारी वेतन संशोधन, चिकित्सा व्यय, स्कूल और संस्थानों को अनुदान, खेल और मनोरंजन जैसे कर्मचारी लाभ व्यय की अस्वीकृति। | सीआईटी(ए)                   | कैलंडर वर्ष 2018-2019            | 55.02                   | 16.02                                                 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | क्लब की सदस्यता, निधि और ग्रेच्युटी के प्रावधान की अस्वीकृति।                                                                        | सीआईटी(ए)                   | कैलंडर वर्ष 2019-2020            | 0.02                    | -                                                     |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आकस्मिक व्यय, निधियों और ग्रेच्युटी के प्रावधान की अस्वीकृति।                                                                        | सीआईटी(ए)                   | कैलंडर वर्ष 2020-2021            | 25.69                   | 19.13                                                 |
| आयकर अधिनियम, 1961 | बोनस या कमीशन की अस्वीकृति, छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी, धारा 43बी के तहत व्यय, पीएफ में योगदान और मूल्यहास।                          | सीआईटी(ए)                   | कैलंडर वर्ष 2021-2022            | 7.38                    | 5.73                                                  |
| आयकर अधिनियम, 1961 | कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के रूप में 8,06,00,000 रुपये के प्रावधान को अस्वीकार करना                            | सीआईटी (ए)                  | कैलंडर वर्ष 2022-23              | 2.03                    |                                                       |
| सेवा कर अधिनियम    | सेवा कर ब्याज और जुर्माने की बकाया राशि की मांग                                                                                      | झारखंड उच्च न्यायालय        | कैलंडर वर्ष 1999-2005            | 5.05                    | 5.05                                                  |
| सेवा कर अधिनियम    | सेवा कर की मांग                                                                                                                      | झारखंड उच्च न्यायालय        | कैलंडर वर्ष 1998-1999            | 3.82                    | -                                                     |
| सेवा कर अधिनियम    | सेवा कर एवं जुर्माने की मांग                                                                                                         | सीईएसटीएटी                  | कैलंडर वर्ष 2013-14 to 2017-18   | 60.16                   | 2.26                                                  |



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

| मामले का महत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रबंधन टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क. अधिकांश मामलों में ऋणों के शेष (नोट संख्या 4.2), अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट संख्या 4.6), अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (नोट संख्या 6.2), अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (नोट संख्या 6.1), व्यापार देय (नोट संख्या 8.3), व्यापार प्राप्य (नोट संख्या 4.3), अन्य वित्तीय देयताएँ (नोट संख्या 8.4) और अन्य चालू देयताएँ (नोट संख्या 10.2) की पुष्टि नहीं की गई है। इनमें पिछले कई वर्षों से खातों की पुस्तकों में अंतिम समायोजन/स्क्वायर-अप के लिए लंबित पुराने शेष भी शामिल हैं। ऐसी शेष राशियों की पुष्टि/समाधान/समायोजन पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में पता लगाने योग्य नहीं है।                                                           | <p>नोट 4.2 के मामले में, 30.96 लाख रुपये एक कर्मचारी (अनामिका सिंह) के एचबीए ऋण पर ब्याज दर्शाते हैं, जिन्हें सीसीएल से अंतर सहायक स्थानान्तरण पर स्थानान्तरित किया गया है और 0.65 लाख रुपये नंद लाल प्रसाद के हैं।</p> <p>नोट 4.3 व्यापार प्राप्य के मामले में -</p> <p>शेष राशि की पुष्टि के लिए सभी देनदारों को पत्र भेजे गए। सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों ने 31.03.2024 तक शेष राशि की पुष्टि कर दी है।</p> <p>नोट 4.6 के मामले में 125.53 करोड़ के कुल शेष में से 60.58 करोड़ रुपये सीआईएल के साथ चालू खाता लेनदेन को दर्शाते हैं। इस राशि का पहले ही मिलान कर लिया गया है और सीआईएल द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।</p> <p>38.42 करोड़ रुपये IND AS 115 से प्राप्त होने हैं जिसके लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>इसके अलावा 26.53 करोड़ रुपये की शेष राशि उपार्जित ब्याज/भुगतान की गई सुरक्षा जमा/प्राप्तियाँ आदि को दर्शाती है। ऐसी राशि के लिए पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रथा नहीं रही है।</p> <p>व्यापार देयताओं, अन्य चालू और गैर चालू परिसंपत्तियों के मामले में, शेष राशि की पुष्टि के लिए संबंधित घरेलू विक्रेता/लेनदारों/देनदारों को सामान्य पत्र/मेल पहले ही भेजे जा चुके हैं। कुछ पक्षों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं।</p> |
| अन्य मामला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रबंधन टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| क) यह देखा गया कि देनदारों में CIL की सहायक कंपनियों के से 65.71 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 82.86 करोड़ रुपये) का पुराना बकाया शामिल है, जो 1 वर्ष से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित है। CIL द्वारा जारी परिपत्र संख्या CIL/DT/2021/3093 के अनुसार; i) बिल मूल्य की मूल राशि का 70% और उस पर 18% GST (यानी, कुल बिल मूल्य का कुल 75%) का भुगतान सहायक कंपनियों द्वारा बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर CMPDI को किया जाना है; ii) भविष्य में बिल समाधान एक पोर्टल के माध्यम से होगा और CMPDI पोर्टल पर कार्रवाई की सूचना देगा और सहायक कंपनियों के साथ संवाद करेगा; iii) एक वर्ष से अधिक समय से बकाया बिलों की समीक्षा CMPDI और संबंधित सहायक कंपनी | <p>उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तुलना में बकाया राशि 82.86 करोड़ रुपये से घटकर 65.71 करोड़ रुपये रह गई है, जो दर्शाता है कि बकाया राशि की वसूली में सुधार हुआ है। बकाया राशि की वसूली के लिए विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।</p> <p>बिक्री पोर्टल सीएमपीडीआईएल द्वारा विकसित किया गया है और सभी सहायक कंपनियों के मुख्यालय और क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा नियमित रूप से उक्त पोर्टल पर बिल अपलोड किए जा रहे हैं। हालाँकि, उक्त पोर्टल का उपयोग बीसीसीएल, एनसीएल और एमसीएल द्वारा बिलों को डाउनलोड करने और संसाधित करने के लिए किया जा रहा है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| अन्य मामले                                                                                                                                   | प्रबंधन टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी ऐसे शेषों की पुष्टि/समाधान/समायोजन पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में पता लगाने योग्य नहीं है।</p> | <p>इसके अतिरिक्त, शेष सहायक कम्पनियों के लिए बिल भौतिक प्रतियों में या संबंधित सहायक कम्पनियों के अनुरोध के अनुसार ईमेल या ई-ऑफिस के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं।</p> <p>सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के उच्चतम स्तर पर बकाया राशि की वसूली के लिए नियमित रूप से कार्रवाई कर रही है।</p> <p>सीएमडी, सीएमपीडीआईएल ने सभी सहयोगी कम्पनियों के सीएमडी और निदेशक (तकनीकी), सीआईएल को ई-ऑफिस दिनांक 14.07.2022/25.07.2022 के माध्यम से कुल बिल मूल्य का 75% अग्रिम भुगतान करने के लिए सूचित किया है, जैसा कि सीआईएल द्वारा कार्यालय आदेश संदर्भ संख्या सीआईएल/डीटी/2021/3093 के तहत निर्देश दिया गया है।</p> <p>19.07.2023 को आयोजित 162वीं सीएमडी बैठक के दौरान सीएमपीडीआईएल बकाया के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया और सहायक कंपनियों को सीएमपीडीआईएल का बकाया चुकाने के लिए कहा गया। इस संदर्भ में टीएस टू डीटी, सीआईएल ने भी संदर्भ संख्या सीआईएल/टीएस-डीटी/23/4915 दिनांक 02.08.2023 के तहत निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सीपी डिवीजन सीआईएल/सहायक कंपनियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।</p> <p>हाल ही में, सीएमपीडीआईएल के विभागाध्यक्ष (वित्त) द्वारा ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एनसीएल, एसईसीएल, एमसीएल के जीएम (वित्त) और सीआईएल के लिए सीआईएल के जीएम (सीपी) और एनईसी के जीएम को क्रमशः पत्र संख्या ई-1459570, 1459524, 1459547, 1459619, 1459614, 1459593, 1459584, 1459563 के तहत 16.04.2024 को हमारे लंबित बकाये को जल्द से जल्द 31.03.2024 तक चुकाने के लिए पत्र लिखे गए हैं।</p> <p>जीएम (वित्त), सीएमपीडीआईएल ने व्यक्तिगत रूप से ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल और एसईसीएल का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों से नियमित आधार पर 75% अग्रिम भुगतान करने का अनुरोध किया। जीएम (वित्त) सीएमपीडीआईएल नियमित रूप से सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा उक्त परिपत्र के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं।</p> <p>इसके अलावा, जीएम (वित्त) ने ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एनसीएल, एमसीएल और सीआईएल के जीएम (पी एंड पी) को पत्र संख्या ई-1460369, ई-1398375, ई-1332864, ई-1305011, ई-1126246, ई-1057132 और ई-837749 के माध्यम उपरोक्त पत्रों की प्रतिलिपि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों को भी भेजी गई।</p> |





| अन्य मामला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रबंधन टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इस प्रकार, सीएमपीडीआईएल द्वारा सभी सहायक कंपनियों से नियमित अंतराल पर परिपत्र के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई का अनुरोध किया जा रहा है और उम्मीद है कि भविष्य में सहायक कंपनियों द्वारा इसका पालन किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>ख) सीआईएल ने (जुलाई 2010) दो कार्यान्वयन एजेंसियों मेसर्स आर्डी हाई-टेक प्राइवेट लिमिटेड (एएचपीएल) और मेसर्स एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (ईईपीएल) द्वारा 25.56 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मधुबन वाशरी, बीसीसीएल में रेडियोमेट्रिक तकनीकों का उपयोग करके कोयला ड्राई बेनेफिशिएशन प्रणाली के प्रदर्शन से संबंधित एक आरएंडडी परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी सीएमपीडीआईएल थी। यह परियोजना सितंबर 2010 में शुरू हुई थी और अगस्त 2012 तक पूरी होने की योजना थी, लेकिन कई कारणों से इसमें अत्यधिक देरी हुई, जैसे - संयंत्र स्थापना के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में देरी, उपकरण खरीद, बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित क्षमता (400 टीपीएच) पर क्षेत्र परीक्षण पूर्ण भार (400 टीपीएच) पर परीक्षण करने के लिए बीसीसीएल की तैयारी के बाद, दोनों एजेंसियों (एएचपीएल और ईईपीएल) ने पूर्ण भार पर संचालन को मान्य करने में अनिच्छा दिखाई।</p> <p>इनके मद्देनजर, 25.11.2021 को सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड की शीर्ष समिति ने परियोजना को बंद करने की सिफारिश की और बीसीसीएल को संयंत्र का स्वामित्व लेने का निर्देश दिया। इसके बाद, सीएमपीडीआईएल ने मार्च 2022 में परियोजना बंद करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जुलाई 2022 में सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड ने अंततः परियोजना को बंद करने की मंजूरी दे दी और बीसीसीएल को भविष्य में उपयोग के लिए संयंत्र का अधिग्रहण करने का निर्देश दिया। मार्च 2024 तक, सीएमपीडीआईएल ने परिसंपत्तियों की खरीद के लिए 16.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के मुकाबले दोनों कार्यान्वयन एजेंसियों को 12.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। सीएमपीडीआईएल ने इस</p> | <p>सीएमपीडीआईएल के प्रबंधन ने 5 मार्च, 2024 को सीओएफडी के समक्ष 12.17 करोड़ रुपये के डब्ल्यूआईपी को बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव रखते हुए उनकी मंजूरी मांगी थी।</p> <p>सीओएफडी द्वारा अनुमोदन के बाद, इसे अंतिम अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति के माध्यम से सीएमपीडीआईएल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश की गई।</p> <p>इसके बाद, बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव 14 मार्च, 2024 को 121वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक में रखा गया।</p> <p>विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, लेखापरीक्षा समिति ने प्रबंधन से अतिरिक्त विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।</p> <p>उपर्युक्त परिणामों के आलोक में, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन ने लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुरोधित विवरण को शामिल करने के बाद बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए रखने का निर्णय लिया है।</p> <p>उपर्युक्त मामले के लंबित रहने तक, परिसंपत्तियों को पूंजीगत-डब्ल्यूआईपी के अंतर्गत परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है तथा वर्ष के दौरान पूंजी रिजर्व के साथ समायोजित नहीं किया गया है।</p> |

| अन्य मामला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रबंधन टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>व्यय को सीआईएल आरएंडडी डब्ल्यूआईपी के तहत व्यापक शीर्षक परियोजनाएं अस्थायी निलंबित के तहत पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के तहत दर्ज किया।</p> <p>हालांकि, प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मामला सीएमपीडीआईएल बोर्ड के अनुमोदन की प्रक्रिया में है क्योंकि सीएमपीडीआईएल के प्रबंधन ने 5 मार्च 2024 को सीओएफडी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें उनकी मंजूरी मांगी गई थी। सीओएफडी द्वारा गहन समीक्षा और अनुमोदन के बाद, अंतिम अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति के माध्यम से सीएमपीडीआईएल बोर्ड को प्रस्तुत करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद, 14 मार्च 2024 को 121वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक के दौरान बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, लेखा परीक्षा समिति ने प्रबंधन से अतिरिक्त विवरण और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। उपर्युक्त परिणामों के आलोक में, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन ने लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुरोधित विवरणों को शामिल करने के बाद अनुमोदन के लिए मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अंतर्गत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से खरीदी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और भारत सरकार/सीआईएल से प्राप्त अनुसंधान और विकास अनुदान/निधि शामिल हैं। 31.03.2024 तक, इन निधियों से खरीदी गई 327 परिसंपत्तियों (संयंत्र और उपकरण) का अवशिष्ट मूल्य (डब्ल्यूडीवी) 21.05 करोड़ रुपये था। यह देखा गया कि 327 परिसंपत्तियों में से 1.77 करोड़ रुपये मूल्य की 209 परिसंपत्तियों का जीवन 15 वर्ष से अधिक था और 49 वर्ष (1975 से) तक था।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परिसंपत्तियों का स्वामित्व कोयला मंत्रालय और सीआईएल के पास है।</p> <p>कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते सीएमपीडीआईएल, कोयला मंत्रालय/सीआईएल की पूर्व अनुमति के बिना स्वयं सर्वेक्षण की पहल नहीं कर सकता है और उन्होंने इस मामले की जानकारी कोयला मंत्रालय और सीआईएल को दे दी है तथा उनसे परिसंपत्ति के निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाने और सीएमपीडीआईएल को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।</p> |

| अन्य मामला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रबंधन टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>IND AS-16 के पैरा 16 के अनुसार, PPE के किसी आइटम की लागत को परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाएगी, जब: (क) यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को मिलेंगे; और (ख) आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। इसके अलावा, PPE के किसी आइटम को निपटान के समय या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद न हो, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है।</p> <p>कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संयंत्र एवं उपकरण परिसंपत्तियों के अंतर्गत किसी भी परिसंपत्ति का अधिकतम उपयोगी जीवन 15 वर्ष मानती है, इसलिए, 15 वर्ष या उससे अधिक की परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन पहले ही समाप्त हो चुका है और इन परिसंपत्तियों को पूंजी आरक्षित खातों में प्रभारित करके मान्यता समाप्त करने की आवश्यकता है, जिसमें निधियों/अनुदानों का रखरखाव किया जाता है।</p> <p>हालांकि, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि एसएंडटी और आरएंडडी परिसंपत्तियों का स्वामित्व कोयला मंत्रालय और सीआईएल के पास है। कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते सीएमपीडीआईएल कोयला मंत्रालय/सीआईएल की पूर्व अनुमति के बिना अपने आप सर्वेक्षण की पहल नहीं कर सकता है और उन्होंने कोयला मंत्रालय और सीआईएल को मामले की जानकारी दी है, उनसे परिसंपत्तियों के निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाने और सीएमपीडीआईएल को अपडेट प्रदान करने का अनुरोध किया है। सीएमपीडीआईएल प्रबंधन के अनुस्मारक के बावजूद, अब तक इन परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में कोयला मंत्रालय और सीआईएल से निर्देश लंबित हैं। इस स्थिति को देखते हुए, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एसएंडटी परियोजनाओं और सीआईएल द्वारा वित्तपोषित आरएंडडी के तहत खरीदी गई परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए कोयला मंत्रालय और सीआईएल से आगे के संचार की प्रतीक्षा कर रहा है।</p> <p>उपर्युक्त के मददेनजर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित 15 वर्ष या उससे अधिक उपयोगी अवधि वाली पुरानी परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने तथा 1.77 करोड़ रुपये के गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों एवं पूंजी रिजर्व में समायोजन चालू वित्त वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।</p> | <p>सीएमपीडीआईएल प्रबंधन की ओर से अनुस्मारक के बावजूद, अभी तक इन परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में एमओसी और सीआईएल से निर्देश लंबित हैं। इस स्थिति को देखते हुए, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन एमओसी और सीआईएल से आगे के संचार की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि एमओसी द्वारा वित्तपोषित एसएंडटी परियोजनाओं और सीआईएल द्वारा वित्तपोषित आरएंडडी के तहत खरीदी गई परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।</p> <p>उपर्युक्त के मददेनजर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित 15 वर्ष या उससे अधिक उपयोगी अवधि वाली पुरानी परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने तथा 1.77 करोड़ रुपये के गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों एवं पूंजी रिजर्व में समायोजन चालू वित्त वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।</p> |

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए "स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 1 में संदर्भित परिशिष्ट "क" पर प्रबंधन की टिप्पणी।

| दिशा-निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                           | ऑडिट उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रबंधन का जवाब                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>1) क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है?</p> <p>यदि हां, तो आईटी प्रणालियों के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।</p> | <p>सभी भौतिक लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है और सभी अंतर्निहित व्यावसायिक लेनदेन की रिकॉर्डिंग इसके SAP-ERP सॉफ्टवेयर में की जाती है। तदनुसार, खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूचना/डेटा विभिन्न मॉड्यूल से प्रवाहित हो रहा है और वित्तीय लेखांकन और नियंत्रण (FICO), बिक्री और वितरण (S&amp;D), सामग्री प्रबंधन (MM), मानव पूंजी प्रबंधन (HCM), उत्पादन योजना (PP), परियोजना प्रणाली (PS) और संयंत्र रखरखाव (PM) जैसी प्रक्रियाओं के लिए SAP के तहत स्वचालन के माध्यम से वित्तीय में कैप्चर किया गया है।</p> <p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2022 को स्थिरीकरण चरण पूरा होने के बाद, सिस्टम एएमसी चरण में है।</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि SAP के बाहर निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती हैं:</p> <p>वर्तमान वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में SAP में बैलेंस शीट (BS) और लाभ एवं हानि (P&amp;L) खातों की तैयारी शामिल है। हालाँकि, तिमाही/वार्षिक खातों की प्रस्तुति के लिए, SAP से प्राप्त प्रत्येक</p> | <p>वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।</p> |



| दिशा-निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ऑडिट उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रबंधन का जवाब            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>फुटनोट को मैनुअल रूप से एक अलग एक्सेल प्रारूप में संकलित किया जाता है। यह भारतीय लेखा मानक और कंपनी अधिनियम की अनुसूची III की प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खातों के लिए पूरक नोटों का निर्माण वर्तमान में एक मैनुअल प्रक्रिया है जिसे वर्ड दस्तावेज़ में किया जाता है।</p> <p>एसएपी के बाहर की गई गतिविधियों के संबंध में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारी राय में कोई भौतिक वित्तीय निहितार्थ नहीं है।</p> |                            |
| 2) क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है) | हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                     | कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं। |
| 3) क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाइये।                                                                                                                                                                            | हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को विस्तृत एवं प्रचारात्मक ड्रिलिंग, अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और एनएमईटी के अलावा कोई                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं। |

| दिशा-निर्देश                                                                                                                                                                                                      | ऑडिट उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रबंधन का जवाब            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | धनराशि/अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है/प्राप्त होने वाला नहीं है, जैसा कि भाग-II - अतिरिक्त निर्देश (परिशिष्ट-'क') के खंड 2 और 3 में उल्लिखित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>भाग-II नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अतिरिक्त निर्देश</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 1) क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी तक डेटा स्थानांतरण प्रक्रिया का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया गया था?                                                                                                  | हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोलनेट पोर्टल से एसएपी तक डेटा के माइग्रेशन की प्रक्रिया का स्वतंत्र मूल्यांकन और प्रमाणन नहीं किया गया था। जैसा कि हमें बताया गया है, इस मामले को सीआईएल स्तर पर उठाया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं। |
| 2) क्या ब्लॉकों की खोज समझौता जापन के अनुपालन में पूरी की गई तथा विस्तृत और प्रचारात्मक ड्रिलिंग के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग किया गया तथा उसका उचित तरीके से लेखा-जोखा रखा गया। विचलन के मामलों की सूची बनाएं। | हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीएमपीडीआई और एमओसी/सीआईएल/एनएमईटी के बीच कोई समझौता जापन नहीं है। सीएमपीडीआई देश में कोयला और लिग्नाइट की खोज से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई एमओसी/सीआईएल/एनएमईटी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित परियोजना/ब्लॉकों के अनुसार विस्तृत और प्रचारात्मक ड्रिलिंग की गतिविधियों को या तो स्वयं या एमईसीएल और निजी पार्टियों के साथ समझौतों के द्वारा करता है। नमूना जांच के आधार पर नमूनों की हमारी जांच के आधार पर, यह देखा गया कि ब्लॉकों की खोज एमईसीएल और निजी पार्टियों के साथ किए गए समझौतों के अनुपालन में पूरी हुई थी और विस्तृत और प्रचारात्मक ड्रिलिंग के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग किया जा रहा है और उसका उचित हिसाब-किताब रखा जा रहा है। | कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं। |



| दिशा-निर्देश                                                                                                                                                                          | ऑडिट उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रबंधन का जवाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) क्या अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए प्राप्त निधि का नियम एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं। | <p>हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को कार्यान्वयन एजेंसी/संस्थान द्वारा सीएमपी डीआई को प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर कुछ नियमों व शर्तों के साथ मंत्रालय/ सीआईएल की तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित/ स्वीकृत किया जाता है। सीएमपीडीआई सभी चालू या नई अनुसंधान एवं विकास/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधि का अनुमान लगाता है और मंत्रालय/सीआईएल से एक समेकित मांग करता है। एक बार निधि प्राप्त हो जाने पर, सीएमपीडीआई परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर विभिन्न किस्तों में कार्यान्वयन एजेंसी/ संस्थान को निधि वितरित करता है। एक बार परियोजना पूरी हो जाने और परियोजना पूर्णता रिपोर्ट को तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, कार्यान्वयन एजेंसी/ संस्थान सीएमपीडीआई को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है और ऐसी परियोजनाओं पर प्राप्त निधि की अप्रयुक्त राशि को उन निधियों पर अर्जित ब्याज के साथ सीएमपीडीआई को वापस कर देता है।</p> <p>नमूनों की हमारी जांच के आधार पर, यह देखा गया कि अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए प्राप्त निधियों का नियम व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था, सिवाय निम्नलिखित विचलनों की पहचान के:</p> | <p>1. एक एमआईएस बनाए रखा जा रहा है जिसमें परियोजना का शीर्षक, कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम, शुरू होने की तिथि, पूरा होने की तिथि, परियोजना का उद्देश्य, कुल स्वीकृत लागत आदि के बारे में जानकारी शामिल है। साथ ही, परियोजना के पूरा होने का विवरण, परियोजना अवधि का विस्तार आदि परियोजना विशिष्ट फाइलों में बनाए रखा जाता है। एक समर्पित वेबसाइट (<a href="https://scienceandtech.cmpdi.co.in">https://scienceandtech.cmpdi.co.in</a>) भी विकसित की गई है जिसमें चल रही और पूरी हो चुकी शोध परियोजनाओं के बारे में विवरण शामिल हैं। जैसा कि सलाह दी गई है, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऑडिट किए गए विवरणों और अर्जित ब्याज के विवरण से संबंधित आवश्यक विवरण प्रदान करने के लिए एक संचार भेजा गया है।</p> <p>अनुसंधान परियोजनाओं की अन्य जानकारी के अलावा।</p> <p>लेखापरीक्षित को शामिल करने के लिए भी प्रयास शुरू किए गए हैं।</p> <p>एक ही एमआईएस में विवरण और अर्जित ब्याज का विवरण।</p> <p>प्रत्येक संस्थान अपने खातों का ऑडिट करवाता है, जिसमें सरकार द्वारा सांविधिक रूप से अपेक्षित ब्याज अर्जित विवरण भी शामिल होता है। संस्थान आम तौर पर एक साथ कई परियोजनाओं को संभालता है, जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और संस्थान द्वारा खातों का समय ऑडिट किया जाता है। इसकी रिपोर्ट संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जाती है, जिसे संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।</p> <p>इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के संबंध में, प्रत्येक संस्थान के नामित वित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणित फॉर्म-III में व्यय विवरण तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि सलाह दी गई थी, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुसंधान परियोजनाओं की अन्य जानकारी के अलावा लेखापरीक्षित विवरण और अर्जित ब्याज के विवरण से संबंधित आवश्यक विवरण प्रदान करने के लिए एक पत्र भेजा गया है।</p> |

| दिशा-निर्देश | ऑडिट उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रबंधन का जवाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>1 .नियमों और शर्तों के अनुपालन के संबंध में कोई एमआईएस नहीं रखा जाता है, जैसे पार्टीवार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त हुए या नहीं, पार्टीवार अर्जित ब्याज का विवरण, परियोजना पूर्णता का विवरण, परियोजनावार परियोजना अवधि का विस्तार आदि।</p> <p>2.लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अभाव: यह देखा गया कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान किए गए अनुदानों से संबंधित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। इन वित्तीय विवरणों का अभाव बयानों से फंड के उपयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।</p> <p>3 . अर्जित ब्याज पर दस्तावेजीकरण का अभाव: यह देखा गया कि बैंक खातों में रखे गए धन पर अर्जित ब्याज से संबंधित उपयुक्त रिकॉर्ड प्रबंधन द्वारा बनाए नहीं रखे जा रहे थे। विशेष रूप से, निम्नलिखित विवरण पर्याप्त रूप से प्रलेखित नहीं किए गए थे:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वर्गीकृत बैंक खातों में अर्जित ब्याज की राशि के साथ बैंक खातों के बारे में विस्तृत जानकारी ।</li> </ul> | <p>परियोजना स्वीकृति के बाद, सीएमपीडीआई द्वारा बैंक अधिदेश के रूप में बैंक खाते की जानकारी मांगी जाती है, इस शर्त के साथ कि यह ब्याज कमाने वाला खाता होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के बाद, सीआईएल के एसएपी प्लेटफॉर्म में विक्रेता पंजीकरण किया जाता है। सीएमपीडीआई के वित्त विभाग के माध्यम से सत्यापित किए गए खातों में ही धनराशि स्थानांतरित की जा रही है।</p> <p>प्रत्येक संस्थान परियोजना के पूरा होने के बाद अपने नामित वित्त अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में अपने बैंक खाते में रखे गए परियोजना निधि पर अर्जित ब्याज के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। आगे की निधि की आवश्यकता के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में अर्जित ब्याज का भी संकेत दिया जाता है। साथ ही, संस्थानों/संगठनों के सामान्य बचत बैंक खाते को विभिन्न स्रोतों से धन/अनुदान प्राप्त होता है और व्यक्तिगत परियोजना के लिए ब्याज दिखाने वाले परियोजनावार बैंक खाता विवरण जारी करना तार्किक कारणों से संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। इसलिए, संस्थान द्वारा अर्जित ब्याज के बारे में जानकारी के लिए संस्थान के वित्त अधिकारी के प्रमाणीकरण पर विचार किया जाता है।</p> <p>तथापि, जैसा कि सांविधिक लेखा परीक्षक ने सुझाव दिया है, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने के लिए एक पत्र भेजा गया है।</p> |



| दिशा-निर्देश | ऑडिट उत्तर                                                                                                                                                                                                                 | प्रबंधन का जवाब |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अर्जित ब्याज की गणना।</li> <li>अर्जित ब्याज के आधार पर धनराशि को आगे की किस्तों के लिए समायोजित किया जाएगा।</li> </ul> |                 |

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए "स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 2 में संदर्भित परिशिष्ट "ख" पर प्रबंधन की टिप्पणी।

| अनुलग्नक "बी" का बिंदु क्रमांक (i) (सी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रबंधन का जवाब            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणों में बताई गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टे के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं।</p> <p>हालाँकि, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, सीएमपीडीआई आरआई1 (आसनसोल) से संबंधित भूमि स्वामित्व का स्वामित्व विलेख, सत्यापन हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका।</p> | कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं। |

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए "स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 3(एच) में संदर्भित परिशिष्ट "ग" पर प्रबंधन की टिप्पणी।

| लेखा परीक्षक की राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रबंधन का जवाब                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।</p> <p>हालाँकि, आगे और सुधार की आवश्यकता है: i) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का दस्तावेजीकरण, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों का जोखिम विश्लेषण और बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम शमन सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना, ii) विविध खर्चों के संबंध में नियंत्रण की निगरानी को मजबूत करना, iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियों, व्यापार देय और प्राप्त, अन्य वित्तीय देनदारियों और अन्य चालू और गैर-चालू देनदारियों की पुष्टि / समाधान / समायोजन।</p> | <p>वर्तमान में उपलब्ध आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पहले से ही मजबूत और पर्याप्त है।</p> <p>सभी आवश्यक दस्तावेज और जांच प्रणाली में उपलब्ध हैं।</p> |

परिशिष्ट - V

## Mehhta & Mehhta

COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

फॉर्म एमआर - 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी विनियमन के नियम 9 के अनुसार

(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014}

प्रति,

सदस्य,

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड

गोंडवाना प्लेस, कांके रोड

रांची, झारखंड- 834008

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरह से किया गया था कि हमें कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं )
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं )



HEAD. OFFICE : 201-205, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018  
Tel : +91-22-6611 9696 • E-mail: info@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

# Mehta & Mehta

## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.

Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं: -
- क. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- ख. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
- ग. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं )
- घ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं) ;
- ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- च. कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- छ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं) ;
- ज. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);



HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018  
Tel. : +91-22-6611 9696 • E-mail: info@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com



## Mehhta & Mehhta

### COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की जांच की है:

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;
- (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (iii) कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून अर्थात्:

क. कोयला खान अधिनियम, 1952  
ख. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884  
ग. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004  
घ. कोयला खान विनियम, 2017  
ङ. मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1956  
च. कोयला खान पेंशन योजना, 1998  
छ. कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974  
ज. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966  
झ. खान क्रेच नियम, 1961  
ञ. खान बचाव नियम, 1985  
ट. कोयला खान पिटहेड बाथ नियम, 1946  
ठ. मातृत्व लाभ (खान और सर्कस) नियम, 1963  
ड. विस्फोटक नियम, 2008  
ढ. खनिज रियायत नियम, 1960  
ण. कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948  
त. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957  
थ. असंवितरित मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1989  
द. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 1956  
ध. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986  
न. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016  
न. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम  
प. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981  
फ. सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और उसके अधीन बनाए गए नियम।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:**

नीचे उल्लिखित सीमा तक अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है :



# Mehata & Mehata

## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

### 1. कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना

समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 149(4) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 में परिकल्पित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या कंपनी के बोर्ड में नहीं थी। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक कोई महिला निदेशक नहीं थी, जिसके लिए प्रबंधन द्वारा समय-समय पर महिला निदेशक सहित दोनों स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक पत्र सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए थे, जिनकी प्रतिलिपि होल्डिंग कंपनी को भी भेजी गई थी।

### 2. कंपनी के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की संरचना

अधिनियम की धारा 177 के प्रावधानों और सीपीएसई पर कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशकों के बिना लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था, जिसके लिए प्रबंधन द्वारा समय-समय पर अपेक्षित पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

3. अधिनियम की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं किए जाने के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में सभी परिवर्तन, उपर्युक्त को छोड़कर, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यक्रम के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं तथा बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान।



HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018  
Tel : +91-22-6611 9696 • E-mail: info@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



## Mehhta & Mehhta

### COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.

Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

- 1) कंपनी ने 21 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 13.306% यानी 1000 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 133.06 रुपये यानी 19.00 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश घोषित किया।
- 2) कंपनी के निदेशक मंडल ने 14 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 70.02% यानी 1000 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 700.29 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया, जो 100 करोड़ रुपये के बराबर होगा।

मेहता एंड मेहता के लिए ,

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई विशिष्ट कोड P1996MH007500)



रवीना दुगर अग्रवाल

साथी

एसीएस नं: 51836

सीपी नं: 26055

यूडीआईएन: A051836F000392407

पीआर सं.: 3686/2023

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 17-05-2024

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे उस तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो 'परिशिष्ट क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

# Mehta & Mehta

## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25. GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

### 'परिशिष्ट क'

प्रति,  
सदस्य,  
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड  
गोंडवाना प्लेस, कांके रोड  
रांची, झारखंड- 834008

इस पत्र के साथ हमारी उस तारीख की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए।

- 1) सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करें।
- 2) हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित रूप से लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
- 3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- 4) जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- 5) कॉर्पोरेट कानून, नियम, विनियम, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- 6) फॉर्म एमआर-3 में हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दाखिल की गई पुस्तकों, कागजात, फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में उक्त विनियमों की आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच विभिन्न फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों को दाखिल करने के निष्पादन और समयबद्धता की जांच करने तक सीमित थी, जिन्हें उक्त विनियमों के तहत कंपनी द्वारा विभिन्न अधिकारियों के पास दाखिल किया जाना आवश्यक है। हमने ऐसे फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता और कवरेज को सत्यापित नहीं किया है।





# Mehta & Mehta

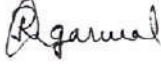
## COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO 25. GP BLOCK, SECTOR-5  
BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091.  
Mob.: +91 9867771580 • E-mail: raveena@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

7) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही इस बात का आश्वासन है कि प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन कितनी प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ किया है।

मेहता एंड मेहता के लिए ,  
कंपनी सचिव

(आईसीएसआई विशिष्ट कोड P1996MH007500)



रवीना दुगर अग्रवाल  
साथी

एसीएस नं: 51836

सीपी नं: 26055

यूडीआईएन: A051836F000392407

पीआर सं.: 3686/2023

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 17-05-2024

परिशिष्ट - VI

धारा 188(1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ संविदा या करार।

फॉर्म संख्या AOC-2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदा/करार के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे परंतुक के अंतर्गत कुछ निश्चित लेन-देन भी शामिल हैं।

| क्र.सं. | विशिष्ट                                                                                                  | विवरण                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.      | संविदाओं या करारों या लेन-देनों का ब्यौरा जो कि निष्पक्ष आधार पर न हो                                    | शून्य                |
| क.      | संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति                                                                 |                      |
| ख.      | अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति                                                                  |                      |
| ग.      | अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि                                                                     |                      |
| घ.      | अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो                |                      |
| ङ.      | ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य                                           |                      |
| च.      | बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(तारीखें)                                                                    |                      |
| छ.      | अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:                                                         |                      |
| ज.      | वह तिथि जिस दिन धारा 188 के प्रथम परंतुक के अधीन अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया |                      |
| 2.      | भौतिक संविदाओं या करारों या लेन-देनों का विस्तृत विवरण                                                   | परिशिष्ट-क के अनुसार |
| क.      | संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति                                                                 |                      |
| ख.      | अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति                                                                  |                      |
| ग.      | अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि                                                                     |                      |
| घ.      | अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो:               |                      |
| ङ.      | बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(तारीखें), यदि कोई हो:                                                       |                      |
| च.      | अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो                                                          |                      |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



परिशिष्ट-क

31.03.2024 तक समूह के भीतर संबंधित पक्ष लेनदेन।

कंपनी एक सरकारी संबंधित इकाई होने के कारण नियंत्रक सरकारों और उसी सरकार के अधीन किसी अन्य इकाई के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन और बकाया शेष राशि के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से मुक्त है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, एक ही प्रबंधन के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे किए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

| कंपनी का नाम                                      | वर्ष के दौरान लेनदेन की राशि | लेन-देन की प्रकृति |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड                        | 126.28                       | बिक्री             |
| भारत कोकिंग कोल लिमिटेड                           | 89.09                        | बिक्री             |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड                        | 237.02                       | बिक्री             |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड                       | 225.35                       | बिक्री             |
| साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड                   | 550.97                       | बिक्री             |
| नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड                       | 197.96                       | बिक्री             |
| महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड                         | 191.32                       | बिक्री             |
| कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (100% होल्डिंग कंपनी) | 17.81                        | बिक्री             |
| <b>कुल योग</b>                                    | <b>1635.8</b>                |                    |

परिशिष्ट - VII

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ



संख्या 171  
No. CAR/CCL/A/c Audit/CMPDIL/2023-24

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)  
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)  
कोलकाता / KOLKATA

दिनांक / Dated 25 JUN 2024

प्रति

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड

कांके रोड, रांची

विषय: 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दी जाए।

आपका विश्वासी,

( बिभुदत्त बसंतिया )

महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)

कोलकाता

संलग्न : यथोक्त

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 25 जून 2024

पुराना निजाम महल (प्रथम तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700 020  
OLD NIZAM PALACE (First Floor), 234/4, Acharya Jagadish Ch. Bose Road, Kolkata-700 020  
Phones : 2287-5380, 2287-7165, 2281-5784, 2290-0314, 2287-8838 Fax : 2280 0062  
e-mail : dgacoalkol@cag.gov.in



**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह उनके द्वारा 24 मई 2024 की संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो उनकी पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 25 अप्रैल 2024 को प्रतिस्थापित करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य दस्तावेजों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी करने के लिए, वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों के मददेनजर, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर या उसके पूरक के रूप में देने के लिए मेरे पास कोई और टिप्पणी नहीं है।

वास्ते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक



( बिभुदत्त बसंतिया )

महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला) कोलकाता

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 25 जून 2024

परिशिष्ट - VIII

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

सीएमपीडीआईएल नवीनतम डीपीई दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करते हुए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत विभिन्न विकास परियोजनाएं चला रहा है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में न्यूनतम अनिवार्य व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके संशोधनों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर आवंटित किया जाता है। सीएमपीडीआईएल की सीएसआर नीति इसकी वेबसाइट [www.cmpdi.co.in](http://www.cmpdi.co.in) पर अपलोड की गई है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

| Sl. No. | निदेशक का नाम                      | निदेशक पद का पदनाम / प्रकृति       | वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लेने की संख्या |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.      | आरएन झा<br>(डीआईएन: 05195902)      | अध्यक्ष (31.8.23 तक)               | 1                                                     | 1                                                           |
| 2.      | शंकर नागचारी<br>(डीआईएन:-09729657) | अध्यक्ष (30.09.23 तक)/सदस्य        | 3                                                     | 3                                                           |
| 3.      | अजय कुमार<br>(डीआईएन:- 09774347)   | अध्यक्ष (1.10.23 से प्रभावी)/सदस्य | 7                                                     | 7                                                           |
| 4.      | सतीश झा<br>(डीआईएन:- 10299809)     | सदस्य                              | 6                                                     | 6                                                           |
| 5.      | अच्युत घटक<br>(डीआईएन 08923591)    | सदस्य                              | 4                                                     | 4                                                           |

3. वेब-लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हों।

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| सीएसआर समिति की संरचना                  | <a href="https://www.cmpdi.co.in/en/c-s-r">https://www.cmpdi.co.in/en/c-s-r</a> |
| सीएसआर नीति                             | <a href="https://www.cmpdi.co.in/en/c-s-r">https://www.cmpdi.co.in/en/c-s-r</a> |
| बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं | <a href="https://www.cmpdi.co.in/en/c-s-r">https://www.cmpdi.co.in/en/c-s-r</a> |

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का वेब-लिंक सहित कार्यकारी सारांश प्रदान करें।

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएमपीडीआईएल पर लागू नहीं।

5.

(करोड़ रुपए में)

|    |                                                                                           |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| क. | धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।                                  | 382.89 |
| ख. | धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।                    | 7.66   |
| ग. | पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष। | शून्य  |
| घ. | वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो।                              | शून्य  |
| ङ. | वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(बी)+(सी)-(डी)].                                  | 7.66   |

6.

(करोड़ रुपए में)

|    |                                                                                                |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| क. | सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और चल रही परियोजना के अलावा अन्य दोनों)। | 8.4482 |
| ख. | प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि                                                         | 0.3601 |
| ग. | प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो।                                                   | शून्य  |
| घ. | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)].                                         | 8.8083 |

(ड) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि:

| वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (करोड़ रुपये में) | अव्ययित राशि (रु. में)                                                           |                    |                                                                                                              |       |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|                                                     | धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि। |                    | धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि। |       |                    |
|                                                     | राशि                                                                             | स्थानांतरण की तिथि | फंड का नाम                                                                                                   | राशि  | स्थानांतरण की तिथि |
| 8.8083                                              | शून्य                                                                            | लागू नहीं          | लागू नहीं                                                                                                    | शून्य | लागू नहीं          |

(च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

| क्र. सं. | विवरण                                                                                                | राशि (करोड़ रुपए में) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (1)      | (2)                                                                                                  | (3)                   |
| (i)      | धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत                                | 7.66                  |
| (ii)     | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि।                                                             | 8.8083                |
| (iii)    | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]                                              | 1.1483                |
| (iv)     | पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो | शून्य                 |
| (v)      | आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]                                      | 1.1483                |

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण

| 1.     | 2.                      | 3.                                                                                    | 4.                                                                           | 5.                                         | 6.                                                                                                                 | 7.                                                            | 8.              |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| S. No. | पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष | धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में) | धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में) | वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में) | धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो | आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में) | कमी, यदि कोई हो |
|        |                         |                                                                                       |                                                                              |                                            | राशि (रु. में)                                                                                                     | स्थानांतरण की तिथि                                            |                 |
| 1.     | वित्त वर्ष 2022-23      | लागू नहीं                                                                             | शून्य                                                                        | शून्य                                      | शून्य                                                                                                              | लागू नहीं                                                     | शून्य           |
| 2.     | वित्त वर्ष 2021-22      | लागू नहीं                                                                             | शून्य                                                                        | शून्य                                      | शून्य                                                                                                              | लागू नहीं                                                     | शून्य           |
| 3.     | वित्त वर्ष 2020-21      | लागू नहीं                                                                             | शून्य                                                                        | शून्य                                      | शून्य                                                                                                              | लागू नहीं                                                     | शून्य           |

8. क्या वित्तीय वर्ष में सीएसआर राशि खर्च करके कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है:

नहीं

9. यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं -  
लागू नहीं

ह/-

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)

ह/-

(अध्यक्ष सीएसआर समिति)



# वार्षिक लेखा 2023-24



## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी)

31.03.2024 के अनुसार बैलेंस शीट

(₹ करोड़ में)

|                                               | टिप्पणी सं | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>परिसंपत्तियाँ</b>                          |            |                      |                      |
| <b>गैर-चालू परिसंपत्ति</b>                    |            |                      |                      |
| परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण                  | 3.1        | 237.73               | 229.46               |
| पूँजीगत कार्य प्रगति पर हैं                   | 3.2        | 12.47                | 15.09                |
| गवेषण और मूल्यांकन संपत्ति                    | 3.3        | -                    | -                    |
| अमूर्त परिसंपत्ति                             | 3.4        | 9.02                 | 14.34                |
| विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ             | 3.5        | -                    | -                    |
| वित्तीय परिसंपत्तियाँ                         |            |                      |                      |
| (i) निवेश                                     | 4.1        | -                    | -                    |
| (ii) ऋण                                       | 4.2        | 0.34                 | 0.06                 |
| (iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ              | 4.6        | 4.07                 | 4.12                 |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)              | 11.2       | 17.66                | 57.89                |
| गैर-चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)             | 11.1       | -                    | -                    |
| अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ                   | 6.1        | 0.12                 | 0.07                 |
| <b>कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (क)</b>         |            | <b>281.41</b>        | <b>321.03</b>        |
| <b>वर्तमान परिसंपत्तियाँ</b>                  |            |                      |                      |
| इन्वेंटरी                                     | 5.1        | 14.29                | 16.01                |
| वित्तीय परिसंपत्तियाँ                         |            |                      |                      |
| (i) निवेश                                     | 4.1        | -                    | -                    |
| (ii) व्यापार प्राप्त्य                        | 4.3        | 984.37               | 822.40               |
| (iii) नकद और नकद समकक्ष                       | 4.4        | 266.87               | 379.97               |
| (iv) अन्य बैंक शेष                            | 4.5        | 330.00               | 90.00                |
| (v) ऋण                                        | 4.2        | -                    | -                    |
| (vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ               | 4.6        | 121.46               | 91.51                |
| चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)                 | 11.1       | 71.27                | 93.17                |
| अन्य चालू परिसंपत्तियाँ                       | 6.2        | 101.70               | 105.44               |
| <b>कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)</b>             |            | <b>1,889.96</b>      | <b>1,598.50</b>      |
| <b>कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)</b>                |            | <b>2,171.37</b>      | <b>1,919.53</b>      |
| <b>इक्विटी और देयता</b>                       |            |                      |                      |
| <b>इक्विटी</b>                                |            |                      |                      |
| इक्विटी शेयर पूँजी                            | 7.1        | 142.80               | 142.80               |
| अन्य इक्विटी                                  | 7.2        | 1467.68              | 1094.98              |
| <b>कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण इक्विटी</b> |            | <b>1610.48</b>       | <b>1237.78</b>       |
| गैर नियंत्रित ब्याज                           | 7.3        | -                    | -                    |
| <b>कुल इक्विटी (क)</b>                        |            | <b>1610.48</b>       | <b>1237.78</b>       |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



## 31.03.2024 के अनुसार बैलेंस शीट

(₹ करोड़ में)

|                                                                        | टिप्पणी सं | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>देयताएं</b>                                                         |            |                      |                      |
| <b>गैर-चालू देनदारियां</b>                                             |            |                      |                      |
| वित्तीय देनदारियां                                                     |            |                      |                      |
| (i) उधार                                                               | 8.1        | -                    | -                    |
| (ii) लीज़ देनदारियाँ                                                   | 8.2        | 1.08                 | 0.86                 |
| (iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ                                          | 8.4        | 73.14                | 71.67                |
| प्रावधान                                                               | 9.1        | 9.14                 | 10.01                |
| आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)                                          | 11.2       | -                    | -                    |
| अन्य गैर-चालू देनदारियां                                               | 10.1       | 0.03                 | -                    |
| <b>कुल गैर-चालू देनदारियाँ (ख)</b>                                     |            | <b>83.39</b>         | <b>82.54</b>         |
| <b>वर्तमान देनदारियां</b>                                              |            |                      |                      |
| वित्तीय देनदारियां                                                     |            |                      |                      |
| (i) उधार                                                               | 8.1        | -                    | -                    |
| (ii) लीज़ देनदारियाँ                                                   | 8.2        | 0.23                 | 0.84                 |
| (iii) व्यापार देय                                                      | 8.3        | -                    | -                    |
| (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया; और                     |            |                      |                      |
| (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया |            | 104.64               | 145.33               |
| (iv) अन्य वित्तीय देनदारियाँ                                           | 8.4        | 83.09                | 88.09                |
| अन्य चालू देनदारियाँ                                                   | 10.2       | 128.31               | 130.23               |
| प्रावधान                                                               | 9.1        | 161.23               | 234.72               |
| वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)                                          | 11.1       | -                    | -                    |
| <b>कुल वर्तमान देनदारियाँ (ग)</b>                                      |            | <b>477.50</b>        | <b>599.21</b>        |
| <b>कुल इक्विटी और देनदारियां (क+ख+ग)</b>                               |            | <b>2171.37</b>       | <b>1919.53</b>       |

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

ह०/-  
(ए. मुँधड़ा)  
कंपनी सचिव

ह०/-  
(एस.बी. तिवारी)  
सीएफओ

ह०/-  
(एस.नागाचारी)  
निदेशक  
डीआईएन-09729657

ह०/-  
(मनोज कुमार)  
अध्यक्ष-सह-  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन- 09225497

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार  
के.सी. टाक एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
फर्म पंजीकरण संख्या-000216सी

ह०/-  
(सीए अनिल जैन)  
पार्टनर

दिनांक: 25-04-2024  
स्थान: - रांची

सदस्यता संख्या-079005  
यूडीआईएन- 24079005BKGUAX2993

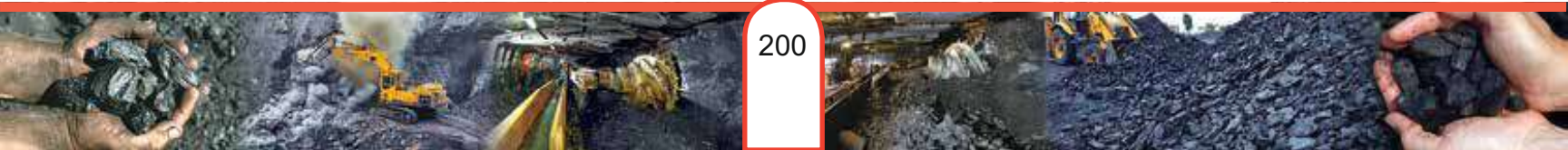


## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

लाभ एवं हानि का विवरण 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

|                                                                                          | टिप्पणी<br>सं | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| परिचालन से राजस्व (लेवी का शुद्ध)                                                        |               |                                  |                                  |
| बिक्री                                                                                   | 12.1          | 1732.69                          | 1386.09                          |
| अन्य परिचालन राजस्व                                                                      | 12.1          | -                                | -                                |
| परिचालन से राजस्व (लेवी का शुद्ध)                                                        |               | 1732.69                          | 1386.09                          |
| अन्य कमाई                                                                                | 12.2          | 37.49                            | 12.69                            |
| कुल आय                                                                                   |               | 1770.18                          | 1398.78                          |
| खर्च                                                                                     |               |                                  |                                  |
| उपभोग की गई सामग्री की लागत                                                              | 13.1          | 31.49                            | 33.09                            |
| स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद                                                                   | 13.1(a)       |                                  |                                  |
| तैयार माल/कार्य प्रगति पर                                                                | 13.2          | -                                | -                                |
| और व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन                                                |               |                                  |                                  |
| कर्मचारी लाभ व्यय                                                                        | 13.3          | 642.91                           | 698.33                           |
| वित्त लागत                                                                               | 13.4          | 0.06                             | 0.09                             |
| मूल्यहास/परिशोधन/हानि व्यय                                                               | 13.5          | 31.54                            | 28.61                            |
| संविदात्मक व्यय                                                                          | 13.7          | 191.86                           | 142.75                           |
| अन्य खर्च                                                                                | 13.8          | 139.48                           | 128.96                           |
| कुल खर्च                                                                                 |               | 1037.34                          | 1031.83                          |
| असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ                                                        |               | 732.84                           | 366.95                           |
| असाधारण वस्तुएँ                                                                          |               | -                                | -                                |
| कर पूर्व लाभ                                                                             |               | 732.84                           | 366.95                           |
| कर व्यय                                                                                  | 14.1          |                                  |                                  |
| कुल कर व्यय                                                                              |               | 229.61                           | 70.29                            |
| निरंतर संचालन से अवधि के लिए लाभ                                                         |               | 503.23                           | 296.66                           |
| बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)                                                         |               | -                                | -                                |
| बंद किए गए परिचालन का कर व्यय                                                            |               | -                                | -                                |
| कर के बाद परिचालन बंद करने की अवधि के लिए लाभ/हानि                                       |               | -                                | -                                |
| जेवी/एसोसिएट के लाभ/(हानि) में हिस्सा                                                    |               | -                                | -                                |
| अवधि के लिए लाभ                                                                          |               | 503.23                           | 296.66                           |
| अन्य व्यापक आय                                                                           | 15.1          |                                  |                                  |
| क (i) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा                   |               | (13.73)                          | 25.95                            |
| (ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा |               | (3.46)                           | 6.53                             |
| ख (i) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा                        |               |                                  |                                  |
| (ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा         |               |                                  |                                  |
| कुल अन्य व्यापक आय                                                                       |               | (10.27)                          | 19.42                            |





# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



## लाभ एवं हानि का विवरण 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| टिप्पणी<br>सं                                                                 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल) | 492.96                           | 316.08                           |
| इसके कारण होने वाले लाभ:                                                      |                                  |                                  |
| कंपनी के मालिक                                                                | 503.23                           | 296.66                           |
| अनियंत्रित ब्याज                                                              | 503.23                           | 296.66                           |
| इसके कारण होने वाले अन्य व्यापक आय:                                           |                                  |                                  |
| कंपनी के मालिक                                                                | (10.27)                          | 19.42                            |
| अनियंत्रित ब्याज                                                              | (10.27)                          | 19.42                            |
| इसके कारण होने वाले कुल व्यापक आय:                                            |                                  |                                  |
| कंपनी के मालिक                                                                | 492.96                           | 316.08                           |
| अनियंत्रित ब्याज                                                              | 492.96                           | 316.08                           |
| प्रति इक्विटी शेयर आय (संचालन जारी रखने के लिए):                              |                                  |                                  |
| (1) बेसिक                                                                     | 3,524.02                         | 2,077.45                         |
| (2) डाइलुटेड                                                                  | 3,524.02                         | 2,077.45                         |
| प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद किए गए परिचालन के लिए):                            |                                  |                                  |
| (1) बेसिक                                                                     | -                                | -                                |
| (2) डाइलुटेड                                                                  | -                                | -                                |
| प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद और जारी परिचालन के लिए):                           |                                  |                                  |
| (1) बेसिक                                                                     | 3,524.02                         | 2,077.45                         |
| (2) डाइलुटेड                                                                  | 3,524.02                         | 2,077.45                         |

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 तक वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

ह०/-  
(ए. मुँधड़ा)  
कंपनी सचिव

ह०/-  
(एस.बी. तिवारी)  
सीएफओ

ह०/-  
(एस.नागाचारी)  
निदेशक  
डीआईएन-09729657

ह०/-  
(मनोज कुमार)  
अध्यक्ष-सह-  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन- 09225497

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार  
के.सी. टाक एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
फर्म पंजीकरण संख्या-000216सी

ह०/-  
(सीए अनिल जैन)  
पार्टनर

दिनांक: 25-04-2024  
स्थान: - रांची

सदस्यता संख्या-079005  
यूडीआईएन- 24079005BKGUAX2993

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

नकदी प्रवाह का विवरण-अप्रत्यक्ष विधि 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए

|                                                                   | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | (₹ करोड़ में)<br>समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>क. संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़:</b>                   |                                  |                                                   |
| कर देने से पूर्व लाभ                                              | 732.84                           | 366.95                                            |
| के लिए समायोजन:                                                   |                                  |                                                   |
| मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय                                    | 31.54                            | 28.61                                             |
| ब्याज आय                                                          | (31.96)                          | (7.47)                                            |
| वित्तीय लागत                                                      | 0.06                             | 0.09                                              |
| संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ/हानि                   |                                  | (0.02)                                            |
| दायित्व एवं प्रावधान राइट बैक                                     | (2.91)                           | (0.77)                                            |
| भत्ते और प्रावधान                                                 | 1.07                             | 0.04                                              |
| राइट ऑफ़                                                          |                                  |                                                   |
| निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन               | 730.64                           | 387.43                                            |
| से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह                         |                                  |                                                   |
| व्यापार प्राप्त                                                   | (162.07)                         | (5.73)                                            |
| इन्वेंट्री                                                        | 0.75                             | (2.98)                                            |
| ऋण और अग्रिम और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां                        | (30.18)                          | 20.39                                             |
| अन्य चालू और गैर चालू परिसंपत्तियां                               | 3.69                             | 71.97                                             |
| व्यापार देय                                                       | (40.69)                          | (5.61)                                            |
| अन्य वित्तीय देयताएं                                              | (3.52)                           | 8.80                                              |
| अन्य चालू और गैर चालू देयताएं                                     | 1.02                             | (10.76)                                           |
| प्रावधान                                                          | (89.35)                          | 38.27                                             |
| परिचालन से उत्पन्न नकदी                                           | 410.29                           | 501.78                                            |
| आयकर का भुगतान                                                    | (164.02)                         | (102.37)                                          |
| परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह                            | 246.27                           | 399.41                                            |
| <b>ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>                         |                                  |                                                   |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान | (31.87)                          | (43.69)                                           |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से आय                       |                                  | 0.02                                              |
| बैंकों के पास जमा/(जमा) की वसूली                                  | (240.00)                         | (50.00)                                           |
| निवेश पर प्राप्त ब्याज                                            | 31.96                            | 7.47                                              |
| निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह                              | (239.91)                         | (86.20)                                           |
| <b>ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>                       |                                  |                                                   |
| उधारों के पुनर्भुगतान से प्राप्त आय                               |                                  |                                                   |
| पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)                   | (0.46)                           | (0.16)                                            |
| इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान                                | (119.00)                         | (94.05)                                           |
| वित्त पोषण गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी           | (119.46)                         | (94.21)                                           |
| नकद और बैंक शेष (क + ख + ग) में निवल वृद्धि/कमी                   | (113.10)                         | 219.00                                            |
| वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष                              | 379.97                           | 160.97                                            |
| वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष                                 | 266.87                           | 379.97                                            |

## नकद और नकद समकक्षों का मिलान (संदर्भ टिप्पणी 4.4)

### नकद और नकद समतुल्य के घटक

|                              | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|------------------------------|---------------|---------------|
| बैंकों के पास शेष            |               |               |
| - जमा खातों में              |               |               |
| - वर्तमान खातों में          | 266.86        | 379.95        |
| भारत के बाहर बैंक शेष        |               |               |
| हाथ में चेक, ड्राफ्ट और टिकट |               |               |
| हाथ में नकदी                 | 0.01          | 0.01          |
| भारत के बाहर हाथ में नकदी    |               |               |
| अन्य                         |               |               |
| कुल नकद और नकद समतुल्य       | <b>266.87</b> | <b>379.97</b> |

- वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में शुरुआती और समापन शेष के बीच समाधान:

### 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

| विवरण                             | वित्त पट्टा देयताएं |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष   | 1.70                |
| इस अवधि के दौरान नकदी प्रवाह      | (0.46)              |
| गैर-नकद परिवर्तन:                 |                     |
| वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण       | 0.01                |
| उधार पर ब्याज                     | 0.06                |
| समायोजन                           |                     |
| <b>31 मार्च 2024 को समापन शेष</b> | <b>1.31</b>         |

### 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

| विवरण                             | वित्त पट्टा देयताएं |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष   | 1.31                |
| वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह         | (0.16)              |
| गैर-नकद परिवर्तन:                 |                     |
| वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण       | 0.46                |
| उधार पर ब्याज                     | 0.09                |
| <b>31 मार्च 2023 को समापन शेष</b> | <b>1.70</b>         |

नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण आईएंडडी-एस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि - 'नकदी प्रवाह का विवरण' के अनुसार तैयार किया गया है।

कंपनी द्वारा 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय सीएसआर व्यय के अनुबंध के अनुसार है।

ह०/-  
(ए. मुँधड़ा)  
कंपनी सचिव

ह०/-  
(एस.बी. तिवारी)  
सीएफओ

ह०/-  
(एस.नागाचारी)  
निदेशक  
डीआईएन-09729657

ह०/-  
(मनोज कुमार)  
अध्यक्ष-सह-  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन- 09225497

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार  
के.सी. टाक एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
फर्म पंजीकरण संख्या-000216सी

ह०/-  
(सीए अनिल जैन)  
पार्टनर

दिनांक: 25-04-2024  
स्थान: - रांची

सदस्यता संख्या-079005  
यूडीआईएन- 24079005BKGUAX2993



# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी  
31.03.2024 के अनुसार

(₹ करोड़ में)

| विवरण                                            | 01.04.2023 के अनुसार शेष राशि | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 01.04.2023 को पुनर्स्थापित शेष राशि | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31.03.2024 के अनुसार शेष राशि |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| प्रत्येक ₹1000/- मूल्य के 14,28,000 इक्विटी शेयर | 142.8                         | -                                                               | 142.80                              | -                                             | 142.80                        |
| 31.03.2023 के अनुसार                             |                               |                                                                 |                                     |                                               |                               |
| विवरण                                            | 01.04.2022 के अनुसार शेष राशि | पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 01.04.2022 को पुनर्स्थापित शेष राशि | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31.03.2023 के अनुसार शेष राशि |
| प्रत्येक ₹1000/- मूल्य के 14,28,000 इक्विटी शेयर | 142.8                         | -                                                               | 142.80                              | -                                             | 142.80                        |

ख. अन्य इक्विटी

31.03.2023 के अनुसार

(₹ करोड़ में)

| विवरण                                                                         | अन्य रिजर्व            |              |                |                 | ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) | कुल      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------|
|                                                                               | पूंजी रिडेम्पशन रिजर्व | पूंजी रिजर्व | सामान्य रिजर्व | प्रतिधारित कमाई |                                                        |          |
| 01.04.2022 के अनुसार शेष लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ | -                      | 18.90        | 29.95          | 784.25          | 38.62                                                  | 871.72   |
| 01.04.2022 के अनुसार पुनर्निर्धारित शेष                                       | -                      | 18.90        | 29.95          | 784.25          | 38.62                                                  | 871.72   |
| वर्ष के दौरान जोड़ना                                                          | -                      | 2.63         | 14.83          | (14.83)         | -                                                      | 17.46    |
| जनरल रिजर्व में स्थानांतरण                                                    | -                      | (1.40)       | -              | (70.00)         | -                                                      | (70.00)  |
| वर्ष के दौरान समायोजन                                                         | -                      | -            | -              | (24.05)         | -                                                      | (24.05)  |
| अंतरिम लाभांश                                                                 | -                      | -            | -              | 296.66          | 19.42                                                  | 316.08   |
| अंतिम लाभांश                                                                  | -                      | -            | -              | -               | -                                                      | -        |
| इस साल का मुनाफा                                                              | -                      | -            | -              | -               | -                                                      | -        |
| बोनस शेयर जारी करना                                                           | -                      | -            | -              | -               | -                                                      | -        |
| 31.03.2023 के अनुसार शेष                                                      | -                      | 20.13        | 44.78          | 972.03          | 58.04                                                  | 1,094.98 |

## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

अन्य इक्विटी (जारी...)

31.03.2024 के अनुसार

(₹ करोड़ में)

| विवरण                                                                         | अन्य रिजर्व            |              |                |                 | ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) | कुल      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------|
|                                                                               | पूँजी रिडेम्पशन रिजर्व | पूँजी रिजर्व | सामान्य रिजर्व | प्रतिधारित कमाई |                                                        |          |
| 01.04.2023 के अनुसार शेष लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ | -                      | 20.13        | 44.78          | 972.03          | 58.04                                                  | 1,094.98 |
| 01.04.2023 के अनुसार पुनर्निर्धारित शेष                                       | -                      | 20.13        | 44.78          | 972.03          | 58.04                                                  | 1,094.98 |
| वर्ष के दौरान जोड़ना                                                          | -                      | 0.31         | 25.16          | -               | -                                                      | 25.47    |
| वर्ष के दौरान समायोजन                                                         | -                      | (1.57)       | -              | -               | -                                                      | (1.57)   |
| जनरल रिजर्व में स्थानांतरण                                                    | -                      | -            | -              | (25.16)         | -                                                      | (25.16)  |
| अंतरिम लाभांश                                                                 | -                      | -            | -              | (100.00)        | -                                                      | (100.00) |
| अंतिम लाभांश                                                                  | -                      | -            | -              | (19.00)         | -                                                      | (19.00)  |
| इस साल का मुनाफा                                                              | -                      | -            | -              | 503.23          | (10.27)                                                | 492.96   |
| बोनस शेयर जारी करना                                                           | -                      | -            | -              | -               | -                                                      | -        |
| 31.03.2024 के अनुसार शेष                                                      | -                      | 18.87        | 69.94          | 1,331.10        | 47.77                                                  | 1,467.68 |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.1: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

|                                    | पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि | अन्य भूमि | भूमि पुनर्स्थापन/स्थल पुनर्स्थापन लागत | भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित) | संयंत्र और उपकरण | दूरसंचार | रेलवे साइडिंग्स | फर्नीचर व फिक्सचर | कार्यालय उपकरण | वाहनों | हवाई जहाज | अन्य खनन अवसंरचना | सर्वेऑफ परिसंपत्तियाँ | अन्य | कुल    |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------|--------|
| सकल वहन राशि:                      |                           |           |                                        |                                       |                  |          |                 |                   |                |        |           |                   |                       |      |        |
| 1 अप्रैल 2022 तक परिवर्धन          | 1.15                      | 2.94      | -                                      | 70.33                                 | 197.78           | 0.43     | -               | 19.51             | 3.53           | 11.85  | -         | -                 | 0.77                  | -    | 308.29 |
| विलोपन/समायोजन                     | -                         | 0.46      | -                                      | 16.80                                 | 33.39            | 0.60     | -               | 5.99              | 1.73           | 1.09   | -         | -                 | 0.06                  | -    | 60.12  |
|                                    | -                         | -0.26     | -                                      | (0.07)                                | (3.00)           | -        | -               | (0.75)            | 0.78           | (0.12) | -         | -                 | -                     | -    | (3.42) |
| 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार  | 1.15                      | 3.14      | -                                      | 87.06                                 | 228.17           | 1.03     | -               | 24.75             | 6.04           | 12.82  | -         | -                 | 0.83                  | -    | 364.99 |
| 1 अप्रैल 2023 तक परिवर्धन          | 1.15                      | 3.14      | -                                      | 87.06                                 | 228.17           | 1.03     | -               | 24.75             | 6.04           | 12.82  | -         | -                 | 0.83                  | -    | 364.99 |
| विलोपन/समायोजन                     | -                         | -         | -                                      | 1.97                                  | 27.20            | 0.02     | -               | 3.07              | 1.72           | 1.87   | -         | -                 | 0.39                  | -    | 36.24  |
|                                    | -                         | -         | -                                      | (2.52)                                | (5.25)           | 0.06     | -               | (0.28)            | (0.19)         | (0.68) | -         | -                 | -                     | -    | -8.86  |
| 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार  | 1.15                      | 3.14      | -                                      | 86.51                                 | 250.12           | 1.11     | -               | 27.54             | 7.57           | 14.01  | -         | -                 | 1.22                  | -    | 392.37 |
| संचित मूल्यहास, परिशोधन और हानि*   |                           |           |                                        |                                       |                  |          |                 |                   |                |        |           |                   |                       |      |        |
| 1 अप्रैल 2022 तक वर्ष के लिए शुल्क | -                         | 0.55      | -                                      | 11.12                                 | 82.15            | 0.21     | -               | 9.33              | 2.34           | 8.14   | -         | -                 | -                     | -    | 113.84 |
| विलोपन/समायोजन                     | -                         | 0.22      | -                                      | 3.20                                  | 17.29            | 0.09     | -               | 2.07              | 0.45           | 1.04   | -         | -                 | -                     | -    | 24.36  |
|                                    | -                         | (0.26)    | -                                      | (0.03)                                | (2.24)           | -        | -               | (0.49)            | 0.46           | (0.11) | -         | -                 | -                     | -    | (2.67) |
| 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार  | -                         | 0.51      | -                                      | 14.29                                 | 97.20            | 0.30     | -               | 10.91             | 3.25           | 9.07   | -         | -                 | -                     | -    | 135.53 |
| 1 अप्रैल 2023 तक वर्ष के लिए शुल्क | -                         | 0.51      | -                                      | 14.29                                 | 97.20            | 0.30     | -               | 10.91             | 3.25           | 9.07   | -         | -                 | -                     | -    | 135.53 |
| विलोपन/समायोजन                     | -                         | 0.24      | -                                      | 2.08                                  | 20.87            | 0.15     | -               | 2.25              | 0.68           | 0.77   | -         | -                 | -                     | -    | 27.04  |
|                                    | -                         | -         | -                                      | (2.46)                                | (4.63)           | 0.03     | -               | (0.25)            | (0.17)         | (0.45) | -         | -                 | -                     | -    | (7.93) |
| 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार  | -                         | 0.75      | -                                      | 13.91                                 | 113.44           | 0.48     | -               | 12.91             | 3.76           | 9.39   | -         | -                 | -                     | -    | 154.64 |
| निवल वहन राशि                      |                           |           |                                        |                                       |                  |          |                 |                   |                |        |           |                   |                       |      |        |
| 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार  | 1.15                      | 2.39      | -                                      | 72.60                                 | 136.68           | 0.63     | -               | 14.63             | 3.81           | 4.62   | -         | -                 | 1.22                  | -    | 237.73 |
| 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार  | 1.15                      | 2.63      | -                                      | 72.77                                 | 130.97           | 0.73     | -               | 13.84             | 2.79           | 3.75   | -         | -                 | 0.83                  | -    | 229.46 |

## शिष्टावली:

- उपरोक्त प्लॉट और मशीनरी में स्टैंड बाय उपकरण और स्टोर तथा स्पेयर सहित प्लॉट और मशीनरी शामिल हैं जो पीपीई के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करते हैं लेकिन अभी तक स्टोर से जारी नहीं किए गए हैं।
- कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया गया है। (नोट संख्या 2 देखें)
- अन्य भूमि में उपयोग का अधिकार 1.72 करोड़ रुपये की संपत्ति और उस पर संचित परिशोधन 31.03.2024 तक 0.57 करोड़ रुपये है।
- "4. समाप्त वर्ष के लिए मूल्यहास और परिशोधन तथा हानि 33.10 करोड़ रुपये है। (इसमें संयंत्र और उपकरण की हानि 0.02 करोड़ रुपये है और फर्नीचर और फिक्सचर 0.04 करोड़ रुपये है। वित्त पोषित परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यहास 1.56 करोड़ रुपये है।

5. संचित हानि में संचलन\*

(₹ करोड़ में)

|                   | संयंत्र और उपकरण | फर्नीचर और फिक्स्चर | कुल  |
|-------------------|------------------|---------------------|------|
| 1 अप्रैल, 2023 तक | 0                | 0                   | 0    |
| वर्ष के लिए शुल्क | 0.02             | 0.04                | 0.06 |
| विलोपन/समायोजन    | 0                | 0                   | 0    |
| 31 मार्च, 2024 तक | 0.02             | 0.04                | 0.06 |

6. आईएनडी-एस के अनुसरण में, 01.04.2015 को सकल मूल्य कम संचित मूल्यहास को लेनदेन तिथि पर कैरी वैल्यू के रूप में माना गया था।

7. वित्तपोषित परिसंपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

| वित्तपोषित परिसंपत्ति वर्ग | 01-04-2023 को निवल बही मूल्य | परिवर्धन | वर्ष के लिए मूल्यहास | 31-03-2024 को निवल बही मूल्य |
|----------------------------|------------------------------|----------|----------------------|------------------------------|
| भवन                        | 0.19                         | 0.00     | 0.00                 | 0.19                         |
| संयंत्र और उपकरण           | 9.56                         | 0.31     | 1.38                 | 8.48                         |
| कार्यालय उपकरण।            | 0.00                         | 0.00     | 0.00                 | 0.00                         |
| फर्नीचर और फिक्सचर         | 0.07                         | 0.00     | 0.01                 | 0.06                         |
| अमूर्त संपत्ति             | 0.31                         | 0.00     | 0.17                 | 0.14                         |
| कुल                        | 10.13                        | 0.31     | 1.56                 | 8.88                         |

वित्त पोषित परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए निर्देश, जिन्होंने अपना जीवन पूरा कर लिया है, मंत्रालय से अनुरोध किया गया था। इस मामले में आगे बढ़ने के लिए निर्देशों की प्रतीक्षा है।



## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.2: पूंजी डब्ल्यूआईपी

(₹ करोड़ में)

|                                   | भवन (जल आपूर्ति,<br>सड़क और पुलिया<br>सहित) | संयंत्र और<br>उपकरण | रेलवे<br>साइडिंग | अन्य खनन<br>अवसंरचना/<br>विकास | अन्य | कुल     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|------|---------|
| 1 अप्रैल 2022 तक                  | 24.43                                       | 12.23               | -                | -                              | -    | 36.66   |
| परिवर्धन                          | 1.66                                        | 0.76                | -                | -                              | -    | 2.42    |
| पूंजीकरण/विलोपन                   | (24.11)                                     | 0.12                | -                | -                              | -    | (23.99) |
| 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार | 1.98                                        | 13.11               | -                | -                              | -    | 15.09   |
| 1 अप्रैल 2023 तक                  | 1.98                                        | 13.11               | -                | -                              | -    | 15.09   |
| परिवर्धन                          | 0.24                                        | 0.02                | -                | -                              | -    | 0.26    |
| पूंजीकरण/विलोपन                   | (1.92)                                      | (0.96)              | -                | -                              | -    | (2.88)  |
| 31 मार्च 2024 तक                  | 0.30                                        | 12.17               | -                | -                              | -    | 12.47   |
| संचित हानि                        |                                             |                     |                  |                                |      | -       |
| 1 अप्रैल 2022 तक                  | -                                           | -                   | -                | -                              | -    | -       |
| वर्ष के लिए शुल्क                 | -                                           | -                   | -                | -                              | -    | -       |
| विलोपन/समायोजन                    | -                                           | -                   | -                | -                              | -    | -       |
| 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार | -                                           | -                   | -                | -                              | -    | -       |
| 1 अप्रैल 2023 तक                  | -                                           | -                   | -                | -                              | -    | -       |
| वर्ष के लिए शुल्क                 | -                                           | -                   | -                | -                              | -    | -       |
| विलोपन/समायोजन                    | -                                           | -                   | -                | -                              | -    | -       |
| 31 मार्च 2024 तक                  | -                                           | -                   | -                | -                              | -    | -       |
| शुद्ध वहन राशि                    |                                             |                     |                  |                                |      | -       |
| 31 मार्च 2024 तक                  | 0.30                                        | 12.17               | -                | -                              | -    | 12.47   |
| 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार | 1.98                                        | 13.11               | -                | -                              | -    | 15.09   |

1. पूंजी-कार्य प्रगति पर (सकल) का एजिंग शेड्यूल:

(₹ करोड़ में)

|                                                                   | 31-03-2024 को प्रगति में पूंजीगत कार्य की राशि |          |          |                |       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-------|
|                                                                   | 1 वर्ष से कम                                   | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल   |
| प्रगति पर परियोजनाएं:                                             |                                                |          |          |                |       |
| भवन                                                               |                                                |          |          |                |       |
| क्षेत्रीय संस्थान-4 में विकिरण रखने के लिए भंडारण कक्ष का निर्माण |                                                | 0.04     |          |                | 0.04  |
| सीएमपीडीआई कॉलोनी, क्षेत्रीय संस्थान-7 में नई जल आपूर्ति पाइपलाइन |                                                | 0.11     |          |                | 0.11  |
| ईटीपी के लिए सुरक्षात्मक छाया का निर्माण                          | 0.01                                           |          |          |                | 0.01  |
| संयंत्र और उपकरण                                                  |                                                |          |          |                | -     |
|                                                                   |                                                |          |          |                | -     |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:                                |                                                |          |          |                | -     |
| भवन                                                               |                                                |          |          |                |       |
| क्षेत्रीय संस्थान-7 के गोपालपुर कैंप के लिए लखनपुर आवासीय भवन     |                                                |          |          | 0.14           | 0.14  |
| संयंत्र और उपकरण                                                  |                                                |          |          |                | -     |
| सीआईएल आर एंड डी डब्ल्यूआईपी                                      | -                                              | -        | -        | 12.17          | 12.17 |
|                                                                   |                                                |          |          |                | -     |
| कुल                                                               | 0.01                                           | 0.15     | -        | 12.31          | 12.47 |

पूंजी-कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) (सकल)

2. प्रगति पर भौतिक पूंजीगत कार्य के लिए अतिदेय (सकल)

|                                       | में पूरा किया जाना है |          |          |                |
|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------------|
|                                       | 1 वर्ष से कम          | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| प्रगति पर परियोजनाएं:                 |                       |          |          |                |
| भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित) |                       |          |          |                |
| संयंत्र और उपकरण                      |                       |          |          |                |
| रेलवे साइडिंग                         |                       |          |          |                |
| कुल                                   |                       |          |          |                |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



## 1. पूंजी-कार्य प्रगति पर (सकल) का एजिंग शेड्यूल:

(₹ करोड़ में)

|                                                                             | 31-03-2023 को प्रगति में पूंजीगत कार्य की राशि |             |          |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|--------------|
|                                                                             | 1 वर्ष से कम                                   | 1-2 वर्ष    | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल          |
| <b>प्रगति पर परियोजनाएं:</b>                                                |                                                |             |          |                |              |
| <b>भवन</b>                                                                  |                                                |             |          |                |              |
| सीएमपीडीआई में बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण                                    | -                                              | 0.74        | -        | -              | 0.74         |
| सिविल और संबद्ध कार्य का निर्माण                                            | 0.35                                           | -           | -        | -              | 0.35         |
| विकिरण रखने के लिए भंडारण कक्ष का निर्माण                                   | 0.03                                           | -           | -        | -              | 0.03         |
| नाली का आवरण                                                                | 0.18                                           | -           | -        | -              | 0.18         |
| शॉपिंग कॉम्प्लेक्स                                                          | 0.22                                           | -           | -        | -              | 0.22         |
| 2 स्रोत कक्ष                                                                | 0.07                                           | -           | -        | -              | 0.07         |
| क्षेत्रीय संस्थान-7 के सीएमपीडीआई कॉलोनी में नई चारदीवारी का निर्माण        | 0.14                                           | -           | -        | -              | 0.14         |
| क्षेत्रीय संस्थान-7 के सीएमपीडीआई कॉलोनी में नई जल आपूर्ति पाइपलाइन         | 0.11                                           | -           | -        | -              | 0.11         |
| <b>संयंत्र और उपकरण</b>                                                     |                                                |             |          |                | -            |
| स्वचालित ड्रम कंपोस्टर के लिए डब्ल्यूआईपी                                   | 0.16                                           | -           | -        | -              | 0.16         |
| ईएफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान (ईटीपी)                                           | 0.07                                           | -           | -        | -              | 0.07         |
| सोलर प्लांट                                                                 | 0.49                                           | -           | -        | -              | 0.49         |
| सीएमपीडीआई कॉलोनी के बी 1, बी 2, सी और डी ब्लॉक के क्वार्टरों की रिवाइरिंग, | 0.22                                           | -           | -        | -              | 0.22         |
| <b>अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:</b>                                   |                                                |             |          |                |              |
| <b>भवन</b>                                                                  |                                                |             |          |                |              |
| क्षेत्रीय संस्थान-7 के गोपालपुर कैंप के लिए लखनपुर आवासीय भवन               | -                                              |             |          | 0.14           | 0.14         |
| <b>संयंत्र और उपकरण</b>                                                     |                                                |             |          |                | -            |
| सीआईएल आर एंड डी डब्ल्यूआईपी                                                | -                                              | -           | -        | 12.17          | 12.17        |
|                                                                             |                                                |             |          |                | -            |
| <b>कुल</b>                                                                  | <b>2.04</b>                                    | <b>0.74</b> | <b>-</b> | <b>12.31</b>   | <b>15.09</b> |

## पूँजी-कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) (सकल) 2. प्रगति पर भौतिक पूँजीगत कार्य के लिए अतिदेय (सकल)

|                                       | में पूरा किया जाना है |          |          |                |
|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------------|
|                                       | 1 वर्ष से कम          | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| प्रगति पर परियोजनाएं:                 |                       |          |          |                |
| भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित) |                       |          |          |                |
| संयंत्र और उपकरण                      |                       |          |          |                |
| रेलवे साइडिंग                         |                       |          |          |                |
| कुल                                   |                       |          |          |                |

12.47 करोड़ रुपये के कुल डब्ल्यूआईपी में से सीआईएल आर एंड डी डब्ल्यूआईपी 12.17 करोड़ रुपये के लिए है। 12.17 करोड़ रुपये के बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव सीओएफडी के माध्यम से बोर्ड में रखा गया था। हालांकि बोर्ड ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और अधिक विवरण की मांग की। वित्त वर्ष 2024-25 में बोर्ड द्वारा सक्षम अनुमोदन के बाद डब्ल्यूआईपी को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।





# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.3: गवेषण और मूल्यांकन संपत्ति

(₹ करोड़ में)

|                                          | गवेषण और मूल्यांकन<br>लागत |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>सकल वहन राशि:</b>                     |                            |
| 1 अप्रैल 2022 तक                         | -                          |
| परिवर्धन                                 | -                          |
| विलोपन/समायोजन                           | -                          |
| <b>31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार</b> | -                          |
| 1 अप्रैल 2023 तक                         | -                          |
| परिवर्धन                                 | -                          |
| विलोपन/समायोजन                           | -                          |
| <b>31 मार्च 2024 तक</b>                  | -                          |
| <b>संचित क्षति</b>                       |                            |
| 1 अप्रैल 2022 तक                         | -                          |
| वर्ष के लिए शुल्क                        | -                          |
| विलोपन/समायोजन                           | -                          |
| <b>31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार</b> | -                          |
| 1 अप्रैल 2023 तक                         | -                          |
| वर्ष के लिए शुल्क                        | -                          |
| विलोपन/समायोजन                           | -                          |
| <b>31 मार्च 2024 तक</b>                  | -                          |
| <b>शुद्ध वहन राशि</b>                    |                            |
| <b>31 मार्च 2024 तक</b>                  | -                          |
| <b>31 मार्च 2023 तक</b>                  | -                          |

## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.4 : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

|                                          | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | अन्य     | कुल          |
|------------------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| <b>सकल वहन राशि:</b>                     |                    |          |              |
| 1 अप्रैल 2022 तक                         | 25.71              | -        | 25.71        |
| परिवर्धन                                 | 9.60               | -        | 9.60         |
| विलोपन/समायोजन                           | -                  | -        | -            |
| <b>31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार</b> | <b>35.31</b>       | <b>-</b> | <b>35.31</b> |
| 1 अप्रैल 2023 तक                         | 35.31              | -        | 35.31        |
| परिवर्धन                                 | 1.52               | -        | 1.52         |
| विलोपन/समायोजन                           | (0.78)             | -        | (0.78)       |
| <b>31 मार्च 2024 तक</b>                  | <b>36.05</b>       | <b>-</b> | <b>36.05</b> |
| <b>संचित परिशोधन और हानि</b>             |                    |          |              |
| 1 अप्रैल 2022 तक                         | 15.31              | -        | 15.31        |
| वर्ष के लिए शुल्क                        | 5.66               | -        | 5.66         |
| विलोपन/समायोजन                           | -                  | -        | -            |
| <b>31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार</b> | <b>20.97</b>       | <b>-</b> | <b>20.97</b> |
| 1 अप्रैल 2023 तक                         | 20.97              | -        | 20.97        |
| वर्ष के लिए शुल्क                        | 6.06               | -        | 6.06         |
| विलोपन/समायोजन                           | -                  | -        | -            |
| <b>31 मार्च 2024 तक</b>                  | <b>27.03</b>       | <b>-</b> | <b>27.03</b> |
| <b>निबल वहन राशि</b>                     |                    |          |              |
| <b>31 मार्च 2024 तक</b>                  | <b>9.02</b>        | <b>-</b> | <b>9.02</b>  |
| <b>31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार</b> | <b>14.34</b>       | <b>-</b> | <b>14.34</b> |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.5 : विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विकास के तहत ईआरपी

वहन राशि:

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1 अप्रैल 2022 तक                  | 2.30   |
| परिवर्धन                          | 1.06   |
| पूँजीकरण/विलोपन                   | (3.36) |
| 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार | -      |

|                  |   |
|------------------|---|
| 1 अप्रैल 2023 तक | - |
| परिवर्धन         | - |
| विलोपन/समायोजन   | - |
| 31 मार्च 2024 तक | - |

संचित हानि

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 अप्रैल 2022 तक                  | - |
| वर्ष के लिए शुल्क                 | - |
| विलोपन/समायोजन                    | - |
| 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार | - |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1 अप्रैल 2023 तक  | - |
| वर्ष के लिए शुल्क | - |
| विलोपन/समायोजन    | - |
| 31 मार्च 2024 तक  | - |

निबल वहन राशि

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 31 मार्च 2024 तक                  | - |
| 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार | - |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 4.1 : निवेश

(₹ करोड़ में)

|                                         | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| गैर चालू                                |                      |                      |
| शेयरों में निवेश                        | -                    | -                    |
| संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी शेयर | -                    | -                    |
| अन्य निवेश                              | -                    | -                    |
| सुरक्षित बांडों में                     | -                    | -                    |
| सहकारी शेयरों में                       | -                    | -                    |
| कुल                                     | -                    | -                    |
| गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:         | -                    | -                    |
| उद्धृत निवेश की कुल राशि:               | -                    | -                    |
| उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:            | -                    | -                    |
| निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:    | -                    | -                    |



# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.1 ( जारी..)

निवेश

(₹ करोड़ में)

| चालू                           | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>म्यूचुअल फंड निवेश</b>      |                      |                      |
| यूटीआई म्यूचुअल फंड            | -                    | -                    |
| यूटीआई तरल नकदी योजना          | -                    | -                    |
| एलआईसी म्यूचुअल फंड            | -                    | -                    |
| एसबीआई म्यूचुअल फंड            | -                    | -                    |
| केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड      | -                    | -                    |
| यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड     | -                    | -                    |
| बीओआई एएक्सए म्यूचुअल फंड      | -                    | -                    |
| <b>कुल</b>                     | -                    | -                    |
| उद्धृत निवेश का समुच्चय:       | -                    | -                    |
| गैर-उद्धृत निवेशों का समुच्चय: | -                    | -                    |
| उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:   | -                    | -                    |
| निवेश के मूल्य में हानि की     | -                    | -                    |
| कुल राशि:                      |                      |                      |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 4.2 : ऋण

(₹ करोड़ में)

|                                             | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| गैर चालू                                    |                      |                      |
| संबंधित पार्टियों को ऋण                     |                      |                      |
| - सुरक्षित, अच्छा माना जाता है              |                      |                      |
| - असुरक्षित, अच्छा माना जाता है             |                      |                      |
| - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है |                      |                      |
| - ऋण की हानि                                |                      |                      |
| कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता               |                      |                      |
| कार्पोरेट निकाय और कर्मचारियों को ऋण        |                      |                      |
| - सुरक्षित, अच्छा माना जाता है              | 0.34                 | 0.06                 |
| - असुरक्षित, अच्छा माना जाता है             | -                    | -                    |
| - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है |                      |                      |
| - ऋण की हानि                                |                      |                      |
|                                             | 0.34                 | 0.06                 |
| कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता               | -                    | -                    |
|                                             | 0.34                 | 0.06                 |
| कुल                                         | <b>0.34</b>          | <b>0.06</b>          |

चालू

संबंधित पार्टियों को ऋण

- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है
- ऋण की हानि

कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

(₹ करोड़ में)

31.03.2024 के अनुसार

31.03.2023 के अनुसार

संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य को ऋण

कापरेट निकाय और कर्मचारियों को ऋण

- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है
- ऋण की हानि
- संदिग्ध

कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता

कुल

|   |   |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 4.3 : व्यापार प्राप्तियां

|                                         | (₹ करोड़ में)        |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| चालू                                    | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
| व्यापार प्राप्य                         |                      |                      |
| - सुरक्षित, अच्छा माना जाता है          | -                    | -                    |
| - असुरक्षित, अच्छा माना जाता है         | 984.37               | 822.40               |
| ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है |                      |                      |
| क्रेडिट इम्पेयर                         | 2.68                 | 2.58                 |
|                                         | <b>987.05</b>        | <b>824.98</b>        |
| कम : अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता      | 2.68                 | 2.58                 |
| कुल                                     | <b>984.37</b>        | <b>822.40</b>        |

कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के क्रेडिट नुकसान के लिए भत्ते का निर्धारण करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करके व्यावहारिक समीचीन का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव और फॉरवर्ड लुकिंग जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता प्राप्य की आयु बढ़ने और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

#### प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते में उतार-चढ़ाव का विवरण

|                               |      |        |
|-------------------------------|------|--------|
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि।  | 2.58 | 3.35   |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त | 0.10 |        |
| वर्ष के दौरान राइटबैक         | -    | (0.77) |
| वर्ष के अंत में शेष राशि।     | 2.68 | 2.58   |



# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

| व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल                                                      | लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया |                  |              |              |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| विवरण                                                                              | 6 महीने से कम                                    | 6 महीने - 1 वर्ष | 1-2 वर्ष     | 2-3 वर्ष     | 3 वर्ष से अधिक | कुल           |
| (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है                                 | 770.95                                           | 95.70            | 44.72        | 20.08        | 55.60          | 987.05        |
| (ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है |                                                  |                  |              |              |                |               |
| (iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बाधित                                    |                                                  |                  |              |              |                |               |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है                                  |                                                  |                  |              |              |                |               |
| (v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है    |                                                  |                  |              |              |                |               |
| (vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बाधित                                       |                                                  |                  |              |              |                |               |
| <b>कुल</b>                                                                         | <b>770.95</b>                                    | <b>95.70</b>     | <b>44.72</b> | <b>20.08</b> | <b>55.60</b>   | <b>987.05</b> |
| प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता                                                    | -                                                | -                | -            | -            | -              | 2.68          |
| प्रत्याशित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %                                  |                                                  |                  |              |              |                | 0.27%         |

31.03.2023 को

(₹ करोड़ में)

| व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल                                                      | लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया |                  |              |              |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| विवरण                                                                              | 6 महीने से कम                                    | 6 महीने - 1 वर्ष | 1-2 वर्ष     | 2-3 वर्ष     | 3 वर्ष से अधिक | कुल           |
| (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है                                 | 598.96                                           | 96.71            | 51.32        | 19.32        | 58.67          | 824.98        |
| (ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है |                                                  |                  |              |              |                |               |
| (iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बाधित                                    |                                                  |                  |              |              |                |               |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है                                  |                                                  |                  |              |              |                |               |
| (v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है    |                                                  |                  |              |              |                |               |
| (vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बाधित                                       |                                                  |                  |              |              |                |               |
| <b>कुल</b>                                                                         | <b>598.96</b>                                    | <b>96.71</b>     | <b>51.32</b> | <b>19.32</b> | <b>58.67</b>   | <b>824.98</b> |
| प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता                                                    | -                                                | -                | -            | -            | -              | 2.58          |
| प्रत्याशित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %                                  |                                                  |                  |              |              |                | 0.31%         |

व्यापार प्राप्य में समूह के भीतर सीआईएल और सहायक कंपनियों का बकाया ₹805.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹663.85 करोड़) और उस पर मान्यता प्राप्त भत्ते शून्य (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं। बाहरी समूह के बकाया में ₹181.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹161.13 करोड़) और उस पर मान्यता प्राप्त भत्ते ₹2.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.58 करोड़) शामिल हैं।

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 4.4 : नकद और नकदी के समतुल्य

|                                  | (₹ करोड़ में)        |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
| (क) बैंकों के पास शेष            |                      |                      |
| - जमा खातों में                  |                      |                      |
| - चालू खातों में                 | 266.86               | 379.95               |
| (ख) भारत के बाहर बैंक शेष        | -                    | -                    |
| (ग) हाथ में चेक, ड्राफ्ट और टिकट | -                    | -                    |
| (घ) हाथ में नकदी                 | 0.01                 | 0.01                 |
| (ङ) भारत के बाहर हाथ में नकदी    | -                    | -                    |
| (च) अन्य                         | -                    | 0.01                 |
| <b>कुल नकद और नकद समतुल्य</b>    | <b>266.87</b>        | <b>379.97</b>        |

बैंक के पास 266.86 करोड़ रुपये की शेष राशि में से, निधि से संबंधित बैंक शेष 58.04 करोड़ रुपये है जैसा कि नीचे दिया गया है।

| निधियों का नाम                | राशि ₹ करोड़ में |
|-------------------------------|------------------|
| एमओसी (प्रमोशनल + नॉन सीआईएल) | 22.66            |
| एमओसी (आर एंड डी)             | 2.93             |
| एनएमईटी                       | 8.84             |
| सीआईएल (आर एंड डी)            | 23.61            |
| <b>कुल</b>                    | <b>58.04</b>     |

## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

### वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

#### टिप्पणी - 4.5 : अन्य बैंक संतुलन

|                                           | (₹ करोड़ में)        |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                           | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
| <b>बैंकों के पास शेष</b>                  |                      |                      |
| - जमा खाते                                | 330.00               | 90.00                |
| - चालू परियोजनाओं के लिए सीएसआर निधि      | -                    | -                    |
| - शिफ्टिंग और पुनर्वास निधि योजना         | -                    | -                    |
| - शेयरों की वापसी खरीद के लिए एस्करो खाता | -                    | -                    |
| - अदत्त लाभांश खाते                       | -                    | -                    |
| - लाभांश खाते                             | -                    | -                    |
| <b>कुल</b>                                | <b>330.00</b>        | <b>90.00</b>         |

4.5. अन्य बैंक शेष में जमा शामिल हैं - विशिष्ट उद्देश्यों के लिए और बैंक जमा जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने के भीतर नकद में वसूल होने की उम्मीद है।

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

|                                                              | (₹ करोड़ में)        |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                              | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
| <b>गैर चालू</b>                                              |                      |                      |
| प्रतिभूति जमा                                                | 3.97                 | 4.02                 |
| कम : संदिग्ध प्रतिभूति जमा के लिए भत्ता                      | 0.04                 | 0.04                 |
|                                                              | <b>3.93</b>          | <b>3.98</b>          |
| 12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमा के तहत बैंक में जमा | <b>0.14</b>          | <b>0.14</b>          |
| - शिफ्टिंग और पुनर्वास निधि योजना                            | -                    | -                    |
| अन्य जमा और प्राप्त राशियाँ                                  | -                    | -                    |
| कम : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ता                         | -                    | -                    |
| कुल                                                          | <b>4.07</b>          | <b>4.12</b>          |
| <b>चालू</b>                                                  |                      |                      |
| प्रतिभूति जमा                                                |                      |                      |
| कम : संदिग्ध प्रतिभूति जमा के लिए भत्ता                      |                      |                      |
| सीआईएल के साथ चालू खाता शेष                                  | <b>60.58</b>         | <b>57.85</b>         |
| आईआईसीएम के साथ शेष                                          | -                    | -                    |
| कम: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान                         | -                    | -                    |
| अर्जित ब्याज                                                 | 17.92                | 4.92                 |
| अन्य जमा और प्राप्त राशि                                     | 42.96                | 28.74                |
| कम : संदिग्ध दावों के लिए भत्ता                              | -                    | -                    |
|                                                              | <b>42.96</b>         | <b>28.74</b>         |
| कुल                                                          | <b>121.46</b>        | <b>91.51</b>         |



(₹ करोड़ में)

| 4.6.1 सुरक्षा जमा के लिए भत्ते में आवाजाही का | 31.03.2024        | 31.03.2023        |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>विवरण (वर्तमान और गैर-चालू)</b>            |                   |                   |
| वर्ष / अवधि की शुरुआत में शेष राशि            | 0.04              | 0.04              |
| वर्ष / अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त          |                   |                   |
| वर्ष / अवधि के दौरान लेखन वापसी               |                   |                   |
| वर्ष / अवधि के अंत में शेष राशि               | 0.04              | 0.04              |
| <b>दावे और अन्य प्राप्तियां</b>               | <b>31.03.2024</b> | <b>31.03.2023</b> |
| आईएनडी एस 115 से प्राप्य                      | 38.42             | 26.29             |
| प्राप्य दावे और अन्य                          | 4.54              | 2.45              |
| <b>कुल</b>                                    | <b>42.96</b>      | <b>28.74</b>      |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 5.1 : इन्वेंट्रीस

(₹ करोड़ में)

|                                                    | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| कोयला (तैयार माल)                                  |                      |                      |
| विकास परियोजनाओं पर कोयला                          |                      |                      |
| कम: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान                  | -                    | -                    |
|                                                    | -                    | -                    |
| स्टोर, स्पेयर और अन्य इन्वेंट्री                   | 15.46                | 16.21                |
| कम: धीमी गतिशील, गैर-चलनशील और अप्रचलित इन्वेंट्री | 1.17                 | 0.20                 |
| के लिए प्रावधान                                    |                      |                      |
|                                                    | 14.29                | 16.01                |

स्टोर और पुर्जों की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गतिशील, गैर-चलनशील और अप्रचलित की श्रेणियों में आते हैं।

कंपनी की नीति के अनुसार इन मदों के लिए हानि भत्तों को मान्यता दी जाती है।

धीमी गतिशील, गैर-चलती और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर और अन्य इन्वेंट्री के लिए हानि भत्ते में गति का विवरण:

|                                          | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| वर्ष / अवधि की शुरुआत में शेष राशि       | 0.20                 | 0.16                 |
| वर्ष / अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त     | 0.97                 | 0.04                 |
| वर्ष / अवधि के दौरान गैर-मान्यता प्राप्त | -                    | -                    |
| वर्ष / अवधि के अंत में शेष राशि          | 1.17                 | 0.20                 |



## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी 6.1 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

|                                            | (₹ करोड़ में)        |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                            | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
| (i) पूंजीगत अग्रिम                         | 0.12                 | 0.07                 |
| कम : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता         | -                    | -                    |
|                                            | 0.12                 | 0.07                 |
| (ii) पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम |                      |                      |
| (क) अन्य जमा और अग्रिम                     | -                    | -                    |
| कम : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता         | -                    | -                    |
|                                            | -                    | -                    |
| (ख) संबंधित पक्षों को अग्रिम               | -                    | -                    |
| कुल                                        | 0.12                 | 0.07                 |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 6.2 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

|                                                | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| (क) सांविधिक देय राशि का अग्रिम भुगतान         | 0.04                 | 0.04                 |
| कम : संदिग्ध सांविधिक देय राशि के लिए भत्ता    | -                    | -                    |
|                                                | <b>0.04</b>          | <b>0.04</b>          |
| (ख) अन्य अग्रिम और जमा *                       | 80.82                | 84.52                |
| कम : संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिमों के लिए भत्ता | 0.25                 | 0.25                 |
|                                                | <b>80.57</b>         | <b>84.27</b>         |
| (ग) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य                | 21.09                | 21.13                |
|                                                | <b>21.09</b>         | <b>21.13</b>         |
| <b>कुल</b>                                     | <b>101.70</b>        | <b>105.44</b>        |

टिप्पणी :

6.2-(ख) अन्य अग्रिम और जमा \*

|                       | 31.03.2024   | 31.03.2023   |
|-----------------------|--------------|--------------|
| वेतन अग्रिम           | 0.44         | 0.36         |
| टीए                   | 1.22         | 1.92         |
| चिकित्सा अग्रिम       | 0.55         | 0.83         |
| विरोध के तहत आय कर ** | 66.58        | 68.03        |
| अन्य                  | 12.03        | 13.38        |
| <b>कुल</b>            | <b>80.82</b> | <b>84.52</b> |

\*\* विरोध के तहत भुगतान किया गया आयकर 66.58 करोड़ रुपये है। इसमें से 0.61 करोड़ रुपये एवाई 2010-11 से संबंधित हैं, 25.11 करोड़ रुपये 2017-18 से संबंधित हैं, 16.01 करोड़ रुपये 2018-19 से संबंधित हैं, 19.13 करोड़ रुपये संबंधित एवाई 2020-21 से संबंधित हैं, 5.72 करोड़ रुपये एवाई 2021-22 से संबंधित हैं।

उपरोक्त अन्य जमा और अग्रिमों में 2.77 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सीएसआर शामिल है।





आयकर ₹66.58 करोड़ और सेवा कर ₹7.31 करोड़ के मामले के लिए अन्य अग्रिम और जमा के अंतर्गत शामिल विरोध और वापसी के तहत जमा प्राप्त किए जाने हैं।

6.2.1 खराब और संदिग्ध अग्रिमों और जमा (चालू और गैर-चालू) के लिए भत्ते में गति का विवरण।

|                                      | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| वर्ष / अवधि की शुरुआत में शेष राशि   | 0.25       | 0.25       |
| वर्ष / अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त | -          | -          |
| वर्ष / अवधि के दौरान उपयोग           | -          | -          |
| वर्ष / अवधि के अंत में शेष राशि      | 0.25       | 0.25       |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

|                                                                                                                                  | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>प्राधिकृत</b>                                                                                                                 |                      |                      |
| ₹1000/- प्रत्येक के 15,00,000 इक्विटी शेयर                                                                                       | 150.00               | 150.00               |
|                                                                                                                                  | <b>150.00</b>        | <b>150.00</b>        |
| <b>जारी, सब्सक्राइब और पेड-अप</b>                                                                                                |                      |                      |
| (कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित, होल्डिंग कंपनी और इसके नामिती                                                                  |                      |                      |
| प्रत्येक ₹ 1,000/- के 8 इक्विटी शेयर का पूरी तरह से नकद में भुगतान (पिछले वर्ष ₹1,000/- प्रत्येक के 8 इक्विटी शेयर)              | -                    | -                    |
| प्रत्येक ₹1,000/- के 1322992 इक्विटी शेयर नकद के अलावा प्राप्त प्रतिफल के लिए पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित               | 132.30               | 132.30               |
| इक्विटी में ऋण को परिवर्तित करके होल्डिंग कंपनी को नकद के लिए पूरी तरह से भुगतान किए गए प्रत्येक ₹1000/- के 105000 इक्विटी शेयर। | 10.50                | 10.50                |
| <b>कुल</b>                                                                                                                       | <b>142.80</b>        | <b>142.80</b>        |

1 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी में शेयर

| शेयरधारक का नाम    | धारित शेयरों की संख्या<br>(प्रत्येक ₹1000 का अंकित मूल्य) | कुल शेयर का % |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| कोल इंडिया लिमिटेड | 1428000                                                   | 100%          |

2. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

| विवरण                                | शेयर की संख्या | राशि ₹ करोड़ में |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 01.04.2022 को शेष राशि               | 14,28,000      | 142.80           |
| वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वृद्धि   | -              | -                |
| 01.04.2023 को शेष राशि               | 14,28,000      | 142.80           |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धि | -              | -                |
| 31.03.2024 को शेष राशि               | 14,28,000      | 142.80           |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 7.2 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

|                                                             | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| पूंजी मोचन निधि                                             | -                    | -                    |
| पूंजी निधि                                                  | 18.87                | 20.13                |
| सामान्य निधि                                                | 69.94                | 44.78                |
| प्रतिधारित आय                                               | 1,378.87             | 1,030.07             |
| अन्य व्यापक आय जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत की जाएगी | -                    | -                    |
| <b>कुल</b>                                                  | <b>1,467.68</b>      | <b>1,094.98</b>      |

#### (क) पूंजी मोचन निधि

|                            | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| वर्ष की शुरुआत में शेष     |                      |                      |
| वर्ष के दौरान वृद्धि       | -                    | -                    |
| वर्ष के दौरान समायोजन      | -                    | -                    |
| <b>वर्ष के अंत में शेष</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             |

#### (ख) पूंजी निधि

|                            | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| वर्ष की शुरुआत में शेष     | 20.13                | 18.90                |
| वर्ष के दौरान वृद्धि       | 0.31                 | 2.63                 |
| वर्ष के दौरान समायोजन      | (1.57)               | (1.40)               |
| <b>वर्ष के अंत में शेष</b> | <b>18.87</b>         | <b>20.13</b>         |

#### (ग) सामान्य निधि

|                                   | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| वर्ष की शुरुआत में शेष            | 44.78                | 29.95                |
| वर्ष के दौरान वृद्धि              | 25.16                | 14.83                |
| वर्ष के दौरान समायोजन             |                      |                      |
| सामान्य आरक्षित निधि में/को अंतरण |                      |                      |
| <b>वर्ष के अंत में शेष</b>        | <b>69.94</b>         | <b>44.78</b>         |





(घ) (i) प्रतिधारित आय

|                        | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| वर्ष की शुरुआत में शेष | 972.03               | 784.25               |
| वर्ष के लिए लाभ        | 503.23               | 296.66               |
| अंतरिम लाभांश          | (100.00)             | (70.00)              |
| अंतिम लाभांश           | (19.00)              | (24.05)              |
| वर्ष के दौरान समायोजन  | -                    | -                    |
| सामान्य निधि में अंतरण | (25.16)              | (14.83)              |
| वर्ष के अंत में शेष    | <b>1,331.10</b>      | <b>972.03</b>        |

(घ) (ii) अन्य व्यापक आय मर्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा

|                              | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| वर्ष की शुरुआत में शेष       | 58.04                | 38.62                |
| अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय | (10.27)              | 19.42                |
| वर्ष के दौरान समायोजन        | -                    | -                    |
| वर्ष के अंत में शेष          | 47.77                | 58.04                |
| <b>कुल (घ(i) + (ii))</b>     | <b>1,378.87</b>      | <b>1,030.07</b>      |

(ङ) अन्य व्यापक आय की मर्दे

(अन्य व्यापक आय मर्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

(i) अनुवाद पर मतभेदों का आदान-प्रदान

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| वर्ष की शुरुआत में शेष         | - | - |
| चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | - | - |
| वर्ष के दौरान समायोजन          | - | - |
| वर्ष के अंत में शेष            | - | - |

(ii) अन्य व्यापक का शेयर

|                                       |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|
| वर्ष / अवधि की शुरुआत में शेष         | -        | -        |
| चालू वर्ष / अवधि के लिए कुल व्यापक आय | -        | -        |
| वर्ष / अवधि के दौरान समायोजन          | -        | -        |
| वर्ष / अवधि के अंत में शेष            | -        | -        |
| <b>कुल [(i)+(ii)]</b>                 | <b>-</b> | <b>-</b> |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 8.1: उधार

(₹ करोड़ में)

|                         | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>गैर-चालू</b>         |                      |                      |
| अवधि ऋण                 |                      |                      |
| बैंकों से               | -                    | -                    |
| - अन्य पार्टियों से     | -                    | -                    |
| संबंधित पक्षों से ऋण    | -                    | -                    |
| अन्य ऋण                 | -                    | -                    |
| <b>कुल</b>              | -                    | -                    |
| <b>वर्गीकरण</b>         |                      |                      |
| सुरक्षित                | -                    | -                    |
| असुरक्षित               | -                    | -                    |
| <b>वर्तमान</b>          |                      |                      |
| मांग पर चुकाने योग्य ऋण |                      |                      |
| बैंकों से               | -                    | -                    |
| - अन्य पार्टियों से     | -                    | -                    |
| संबंधित पक्षों से ऋण    | -                    | -                    |
| अन्य ऋण                 | -                    | -                    |
| <b>कुल</b>              | -                    | -                    |
| <b>वर्गीकरण</b>         |                      |                      |
| सुरक्षित                | -                    | -                    |
| असुरक्षित               | -                    | -                    |

## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएं

(₹ करोड़ में)

|                                    | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>गैर-चालू</b>                    |                      |                      |
| वर्ष की शुरुआत में शेष             | 0.86                 | 1.31                 |
| अवधि के दौरान परिवर्धन             | 0.01                 | 0.46                 |
| इस अवधि के दौरान अर्जित वित्त लागत | 0.06                 | 0.09                 |
| पट्टा देयताओं का भुगतान/समायोजन    | 0.15                 | (1.00)               |
| <b>अवधि के समापन पर शेष</b>        | <b>1.08</b>          | <b>0.86</b>          |
| <b>वर्तमान</b>                     |                      |                      |
| वर्ष की शुरुआत में शेष             | 0.84                 | -                    |
| अवधि के दौरान परिवर्धन             | -                    | -                    |
| इस अवधि के दौरान अर्जित वित्त लागत | -                    | -                    |
| पट्टा देयताओं का भुगतान/समायोजन    | (0.61)               | 0.84                 |
| <b>वर्ष के अंत में शेष</b>         | <b>0.23</b>          | <b>0.84</b>          |
| <b>सकल योग</b>                     | <b>1.31</b>          | <b>1.70</b>          |

### 8.2.1 गैर-चालू और चालू आधार पर लीज लायबिलिटी का परिपक्वता विश्लेषण:

| विवरण          | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 वर्ष तक      | 0.29                 | 0.52                 |
| 1-5 वर्ष       | 1.05                 | 0.35                 |
| 5 वर्ष से अधिक | 0.40                 | 1.03                 |

8.2.2 दिनांक 31.03.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

| विवरण                | वर्ष की शुरुआत में निवल वहन मूल्य | अवधि के दौरान वृद्धि | अवधि के दौरान विलोपन | अवधि के समापन पर निवल वहन मूल्य | अवधि के लिए मूल्यहास/परिशोधन |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| भूमि                 | 1.36                              | 0.01                 |                      | 1.15                            | 0.22                         |
| भवन                  |                                   |                      |                      |                                 |                              |
| संयंत्र और उपकरण     | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |
| फर्नीचर और फिक्स्चर  | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |
| वाहन                 | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |
| कार्यालय उपकरण       | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |
| रेलवे साइडिंग        | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |
| रेल कॉरिडोर          | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |
| अमूर्त परिसंपत्तियां | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |

31.03.2023 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

| विवरण                | वर्ष की शुरुआत में निवल वहन मूल्य | अवधि के दौरान वृद्धि | अवधि के दौरान विलोपन | अवधि के समापन पर निवल वहन मूल्य | अवधि के लिए मूल्यहास/परिशोधन |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| भूमि                 | 1.04                              | 0.46                 | 0                    | 1.36                            | 0.14                         |
| भवन                  | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |
| संयंत्र और उपकरण     |                                   |                      |                      |                                 |                              |
| फर्नीचर और फिक्स्चर  | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |
| वाहन                 | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |
| कार्यालय उपकरण       | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |
| रेलवे साइडिंग        | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |
| रेल कॉरिडोर          | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |
| अमूर्त परिसंपत्तियां | -                                 | -                    | -                    | -                               | -                            |



### 8.2.3 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

| विवरण                                                           | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यहास और परिशोधन व्यय | 0.22                 | 0.14                 |
| पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय                               | 0.06                 | 0.09                 |
| अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय                                | -                    | -                    |
| बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि                | -                    | -                    |
| <b>कुल</b>                                                      | <b>0.28</b>          | <b>0.23</b>          |

### 8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह का खुलासा किया गया

| विवरण                                    | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| वित्त पट्टा देयताओं का भुगतान            | 0.45                 | 0.16                 |
| अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकद बहिर्वाह | -                    | -                    |
| <b>कुल</b>                               | <b>0.45</b>          | <b>0.16</b>          |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देय

(₹ करोड़ में)

|                                                                        | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>चालू</b>                                                            |                      |                      |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल बकाया राशि                        | -                    | -                    |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि | 104.64               | 145.33               |
| <b>कुल</b>                                                             | <b>104.64</b>        | <b>145.33</b>        |

### व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि

|                                                                                                                                                                                                                  | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| क) मूल और ब्याज राशि बकाया है लेकिन अवधि के अंत तक देय नहीं है।                                                                                                                                                  | Nil        | Nil        |
| ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, अवधि के दौरान नियत दिन से अधिक आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ।                         | Nil        | Nil        |
| ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय अंतराल (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना। | Nil        | Nil        |
| घ) अर्जित ब्याज और अवधि के अंत में शेष अवैतनिक।                                                                                                                                                                  | Nil        | Nil        |
| ड) आगे के वर्षों में भी देय और देय ब्याज, ऐसी तारीख तक जब ऊपर के रूप में ब्याज देय वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान किया जाता है।                                                                                 | Nil        | Nil        |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



31.03.2024 के अनुसार

| व्यापार देय एजिंग शेड्यूल        | लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया |          |          |                |        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------|
| विवरण                            | 1 वर्ष से कम                                     | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल    |
| i) एमएसएमई                       | 92.20                                            | 7.45     | 4.92     | 0.07           | 104.64 |
| ii) अन्य                         |                                                  |          |          |                |        |
| iii) विवादग्रस्त बकाया - एमएसएमई |                                                  |          |          |                |        |
| iv) विवादग्रस्त बकाया - अन्य     |                                                  |          |          |                |        |
| अनबिल्ड बकाया                    |                                                  |          |          |                |        |

31.03.2023 के अनुसार

| व्यापार देय एजिंग शेड्यूल        | लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया |          |          |                |        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------|
| विवरण                            | 1 वर्ष से कम                                     | 1-2 वर्ष | 2-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल    |
| i) एमएसएमई                       | 133.14                                           | 12.05    |          | 0.14           | 145.33 |
| ii) अन्य                         |                                                  |          |          |                |        |
| iii) विवादग्रस्त बकाया - एमएसएमई |                                                  |          |          |                |        |
| iv) विवादग्रस्त बकाया - अन्य     |                                                  |          |          |                |        |
| अनबिल्ड बकाया                    |                                                  |          |          |                |        |

## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.4 : अन्य वित्तीय देनदारियाँ

|                                     | (₹ करोड़ में)        |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                     | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
| गैर चालू                            |                      |                      |
| सुरक्षा जमा                         | 73.14                | 71.67                |
| अन्य                                |                      |                      |
| <b>कुल</b>                          | <b>73.14</b>         | <b>71.67</b>         |
| <br>चालू                            |                      |                      |
| अनुबंधियों से अधिशेष निधि           | -                    | -                    |
| चालू खाता                           | -                    | -                    |
| - अनुबंधियों                        | -                    | -                    |
| - आईआईसीएम                          | 0.20                 | 0.20                 |
| दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं | -                    | -                    |
| अदत्त लाभांश                        | -                    | -                    |
| सुरक्षा जमा                         | 12.01                | 26.08                |
| अर्नेस्ट मनी                        | 9.34                 | 2.91                 |
| पूजीगत व्यय के लिए देय              | 13.37                | 14.44                |
| कर्मचारी लाभ के लिए देयता           | 44.08                | 39.22                |
| अन्य                                | 4.09                 | 5.24                 |
| <b>कुल</b>                          | <b>83.09</b>         | <b>88.09</b>         |





# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 9.1 : प्रावधानों

(₹ करोड़ में)

|                                       | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>गैर चालू</b>                       |                      |                      |
| कर्मचारी लाभ                          |                      |                      |
| - ग्रेच्युटी*                         | -                    | -                    |
| - छुट्टी नकदीकरण**                    |                      | 0.72                 |
| - सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ*** | 4.01                 | 3.87                 |
| - अन्य कर्मचारी लाभ                   | 5.12                 | 5.41                 |
| अन्य प्रावधानों                       |                      |                      |
| साइट रिस्टोरेशन/खदान बंद करना         | -                    | -                    |
| स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन            | -                    | -                    |
| अन्य                                  | 0.01                 | 0.01                 |
| <b>कुल</b>                            | <b>9.14</b>          | <b>10.01</b>         |
| <b>चालू</b>                           |                      |                      |
| कर्मचारी लाभ                          |                      |                      |
| - ग्रेच्युटी*                         | (5.68)               | 4.17                 |
| - छुट्टी नकदीकरण**                    | 11.26                | 8.55                 |
| - सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ*** | 6.32                 | 5.97                 |
| - अन्य कर्मचारी लाभ                   | 149.33               | 216.03               |
|                                       | 161.23               | 234.72               |
| अन्य प्रावधानों                       | -                    | -                    |
| अन्य                                  |                      |                      |
| <b>कुल</b>                            | <b>161.23</b>        | <b>234.72</b>        |

#### टिप्पणी:

\* ग्रेच्युटी देयताएं 167.18 करोड़ रुपये की सीमा तक निवल हैं।

\*\* छुट्टी नकदीकरण देनदारियों को 112.92 करोड़ रुपये की सीमा तक निवल किया जाता है।

\*\*\* सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ देयता 83.63 करोड़ रुपये की सीमा तक निवल है।

#### 9.1.1 प्रावधानों में आंदोलन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों से संबंधित को छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन।

| 31.03.2024 के अनुसार | प्रारम्भिक वर्ष के दौरान शेष राशि | वर्ष के दौरान शुल्क | वर्ष के दौरान उपयोग की गई/समायोजित | वर्ष के अंत में शेष राशि |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| अन्य कर्मचारी लाभ    | 221.44                            | 99.85               | -166.84                            | 154.45                   |

| 31.03.2023 के अनुसार | प्रारम्भिक वर्ष के दौरान शेष राशि | वर्ष के दौरान शुल्क | वर्ष के दौरान उपयोग की गई/समायोजित | वर्ष के अंत में शेष राशि |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| अन्य कर्मचारी लाभ    | 112.18                            | 167.21              | -57.95                             | 221.44                   |



## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

### वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

#### टिप्पणी - 10.1 : अन्य गैर चालू देनदारियाँ

|                           | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| शिफ्टिंग और पुनर्वास निधि | -                    | -                    |
| आस्थगित आय                | -                    | -                    |
| अन्य                      | 0.03                 | -                    |
| <b>कुल</b>                | <b>0.03</b>          | <b>-</b>             |

#### टिप्पणी - 10.2 : अन्य चालू देनदारियाँ

|                           | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>सांविधिक देयताएं:</b>  |                      |                      |
| सांविधिक देय राशि         | 79.99                | 80.33                |
| कोयला आयात के लिए अग्रिम  | -                    | -                    |
| ग्राहकों / अन्य से अग्रिम | 7.74                 | 3.23                 |
| उपकर समकारी खाता          | -                    | -                    |
| *अन्य देनदारियाँ          | 40.58                | 46.67                |
| <b>कुल</b>                | <b>128.31</b>        | <b>130.23</b>        |

\* अन्य देयताओं में कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय से प्राप्त निधि शामिल है। इसमें पास किए गए बिल शामिल हैं लेकिन प्राप्त निधि के कारण किए गए भुगतान मंत्रालय से प्रतीक्षित हैं।

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं

(₹ करोड़ में)

|                                               | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>आयकर परिसंपत्तियां</b>                     |                      |                      |
| वर्ष / अवधि की शुरुआत में शेष राशि            | 175.70               | 312.34               |
| अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त                 | 164.03               | 154.34               |
| अवधि के दौरान रिवर्सल/रिफंड                   | -                    | (290.98)             |
| शेष राशि,की अवधि समाप्त होने पर               | <b>339.73</b>        | <b>175.70</b>        |
| <b>आयकर देयताएं</b>                           |                      |                      |
| वर्ष / अवधि की शुरुआत में शेष राशि            | 82.53                | 253.80               |
| अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त                 | 185.93               | 67.75                |
| अवधि के दौरान रिवर्सल/समायोजन                 |                      | (239.02)             |
| शेष राशि,की अवधि समाप्त होने पर               | 268.46               | 82.53                |
| <b>अंत में निवल आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)</b> | <b>71.27</b>         | <b>93.17</b>         |
|                                               |                      |                      |
|                                               | 31.03.2024 के अनुसार | 31.03.2023 के अनुसार |
| <b>डिस्क्लोज्ड के रूप में :</b>               |                      |                      |
| <b>गैर चालू</b>                               | -                    | -                    |
| आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)                    | -                    | -                    |
| आयकर देयताएं (शुद्ध)                          |                      |                      |
| <b>वर्तमान</b>                                | 71.27                | 93.17                |
| आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)                    |                      |                      |
| आयकर देयताएं (शुद्ध)                          | <b>71.27</b>         | <b>93.17</b>         |





## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां / देयताएं

(₹ करोड़ में)

|                                                                     | 01.04.2023<br>को शेष राशि | वर्ष के दौरान<br>लाभ और हानि<br>में मान्यता<br>प्राप्त/(रिवर्सड) | वर्ष के दौरान<br>अन्य व्यापक<br>आय में मान्यता<br>प्राप्त | 31.03.2024 को<br>शेष राशि |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>आस्थगित कर परिसंपत्तियां: (ए)</b>                                |                           |                                                                  |                                                           |                           |
| संदिग्ध अग्रिम, दावे और ऋण के<br>लिए प्रावधान                       | 0.65                      | 0.02                                                             |                                                           | 0.67                      |
| कर्मचारी लाभ                                                        | 68.05                     | (38.23)                                                          |                                                           | 29.82                     |
| अन्य                                                                | 0.05                      | 0.01                                                             |                                                           | 0.06                      |
| <b>कुल (ए)</b>                                                      | <b>68.75</b>              | <b>(38.20)</b>                                                   | <b>-</b>                                                  | <b>30.55</b>              |
| <b>आस्थगित कर देयता: (बी)</b>                                       |                           |                                                                  |                                                           |                           |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और<br>अमूर्त संपत्ति से संबंधित           | 10.86                     | 2.03                                                             |                                                           | 12.89                     |
| अन्य                                                                |                           |                                                                  | -                                                         |                           |
| <b>कुल (बी)</b>                                                     | <b>10.86</b>              | <b>2.03</b>                                                      |                                                           | <b>12.89</b>              |
| <b>निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित<br/>कर देयता) (सी= ए-बी)</b> | <b>57.89</b>              | <b>(40.23)</b>                                                   | <b>-</b>                                                  | <b>17.66</b>              |
| परिभाषित लाभ योजना का उपाय डीटीएल<br>(+)/डीटीए (-) (डी)             |                           |                                                                  |                                                           |                           |
| <b>निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ई=सी+डी)</b>                      | <b>57.89</b>              | <b>(40.23)</b>                                                   |                                                           | <b>17.66</b>              |

31.03.2024 के अनुसार

31.03.2023 के अनुसार

डिस्कलोज्ड के रूप में :

आस्थगित कर परिसंपत्तियां

आस्थगित कर देयता

30.55

68.75

12.89

10.86

17.66

57.89

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी - 12.1 : परिचालन से राजस्व

|                                                | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| क.सेवाओं की बिक्री                             | 2,041.36                         | 1,637.76                         |
| कम : सांविधिक लेवी                             | 308.67                           | 251.67                           |
| निवल बिक्री (क)                                | <b>1,732.69</b>                  | <b>1,386.09</b>                  |
| ख.अन्य परिचालन राजस्व                          |                                  |                                  |
| रेत कटाई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी | -                                | -                                |
| लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क                | -                                | -                                |
| कम : सांविधिक लेवी (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)    | -                                | -                                |
| निकासी सुविधा शुल्क                            | -                                | -                                |
| कम: सांविधिक लेवी                              | -                                | -                                |
| सेवाओं से राजस्व                               | -                                | -                                |
| कम: सांविधिक लेवी                              | -                                | -                                |
| अन्य परिचालन राजस्व (ख)                        | -                                | -                                |
| परिचालन से राजस्व (क+ख)                        | <b>1,732.69</b>                  | <b>1,386.09</b>                  |

\* बिक्री में सीआईएल और सहायक कंपनियों को समूह सकल राशि 1635.81 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1352.58 करोड़ रुपये) और उस पर 248.09 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 206.48 करोड़ रुपये) की सेवाएं शामिल हैं; समूह के बाहर की सेवाओं में सकल 405.55 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 285.18 करोड़ रुपये) शामिल हैं और उस पर 60.58 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 45.19 करोड़ रुपये) की मान्यता प्राप्त लेवी शामिल हैं।

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी 12.2 : अन्य आय

|                                                                 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ब्याज आय                                                        | 31.96                            | 7.47                             |
| अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय के लिए सीधे जिम्मेदार व्यय का निवल) | -                                |                                  |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ                                  |                                  | 0.02                             |
| विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ                                     | 0.03                             | 0.02                             |
| लीज रेंट                                                        | -                                | -                                |
| प्रावधान वापस लिखा गया                                          | -                                | 0.77                             |
| देयताएं वापस लिखी गईं                                           | 2.91                             |                                  |
| विविध आय                                                        | 2.59                             | 4.41                             |
| <b>कुल</b>                                                      | <b>37.49</b>                     | <b>12.69</b>                     |

#### 12.2.2 प्रावधान का विवरण वापस लिखा गया

|                                                      |          |             |
|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| बॉडी कॉर्पोरेट और कर्मचारियों को ऋण के लिए (4.2.1)   |          |             |
| व्यापार प्राप्त के लिए (4.3.1)                       | -        | 0.77        |
| वित्तीय जमा और प्राप्त के लिए (4.6.1)                |          |             |
| कोयले और स्टोर इन्वेंट्री के लिए (5.1.1 और 5.1.2)    |          |             |
| अन्य गैर-चालू जमाराशियों और अग्रिमों के लिए (6.1.1)  |          |             |
| अन्य चालू जमाराशियों और अग्रिमों के लिए (6.2.1)      |          |             |
| <b>अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान</b> | <b>-</b> | <b>0.77</b> |

## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13.1 : प्रयुक्त सामग्री की लागत

|                              | (₹ करोड़ में)                    |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                              | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
| विस्फोटक                     | -                                | -                                |
| टिम्बर                       | -                                | -                                |
| तेल और लुब्रिकेंट            | 14.11                            | 16.60                            |
| एचईएमएम स्पेयर्स             | 0.36                             | 0.30                             |
| अन्य उपभोज्य स्टोर और पुर्जे | 17.02                            | 16.19                            |
| <b>कुल</b>                   | <b>31.49</b>                     | <b>33.09</b>                     |





## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

### वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13.2 : वित्त पोषित वस्तुओं के निवेशों में परिवर्तन, प्रगति में कार्य और व्यापार में स्टॉक।

(₹ करोड़ में)

|                                                                              | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| कोयले का ओपनिंग स्टॉक                                                        |                                  |                                  |
| जोड़ें: ओपनिंग स्टॉक का समायोजन                                              | -                                | -                                |
| कम: कोयले की गिरावट                                                          | -                                | -                                |
|                                                                              | -                                | -                                |
| कोयले का क्लोजिंग स्टॉक                                                      | -                                | -                                |
| कम: कोयले की गिरावट                                                          | -                                | -                                |
|                                                                              | -                                | -                                |
| <b>क. कोयले की सूची में परिवर्तन</b>                                         | -                                | -                                |
| डब्ल्यूआईपी                                                                  | -                                | -                                |
| जोड़ें: ओपनिंग स्टॉक का समायोजन                                              | -                                | -                                |
| कम: प्रावधान                                                                 | -                                | -                                |
|                                                                              | -                                | -                                |
| डब्ल्यूआईपी                                                                  | -                                | -                                |
| कम: प्रावधान                                                                 | -                                | -                                |
|                                                                              | -                                | -                                |
| <b>ख. कार्यशाला की सूची में परिवर्तन</b>                                     | -                                | -                                |
| प्रेस ओपनिंग जॉब                                                             |                                  |                                  |
| i) तैयार माल                                                                 | -                                | -                                |
| ii) प्रगति में कार्य                                                         | -                                | -                                |
|                                                                              | -                                | -                                |
| कम : प्रेस समापन कार्य                                                       |                                  |                                  |
| i) तैयार माल                                                                 | -                                | -                                |
| ii) प्रगति में कार्य                                                         | -                                | -                                |
|                                                                              | -                                | -                                |
| <b>ग. प्रेस जॉब के बंद स्टॉक की सूची में परिवर्तन</b>                        | -                                | -                                |
| व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन (क + ख + ग) {डिक्रीशन / (एक्क्रीशन) } | -                                | -                                |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय

|                                     | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| वेतन और मजदूरी                      | 498.75                           | 554.48                           |
| भविष्य निधि में अंशदान और अन्य निधि | 122.22                           | 122.87                           |
| कर्मचारी कल्याण व्यय                | 21.94                            | 20.98                            |
| <b>कुल</b>                          | <b>642.91</b>                    | <b>698.33</b>                    |

- 13.3.1 भत्ते, बोनस, प्रोत्साहन, प्रदर्शन संबंधी वेतन, ओवरटाइम वेतन, स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस आदि सहित।
- 13.3.2 गैर-कार्यपालकों के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता (एनसीडब्ल्यूए-XI) जून 2023 में लागू किया गया है, और वेतन का भुगतान संशोधित दर पर किया जा रहा है। विवादित मामलों और कुछ अन्य मामलों को छोड़कर बकाया वेतन का भुगतान भी किया गया है।
- 13.3.3 वास्तविक मूल्यांकन के तहत कवर किए गए लोगों को छोड़कर विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में इंड एस 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण नोट 9.1.1 में प्रदान किए गए हैं।
- 10.3.4 परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में इंड-एस 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण जो वास्तविक मूल्यांकन के तहत कवर किए गए हैं, नोट 9.1 में प्रकट किए गए हैं

### टिप्पणी 13.4 : वित्त लागत

|                 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ब्याज व्यय      |                                  |                                  |
| छूट समाप्त करना | 0.06                             | 0.09                             |
| अन्य उधार लागत  |                                  |                                  |
| <b>कुल</b>      | <b>0.06</b>                      | <b>0.09</b>                      |



## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

### वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

#### टिप्पणी - 13.5: मूल्यहास/परिशोधन/हानि

|                                                 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (₹ करोड़ में)                                   |                                  |                                  |
| <b>मूल्यहास/परिशोधन/हानि</b>                    |                                  |                                  |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)             | 27.04                            | 24.36                            |
| पूँजीगत कार्य प्रगति में (नोट 3.2)              | -                                | -                                |
| गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (नोट 3.3)      | -                                | -                                |
| अमूर्त परिसंपत्तियां (नोट 3.4)                  | 6.06                             | 5.66                             |
| विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियां (नोट 3.5) | -                                | -                                |
| कम :                                            |                                  |                                  |
| निधिकृत आस्तियों पर मूल्यहास                    | 1.56                             | 1.41                             |
| <b>कुल</b>                                      | <b>31.54</b>                     | <b>28.61</b>                     |

#### टिप्पणी 13.7 : संविदात्मक व्यय

|                                     | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (₹ करोड़ में)                       |                                  |                                  |
| <b>परिवहन व्यय :</b>                |                                  |                                  |
| संयंत्र और उपकरणों को किराए पर लेना | 13.18                            | 7.69                             |
| अन्य संविदात्मक कार्य               | 20.71                            | 16.42                            |
| सीएमपीडीआई में संविदागत व्यय        | 157.97                           | 118.64                           |
| <b>कुल</b>                          | <b>191.86</b>                    | <b>142.75</b>                    |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी 13.8 : अन्य व्यय

|                                                | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| विद्युत व्यय                                   | 3.18                             | 3.70                             |
| मरम्मत और रखरखाव                               |                                  |                                  |
| -बिल्डिंग                                      | 17.58                            | 14.96                            |
| -संयंत्र और उपकरण                              | 13.33                            | 12.28                            |
| -अन्य                                          | 3.78                             | 4.09                             |
| यात्रा व्यय                                    | 21.92                            | 22.24                            |
| प्रशिक्षण व्यय                                 | 1.75                             | 1.75                             |
| टेलीफोन और इंटरनेट                             | 5.56                             | 3.99                             |
| विज्ञापन और प्रचार                             | 1.94                             | 1.56                             |
| भाड़ा प्रभार                                   | -                                | -                                |
| विलंब शुल्क                                    | -                                | -                                |
| सुरक्षा व्यय                                   | 24.36                            | 24.89                            |
| सीआईएल का सेवा प्रभार                          | -                                | -                                |
| कानूनी व्यय                                    | 0.33                             | 0.32                             |
| परामर्शी प्रभार                                | 1.36                             | 1.28                             |
| लदान प्रभार के अंतर्गत                         | -                                | -                                |
| आस्तियों की बिक्री/अस्वीकृति/सर्वेक्षण पर हानि | -                                | -                                |
| लेखा परीक्षक की पारिश्रमिक और व्यय             |                                  |                                  |
| -लेखा परीक्षा शुल्क के लिए                     | 0.08                             | 0.09                             |
| -कर निर्धारण मामले के लिए                      | 0.01                             | -                                |
| -अन्य सेवाओं के लिए                            |                                  |                                  |
| -व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए                    | 0.34                             | 0.28                             |
| आंतरिक और अन्य लेखा परीक्षा व्यय               | 0.92                             | 0.96                             |
| पुनर्वास प्रभार                                |                                  |                                  |
| लीज रेंट और किराया प्रभार                      | 18.65                            | 15.12                            |
| दर और कर                                       | 1.57                             | 1.24                             |
| बीमा                                           | 0.50                             | 0.44                             |
| विनिमय दर भिन्नता पर हानि                      | 0.04                             | 0.05                             |



|                                                                                |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय                                                         |               |               |
| साइडिंग रखरखाव प्रभार                                                          | -             | -             |
| आर एंड डी व्यय                                                                 | 0.04          | 0.04          |
| पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय                                                   | 2.17          | 2.66          |
| कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय                                                 | 7.66          | 7.30          |
| दान, पुरस्कार और अनुदान                                                        | -             | 0.01          |
| प्रावधान                                                                       | 1.07          | 0.04          |
| बट्टे खाते डालना (पूर्व में मान्यताप्राप्त प्रावधानों की बट्टे खाते में डालना) |               |               |
| विविध व्यय                                                                     | 11.34         | 9.67          |
| <b>कुल</b>                                                                     | <b>139.48</b> | <b>128.96</b> |

#### 13.4.1 प्रावधानों का विवरण

|                                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| बॉडी कॉर्पोरेट और कर्मचारियों को ऋण के लिए (4.2.1)  |             |             |
| व्यापार प्राप्य के लिए (4.3.1)                      | 0.10        |             |
| वित्तीय जमा और प्राप्य के लिए (4.6.1)               |             |             |
| कोयले और स्टोर इन्वेंट्री के लिए (5.1.1 और 5.1.2)   | 0.97        | 0.04        |
| अन्य गैर-चालू जमाराशियों और अग्रिमों के लिए (6.1.1) |             |             |
| अन्य चालू जमाराशियों और अग्रिमों के लिए (6.2.1)     |             |             |
| <b>अवधि/वर्ष के दौरान कुल प्रावधान</b>              | <b>1.07</b> | <b>0.04</b> |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

सीएसआर व्यय का अनुलग्नक

(₹ करोड़ में)

समाप्त वर्ष के लिए  
31.03.2024

समाप्त वर्ष के लिए  
31.03.2023

| क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा (अतिरिक्त व्यय सहित):                                                             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाना                                                                                        | 5.54        | 4.51        |
| विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना,<br>व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना                                       | 2.78        | 3.01        |
| लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों<br>द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय     | 0.07        | 0.07        |
| पर्यावरणीय स्थिरता                                                                                                    | 0.06        | 0.99        |
| राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण                                                                          | -           | -           |
| सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को<br>लाभ                                                    |             |             |
| ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक खेल<br>और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण |             |             |
| सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित<br>निधि में अंशदान                                            |             |             |
| इनक्यूबेटर्स या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए<br>योगदान                                                         |             |             |
| विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को अंशदान                                                                       |             |             |
| ग्रामीण विकास परियोजनाएं                                                                                              |             |             |
| मलिन बस्ती क्षेत्र विकास                                                                                              |             |             |
| आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां<br>शामिल हैं                                           |             |             |
| प्रशासनिक व्यय                                                                                                        | 0.42        | 0.34        |
| देयता राइट बैक                                                                                                        | (0.06)      |             |
| <b>कुल</b>                                                                                                            | <b>8.81</b> | <b>8.92</b> |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



| ख. सीएसआर खर्च किए जाने की आवश्यकता है और सीएसआर व्यय ब्रेक-अप                                                                                                                           |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| (क) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान होल्डिंग और सहायक कंपनियों के औसत शुद्ध लाभ का 2%) | 7.66        | 7.30        |
| (ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि                                                                                                                           | 10.00       | 10.00       |
| (ग) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:                                                                                                                                                       |             |             |
| (i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण                                                                                                                                                  |             |             |
| (ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए                                                                                                                                         | 8.81        | 8.92        |
| <b>कुल</b>                                                                                                                                                                               | <b>8.81</b> | <b>8.92</b> |

| ग. मान्यता प्राप्त सीएसआर व्यय और सीएसआर व्यय का समाधान | 2023-24 | 2022-23 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|
| सीएसआर व्यय खर्च                                        | 8.81    | 8.92    |
| कम: वर्ष के दौरान आगे ले जाया गया अतिरिक्त / (उपयोगी)   | 1.15    | 1.62    |
| जोड़ें: चल रही परियोजनाओं पर अव्ययित सीएसआर व्यय        |         |         |
| जोड़ें: चल रहे के अलावा अन्य पर अव्ययित सीएसआर व्यय     |         |         |
| पी एंड एल में मान्यता प्राप्त राशि                      | 7.66    | 7.30    |

| घ. चल रही परियोजना के अलावा अव्ययित राशि [धारा 135(5)] | 2023-24 | 2022-23 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
| ओपनिंग बैलेंस                                          |         |         |
| 6 महीने के भीतर अनुसूची VII की विशिष्ट निधि में जमा    |         |         |
| वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि                   |         |         |
| वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि                          |         |         |

## ड. खर्च की गई अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

| वर्षवार विवरण | ओपनिंग बैलेंस | वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि | वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि | अंतिम शेष |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 2021-22       |               | 6.61                                 | 6.86                          | 0.25      |
| 2022-23       |               |                                      |                               |           |
| 2023-24       |               |                                      |                               |           |
| <b>कुल</b>    |               |                                      |                               |           |

अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अन्य अग्रिमों और जमा राशियों पर टिप्पणी देखें

| च. अव्ययित चल रही परियोजना [धारा 135(6)] (वर्ष-वार) |                          | 2023-24 | 2022-23 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| प्रारम्भिक शेष                                      | कंपनी के साथ             |         |         |
|                                                     | अलग सीएसआर खाते में      |         |         |
| वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि                |                          |         |         |
| वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि                       | कंपनियों के बैंक खाते से |         |         |
|                                                     | अलग सीएसआर खाते में      |         |         |
| अंतिम शेष                                           | कंपनी के साथ             |         |         |
|                                                     | अलग सीएसआर खाते में      |         |         |

| छ. सीएसआर व्यय की देयता का प्रावधान | 2023-24 |
|-------------------------------------|---------|
| ओपनिंग बैलेंस                       | 3.16    |
| अवधि के दौरान वृद्धि                | 1.44    |
| वर्ष के दौरान समायोजन               | 3.16    |
| अंतिम शेष                           | 1.44    |





## सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

### वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

#### टिप्पणी 14.1 : कर व्यय

|                                      | (₹ करोड़ में)                    |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                      | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
| वर्तमान वर्ष                         | 189.38                           | 76.00                            |
| पहले के वर्ष                         | -                                | (14.78)                          |
| <b>कुल वर्तमान कर</b>                | <b>189.38</b>                    | <b>61.22</b>                     |
| आस्थगित कर                           | 40.23                            | 9.07                             |
| <b>कुल</b>                           | <b>229.61</b>                    | <b>70.29</b>                     |
|                                      |                                  |                                  |
|                                      | (₹ करोड़ में)                    |                                  |
| कर व्यय और लेखा लाभ का समाधान        | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
| कर पूर्व लाभ                         | 732.84                           | 366.95                           |
| 25.168% की आयकर दर पर                | 184.44                           | 92.35                            |
| कम: छूट प्राप्त आय पर कर             | 13.57                            | 55.57                            |
| जोड़ें: गैर-कटौती व्यय पर कर         | 58.74                            | 48.29                            |
| पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन      | -                                | (14.78)                          |
| लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए |                                  |                                  |
| लाभ और हानि                          | <b>229.61</b>                    | <b>70.29</b>                     |
| प्रभावी आयकर दर:                     | <b>31.33</b>                     | <b>19.16</b>                     |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

## वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

### टिप्पणी 15.1 : अन्य व्यापक आय

|                                                                                          | (₹ करोड़ में)                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
| (क) (i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा                |                                  |                                  |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन 15.1.1                                            | (13.73)                          | 25.95                            |
|                                                                                          | <b>(13.73)</b>                   | <b>25.95</b>                     |
| (ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा |                                  |                                  |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का विवरण                                                            | (3.46)                           | 6.53                             |
|                                                                                          | <b>(3.46)</b>                    | <b>6.53</b>                      |
| <b>कुल (क)</b>                                                                           | <b>(10.27)</b>                   | <b>19.42</b>                     |
| (ख) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा                         | -                                | -                                |
| (ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा      | -                                | -                                |
| <b>कुल (ख)</b>                                                                           | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         |
| <b>कुल (क+ख)</b>                                                                         | <b>(10.27)</b>                   | <b>19.42</b>                     |

15.1.1 ग्रेच्युटी ₹ -6.3 करोड़ (प्रति वर्ष ₹ -2.86 करोड़) के संबंध में और सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के लिए ₹ -7.43 करोड़ (प्रति वर्ष ₹ 28.82 करोड़) के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करता है।

## वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

### क. कॉर्पोरेट जानकारी

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (CMPDIL) को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य CIL और इसकी सहायक कंपनियों और अन्य बाहरी कंपनियों को भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, जल विज्ञान और पर्यावरण डेटा उत्पादन सहित कोयला और खनिज अन्वेषण में परामर्श सहायता प्रदान करना था। CMPDIL कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची 'बी' / मिनीरत्न-श्रेणी-I CPSE है। CMPDIL कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की 100% सहायक कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची - 834 031, झारखंड, भारत में स्थित है। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः 150 करोड़ रुपये और 142.80 करोड़ रुपये है।

### ख. अनुपालन विवरण और हालिया लेखांकन घोषणाएँ

#### i) अनुपालन का बयान

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (जिसे आगे “इंड एस” कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित किया गया है। जारी किए गए, अधिसूचित किए गए और वित्तीय विवरणों को अधिकृत किए जाने तक प्रभावी बनाए गए इंड एस और इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से विचार किया गया है।

लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां एक नया जारी किया गया लेखांकन मानक आरंभ में अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक प्रयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

## नोट 2: सामग्री लेखांकन नीतियां

### 2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक के अनुसार मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत परंपरा सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

दो दशमलव अंकों तक 'करोड़ रुपये' में पूर्णांकित किया जाता है।

### 2.2 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:

(क) यह परिसंपत्ति को मान्यता देने की उम्मीद करता है, या अपने सामान्य परिचालन चक्र में इसे बेचने या उपभोग करने का इरादा रखता है;

(ख) यह परिसंपत्ति को मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से रखता है;

I यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति को पहचानने की उम्मीद करता है; या

(घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य (जैसा कि भारतीय लेखा मानक 7 में परिभाषित है) है, जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता निपटान के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**कंपनी द्वारा किसी देयता को चालू तब माना जाता है जब:**

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की उम्मीद करता है;

(ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए दायित्व रखता है;

I दायित्व का निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना है; या

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी उपकरणों के निर्गम द्वारा इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

## 2.3 राजस्व मान्यता

**ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व**

राजस्व मुख्य रूप से संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से राजस्व तब पहचाना जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब उत्पाद ग्राहक को वितरित किए जाते हैं। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, जैसा भी मामला हो, और नुकसान के जोखिम बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, सबसे संभावित विधि का उपयोग करते हुए, और राजस्व को केवल उस सीमा तक पहचाना जाता है, जब यह अत्यधिक संभावित हो कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है क्योंकि बिक्री अनुबंधों के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम होती हैं।

कंपनी के पास भविष्य की अवधि में ग्राहकों को उत्पाद आपूर्ति करने के लिए कई दीर्घकालिक अनुबंध हैं। आम तौर पर, राजस्व को चालान के आधार पर पहचाना जाता है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग प्रदर्शन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से विचार का अधिकार सीधे हमारे आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन से मेल खाता है।

## 2.4 सरकार से अनुदान

उत्पत्ति जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी तथा यह उचित निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा ।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित व्यय या लागतों को मान्यता देती है, जिसके लिए अनुदान की सहायता ली जाती है।



आय से संबंधित अनुदान (अर्थात परिसंपत्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ या हानि विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता, जो पहले से किए गए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या कंपनी को भविष्य में संबंधित लागतों के बिना तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होती है, उसे उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वह प्राप्त होती है।

प्रवर्तक के योगदान के रूप में सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे "पूँजी रिजर्व" में मान्यता दी जाती है जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा बनती है।

## 2.5 पट्टे

एक अनुबंध पट्टा कहलाता है, या पट्टा में निहित होता है, यदि अनुबंध, प्रतिफल के बदले में, एक निश्चित अवधि के लिए किसी चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

### 2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले में किसी समयावधि के लिए पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (i) अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं और (iii) कंपनी के पास परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

प्रारंभिक तिथि पर, पट्टेदार को लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को तथा उस तिथि को न चुकाए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मान्यता देनी होगी, बशर्ते कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम करके तथा किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधनों को दर्शाने के लिए वहन राशि को पुनः मापकर मापा जाता है।

लीज देयता को शुरू में भविष्य के लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लीज भुगतानों को लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन लीज की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी, तो लीज देयताओं को संबंधित उपयोग संपत्ति के अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ पहले से मापा जाता है। लीज देयता और ROU परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और लीज भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लीज देयता दायित्वों को "वित्तीय देयताएँ" शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यहास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर देता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टाधारक खरीद विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टाधारक उपयोग

के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यहास आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टा अवधि के अंत में से जो भी पहले हो, तक करेगा।

## 2.5.2 कंपनी पट्टेदार के रूप में

परिसंपत्तियों को या तो वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है

**वित्त पट्टा:** यदि कोई पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करता है, तो उसे वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त आय को पट्टे की अवधि में मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर वापसी की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है।

**ऑपरेटिंग लीज़:** एक लीज़ जिसे वित्तीय लीज़ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, एक ऑपरेटिंग लीज़ है। कंपनी ऑपरेटिंग लीज़ पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में लीज़ भुगतान को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर आय के रूप में मान्यता देती है।

## 2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यहास

पीपीई की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या बहाली लागत शामिल होती है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित होते हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यहास और किसी भी संचित हानि हानि को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत में शामिल हैं:

इसका क्रय मूल्य, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसीयोग्य क्रय कर शामिल हैं, व्यापार छूट और रियायतें घटाने के बाद।

- (ख) परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई भी लागत।
- (ग) वस्तु को नष्ट करने और हटाने तथा उस स्थान को बहाल करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जिसके लिए इकाई या तो वस्तु के अधिग्रहण के समय या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग सूची तैयार करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए करने के परिणामस्वरूप दायित्व वहन करती है।
- (घ) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के प्रत्येक भाग की लागत, जो उस वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का अलग से मूल्यहास किया जाता है। हालांकि, मूल्यहास प्रभार निर्धारित करने में पीपीई के एक मद के महत्वपूर्ण भाग (भागों) को एक ही उपयोगी जीवन और मूल्यहास विधि के साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवाओं की लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने की बाद की लागत को उस वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए गए भागों की वहन राशि को नीचे उल्लिखित मान्यता समाप्ति नीति के अनुसार मान्यता समाप्ति कर दी जाती है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण की लागत की कोई भी शेष वहन राशि (भौतिक भागों से अलग) को मान्यता नहीं दी जाती है।

ऐसी मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| अन्य भूमि                  | : परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि, |
| (पट्टे पर ली गई भूमि सहित) | जो भी कम हो                          |
| भवन (सड़क सहित)            | : 3-60 वर्ष                          |
| दूरसंचार                   | : 3-9 वर्ष                           |
| रेलवे साइडिंग              | : 15 वर्ष                            |
| संयंत्र और उपकरण           | : 1-40 वर्ष                          |
| कंप्यूटर और लैपटॉप         | : 3 वर्ष                             |
| कार्यालय उपकरण             | : 3- 5 वर्ष                          |
| फर्नीचर और फिक्सचर         | : 10 वर्ष                            |
| वाहन                       | : 8-10 वर्ष                          |

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन उस अवधि को सबसे अच्छी तरह दर्शाते हैं जिसके दौरान प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

कुछ परिसंपत्ति मदों जैसे अन्य भूमि, साइट पुनर्स्थापना परिसंपत्ति, अन्य खनन अवसंरचना, सर्वेक्षण की गई परिसंपत्तियां को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, जोड़ने/निपटाने के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालिक हस्तांतरण आदि के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि शामिल है, जिसका परिशोधन परियोजना की शेष अवधि के आधार पर किया जाता है; और पट्टाधारित भूमि के मामले में ऐसा परिशोधन पट्टा अवधि या परियोजना की शेष अवधि, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

वे परिसंपत्तियां जो पूर्णतः मूल्यहासित हो चुकी हैं, तथा सक्रिय उपयोग से हटा ली गई हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र उपकरण के अंतर्गत अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षणीय परिसंपत्तियों के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है, तथा उनकी हानि के लिए जांच की जाती है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी मौजूदा परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

### **भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन**

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने का चुनाव किया (इंड एस में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त इसकी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए, जिसे पिछले GAAP के अनुसार मापा गया है)

## **2.7 अमूर्त संपत्ति**

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर आरंभिक मान्यता पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय शामिल होता है। आरंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से किसी भी संचित मान्यता प्राप्त और संचित हानि हानि को घटाकर रखा जाता है।

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की एक मद को निपटान पर या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता समाप्त कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन को या तो सीमित या अनिश्चित के रूप में आकलित किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी ऐसा संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो उनका मूल्यहास के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। संपत्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित उपयोगी जीवन या अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने के लिए उचित माना जाता है, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।



अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उसकी क्षति के लिए जांच की जाती है।

शोध पर व्यय को व्यय के रूप में तब जोड़ा जाता है जब वह व्यय होता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन रखने का इरादा रखती है।

## 2.8 परिसंपत्तियों की क्षति (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई के उपयोग में मूल्य और निपटान की लागत को घटाकर उसके उचित मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है और इसे एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति ऐसी नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों या कंपनी की परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र हो, ऐसी स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकदी पैदा करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी क्षति के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है तथा हानि की क्षति को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

## 2.9 वित्तीय उपकरण

वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

### 2.9.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

#### 2.9.1 प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है (नियमित तरीके से व्यापार) को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, यानी, वह तिथि जिस पर कंपनी परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्य जिसमें एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है, उसे लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

#### 2.9.2 अनुवर्ती माप

बाद के माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण, व्युत्पन्न और इक्विटी उपकरण (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी उपकरण

### 2.9.2.1 अमान्य करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों वाली कंपनी का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से तब अमान्य कर दिया जाता है (अर्थात बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- कंपनी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण कर लिया है; और या तो (क) कंपनी परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या ख) कंपनी उसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही उन्हें बरकरार रखा है, लेकिन उसने परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

जब कंपनी किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब उसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही उन्हें बरकरार रखा है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है, तो कंपनी कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबद्ध देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी के अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी के रूप में निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि और कंपनी द्वारा चुकाए जाने वाले प्रतिफल की अधिकतम राशि के बीच के निम्नतम स्तर पर मापा जाता है।

### 2.9.2.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्त्य और बैंक बैलेंस

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के अनुसार मापी जाती हैं

ग) भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्त्य

घ) व्यापार प्राप्त्य या नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो भारतीय लेखा मानक 115 के दायरे में आने वाले लेनदेन से उत्पन्न होता है

कंपनी निम्नलिखित पर हानि क्षति भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है:

- व्यापार प्राप्त्य या अनुबंध राजस्व प्राप्त्य; तथा
- भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्तियां

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक पहचान से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देता है।

## 2.9.3 वित्तीय देयताएं

### 2.9.3.1 प्रारंभिक पहचान और माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार शामिल हैं।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा ऋणों, उधारों और देयताओं के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है।

### 2.9.3.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

### 2.9.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

### 2.9.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है जब देनदारियों को मान्यता से हटा दिया जाता है और साथ ही प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी पहचाना जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

### 2.9.3.5 अमान्य करना

वित्तीय दायित्व तब अमान्य हो जाता है जब दायित्व के अंतर्गत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व के भाग) की वहन राशि, जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया है और भुगतान किए गए प्रतिफल, जिसमें हस्तांतरित कोई भी गैर-नकद परिसंपत्ति या ग्रहण की गई देनदारियां शामिल हैं, के बीच का अंतर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होगा।

### 2.9.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण इंस्ट्रूमेंट हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। व्यवसाय मॉडल में बदलाव अक्सर नहीं होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप

व्यवसाय मॉडल में बदलाव का निर्धारण करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बदलाव बाहरी पक्षों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी अपने संचालन के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि शुरू करती है या करना बंद कर देती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद की अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ, हानि (क्षति लाभ या हानि सहित) या ब्याज को फिर से नहीं बताती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनके हिसाब का तरीका दर्शाती है

| मूल वर्गीकरण  | संशोधित वर्गीकरण | लेखांकन उपचार                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिशोधित लागत | एफवीटीपीएल       | उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को P&L में मान्यता दी जाती है।                                                                                                                               |
| एफवीटीपीएल    | परिशोधित लागत    | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। EIR की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।                                                                                                                                            |
| परिशोधित लागत | एफवीटीओसीआई      | उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को OCI में मान्यता दी जाती है। पुनर्वर्गीकरण के कारण EIR में कोई परिवर्तन नहीं होता है।                                                                         |
| एफवीटीओसीआई   | परिशोधित लागत    | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत वहन राशि बन जाती है। हालाँकि, OCI में संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति को इस तरह मापा जाता है जैसे कि इसे हमेशा परिशोधित लागत पर मापा जाता था। |
| एफवीटीपीएल    | एफवीटीओसीआई      | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहन राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                            |
| एफवीटीओसीआई   | एफवीटीपीएल       | परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। OCI में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर P&L में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।                                                                                                |

#### 2.9.5 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं का एक साथ निपटान करने का इरादा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को समेकित बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है।

#### 2.9.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह मूल्य है जो वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।



कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जो ऐसे माप के लिए प्रयुक्त इनपुट के अवलोकन की क्षमता पर निर्भर करता है:

(क) स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं।

(ख) स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं।

। स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अवलोकनीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

कंपनी के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है, जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापनों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी है, जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करती है जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

## 2.9.7 नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

## 2.10 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और स्थगित कर का योग दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की ऐसी मदें शामिल नहीं हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से या किसी ऐसे लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ को।

सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देनदारियों को मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर को उलटने पर नियंत्रण करने में सक्षम है और यह संभावना है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, जो कर दर (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के अनुसार होंगे।

चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, चालू और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां चालू कर या आस्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है, जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो, तथा जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य इकाइयों पर लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, जहां शेष राशि का निपटान शुद्ध आधार पर करने का इरादा हो।

## 2.11 कर्मचारी लाभ

### 2.11.1 अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ हैं (समाप्ति लाभों के अलावा) जिनका भुगतान उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बारह महीने से पहले पूर्ण रूप से किया जाना अपेक्षित होता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

### 2.11.2 रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

#### 2.11.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग से बनाए गए फंड में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

#### 2.11.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजनाएं हैं (लाभों पर अधिकतम सीमा के साथ)। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है,

यदि कोई हो। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के करीब हैं और जो उसी मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद है।

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजनाएं हैं (लाभों पर अधिकतम सीमा के साथ)। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है, यदि कोई हो। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के करीब हैं और जो उसी मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद है।

एकचुरियल मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दरें, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणा बनाना शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट पर एक एकचुरी द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके गणना की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से किसी भी भविष्य की वापसी या योजना में भविष्य के योगदान में कमी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। कंपनी को एक आर्थिक लाभ तब उपलब्ध होता है जब यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना देनदारियों के निपटान पर प्राप्त किया जा सकता है।

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन, जिसमें योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) और परिसंपत्तियों की अधिकतम सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभावों पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है, को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है, योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित शुद्ध ब्याज व्यय और अन्य व्यय लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त हैं।

जब योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पूर्व सेवा से संबंधित बड़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि विवरण में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

## 2.11.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार-पश्चात लाभ और सेवा समाप्ति लाभ को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल हैं, जिनका निपटान वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, की समाप्ति के बारह महीने बाद तक पूर्ण रूप से होने की उम्मीद नहीं है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का शुद्ध योग लाभ या हानि विवरण में पहचाना जाता है:

क. सेवा लागत

ख. शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

ग. शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुनः मापन

## 2.12 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में किए गए लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को उन दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित किया गया था, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

## 2.13 इन्वेंटरी

### 2.13.1 स्टोर, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंटरी

अन्य इन्वेंटरी सहित भंडार और अतिरिक्त सामान के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और स्पेयर्स के लिए 100% की दर से प्रावधान किया जाता है, तथा 5 वर्षों तक स्थानांतरित न किए गए स्टोर और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान किया जाता है।

### 2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है, वहां प्रावधान दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताए जाते हैं।

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर-दूर तक न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर-दूर तक न हो।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से परिलक्षित हो।



## 2.15 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर तनु आय की गणना कर के बाद लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और साथ ही उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या भी जो सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

## 2.16 निर्णय, अनुमान और मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान, निर्णय और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करते हैं। इन वित्तीय विवरणों में जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों और धारणाओं के उपयोग से जुड़ी लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान अवधि दर अवधि बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमान में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हैं, तो उनके प्रभावों का खुलासा वित्तीय विवरणों के नोट्स में किया जाता है।

### 2.16.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है:

वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

### 2.16.2 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वित्तीय विवरणों में लेन-देन, अन्य घटनाओं और उन स्थितियों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी शामिल हो, जिन पर वे लागू होती हैं। जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो, तो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

किसी लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर विशिष्ट रूप से लागू होने वाले भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के अभाव में, प्रबंधन ने लेखांकन नीति को विकसित करने और लागू करने में अपने विवेक का उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है:

क. उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक और

ख. वित्तीय विवरण विश्वसनीय हैं और:

- (i) इकाई की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करें; (ii) लेनदेन, अन्य घटनाओं और स्थितियों के आर्थिक सार को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल कानूनी रूप को; (iii) तटस्थ हों, अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त हों; (iv) विवेकपूर्ण हों; और (v) सभी भौतिक मामलों में सुसंगत आधार पर पूर्ण हों

निर्णय लेने में प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों का संदर्भ लेता है और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

(क) समान और संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताएं; और

(ख) फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और उनके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों की घोषणाओं पर विचार करता है, जो लेखांकन मानकों को विकसित करने के लिए समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं पर विचार करता है, इस सीमा तक कि ये भारतीय लेखांकन मानक और लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के साथ संघर्ष नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में कहा गया है।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन और विकास उत्पादन चरण कई दशकों तक चलने वाली लीज़ अवधि में फैले विभिन्न स्थलाकृतिक और भू-खनन भूभाग पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तनों के लिए प्रवण होते हैं), जिसकी लेखांकन नीतियां अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग प्रथाओं के आधार पर विकसित हुई हैं और पिछले कई दशकों में इसके लगातार आवेदन के कारण विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित हैं। विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन और मानकों की अनुपस्थिति में कुछ विशिष्ट क्षेत्र जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के अनुरूप लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और इसमें किसी भी विकास को ऊपर और अधिक विशेष रूप से भारतीय लेखा मानक 8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भावी रूप से हिसाब में लिया जाएगा।

### 2.16.3 मददा

भारतीय लेखा मानक उन मदों पर लागू होता है जो महत्वपूर्ण हैं। प्रबंधन यह तय करने में विवेक का उपयोग करता है कि वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत मदें या मदों का समूह महत्वपूर्ण हैं या नहीं। महत्वपूर्णता का निर्धारण मदों की प्रकृति या परिमाण या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या किसी सूचना को छोड़ना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के साथ मिलकर उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकता निर्धारित करने के लिए भी महत्वपूर्णता के विवेक का उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा अपेक्षित होने पर अलग से महत्वहीन मदों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

दिनांक 01.04.2019 से पूर्व अवधियों से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों/चूक को महत्वहीन माना जाएगा तथा चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, यदि ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कुल मिलाकर कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार परिचालन से प्राप्त कुल राजस्व (वैधानिक शुल्कों को छोड़कर) के 1% से अधिक न हों।

#### 2.16.3.1 अनुमान और मान्यताएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएँ, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। कंपनी ने अपनी धारणाएँ और अनुमान वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किए। हालाँकि, भविष्य के विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियाँ और धारणाएँ, बाज़ार में होने वाले बदलावों या ऐसी परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब वे धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग जिसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय और लेखांकन अनुमान की आवश्यकता होती है, जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं का उपयोग नीचे बताया गया है:

## 2.16.3.2 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि का संकेत तब मिलता है, जब किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, जो उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर और उसके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, होती है। हानि के परीक्षण के उद्देश्य से कंपनी अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग में मूल्य की गणना DCF मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के बजट से प्राप्त होते हैं और इसमें पुनर्गठन गतिविधियाँ शामिल नहीं होती हैं, जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे CGU की परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। वसूली योग्य राशि DCF मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और एक्सट्रपलेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील होती है।

## 2.16.3.3 कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटे के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध घाटे का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य मुनाफे के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के आधार पर, मान्यता प्राप्त करने योग्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

## 2.16.3.4 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजना और अन्य रोजगार-पश्चात चिकित्सा लाभों की लागत और दायित्वों का वर्तमान मूल्य एकचुरियल मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एकचुरियल मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन के लिए सबसे अधिक विषयगत पैरामीटर छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बांड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। ये मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में अंतराल पर ही बदलती हैं।

## 2.16.3.5 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति का पूंजीकरण किया जाता है। लागतों का आरंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे मंजूरी दी जाती है।

नोट - 16: 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स।

### 1. उचित मूल्य माप

#### क. श्रेणीवार वित्तीय उपकरण

(करोड़ रु. में)

|                           | 31 मार्च 2024 |                     | 31 मार्च 2023 |                     |
|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                           | एफवीटीपीएल    | कर्ज चुकाने की लागत | एफवीटीपीएल    | कर्ज चुकाने की लागत |
| <b>वित्तीय पूंजी</b>      |               |                     |               | -                   |
| निवेश :                   |               | -                   |               | -                   |
| सुरक्षित बांड             |               | -                   |               | -                   |
| ऋण                        |               | 0.34                |               | 0.06                |
| जमा एवं प्राप्त्य         |               | 125.53              |               | 95.63               |
| व्यापार प्राप्तियां       |               | 984.37              |               | 822.40              |
| नकद और नकद समतुल्य        |               | 266.87              |               | 379.97              |
| अन्य बैंक बैलेंस          |               | 330.00              |               | 90.00               |
|                           |               |                     |               | -                   |
| <b>वित्तीय देनदारियां</b> |               |                     |               | -                   |
| उधारी                     |               | -                   |               | -                   |
| व्यापार देनदारियां        |               | 104.64              |               | 145.33              |
| सुरक्षा जमा और बयाना राशि |               | 94.49               |               | 100.66              |
| अन्य देनदारियां           |               | 63.05               |               | 60.80               |

#### ख. उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है, जिन्हें (क) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और मापा जाता है और (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए, समूह ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका के नीचे दिया गया है।



# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



(करोड़ रु. में)

| उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं | 31 मार्च 2024 |          | 31 मार्च 2023 |          |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|
|                                                        | स्तर I        | स्तर III | स्तर I        | स्तर III |
| एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां                   |               |          |               |          |
| निवेश :                                                | -             | -        | -             | -        |
| म्यूचुअल फंड/आईसीडी                                    | -             | -        | -             | -        |
| वित्तीय देनदारियां                                     |               |          |               |          |
| यदि कोई वस्तु                                          | -             | -        | -             | -        |

(करोड़ रु. में)

| वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। | 31 <sup>st</sup> March 2024 |           | 31 <sup>st</sup> March 2023 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                  | Level I                     | Level III | Level I                     | Level III |
| एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां                                                                             |                             |           |                             |           |
| निवेश :                                                                                                          |                             |           |                             |           |
| अधिमानी शेयर                                                                                                     |                             |           |                             |           |
| -इक्विटी घटक                                                                                                     |                             |           |                             |           |
| -ऋण घटक                                                                                                          |                             |           |                             |           |
| -अन्य निवेश                                                                                                      |                             | -         |                             | -         |
| ऋण                                                                                                               |                             | 0.34      |                             | 0.06      |
| जमा एवं प्राप्त्य                                                                                                |                             | 125.53    |                             | 95.63     |
| व्यापार प्राप्तियां                                                                                              |                             | 984.37    |                             | 822.40    |
| नकद और नकद समतुल्य                                                                                               |                             | 266.87    |                             | 379.97    |
| अन्य बैंक बैलेंस                                                                                                 |                             | 330.00    |                             | 90.00     |
| वित्तीय देनदारियां                                                                                               |                             |           |                             |           |
| उधारी                                                                                                            |                             | -         |                             | -         |
| व्यापार देनदारियां                                                                                               |                             | 104.64    |                             | 145.33    |
| सुरक्षा जमा और बयाना राशि                                                                                        |                             | 94.49     |                             | 100.66    |
| अन्य देनदारियां                                                                                                  |                             | 63.05     |                             | 60.80     |

- स्तर 1:** पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।
- स्तर 2:** सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

**स्तर 3:** यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के मामले में लागू होता है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान: समूह संदिग्ध/ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि के लिए आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा प्रावधान करता है। नोट देखें - 4.3, व्यापार प्राप्य

#### ग. उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में शामिल हैं:

म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग।

#### घ. महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

#### ड. परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

➤ व्यापार प्राप्य, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

➤ कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखना आवश्यक है। प्रत्येक मील के पत्थर के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकना कंपनी के हितों की रक्षा करने के लिए है, ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल होने से। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

**महत्वपूर्ण अनुमान:** सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

## 2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

### वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियाँ:

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय राशियाँ शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य राशियाँ, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और

प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे इकाई को सामना करना पड़ता है और यह बताता है कि इकाई जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है और वित्तीय विवरणों में बचाव लेखांकन का क्या प्रभाव पड़ता है।

| जोखिम                     | इससे उत्पन्न जोखिम                                                                                                  | माप                                          | प्रबंध                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऋण जोखिम                  | नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्त वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधित लागत पर मापी जाती है                                 | आयु विश्लेषण/क्रेडिट विश्लेषण                | सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण                     |
| तरलता जोखिम               | उधार और अन्य देयताएं                                                                                                | आवधिक नकदी प्रवाह                            | प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता                                                                  |
| बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा | भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित नहीं हैं | नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण | वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।                                            |
| बाजार जोखिम - ब्याज दर    | नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड                                                                       | नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण | सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा। |

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।

**क. ऋण जोखिम :** ऋण जोखिम तब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्ष संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में चूक करता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती है।

**अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान:** कंपनी संदिग्ध/ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि के लिए आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा प्रावधान करती है। नोट - 13, व्यापार प्राप्त देखें

**महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि**

ऊपर बताए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

**ख. तरलता जोखिम**

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, समूह कोषागार प्रतिबद्ध ऋण लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखकर वित्तपोषण में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (जिसमें अप्रयुक्त उधार सुविधाएं शामिल हैं) और नकदी एवं नकदी समकक्षों के पूर्वानुमानों पर नजर रखता है।

ग. बाजार जोखिम

क. विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है, जो ऐसी मुद्रा में मूल्यांकित होती हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं हैं। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी के पास एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख. नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम।

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा राशियों से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन के कारण कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा राशियों को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

पूंजी प्रबंधन

चूंकि यह कंपनी एक सरकारी इकाई है, इसलिए यह अपनी पूंजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

|                    | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--------------------|------------|------------|
| इक्विटी शेयर पूंजी | 142.80     | 142.80     |
| वरीयता शेयर पूंजी  | शून्य      | शून्य      |
| लंबी अवधि के लोन   | शून्य      | शून्य      |

3. कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (इंड एस-19)

परिभाषित लाभ योजनाएँ:

क. ग्रेच्युटी

कंपनी ग्रेच्युटी, एक रोजगार-पश्चात परिभाषित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी योजना") प्रदान करती है, जो पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी से अलग होने के समय ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिकतम ₹ 20 लाख तक होता है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एकचुअरी द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और एकचुरियल मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापन लाभ और हानि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में।

ग्रेच्युटी योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। एलआईसी सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में एक बीमा कवरेज (जीवन बीमा राशि- "एलसीएसए") भी प्रदान करता है, जो अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि पर देय अनुमानित ग्रेच्युटी राशि में कमी की भरपाई करता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 20 लाख है।



## ख. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई) के रूप में जाना जाता है, जो अधिकारियों, उनके जीवनसाथियों और पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को कंपनी के अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/घर में केवल भारत में किसी भी विकलांगता के कम से कम 40% से पीड़ित होने पर सीलिंग लिमिट के अधीन चिकित्सा प्रदान करती है, जो कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या सामान्य कोयला कैडर के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या समय-समय पर तैयार और लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण होती है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। सेवानिवृत्त अधिकारियों, जीवनसाथियों और आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए पूरे जीवनकाल के दौरान संयुक्त रूप से या अलग-अलग प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये योजना के लिए देयता की पहचान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

## ग. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कर्मचारी (सीपीआरएमएस-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई-एनई) प्रदान कर रही है, ताकि गैर-अधिकारियों और उनके जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) को कंपनी अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/घरेलू में चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सके, जो कि छत की सीमा के अधीन है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या समय-समय पर तैयार और लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में कंपनी से इस्तीफा देने या जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) की मृत्यु पर। सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों और जीवनसाथी को संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में पूरे जीवनकाल के दौरान प्रतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम राशि 8 लाख रुपये है, योजना के लिए देयता की पहचान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

## परिभाषित अंशदान योजनाएँ

### क. भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य निधि और पेंशन निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, अर्थात् मूल वेतन का 12% और 7% और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता क्रमशः भविष्य निधि और पेंशन निधि में। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग वैधानिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) कहा जाता है। अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

### ख. सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को नौकरी के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक राशि का योगदान नहीं करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेजुटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है। मूल और महंगाई भत्ते का 6.99% वर्तमान नियोक्ता योगदान लाभ और हानि के विवरण में लगाया जा रहा है।

## अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

### क. अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों की अर्ध-भुगतान छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर आनुपातिक रूप से अर्जित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों की ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। सेवा की अवधि के दौरान संचित एचपीएल को नकदीकरण के लिए अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्प्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। कर्मचारियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित होता है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित छुट्टी का नकदीकरण पाने के हकदार हैं और मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सुपरएनुएशन और वीआरएस के कारण सेवा बंद होने पर, शेष छुट्टी या 150 दिन जो भी कम हो, नकदीकरण के लिए अनुमत है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों का भुगतान सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद किया जाना अपेक्षित है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। लाभ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार पैदावार का उपयोग करके छूट दी जाती है।

### ख. जीवन कवर योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह के पास एक जीवन बीमा योजना है जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की जीवन बीमा योजना" (LCS) के रूप में जाना जाता है, जो सभी कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को कवर करती है। सेवा में मृत्यु के मामले में, 01.10.2017 से योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 1,56,250/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब पहचानी जाती है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत देय लाभ होता है।

### ग. निपटान भत्ते

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति पर सेटलमेंट-इन भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एकचुरियल मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

### घ. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस )

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सीआईएल समूह के अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना से बचाने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है, जिसे "कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के नाम से जाना जाता है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। इस योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान सीआईएल द्वारा किया जाता है।

### ड. अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए क्रमशः 10000/- रुपये और 15000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एकचुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तपोषण स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्त पोषित

- उपदान
- अवकाश नकदीकरण
- सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कर्मचारी (सीपीआरएमएस-एनई)
- जीवन बीमा योजना
- निपटान भत्ता
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- अवकाश यात्रा रियायत

(ii) अनफंडेड

एकचुअरी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2024 तक कुल देयता, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

| सिर                   | प्रारंभिक एकचुरियल देयता 01.04.2022 | इंक्रिमेंटल वर्ष के दौरान देयता | समापन बीमांकिक देयता 31.03.2023 | इंक्रिमेंटल वर्ष के दौरान देयता | समापन एकचुरियल देयता 01.04.2024 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| उपदान                 | 162.86                              | (7.86)                          | 155.00                          | 6.50                            | 161.50                          |
| अवकाश अधिकारी         | 81.02                               | 3.60                            | 84.62                           | 10.16                           | 94.78                           |
| अवकाश कर्मचारी        | 20.00                               | 4.00                            | 24.00                           | 5.40                            | 29.40                           |
| निपटान भत्ता अधिकारी  | 3.95                                | (0.10)                          | 3.85                            | 0.09                            | 3.94                            |
| निपटान भत्ता कर्मचारी | 0.50                                | (0.06)                          | 0.44                            | (0.02)                          | 0.42                            |
| अवकाश यात्रा रियायत   | 1.78                                | 0.68                            | 2.46                            | (0.01)                          | 2.45                            |
| चिकित्सा लाभ अधिकारी  | 88.09                               | (25.97)                         | 62.12                           | 4.40                            | 66.52                           |
| चिकित्सा लाभ कर्मचारी | 26.66                               | (0.46)                          | 26.20                           | 1.24                            | 27.44                           |
| कुल                   | 384.86                              | (26.17)                         | 358.69                          | 27.76                           | 386.45                          |

(iii) एकचुअरी के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2024 तक ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन  
आईएनडी एस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1:

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | क. लाभ और हानि (पी एंड एल)                                        | 31.03.2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.90       | वर्तमान सेवा लागत                                                 | 4.46       |
| -          | पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन                                    | 6.17       |
| -          | कटौती लागत / (क्रेडिट)                                            | 0.00       |
| -          | निपटान लागत / (क्रेडिट)                                           | 0.00       |
| 4.90       | सेवा लागत                                                         | 10.64      |
| 2.07       | शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज            | (0.65)     |
| -          | (लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं | -          |
| 6.97       | पी एंड एल में मान्यता प्राप्त लागत                                | 9.99       |

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | ख: अन्य व्यापक आय (ओसीआई)                            | 31.03.2024 |
|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 11.00      | डीबीओ अनुभव के कारण एकचुरियल (लाभ)/हानि              | 1.57       |
| (7.44)     | डीबीओ धारणा में परिवर्तन के कारण एकचुरियल (लाभ)/हानि | 4.85       |
| 3.56       | अवधि के दौरान होने वाली एकचुरियल (लाभ)/हानि          | 6.42       |
| (0.70)     | योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम   | (0.13)     |
| 2.86       | ओसीआई में मान्यता प्राप्त एकचुरियल (लाभ)/ हानि       | 6.30       |

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | ग: परिभाषित लाभ लागत                                              | 31.03.2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.90       | सेवा लागत                                                         | 10.64      |
| 2.07       | शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज            | (0.65)     |
| 2.86       | ओसीआई में मान्यता प्राप्त एकचुरियल (लाभ)/ हानि                    | 6.30       |
| -          | (लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं | -          |
| 9.83       | परिभाषित लाभ लागत                                                 | 16.28      |

| 31.03.2022                     | घ : वर्तमान में मान्यताएं | 31.03.2023                     |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 6.80%                          | छूट की दर                 | 7.30%                          |
| अधिकारी: 9%<br>कर्मचारी: 6.25% | वेतन वृद्धि की दर         | अधिकारी: 9%<br>कर्मचारी: 6.25% |



# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



तालिका 2:

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | क: नेट बैलेंस शीट स्थिति का विकास         | 31.03.2024 |
|------------|-------------------------------------------|------------|
| (155.00)   | परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)              | (161.50)   |
| 150.83     | योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए) | 167.18     |
| (4.17)     | वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]         | 5.68       |
| -          | परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव                 | -          |
| (4.17)     | शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)     | 5.68       |

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | ख: शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का समाधान                          | 31.03.2024 |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| (66.51)    | पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)   | (4.17)     |
| (4.90)     | सेवा लागत                                                     | (10.64)    |
| (2.07)     | शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज          | 0.65       |
| (2.86)     | ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि                                | (6.30)     |
| 72.17      | नियोक्ता योगदान                                               | 26.14      |
| -          | कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ                         | -          |
| -          | अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)                                      | -          |
| -          | divestitures                                                  | -          |
| -          | समाप्ति लाभ की लागत                                           | -          |
| (4.17)     | वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता) | 5.68       |

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023      | ग: निम्नलिखित मान्यताएं: | 31.03.2024      |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 7.30%           | छूट की दर                | 7.00%           |
| अधिकारी: 9%     | वेतन वृद्धि की दर        | अधिकारी: 9%     |
| कर्मचारी: 6.25% |                          | कर्मचारी: 6.25% |

तालिका 3:

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | क: परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन | 31.03.2024 |
|------------|----------------------------------------------|------------|
| 162.86     | पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ                  | 155.00     |
| 4.90       | वर्तमान सेवा लागत                            | 4.46       |
| 10.17      | डीबीओ पर ब्याज लागत                          | 10.54      |
| -          | कटौती (क्रेडिट)/ लागत                        | -          |
| -          | निपटान (ऋण)/ लागत                            | -          |
| -          | पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन               | 6.17       |

|         |                                              |         |
|---------|----------------------------------------------|---------|
| -       | अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत                     | 0.00    |
| 11.00   | एकचुरियल (लाभ)/हानि - अनुभव                  | 1.57    |
| -       | एकचुरियल (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय मान्यताएँ | -       |
| (7.44)  | एकचुरियल (लाभ)/हानि - वित्तीय मान्यताएं      | 4.86    |
| -       | कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ   | -       |
| (26.49) | योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ     | (21.10) |
| 155.00  | अवधि के अंत में डीबीओ                        | 161.50  |

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | ख: परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन         | 31.03.2024 |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 96.35      | पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य   | 150.83     |
| -          | अधिग्रहण समायोजन                                    | -          |
| 8.10       | योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय                     | 11.18      |
| 72.17      | नियोक्ता योगदान                                     | 26.14      |
| 0.70       | योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)   | 0.13       |
| (26.49)    | भुगतान किये गये लाभ                                 | (21.10)    |
| 150.83     | वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 167.18     |

तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

(₹ करोड़ में)

| क. समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 31 मार्च, 2025                                                            | 25.12    |
| 31 मार्च, 2026                                                            | 17.62    |
| 31 मार्च, 2027                                                            | 13.20    |
| 31 मार्च, 2028                                                            | 11.44    |
| 31 मार्च, 2029                                                            | 10.79    |
| 31 मार्च 2030 से 31 मार्च 2034                                            | 39.26    |
| 10 वर्ष से अधिक                                                           | 318.86   |
| ख. 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान | 4.95     |
| ग. परिभाषित लाभ दायित्व की भारत औसत अवधि                                  | 11 years |
| घ. 31 मार्च 2024 को अर्जित लाभ दायित्व                                    | 112.99   |
| ड. 31 मार्च 2024 तक योजना परिसंपत्ति की जानकारी                           |          |
| भारत सरकार प्रतिभूतियाँ (केन्द्रीय एवं राज्य)                             | 0.00%    |
| उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)        | 0.00%    |
| सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर                                         | 0.00%    |
| संपत्ति                                                                   | 0.00%    |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| नकद (विशेष जमा सहित)                                       | 0.00%   |
| बीमा योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद                             | 100.00% |
| बीमा योजनाएँ - यूलिप उत्पाद                                | 0.00%   |
| अन्य                                                       | 0.00%   |
| कुल                                                        | 100.00% |
| च. 31 मार्च 2024 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का ब्यौरा |         |
| वर्तमान में दायित्व                                        | 24.29   |
| गैर-वर्तमान देयता                                          | 137.21  |
| 31 मार्च 2024 तक देयता                                     | 161.50  |

## तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

### प्रकटीकरण आइटम

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| 31 मार्च 2024 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ          | 161.50 |
| छूट की दर                                         |        |
| 31 मार्च 2024 तक छूट दर                           | 7.00%  |
| छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव | (7.93) |
| प्रतिशत प्रभाव                                    | (5%)   |
| छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव    | 8.75   |
| प्रतिशत प्रभाव                                    | 5%     |

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| वेतन वृद्धि दर                                            | Increase                        |
| 31 मार्च 2024 तक वेतन वृद्धि दर                           | अधिकारी: 9%;<br>कर्मचारी: 6.25% |
| वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव | 3.47                            |
| प्रतिशत प्रभाव                                            | 2%                              |
| वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण DBO पर प्रभाव      | (3.77)                          |
| प्रतिशत प्रभाव                                            | (2)%                            |

31.03.2024 तक अवकाश लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

आईएनडी एस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1:

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | क. लाभ और हानि (पी एंड एल)                                           | 31.03.2024 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 16.41      | वर्तमान सेवा लागत                                                    | 17.52      |
| -          | पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन                                       | 3.63       |
| -          | कटौती लागत / (क्रेडिट)                                               | -          |
| -          | निपटान लागत / (क्रेडिट)                                              | -          |
| 16.41      | सेवा लागत                                                            | 21.15      |
| (0.14)     | शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज               | (0.34)     |
| 5.39       | (लाभ)/हानि की तत्काल पहचान -<br>अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं | 8.94       |
| 21.67      | P&L में मान्यता प्राप्त लागत                                         | 29.75      |

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | ख: अन्य व्यापक आय (ओसीआई)                            | 31.03.2024 |
|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 12.18      | डीबीओ अनुभव के कारण एकचुरियल (लाभ)/हानि              | 4.61       |
| (6.50)     | डीबीओ धारणा में परिवर्तन के कारण एकचुरियल (लाभ)/हानि | 4.37       |
| 5.68       | अवधि के दौरान होने वाली एकचुरियल (लाभ)/हानि          | 8.97       |
| (0.29)     | योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम   | (0.03)     |
| -          | ओसीआई में मान्यता प्राप्त एकचुरियल (लाभ)/ हानि       | -          |

(₹ In

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | ग: परिभाषित लाभ लागत                                                 | 31.03.2024 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 16.41      | सेवा लागत                                                            | 21.15      |
| (0.14)     | शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज               | -0.34      |
| -          | ओसीआई में मान्यता प्राप्त एकचुरियल (लाभ)/ हानि                       | -          |
| 5.39       | (लाभ)/हानि की तत्काल पहचान -<br>अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं | 8.94       |
| 21.67      | परिभाषित लाभ लागत                                                    | 29.75      |

| 31.03.2022                     | घ: निम्नलिखित मान्यताएं: | 31.03.2023                     |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 6.80%                          | छूट की दर                | 7.30%                          |
| अधिकारी: 9%<br>कर्मचारी: 6.25% | वेतन वृद्धि की दर        | अधिकारी: 9%<br>कर्मचारी: 6.25% |



# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



तालिका 2:

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | क: नेट बैलेंस शीट स्थिति का विकास         | 31.03.2024 |
|------------|-------------------------------------------|------------|
| (108.63)   | परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)              | (124.18)   |
| 99.35      | योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए) | 112.92     |
| (9.27)     | वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]         | (11.26)    |
| -          | परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव                 | -          |
| (9.27)     | शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)     | (11.26)    |

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | ख: शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का समाधान                          | 31.03.2024 |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| (8.27)     | पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)   | (9.27)     |
| (16.41)    | सेवा लागत                                                     | (21.15)    |
| 0.14       | शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज          | 0.34       |
| (5.39)     | एक्चुरियल (हानि)/ लाभ                                         | (8.94)     |
| 20.66      | नियोक्ता योगदान                                               | 27.76      |
| -          | कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ                         | -          |
| -          | अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)                                      | -          |
| -          | divestitures                                                  | -          |
| -          | समाप्ति लाभ की लागत                                           | -          |
| (9.27)     | वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता) | (11.26)    |

| 31.03.2023                            | ग: निम्नलिखित मान्यताएं: | 31.03.2024                            |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 7.30%                                 | छूट की दर                | 7.00%                                 |
| कार्यकारी: 9%<br>गैर-कार्यकारी: 6.25% | वेतन वृद्धि की दर        | कार्यकारी: 9%<br>गैर-कार्यकारी: 6.25% |

तालिका 3:

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | क: परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन | 31.03.2024 |
|------------|----------------------------------------------|------------|
| 101.02     | पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ                  | 108.63     |
| 16.42      | वर्तमान सेवा लागत                            | 17.52      |
| 6.17       | डीबीओ पर ब्याज लागत                          | 7.14       |
| -          | कटौती (क्रेडिट)/ लागत                        | -          |
| -          | निपटान (ऋण)/ लागत                            | -          |
| -          | पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन               | 3.63       |

|         |                                              |         |
|---------|----------------------------------------------|---------|
| -       | अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत                     | -       |
| 12.18   | एकचुरियल (लाभ)/हानि - अनुभव                  | 4.61    |
| -       | एकचुरियल (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय मान्यताएँ | -       |
| (6.50)  | एकचुरियल (लाभ)/हानि - वित्तीय मान्यताएँ      | 4.36    |
| -       | कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ   | -       |
| (20.66) | योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ     | (21.71) |
| 108.63  | अवधि के अंत में डीबीओ                        | 124.18  |

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | ख:परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन          | 31.03.2024 |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 92.75      | पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य   | 99.39      |
| -          | अधिग्रहण समायोजन                                    | -          |
| 6.31       | योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय                     | 7.47       |
| 20.66      | नियोक्ता योगदान                                     | 27.74      |
| 0.29       | योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)   | 0.03       |
| (20.66)    | भुगतान किये गये लाभ                                 | (21.71)    |
| 99.35      | वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 112.92     |

तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

(₹ करोड़ में)

| क. समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 31 मार्च, 2025                                                            | 13.11    |
| 31 मार्च, 2026                                                            | 12.72    |
| 31 मार्च, 2027                                                            | 7.38     |
| 31 मार्च, 2028                                                            | 9.94     |
| 31 मार्च, 2029                                                            | 7.73     |
| 31 मार्च 2030 से 31 मार्च 2034                                            | 30.21    |
| 10 वर्ष से अधिक                                                           | 302.22   |
| ख. 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान |          |
| ग. परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि                                 | 13 years |
| घ. 31 मार्च 2024 को अर्जित लाभ दायित्व                                    | 60.00    |
| ड. 31 मार्च 2024 तक योजना परिसंपत्ति की जानकारी                           |          |
| भारत सरकार प्रतिभूतियाँ (केन्द्रीय एवं राज्य)                             | 0.00%    |
| उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)        | 0.00%    |
| सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर                                         | 0.00%    |
| संपत्ति                                                                   | 0.00%    |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| नकद (विशेष जमा सहित)                                       | 0.00%   |
| बीमा योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद                             | 100.00% |
| बीमा योजनाएँ - यूलिप उत्पाद                                | 0.00%   |
| अन्य                                                       | 0.00%   |
| कुल                                                        | 100.00% |
| च. 31 मार्च 2024 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का ब्यौरा |         |
| वर्तमान में दायित्व                                        | 12.67   |
| गैर-वर्तमान देयता                                          | 111.50  |
| 31 मार्च 2024 तक देयता                                     | 124.18  |

## तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रकटीकरण आइटम

(₹ करोड़ में)

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| 31 मार्च 2024 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ          | 124.18 |
| छूट की दर                                         |        |
| 31 मार्च 2024 तक छूट दर                           | 7.00%  |
| छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव | 7.13   |
| प्रतिशत प्रभाव                                    | (6%)   |
| छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव    | 7.92   |
| प्रतिशत प्रभाव                                    | 6%     |

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| वेतन वृद्धि दर                                            | वृद्धि                         |
| 31 मार्च 2024 तक वेतन वृद्धि दर                           | अधिकारी: 9%<br>कर्मचारी: 6.25% |
| वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव | 7.78                           |
| प्रतिशत प्रभाव                                            | 6%                             |
| वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण DBO पर प्रभाव      | (7.08)                         |
| प्रतिशत प्रभाव                                            | (6)%                           |

## 31.03.2024 तक सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ का वास्तविक मूल्यांकन

IND AS 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

## तालिका 1:

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | क. लाभ और हानि (पी एंड एल)     | 31.03.2024 |
|------------|--------------------------------|------------|
| 1.37       | वर्तमान सेवा लागत              | 1.65       |
| -          | पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन | -          |
| -          | कटौती लागत / (क्रेडिट)         | -          |
| -          | निपटान लागत / (क्रेडिट)        | -          |

|      |                                                                   |      |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1.37 | सेवा लागत                                                         | 1.65 |
| 2.77 | शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज            | 0.39 |
| -    | (लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं | -    |
| 4.14 | P&L में मान्यता प्राप्त लागत                                      | 2.04 |

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | ख: अन्य व्यापक आय (ओसीआई)                            | 31.03.2024 |
|------------|------------------------------------------------------|------------|
| (24.26)    | डीबीओ अनुभव के कारण एकचुरियल (लाभ)/हानि              | 4.02       |
| (4.70)     | डीबीओ धारणा में परिवर्तन के कारण एकचुरियल (लाभ)/हानि | 2.83       |
| (28.96)    | अवधि के दौरान होने वाली एकचुरियल (लाभ)/हानि          | 6.86       |
| 0.14       | योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम   | 0.58       |
| (28.82)    | ओसीआई में मान्यता प्राप्त एकचुरियल (लाभ)/ हानि       | 7.43       |

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | ग: परिभाषित लाभ लागत                                              | 31.03.2024 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.37       | सेवा लागत                                                         | 1.65       |
| 2.77       | शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज            | 0.39       |
| (28.82)    | ओसीआई में मान्यता प्राप्त एकचुरियल (लाभ)/ हानि                    | 7.43       |
| -          | (लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं | -          |
| (24.68)    | परिभाषित लाभ लागत                                                 | 9.47       |

| 31.03.2022 | घ: निम्नलिखित मान्यताएं: | 31.03.2023 |
|------------|--------------------------|------------|
| 6.85%      | छूट की दर                | 7.30%      |
| 0.00%      | चिकित्सा मुद्रास्फीति दर | 0.00%      |

तालिका 2:

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | क: नेट बैलेंस शीट स्थिति का विकास         | 31.03.2024 |
|------------|-------------------------------------------|------------|
| (88.32)    | परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)              | (93.96)    |
| 78.48      | योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए) | 83.63      |
| (9.84)     | वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]         | (10.33)    |
| -          | परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव                 | -          |
| (9.84)     | शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)     | -          |



# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | ख: शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का समाधान                          | 31.03.2024 |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| (46.89)    | पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)   | (9.84)     |
| (1.37)     | सेवा लागत                                                     | (1.65)     |
| (2.77)     | शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज          | (0.39)     |
| 28.82      | ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि                                | (7.43)     |
| 12.37      | नियोक्ता योगदान                                               | 8.99       |
| -          | कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ                         | -          |
| -          | अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)                                      | -          |
| -          | divestitures                                                  | -          |
| -          | समाप्ति लाभ की लागत                                           | -          |
| (9.84)     | वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता) | (10.33)    |

| 31.03.2023 | ग: निम्नलिखित मान्यताएं: | 31.03.2024 |
|------------|--------------------------|------------|
| 7.30%      | छूट की दर                | 7.00%      |
| 0.00%      | चिकित्सा मुद्रास्फीति दर | 0.00%      |

तालिका 3:

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | क: परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन | 31.03.2024 |
|------------|----------------------------------------------|------------|
| 114.75     | पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ                  | 88.32      |
| 1.37       | वर्तमान सेवा लागत                            | 1.65       |
| 7.58       | डीबीओ पर ब्याज लागत                          | 6.12       |
| -          | कटौती (क्रेडिट)/ लागत                        | -          |
| -          | निपटान (ऋण)/ लागत                            | -          |
| -          | पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन               | -          |
| -          | अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत                     | -          |
| (24.26)    | एकचुरियल (लाभ)/हानि - अनुभव                  | 4.02       |
| -          | एकचुरियल (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय मान्यताएँ | -          |
| (4.70)     | एकचुरियल (लाभ)/हानि - वित्तीय मान्यताएं      | 2.84       |
| -          | कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ   | -          |
| (6.42)     | योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ     | (8.99)     |
| 88.32      | वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ                | 93.96      |

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2023 | ख: परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन         | 31.03.2024 |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 67.86      | पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य   | 78.48      |
| -          | अधिग्रहण समायोजन                                    | -          |
| 4.81       | योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय                     | 5.73       |
| 12.37      | नियोक्ता योगदान                                     | 8.99       |
| (0.14)     | योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)   | (0.58)     |
| (6.42)     | भुगतान किये गये लाभ                                 | (8.99)     |
| 78.48      | वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 83.63      |

तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

(₹ करोड़ में)

| क. समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान |         |
|-------------------------------------------|---------|
| 31 मार्च, 2025                            | 6.54    |
| 31 मार्च, 2026                            | 6.93    |
| 31 मार्च, 2027                            | 7.17    |
| 31 मार्च, 2028                            | 7.29    |
| 31 मार्च, 2029                            | 7.42    |
| 31 मार्च 2030 से 31 मार्च 2034            | 37.60   |
| 10 वर्ष से अधिक                           | 159.73  |
| परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि    | 11 वर्ष |
| 31 मार्च 2024 को अर्जित लाभ दायित्व       | 93.96   |

तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रकटीकरण आइटम

(₹ करोड़ में)

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| 31 मार्च 2024 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ          | 93.96  |
| छूट की दर                                         |        |
| 31 मार्च 2024 तक छूट दर                           | 7%     |
| छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव | (4.64) |
| प्रतिशत प्रभाव                                    | (5)%   |
| छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव    | 5.10   |
| प्रतिशत प्रभाव                                    | 5%     |

## 4.अमान्य वस्तुएं:

### क) आकस्मिक देयताएं ( भारतीय लेखा मानक-37)

कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (जहां भी लागू हो, ब्याज सहित)

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | व्यौरा                                            | केंद्र सरकार | राज्य सरकार और अन्य स्थानीय निकाय | सीपीएसई | अन्य  | कुल    |
|----------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|-------|--------|
| 1        | 01.04.2022 को खुलने की तिथि                       | 169.50       |                                   |         | 4.24  | 173.74 |
| 2        | अवधि के दौरान वृद्धि                              | 33.42        |                                   |         | 8.24  | 41.66  |
| 3        | इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे                   | 11.53        |                                   |         | 1.48  | 13.01  |
|          | क. प्रारंभिक शेष राशि से                          | 11.53        |                                   |         | 1.01  | 12.54  |
|          | ख. समाप्त अवधि के दौरान अतिरिक्त                  | 0            |                                   |         | 0.47  | 0.47   |
|          | ग. समाप्त अवधि के दौरान निपटाए गए कुल दावे (ए+बी) | 11.53        |                                   |         | 1.48  | 13.01  |
| 4        | 31.03.2023 को समापन                               | 191.39       |                                   |         | 11.00 | 202.39 |

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | व्यौरा                                            | केंद्र सरकार | राज्य सरकार और अन्य स्थानीय निकाय | सीपीएसई | अन्य  | कुल    |
|----------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|-------|--------|
| 1        | 01.04.2023 को खुलने की तिथि                       | 191.39       |                                   |         | 11.00 | 202.39 |
| 2        | अवधि के दौरान वृद्धि                              | 2.03         |                                   |         | -     | 2.03   |
| 3        | इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे                   | -            |                                   |         | -     | -      |
|          | ए प्रारंभिक शेष राशि से                           | 1.19         |                                   |         | 6.83  | 8.02   |
|          | बी समाप्त अवधि के दौरान अतिरिक्त                  | -            |                                   |         | -     | -      |
|          | सी समाप्त अवधि के दौरान निपटाए गए कुल दावे (ए+बी) | 1.19         |                                   |         | 6.83  | 8.02   |
| 4        | 31.03.2024 को समापन                               | 192.23       |                                   |         | 4.17  | 196.40 |

आकस्मिक देयता

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | विवरण                                                                                                                                                       | 31.03.2024 तक राशि                    | 31.03.2023 तक राशि                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1        | केंद्र सरकार<br>आयकर<br>केंद्रीय उत्पाद शुल्क<br>स्वच्छ ऊर्जा उपकर<br>केंद्रीय बिक्री कर<br>सेवा कर<br>अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)<br>कुल                  | 123.20<br><br><br>69.03<br><br>192.23 | 122.36<br><br><br>69.03<br><br>191.39 |
| 2        | राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण<br>रॉयल्टी<br>पर्यावरण मंजूरी<br>बिक्री कर/वैट<br>प्रवेश कर<br>बिजली शुल्क<br>एमएडीए<br>अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)<br>कुल |                                       |                                       |
| 3        | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम<br>मध्यस्थता कार्यवाही<br>कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर<br>अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)<br>कुल                                 |                                       |                                       |
| 4        | अन्य : (यदि कोई हो)<br>विविध<br>कुल                                                                                                                         | 4.17<br>4.17                          | 11.00<br>11.00                        |
|          | <b>कुल योग</b>                                                                                                                                              | <b>196.40</b>                         | <b>202.39</b>                         |

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत मामलों के निपटान में कोई रुचि अपेक्षित नहीं है, सिवाय इसके कि जहां प्रबंधन का प्रतिकूल दृष्टिकोण हो।

**ख) प्रतिबद्धताएं (इंड एस-37)**

अन्य के लिए प्रावधान न किए गए पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि है ₹14.99 करोड़ ( ₹ 6.77 करोड़)।

अन्य प्रतिबद्धताएं ₹ 299.23 करोड़ ( ₹ 167.49 करोड़) हैं।

**ग. गारंटी**

कंपनी ने ₹0.14 करोड़ (₹0.14 करोड़) की बैंक गारंटी दी है, जिसके लिए कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर फ्लोटिंग चार्ज है।

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



(घ) प्रति शेयर आय (इंडएएस 33)

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | विवरण                                                                    | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| i)       | इक्विटी शेयरधारकों को देय कर के पश्चात शुद्ध लाभ रुपए (करोड़ में)        | 503.23                           | 296.66                           |
| ii)      | बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या                                 | 1428000                          | 1428000                          |
| iii)     | रुपये में प्रति शेयर मूल और तनु आय (अंकित मूल्य 1000/- रुपये प्रति शेयर) | 3524.02                          | 2077.45                          |

ड) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (आईएनडी एस-24)

## संबंधित पक्षों की सूची

i) सहयोगी कंपनियाँ

- 1) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)
- 2) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
- 3) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
- 4) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
- 5) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
- 6) नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
- 7) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
- 8) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ----- होल्डिंग कंपनी

ii) रोजगारोत्तर लाभ निधि एवं अन्य:

- 1) कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड
- 2) कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)
- 3) कोल इंडिया सुपरएनुएशन बेनिफिट फंड ट्रस्ट
- 4) गैर-कार्यकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना संशोधित
- 5) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट
- 5) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक



iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

(₹ करोड़ में)

| नाम                    | पद का नाम                | प्रभावी तिथि                |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| मनोज कुमार             | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक | 04.10.2021                  |
| बी. वीरा रेड्डी        | अंशकालिक आधिकारिक निदेशक | 24.02.2022                  |
| मनोज कुमार गुप्ता      | अंशकालिक आधिकारिक निदेशक | 22.02.2023 से 27.12.2023 तक |
| आरएन झा                | निदेशक तकनीकी            | 30.01.2019 से 31.08.2023 तक |
| सतेन्द्र कुमार गोमस्ता | निदेशक तकनीकी            | 25.02.2020 से 30.09.2023 तक |
| शंकर नागचारी           | निदेशक तकनीकी            | 02.09.2022                  |
| सतीश झा                | निदेशक तकनीकी            | 01.09.2023                  |
| अजय कुमार              | निदेशक तकनीकी            | 26.10.2022                  |
| पीके प्रसाद            | मुख्य वित्तीय अधिकारी    | 01.04.2021 से 31.08.2023 तक |
| उज्जल चटर्जी           | मुख्य वित्तीय अधिकारी    | 01.09.2023 से 31.10.2023 तक |
| अभिषेक मूंदड़ा         | कंपनी सचिव               | 18.02.2016                  |
| अजितेश कुमार           | अंशकालिक आधिकारिक निदेशक | 27.12.2023                  |
| अच्युत घटक             | निदेशक(तकनीकी)           | 01.10.2023                  |
| एस.बी. तिवारी          | मुख्य वित्तीय अधिकारी    | 01.11.2023                  |

iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | विवरण                                                                                      | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| i)       | अल्पावधि कर्मचारी लाभ                                                                      |                                  |                                  |
| क)       | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान | 4.27                             | 2.85                             |
| ख)       | स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस                                                          | 0                                | 0.05                             |
| ii)      | नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ                                                                | 0.76                             | 0.56                             |
| iii)     | अन्य दीर्घकालिक लाभ                                                                        | 4.56                             | 2.43                             |
| iv)      | समाप्ति लाभ                                                                                | -                                | -                                |
| v)       | शेयर आधारित भुगतान                                                                         | -                                | -                                |
|          | <b>कुल</b>                                                                                 | <b>9.59</b>                      | <b>5.89</b>                      |

टिप्पणी:

- (i) इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹ 2000 प्रति माह के भुगतान पर 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

## प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया संतुलन

(₹ करोड़ में)

| Sl. No. | विवरण        | 31.03.2024 तक | 31.03.2023 तक |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| i)      | देय राशि     | शून्य         | शून्य         |
| ii)     | प्राप्य राशि | शून्य         | शून्य         |

- कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां उन फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

## समूह के भीतर संबंधित पक्ष लेन-देन

कंपनी एक सरकारी संबंधित इकाई होने के कारण नियंत्रक सरकार और उसी सरकार के अधीन किसी अन्य इकाई के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन और बकाया शेष राशि के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से मुक्त है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे किए गए हैं।

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

(₹ करोड़ में)

| संबंधित पक्षों का नाम                     | संबंधित पक्षों को ऋण | संबंधित पक्षों से ऋण | शीर्ष प्रभार | पुनर्वास शुल्क | पट्टा किराया आय | सहायक कंपनियों द्वारा जमा की गई धन राशि पर ब्याज | आईआई सीएम शुल्क | कोई अन्य (बिक्री) | चालू खाता शेष (देय/प्राप्य) | बकाया शेष राशि (देय/प्राप्य) |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)        |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 94.62             |                             | 94.81                        |
| भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)        |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 53.02             |                             | 35.28                        |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)       |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 192.87            |                             | 146.43                       |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 175.13            |                             | 41.79                        |
| साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 380.01            |                             | 259.37                       |
| नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)      |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 126.57            |                             | 18.55                        |
| महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)        |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 110.80            |                             | 49.17                        |
| कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)               |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 13.07             | 57.85                       | 18.45                        |

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

(₹ करोड़ में)

| संबंधित पक्षों का नाम                     | संबंधित पक्षों को ऋण | संबंधित पक्षों से ऋण | शीर्ष प्रभार | पुनर्वास शुल्क | पट्टा किराया आय | सहायक कंपनियों द्वारा जमा की गई धन राशि पर ब्याज | आईआई सीएम शुल्क | कोई अन्य (बिक्री) | चालू खाता शेष (देय/प्राप्य) | बकाया शेष राशि (देय/प्राप्य) |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)        |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 126.28            |                             | 102.25                       |
| भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)        |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 89.09             |                             | 53.07                        |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)       |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 237.02            |                             | 127.56                       |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 225.35            |                             | 68.85                        |
| साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 550.97            |                             | 324.87                       |
| नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)         |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 197.96            |                             | 29.47                        |
| महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)        |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 191.32            |                             | 77.96                        |
| कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)               |                      |                      |              |                |                 |                                                  |                 | 17.81             | 60.58                       | 21.61                        |

**च. चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि।**

सामान्य व्यवसाय क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

**छ. शेष राशि की पुष्टि**

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ईमेल भी आवधिक आधार पर भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है, तो उसकी पुष्टि/समाधान के समय उसका हिसाब लगाया जाएगा और परिणामों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

**ज) सेगमेंट रिपोर्टिंग**

कंपनी का मुख्य व्यवसाय परामर्श सेवाएँ हैं। कंपनी की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस प्रकार, कंपनी के लिए कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

**(झ) विखंडित राजस्व जानकारी:-**

(₹ करोड़ में)

|                                               | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2024 | समाप्त वर्ष के लिए<br>31.03.2023 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>माल या सेवा के प्रकार</b>                  |                                  |                                  |
| -कोयला                                        |                                  |                                  |
| -अन्य                                         | 1732.69                          | 1386.09                          |
| <b>ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कुल राजस्व</b> | 1732.69                          | 1386.09                          |
| <b>ग्राहकों के प्रकार</b>                     |                                  |                                  |
| -बिजली क्षेत्र                                | 20.27                            | 43.53                            |
| -गैर-विद्युत क्षेत्र                          | 1712.43                          | 1342.56                          |
| -अन्य या सेवाएं (सीएमपीडीआईएल)                | -                                | -                                |
| <b>ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कुल राजस्व</b> | 1732.69                          | 1386.09                          |
| <b>अनुबंध के प्रकार</b>                       |                                  |                                  |
| -एफएसए                                        |                                  |                                  |
| -ई नीलामी                                     |                                  |                                  |
| -अन्य                                         | 1732.69                          | 1386.09                          |
| <b>ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कुल राजस्व</b> | 1732.69                          | 1386.09                          |
| <b>कुल मुनाफा</b>                             | 1732.69                          | 1386.09                          |
| <b>सीआईएल समूह पराया</b>                      | 1387.72<br>344.97                | 1146.10<br>239.99                |
| <b>माल या सेवा का समय</b>                     |                                  |                                  |
| -किसी समय पर स्थानांतरित किया गया माल         | 856.00                           |                                  |
| -समय के साथ स्थानांतरित किया गया माल          |                                  |                                  |
| -किसी समय पर स्थानांतरित की गई सेवा           | 876.69                           | 394.14                           |
| -समय के साथ हस्तांतरित सेवा                   |                                  | 991.95                           |
| <b>ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कुल राजस्व</b> | 1732.69                          | 1386.09                          |



## (ज) अनुपात

### क. वर्तमान अनुपात

| 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए | झगड़ा |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| 3.96                             | 2.67                             | 1.29  |

चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मौजूदा संसाधनों को मापता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।

### ख. इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल

| 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए | भिन्नता |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 35.83%                           | 26.81%                           | 9.02%   |

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जिसकी गणना पीएटी को औसत शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है। जहाँ औसत शेयरधारकों की इक्विटी = (प्रारंभिक इक्विटी + समापन इक्विटी)/2. अन्य इक्विटी में पूंजी रिजर्व शामिल नहीं है।

### ग. व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात

| 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए | भिन्नता |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1.91                             | 1.69                             | 0.22    |

प्राप्य टर्नओवर अनुपात एक लेखा माप है जिसका उपयोग किसी कंपनी की अपने प्राप्य खातों या ग्राहकों द्वारा बकाया राशि को इकट्ठा करने में प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जाता है। प्राप्य खातों का टर्नओवर = शुद्ध ऋण बिक्री/औसत व्यापार प्राप्य

### घ. शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात

| 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए | भिन्नता |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1.23                             | 1.39                             | (0.16)  |

नेट कैपिटल टर्नओवर वह माप है जो व्यवसाय में नियोजित पूंजी के उपयोग के संबंध में संगठन की दक्षता को इंगित करता है और इसकी गणना उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की मात्रा से विभाजित शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में की जाती है। नेट कैपिटल टर्नओवर अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी

शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाकर की जाएगी।

कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों में से चालू देनदारियों को घटाकर की जाएगी।

**ड. शुद्ध लाभ अनुपात**

| 31.03.2024 को समाप्त<br>वर्ष के लिए | 31.03.2023 को समाप्त<br>वर्ष के लिए | भिन्नता |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 29.04%                              | 21.40%                              | 7.64%   |

यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है।

शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री

शुद्ध लाभ कर के पश्चात होगा।

शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाकर की जाएगी।

**च. नियोजित पूंजी पर रिटर्न**

| 31.03.2024 को समाप्त<br>वर्ष के लिए | 31.03.2023 को समाप्त<br>वर्ष के लिए | भिन्नता |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 43.93%                              | 29.61%                              | 14.32%  |

नियोजित पूंजी पर रिटर्न किसी कंपनी के प्रबंधन की ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उतनी ही कुशलता से पूंजी का उपयोग किया जाएगा।

आरओसीई = ब्याज और कर से पहले की कमाई / नियोजित पूंजी

नियोजित पूंजी = मूर्त निवल संपत्ति + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता

**(ट) पट्टा**

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 30 मार्च, 2019 की अधिसूचना के अनुसार भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 116, लीज 01.04.2019 से कंपनी के लिए प्रभावी हो गया है, जिसने इंड एस 17, लीज की जगह ले ली है। इंड एस 116 के अनुसार लीज पर लेखा नीति बदल दी गई है। इंड एस 116, लीज का मुख्य परिवर्तन वर्तमान में ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकृत लीज के पट्टेदारों द्वारा लेखा उपचार में परिवर्तन है। लीज समझौतों ने कंपनी के पट्टेदार होने के मामले में भविष्य के लीज भुगतान के लिए उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और लीज देयता की मान्यता को जन्म दिया है।

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त पट्टा देयता की गणना के लिए 6.80% और 7.30% को पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर के रूप में उपयोग किया गया है।

31.03.2024 तक परिचालन पट्टे के संबंध में पट्टा देयता प्रतिबद्धता, उपरोक्त पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी गई, ₹1.56 करोड़ थी, जबकि 31.03.2024 तक बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त पट्टा देयता ₹1.31 करोड़ है।

**(ठ) लेखांकन नीति में अद्यतनीकरण:**

लेखा नीति में अद्यतनीकरण कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए अद्यतनीकरण के अनुरूप किया गया है, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित IndAS में संशोधन के अनुसार है जिसे 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी या स्वैच्छिक बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय विवरण की बेहतर समझ और बेहतर प्रस्तुति के लिए ये बदलाव किए गए हैं।

| क्रम सं. | पुरानी नीति | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | शून्य       | <p><b>ख. अनुपालन विवरण और हालिया लेखांकन घोषणाएँ</b></p> <p><b>ii) अनुपालन का बयान</b><br/> ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (जिसे आगे "इंड एस" कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित किया गया है। जारी किए गए, अधिसूचित किए गए और वित्तीय विवरणों को अधिकृत किए जाने तक प्रभावी बनाए गए इंड एस और इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से विचार किया गया है।<br/> लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां एक नया जारी किया गया लेखांकन मानक आरंभ में अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक प्रयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।</p> <p><b>iii) नये एवं संशोधित मानकों का अनुप्रयोग:</b></p> <p>01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी, कंपनी ने मौजूदा भारतीय लेखा मानक में संशोधन को अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 के तहत संशोधनों को अपनाया है। कंपनी के संचालन के लिए प्रासंगिक सीमा तक ये संशोधन भारतीय लेखा मानक 16 "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" से संबंधित थे, जो स्पष्ट करता है कि उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय का परीक्षण की लागत, यदि कोई हो, से अधिक होने पर लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, बल्कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागतों से घटाया जाएगा और भारतीय लेखा मानक 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां" जो निर्दिष्ट करता है कि अनुबंध को 'पूरा करने की लागत' में 'सीधे अनुबंध से संबंधित लागतें' शामिल हैं। किसी अनुबंध से सीधे संबंधित लागतें या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागतें हो सकती हैं</p> | <p>i) अनुपालन विवरण और हालिया लेखा विवरण</p> <p>ii) नए और संशोधित मानकों का अनुप्रयोग</p> <p>दोनों अनुच्छेद नए हैं जो नीति की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में बताते हैं और नए और संशोधित मानकों के अनुप्रयोग और प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं।</p> | शून्य प्रभाव      |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                            | प्रभाव/टिप्पणियाँ                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>(उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं (अनुबंध को पूरा करने में प्रयुक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मूल्यहास प्रभार का आवंटन इसका एक उदाहरण होगा)।</p> <p>भारतीय लेखा मानक 101 "भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना", भारतीय लेखा मानक 103 "व्यावसायिक संयोजन", भारतीय लेखा मानक 109 "वित्तीय उपकरण", और भारतीय लेखा मानक 41 "कृषि" सहित विभिन्न मानकों में अन्य संशोधन किए गए थे, जिन्हें ऊपर सूचीबद्ध नहीं किया गया है क्योंकि ये कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।</p> <p>इन मानकों में संशोधन से वर्ष के लिए लाभ/हानि और प्रति शेयर आय पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा।</p> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
| 2.       | <p>नोट-2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति</p> <p><b>2.1 तैयारी का आधार</b></p> <p>कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।</p> <p>वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय इसके कि</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ।</li> <li>➤ परिभाषित लाभ योजनाएँ- उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ;</li> <li>➤ लागत या एनआरवी पर इन्वेंटरी, जो भी कम हो।</li> </ul> | <p>नोट-2 सामग्री लेखांकन नीति</p> <p><b>2.1 तैयारी का आधार</b></p> <p>वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक के अनुसार मापा जाता है।</p> <p>ऐतिहासिक लागत परंपरा सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>पुरानी नीति कॉलम में रेखांकित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन के पैरा को यहां से हटा दिया गया है तथा अनुपालन विवरण में बिंदु संख्या-1 पर जोड़ दिया गया है तथा ऐतिहासिक लागत परंपरा से संबंधित पैरा को बदल दिया गया है। यह INDAS के अनुरूप है।</p> | <p>चालू वर्ष या अगले वर्ष में इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।</p> |



| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | परिवर्तन                                                                                                                            | प्रभाव/टिप्पणियाँ                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3.       | <b>2.1.1 राशियों का पूर्णांकन</b><br>इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जब तक अन्यथा न बताया गया हो, दो दशमलव अंकों तक 'करोड़ रुपए में' पूर्णांकित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह काम करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव अंकों तक 'करोड़ रुपए में' पूर्णांकित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | यहां नई नीति कॉलम में रेखांकित कार्यात्मक मुद्रा के संबंध में विदेशी मुद्रा के पैरा 2.12 को जोड़ा गया है। यह आईएनडीएस के अनुरूप है। | इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।               |
| 4.       | <b>2.2 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मौजूदा नीति के अंत में नई नीति कॉलम में रेखांकित नया पैरा जोड़ा गया है, जो परिचालन चक्र के संबंध में है। यह आईएनडीएस के अनुरूप है।  | इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।               |
| 5.       | <b>2.3 राजस्व मान्यता</b><br><b>ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व</b><br>ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि वह अपनी राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह आम तौर पर ग्राहक को हस्तांतरित करने से पहले माल या सेवाओं को नियंत्रित करती है।<br><br>भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है: | <b>2.3 राजस्व मान्यता</b><br><b>ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व</b><br>राजस्व मुख्य रूप से संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से राजस्व तब पहचाना जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब उत्पाद ग्राहक को वितरित किए जाते हैं। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, जैसा भी मामला हो, और नुकसान के जोखिम बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, सबसे संभावित विधि का उपयोग करते हुए, और राजस्व को केवल उस सीमा तक पहचाना जाता है, जब यह अत्यधिक संभावित हो कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है क्योंकि बिक्री अनुबंधों के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम होती हैं। | राजस्व मान्यता के चरणवार विवरण को हटा दिया गया है। राजस्व मान्यता के लिए नई नीति कॉलम में रेखांकित सरल पैरा पेश किया गया है।        | इस परिवर्तन से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। |



| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नई नीति                                                                                                                  | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|          | <p>कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध तभी करती है जब निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं:</p> <p>क.अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;</p> <p>ख.कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान कर सकती है;</p> <p>ग.कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान शर्तों की पहचान कर सकती है;</p> <p>घ.अनुबंध में वाणिज्यिक सार है (अर्थात् अनुबंध के परिणामस्वरूप कंपनी के भावी नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि में परिवर्तन होने की संभावना है); तथा</p> <p>ड.यह संभव है कि कंपनी ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में वह प्रतिफल प्राप्त करेगी जिसकी वह हकदार होगी। प्रतिफल की वह राशि जिसके लिए कंपनी हकदार होगी, अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस या इसी तरह की वस्तुओं की हकदार हो सकती है।</p> | <p>अलग प्रदर्शन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से विचार का अधिकार सीधे हमारे आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन से मेल खाता है।</p> |          |                   |



| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नई नीति | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
|          | <p><b>अनुबंधों का संयोजन</b></p> <p>कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ एक ही समय में या उसके निकट किए गए दो या अधिक अनुबंधों को संयोजित करती है तथा निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदंड पूरे होने पर उन अनुबंधों को एकल अनुबंध के रूप में लेखाबद्ध करती है:</p> <p>क. अनुबंधों पर एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है;</p> <p>ख. एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली प्रतिफल राशि दूसरे अनुबंध की कीमत या निष्पादन पर निर्भर करती है; या</p> <p>ग. अनुबंधों में वादा किए गए सामान या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एकल निष्पादन दायित्व हैं।</p> <p><b>अनुबंध संशोधन</b></p> <p>यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियाँ मौजूद हों तो कंपनी अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में लेखाबद्ध करेगी:</p> <p>क. अनुबंध का दायरा बढ़ जाता है क्योंकि वादा किए गए सामान या सेवाओं को इसमें जोड़ दिया जाता है जो अलग-अलग होते हैं और</p> <p>ख. अनुबंध की कीमत में प्रतिफल की एक राशि की वृद्धि होती है जो कंपनी द्वारा वादा किए गए अतिरिक्त माल या सेवाओं के एकल विक्रय मूल्यों को दर्शाती</p> |         |          |                   |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नई नीति | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
|          | <p>है, तथा उस मूल्य में किसी भी उपयुक्त समायोजन को दर्शाती है जो विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को दर्शाता है।</p> <p><b>चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान करना:</b></p> <p>अनुबंध के आरंभ में, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए सामान या सेवाओं का मूल्यांकन करती है और ग्राहक को हस्तांतरित करने के प्रत्येक वादे को निष्पादन दायित्व के रूप में पहचानती है:</p> <p>क. कोई वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का समूह) जो अलग हो; या</p> <p>ख. विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो मूलतः एक जैसी होती हैं तथा जिनका ग्राहक को हस्तांतरण का पैटर्न भी समान होता है।</p> <p><b>चरण 3: लेनदेन मूल्य का निर्धारण</b></p> <p>कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और अपनी प्रथागत व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन की कीमत वह प्रतिफल राशि है, जिसके लिए कंपनी को किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद है, जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है। ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में निश्चित राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।</p> |         |          |                   |



| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नई नीति | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
|          | <p>लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी प्रभावों पर विचार करती है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-परिवर्तनीय निर्णय;</li> <li>-परिवर्तनशील विचार के अनुमानों को सीमित करना;</li> <li>-महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;</li> <li>-गैर-नकद प्रतिफल;</li> <li>-ग्राहक को देय प्रतिफल।</li> </ul> <p>छूट, रियायत, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है यदि कंपनी का प्रतिफल पाने का अधिकार भविष्य में किसी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है।</p> <p>कुछ अनुबंधों में दंड निर्दिष्ट होते हैं। ऐसे मामलों में, दंड का हिसाब अनुबंध के सार के अनुसार लगाया जाता है। जहां जुर्माना लेनदेन मूल्य के निर्धारण में निहित है, यह परिवर्तनशील विचार का हिस्सा बनता है।</p> <p>कंपनी लेन-देन मूल्य में अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल की कुछ या पूरी राशि को केवल इस सीमा तक शामिल करती है कि यह अत्यधिक संभावित है कि परिवर्तनीय प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितता के बाद में समाधान हो जाने पर मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा।</p> |         |          |                   |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नई नीति | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
|          | <p>कंपनी किसी महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की वादा की गई राशि को समायोजित नहीं करती है, यदि वह अनुबंध के आरंभ में यह अपेक्षा करती है कि जब वह वादा किया गया माल या सेवा ग्राहक को हस्तांतरित करती है और जब ग्राहक उस माल या सेवा के लिए भुगतान करता है, के बीच की अवधि एक वर्ष या उससे कम होगी।</p> <p>कंपनी रिफंड देयता को मान्यता देती है यदि कंपनी किसी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल का कुछ या पूरा हिस्सा वापस करने की अपेक्षा करती है। रिफंड देयता को प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) की राशि पर मापा जाता है जिसके लिए कंपनी हकदार होने की अपेक्षा नहीं करती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में रिफंड देयता (और लेनदेन मूल्य में संगत परिवर्तन और, इसलिए, अनुबंध देयता) को अपडेट किया जाता है।</p> <p>अनुबंध के आरंभ के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं, जो उस प्रतिफल की राशि को बदल देते हैं, जिसकी कंपनी वादा किए गए माल या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।</p> |         |          |                   |





| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नई नीति | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
|          | <p><b>चरण 4: लेनदेन मूल्य का आवंटन:</b></p> <p>लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय उद्देश्य यह होता है कि कंपनी प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) के लिए लेन-देन मूल्य का आवंटन उस राशि में करे जो उस प्रतिफल की राशि को दर्शाती हो जिसकी कंपनी, वादा किए गए माल या सेवाओं को ग्राहक को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।</p> <p>सापेक्ष एकल विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट माल या सेवा के अनुबंध के प्रारंभ में एकल विक्रय मूल्य का निर्धारण करती है और उन एकल विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेनदेन मूल्य आवंटित करती है।</p> <p><b>चरण 5: राजस्व की पहचान:</b></p> <p>कंपनी राजस्व को तब पहचानती है जब (या जब) कंपनी किसी ग्राहक को वादा किया गया सामान या सेवा हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। कोई सामान या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जब) ग्राहक उस सामान या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।</p> <p>कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए, निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और समय के</p> |         |          |                   |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नई नीति | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
|          | <p>साथ राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक पूरा होता है:</p> <p>क. ग्राहक कंपनी के प्रदर्शन के साथ-साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है;</p> <p>ख. कंपनी का प्रदर्शन किसी परिसंपत्ति का सृजन या संवर्धन करता है जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है क्योंकि परिसंपत्ति का सृजन या संवर्धन किया जाता है;</p> <p>ग. कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग वाली कोई परिसंपत्ति निर्मित नहीं करता है और कंपनी के पास आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान पाने का प्रवर्तनीय अधिकार है।</p> <p>समय के साथ पूरी की गई प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व की पहचान करती है।</p> <p>कंपनी समय के साथ पूरी की गई प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के लिए प्रगति मापने की एक ही विधि लागू करती है और कंपनी उस विधि को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ पूरी की गई निष्पादन बाध्यता की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को फिर से मापती है।</p> |         |          |                   |



| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नई नीति | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
|          | <p>कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष आज तक हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व को पहचानने के लिए आउटपुट विधियों को लागू करती है। आउटपुट विधियों में आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन, प्राप्त मील के पत्थर, बीता हुआ समय और उत्पादित या वितरित इकाइयाँ जैसी विधियाँ शामिल हैं।</p> <p>जैसे-जैसे समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने के लिए अपनी प्रगति के माप को अपडेट करती है। कंपनी की प्रगति के माप में ऐसे बदलावों को भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियों, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुसार लेखा अनुमान में बदलाव के रूप में दर्ज किया जाता है।</p> <p>कंपनी समय के साथ संतुष्ट किए गए प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी मान्यता देती है जब कंपनी प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है। जब (या जैसे ही) प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है, तो कंपनी लेनदेन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है (जिसमें</p> |         |          |                   |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नई नीति | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
|          | <p>उन परिवर्तनीय प्रतिफलों के अनुमान शामिल नहीं होते हैं जो उस प्रदर्शन दायित्व को आवंटित किए जाते हैं।</p> <p>यदि समय के साथ निष्पादन दायित्व पूरा नहीं होता है, तो कंपनी किसी समय पर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। समय के उस बिंदु को निर्धारित करने के लिए जिस पर ग्राहक वादा किए गए सामान या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:</p> <p>क. कंपनी को वर्तमान में वस्तु या सेवा के लिए भुगतान का अधिकार है;</p> <p>ख. ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी अधिकार है;</p> <p>ग. कंपनी ने वस्तु या सेवा का भौतिक कब्ज़ा हस्तांतरित कर दिया है;</p> <p>घ. ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हैं;</p> <p>ड. ग्राहक ने वस्तु या सेवा स्वीकार कर ली है।</p> <p>जब किसी अनुबंध के किसी भी पक्ष ने अनुबंध पूरा कर लिया है, तो कंपनी अनुबंध को बैलेंस शीट में अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है, जो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध</p> |         |          |                   |



| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नई नीति | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
|          | <p>पर निर्भर करता है। कंपनी किसी भी बिना शर्त के अधिकार को अलग से प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करती है।</p> <p><b>अनुबंध परिसंपत्तियां:</b></p> <p>अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल पाने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा प्रतिफल का भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करके कार्य करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है जो सशर्त है।</p> <p><b>व्यापार प्राप्तियां:</b></p> <p>प्राप्य राशि, कंपनी के उस अधिकार को दर्शाती है जो बिना शर्त के है (अर्थात्, प्रतिफल राशि का भुगतान होने से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है)।</p> <p><b>अनुबंध देयताएं:</b></p> <p>अनुबंध दायित्व ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि देय है) प्राप्त किया है। यदि ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या</p> |         |          |                   |



| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नई नीति                                                                                                                                                                                                       | परिवर्तन                                                                                                                                                                                                    | प्रभाव/टिप्पणियाँ                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है।</p> <p><b>दिलचस्पी</b></p> <p>ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।</p> <p><b>लाभांश</b></p> <p>निवेश से लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।</p> <p><b>अन्य दावे</b></p> <p>अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) का लेखा तब किया जाता है, जब वसूली निश्चित हो और उसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।</p> |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
| 6.       | <b>2.4 सरकार से अनुदान</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रवर्तक के योगदान के रूप में सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे "पूँजी रिजर्व" में मान्यता दी जाती है जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा बनती है।                                                                     | नई नीति कॉलम में रेखांकित नया पैरा सरकारी अनुदान या प्रमोटरों के अंशदान की प्रकृति के अनुदान के संबंध में जोड़ा गया है। यह आईएनडीएस के अनुरूप है।                                                           | चूंकि इस प्रकार का कोई अनुदान या प्रमोटर अंशदान की प्रकृति का कोई अनुदान नहीं है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा। |
| 7.       | <b>2.5 पट्टे</b><br>एक अनुबंध पट्टा कहलाता है, या पट्टा में निहित होता है, यदि अनुबंध, प्रतिफल के बदले में, एक निश्चित अवधि के लिए किसी चिन्हित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.5 पट्टे</b><br>एक अनुबंध पट्टा कहलाता है, या पट्टा में निहित होता है, यदि अनुबंध, प्रतिफल के बदले में, एक निश्चित अवधि के लिए किसी चिन्हित परियोजना के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। | यदि कंपनी पट्टेदार है, तो पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार नई नीति कॉलम में हाइलाइट किए गए तीन बिंदुओं को शामिल करके और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। यह आईएनडीएस के अनुरूप है। | इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।                                                                                           |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|          | <p>परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।</p> <p><b>2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी</b></p> <p>के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मान्यता देनी होगी, बशर्ते कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।</p> <p>इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम करके तथा किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधनों को दर्शाने के लिए वहन राशि को पुनः मापकर मापा जाता है।</p> <p>वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।</p> <p>उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यहास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर देता है या</p> | <p><b>2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी</b></p> <p>कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले में किसी समयावधि के लिए पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (i) अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं और (iii) कंपनी के पास परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।</p> <p>के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मान्यता देनी होगी, बशर्ते कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।</p> <p>इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम करके तथा किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधनों को दर्शाने के लिए वहन राशि को पुनः मापकर मापा जाता है।</p> <p>लीज देयता को शुरू में भविष्य के लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लीज भुगतानों को लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन लीज की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी, तो लीज देयताओं को संबंधित उपयोग के अधिकार परिसंपत्ति में संगत समायोजन के साथ पूर्व-मापा जाता है। लीज देयता और ROU परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और लीज भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लीज देयता दायित्वों को "वित्तीय देयताएँ" शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।</p> |          |                   |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|          | <p>यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टाधारक खरीद विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टाधारक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यहास आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टा अवधि के अंत में से जो भी पहले हो, तक करेगा।</p> <p><b>2.5.2 कंपनी पट्टेदार के रूप में</b> सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे होते हैं या वित्तीय पट्टे होते हैं।</p> <p>एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है।</p> <p>एक पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित नहीं करता है</p> <p><b>परिचालन ठेके</b> - परिचालन पट्टों से प्राप्त पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो जाता है।</p> <p><b>वित्त पट्टे-</b> वित्तीय पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्तियों को शुरू में इसकी बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और</p> | <p>वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।</p> <p>उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यहास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर देता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टाधारक खरीद विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टाधारक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यहास आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टा अवधि के अंत में से जो भी पहले हो, तक करेगा।</p> <p><b>2.5.2 कंपनी पट्टेदार के रूप में</b></p> <p>परिसंपत्तियों को या तो वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है</p> <p><b>वित्त पट्टा:</b> यदि कोई पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करता है, तो उसे वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त आय को पट्टे की अवधि में मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर वापसी की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है।</p> <p><b>ऑपरेटिंग लीज़:</b> एक लीज़ जिसे वित्तीय लीज़ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, एक ऑपरेटिंग लीज़ है। कंपनी ऑपरेटिंग लीज़ पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में लीज़ भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।</p> |          |                   |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रभाव/टिप्पणियाँ        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          | <p>उन्हें पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पट्टे इसके बाद, पट्टे की अवधि के दौरान वित्त आय को मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में पट्टाकर्ता के शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है।</p>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 8.       | <p><b>2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)</b></p> <p>भूमि को ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित होते हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्स्थापन लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।</p> | <p><b>2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यहास</b></p> <p>पीपीई की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।</p> <p>पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या बहाली लागत शामिल होती है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित होते हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।</p> <p>(घ) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।</p> | <p>भूमि अधिग्रहण के मामले में पुनर्वास व्यय के पूंजीकरण के लिए एक पैरा जोड़ा गया है जिसे नई नीति कॉलम में रेखांकित किया गया है। अधिकांश मामलों में ये लेन-देन उत्पादन सहायक कंपनी में होता है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता।</p> <p>उधार पर ब्याज के पूंजीकरण के लिए एक पैरा जोड़ा गया है।</p> <p>यह आईएनडीएस के अनुरूप है।</p> | कोई वित्तीय प्रभाव नहीं. |
| 9.       | <p><b>2.7 अमूर्त संपत्ति</b></p> <p>अलग-अलग अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि पर उनका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद,</p>                                           | <p><b>2.7 अमूर्त संपत्ति</b></p> <p>अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर आरंभिक मान्यता पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय शामिल होता है। आरंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि को घटाकर लागत पर रखा जाता है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>तीन पैरा जोड़े गए हैं (नई नीति कॉलम में रेखांकित):</p> <p>1)अमूर्त परिसंपत्तियों में बाद के व्यय की मान्यता।</p> <p>2)अमूर्त आस्तियों की मान्यता रद्द करना तथा लाभ/हानि का उपचार।</p>                                                                                                                                       | कोई वित्तीय प्रभाव नहीं. |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | परिवर्तन                                                                                                                                                         | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          | <p>अमूर्त संपत्तियों को लागत में से किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर गणना की जाती है) और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर ले जाया जाता है।</p> <p>पूँजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन को या तो सीमित या अनिश्चित के रूप में आंका जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो उन्हें क्षति के लिए आंका जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। परिसंपत्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित उपयोगी जीवन या अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने के लिए उचित माना जाता है, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन</p> | <p>अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना होती है कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।</p> <p>अमूर्त परिसंपत्ति की एक मद को निपटान पर या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता समाप्त कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।</p> <p>पूँजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन को या तो सीमित या अनिश्चित के रूप में आंका जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो उन्हें क्षति के लिए आंका जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। परिसंपत्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित उपयोगी जीवन या अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने के लिए उचित माना जाता है, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।</p> | <p>3) अनुसंधान एवं विकास के मामले में व्यय का उपचार।</p> <p>यह सब आईएनडीएस का हिस्सा है और इसे बेहतर स्पष्टता के लिए जोड़ा गया है। यह आईएनडीएस के अनुरूप है।</p> |                   |





| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रभाव/टिप्पणियाँ                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          | <p>व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।</p> <p>अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उसकी क्षति के लिए जांच की जाती है।</p> <p>अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उसकी क्षति के लिए जांच की जाती है।</p> <p>शोध पर व्यय को व्यय के रूप में तब जोड़ा जाता है जब वह व्यय होता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन रखने का इरादा रखती है।</p>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| 10.      | <p><b>2.9.1 वित्तीय परिसंपत्तियां</b></p> <p><b>2.9.1 प्रारंभिक पहचान और माप</b></p> <p>सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है (नियमित तरीके से व्यापार) को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, यानी, वह तिथि जिस पर कंपनी परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।</p> | <p><b>2.9.1 वित्तीय परिसंपत्तियां</b></p> <p><b>2.9.1 प्रारंभिक पहचान और माप</b></p> <p>सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है (नियमित तरीके से व्यापार) को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, यानी, वह तिथि जिस पर कंपनी परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्य जिसमें एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है, उसे लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।</p> | <p>व्यापार प्राप्तियों के मामले में लेनदेन मूल्य को अपनाने के संबंध में अंत में कुछ पंक्तियां (नई नीति कॉलम में रेखांकित) जोड़ी गई हैं क्योंकि इसमें कोई वित्तपोषण घटक नहीं है।</p> <p>इसे बेहतर समझ के लिए नीति में जोड़ा गया है। यह आईएनडीएस के अनुरूप है।</p> | <p>इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।</p> |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | परिवर्तन                                                                                                                                    | प्रभाव/टिप्पणियाँ                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 11.      | <p><b>2.9.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं</b></p> <p>लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।</p> <p>व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।</p> <p>लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर इस तरह नामित किया जाता है, और केवल तभी जब भारतीय लेखा मानक 109 में मानदंड संतुष्ट हों। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के लिए, स्वयं के क्रेडिट जोखिम में</p> | <p><b>2.9.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं</b></p> <p>लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।</p> <p>व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।</p> | <p>पुरानी नीति का अंतिम पैरा (पुरानी नीति के कॉलम में रेखांकित) हटा दिया गया है, क्योंकि नीति का सार केवल उपरोक्त पैरा से ही स्पष्ट है।</p> | <p>इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।</p> |



| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रभाव/टिप्पणियाँ                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानि को बाद में P&L में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। हालाँकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी भी वित्तीय देयता को नामित नहीं किया है।                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| 12.      | <p><b>2.16.3.5 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप</b></p> <p>जब बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को DCF मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहाँ संभव हो, वहाँ अवलोकनीय बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, वहाँ उचित मूल्य निर्धारित करने में कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट के विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं</p> | <p><b>2.9.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप</b></p> <p>उचित मूल्य वह मूल्य है जो वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।</p> <p>कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जो ऐसे माप के लिए प्रयुक्त इनपुट के अवलोकन की क्षमता पर निर्भर करता है:</p> <p>(ए) स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं।</p> <p>(बी) स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं।</p> <p>(सी) स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अवलोकनीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।</p> <p>कंपनी के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है, जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापनों की देखरेख की समय जिम्मेदारी है,</p> | नई नीति में इस नीति के क्रम में बदलाव किया गया है। इसे ऊपर लाया गया है। उचित मूल्य मापने के लिए तीन स्तरों की विधि पहले से ही अपनाई जा रही थी और वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की तालिका में शामिल की गई थी। इसे बेहतर स्पष्टता के लिए नीति भाग में लाया गया था। यह INDAS के अनुरूप है। | इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है। |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रभाव/टिप्पणियाँ                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करती है जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| 13.      | <p><b>2.10 कराधान</b></p> <p>आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और स्थगित कर का योग दर्शाता है।</p> <p>वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की ऐसी मदें शामिल नहीं हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।</p> <p>आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से या किसी ऐसे लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ को।</p> <p>सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देनदारियों को मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर को उलटने पर नियंत्रण करने में सक्षम है और यह संभावना है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य</p> | <p><b>2.10 कराधान</b></p> <p>आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और स्थगित कर का योग दर्शाता है।</p> <p>वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की ऐसी मदें शामिल नहीं हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।</p> <p>आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से या किसी ऐसे लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ को।</p> <p>सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देनदारियों को मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर को उलटने पर नियंत्रण करने में सक्षम है और यह संभावना है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य</p> | <p>अंत में एक पैरा जोड़ा गया है (नए नीति कॉलम में रेखांकित) जो आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और आस्थगित आयकर देयता के ऑफसेट के बारे में है, जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देयताओं के ऑफसेट के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। यह प्रावधान की बेहतर समझ के लिए किया गया है। यह INDAS के अनुरूप है।</p> | <p>इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।</p> |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|          | <p>को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सदभावना से या किसी ऐसे लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ को।</p> <p>सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देनदारियों को मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर को उलटने पर नियंत्रण करने में सक्षम है और यह संभावना है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होंगे।</p> <p>आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।</p> <p>आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, जो कर दर (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।</p> <p>आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के अनुसार होंगे।</p> <p>चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, चालू और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां चालू कर या आस्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।</p> <p>आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर</p> | <p>अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होंगे।</p> <p>आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।</p> <p>आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, जो कर दर (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।</p> <p>आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के अनुसार होंगे।</p> <p>चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, चालू और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां चालू कर या आस्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।</p> <p>आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर</p> |          |                   |



| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|          | <p>पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।</p> <p>आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, जो कर दर (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।</p> <p>आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के अनुसार होंगे।</p> <p>चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, चालू और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां चालू कर या आस्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है,</p> | <p>देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं, जहां शेष राशि को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा होता है।</p> |          |                   |



| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | परिवर्तन                                                                                                                                                     | प्रभाव/टिप्पणियाँ                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          | <p>वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                         |
| 14.      | <p><b>2.12 विदेशी मुद्रा</b></p> <p>कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश परिचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए (आईएनआर) में है, जो उस आर्थिक परिवेश की प्रमुख मुद्रा है जिसमें यह परिचालन करती है।</p> <p>विदेशी मुद्राओं में किए गए लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को उन दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित किया गया था, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।</p> <p>विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।</p> | <p><b>2.12 विदेशी मुद्रा</b></p> <p>विदेशी मुद्राओं में किए गए लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को उन दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित किया गया था, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।</p> <p>विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।</p> | <p>कार्यात्मक मुद्रा के लिए एक पैरा (पुराने नीति कॉलम में रेखांकित) को भाग 2.1.1 में राशि को पूर्णांकित करने वाले शीर्षक में स्थानांतरित कर दिया गया है।</p> | <p>इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।</p> |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रभाव/टिप्पणियाँ                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 15.      | <p><b>2.13.1 स्टोर और स्पेयर्स</b></p> <p>केंद्रीय और क्षेत्रीय स्टोरों में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें ढीले उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक को मूल्यांकित स्टोर खाता बही में दिखाई देने वाले शेष के अनुसार माना जाता है और भारत औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/ उप-स्टोर /ड्रिलिंग कैंप/उपभोग केंद्रों में पड़े भंडार और स्पेयर पार्ट्स की सूची को वर्ष के अंत में केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार माना जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।</p> <p>अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और स्पेयर्स के लिए 100% की दर से प्रावधान किया जाता है, तथा 5 वर्षों तक स्थानांतरित न किए गए स्टोर और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान किया जाता है।</p> <p><b>2.13.2 अन्य इन्वेंटरी</b></p> <p>हालाँकि, स्टेशनरी के स्टॉक को इन्वेंटरी में नहीं गिना जाता क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है।</p> | <p><b>2.13 इन्वेंटरी</b></p> <p><b>2.13.1 स्टोर, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंटरी</b></p> <p>अन्य इन्वेंटरी सहित भंडार और अतिरिक्त सामान के स्टॉक का मूल्यांकन भारत औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।</p> <p>अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और स्पेयर्स के लिए 100% की दर से प्रावधान किया जाता है, तथा 5 वर्षों तक स्थानांतरित न किए गए स्टोर और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान किया जाता है।</p>                                                           | <p>इससे पहले कंपनी की नीति के अनुसार स्टेशनरी, दवाइयाँ और अन्य उपभोग्य सामग्रियों को स्टॉक में नहीं लिया जाता था, लेकिन संशोधित नीति के अनुसार इसे स्टॉक में लेना होगा।</p> <p>अन्य इन्वेंटरी के लिए पैरा (पुराने नीति कॉलम में रेखांकित) हटा दिया गया है। यह INDAS के अनुरूप है।</p> | <p>इसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं है।</p>                                          |
| 16.      | <p><b>2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां</b></p> <p>प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताए जाते हैं।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां</b></p> <p>प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है, वहां प्रावधान दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताए जाते हैं।</p> | <p>आकस्मिक परिसंपत्तियों के संबंध में नया पैरा (नई नीति कॉलम में रेखांकित) जोड़ा गया है। यह आईएनडीएस के अनुरूप है।</p>                                                                                                                                                                | <p>चूंकि कोई आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है, इसलिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।</p> |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | परिवर्तन | प्रभाव/टिप्पणियाँ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|          | <p>दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है, वहां प्रावधान दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताए जाते हैं।</p> <p>प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।</p> <p>जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर-दूर तक न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर-दूर तक न हो।</p> <p>आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से परिलक्षित हो।</p> <p>आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, जब आय की प्राप्ति लगभग निश्चित होती है, तो संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होती है और इसकी मान्यता उचित होती है।</p> | <p>प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।</p> <p>जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर-दूर तक न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर-दूर तक न हो।</p> <p>आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से परिलक्षित हो।</p> |          |                   |

| क्रम सं. | पुरानी नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रभाव/टिप्पणियाँ                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 17.      | <p><b>2.16.2 लेखांकन नीतियों का निर्माण</b></p> <p>निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और उनके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों की घोषणाओं पर विचार करता है, जो लेखांकन मानकों को विकसित करने के लिए समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं पर, इस सीमा तक कि ये उपरोक्त पैराग्राफ में दिए गए स्रोतों के साथ संघर्ष नहीं करते हैं।</p>                                                                                                                                             | <p><b>2.16.2 लेखांकन नीतियों का निर्माण</b></p> <p>निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और उनके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों की घोषणाओं पर विचार करता है, जो लेखांकन मानकों को विकसित करने के लिए समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं पर विचार करता है, इस सीमा तक कि ये भारतीय लेखांकन मानक और लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के साथ संघर्ष नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में कहा गया है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>बेहतर समझ के लिए भारतीय लेखांकन मानक और प्रथाओं का संदर्भ देने के लिए कुछ पंक्तियाँ (नई नीति कॉलम में हाइलाइट की गई) जोड़ी गई हैं।</p>                                                                                                                | <p>इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।</p> |
| 18.      | <p><b>2.16.3.1 अनुमान और मान्यताएँ</b></p> <p>रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएँ, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। कंपनी ने अपनी धारणाएँ और अनुमान वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किए। हालाँकि, भविष्य के विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियों और धारणाएँ, बाज़ार में होने वाले बदलावों या ऐसी परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं।</p> | <p><b>2.16.3.1 अनुमान और मान्यताएँ</b></p> <p>रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएँ, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। कंपनी ने अपनी धारणाएँ और अनुमान वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किए। हालाँकि, भविष्य के विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियों और धारणाएँ, बाज़ार में होने वाले बदलावों या ऐसी परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब वे धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।</p> <p>अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।</p> | <p>अनुमान के बेहतर मूल्यांकन के लिए तीन नए पैरा (नई नीति कॉलम में रेखांकित) जोड़े गए हैं, जो ऐतिहासिक अनुभव, अन्य कारक, अनुमान में संशोधन और अनुमान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता वाले अनुमान को संदर्भित करते हैं। यह आईएनडीएस के अनुरूप है।</p> | <p>इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।</p> |





| क्रम सं. | पुरानी नीति                                             | नई नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | परिवर्तन                                                                                                           | प्रभाव/टिप्पणियाँ                |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब धारणाएँ परिलक्षित होती हैं। | अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।<br><br>लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग जिसके लिए आलोचनात्मक निर्णय की आवश्यकता होती है और लेखांकन अनुमान जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं तथा इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में मान्यताओं का उपयोग नीचे बताया गया है : |                                                                                                                    |                                  |
| 19.      | शून्य                                                   | <b>2.16.3.5 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति</b><br><br>कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति का पूंजीकरण करता है। लागतों का आरंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे मंजूरी दी जाती है ।                                                                                 | विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए नया पैरा (नई नीति कॉलम में रेखांकित) जोड़ा गया है। यह आईएनडीएस के अनुरूप है। | इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है। |

नीचे दी गई तालिका में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों में किए गए परिवर्तनों और कंपनी पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है ।

| क्र. सं. | आई एन डी ए एस में परिवर्तन                                             | परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रभाव                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 01       | IndAS 16 संपत्ति संयंत्र और उपकरण                                      | <b>इच्छित उपयोग से पहले की आय का लेखा-जोखा .</b><br><br>उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय का परीक्षण की लागत से अधिक होना, यदि कोई हो, लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त नहीं होगा, बल्कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के भाग के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से देय लागतों में से घटा दिया जाएगा।                                                                                                                                                                                 | इस परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है। |
| 02       | भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां | <b>अनुबंध को पूरा करने के लिए लागत का निर्धारण</b><br><br>किसी अनुबंध को पूरा करने की लागत में वे 'लागतें शामिल होती हैं जो अनुबंध से सीधे संबंधित होती हैं।' अनुबंध से सीधे संबंधित लागतें या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागतें हो सकती हैं (उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित होती हैं (उदाहरण के लिए अनुबंध को पूरा करने में उपयोग की जाने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मूल्यहास शुल्क का आवंटन)। | इस परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है। |

| क्र. सं. | आई एन डी ए एस में परिवर्तन                                               | परिवर्तन                                                                                                                                            | प्रभाव                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 03       | आईएनडीएस 103 व्यवसाय संयोजन                                              | वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढांचे का संदर्भ                                                                                              | कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं है इसलिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। |
| 04       | आईएनडीएस 101 भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना                    | सहायक कंपनी ने पहली बार IndAS को अपनाया                                                                                                             | कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं है इसलिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। |
| 05       | आईएनडीएस 109 वित्तीय उपकरण                                               | वित्तीय देनदारियों की पहचान रद्द करने के लिए '10 प्रतिशत' परीक्षण में शुल्क                                                                         | कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं है इसलिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। |
| 06       | आईएनडीएस 41, कृषि                                                        | उचित मूल्य माप में कराधान                                                                                                                           | कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं है इसलिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। |
| 07       | आईएनडीएस 01, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति                                | इस संशोधन के तहत यह आवश्यक है कि संस्थाएं अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय भौतिक लेखांकन नीतियों का खुलासा करें।                             | इसे लेखा नीति में विधिवत शामिल कर लिया गया है।                |
| 08       | आईएनडीएस 08, लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां | इस संशोधन ने लेखांकन अनुमान की परिभाषा प्रस्तुत की                                                                                                  | इसे लेखा नीति में विधिवत शामिल कर लिया गया है।                |
| 09       | आईएनडीएस 12, आयकर                                                        | इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है, ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और प्रतिपूरक अस्थायी अंतर को जन्म देते हैं। | इस संशोधन का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।       |

#### (ड) (क) विविध जानकारी

इन समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स सूचनात्मक प्रकटीकरण के साधन के रूप में काम करने और समूह की समेकित स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए अभिप्रेत हैं। इस उद्देश्य को पहचानते हुए, कंपनी ने व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों से केवल ऐसी नीतियों और नोट्स का खुलासा किया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण को उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

#### (ख) अन्य

- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए बैलेंस शीट की तिथि पर कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ था।
- जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष/अवधि के आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत, पुनः समूहीकृत और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- नोट-1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनते हैं और 12 से 15 उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा बनते हैं। नोट-16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

# सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)



V. वित्तीय विवरण को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11.03.2013 की बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है।

नोट 1 से 16 तक हस्ताक्षर।

ह०/-  
(ए. मुँधड़ा)  
कंपनी सचिव

ह०/-  
(एस.बी. तिवारी)  
सीएफओ

ह०/-  
(एस.नागाचारी)  
निदेशक  
डीआईएन-09729657

ह०/-  
(मनोज कुमार)  
अध्यक्ष-सह-  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन- 09225497

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार  
के.सी. टाक एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
फर्म पंजीकरण संख्या-000216सी

ह०/-  
(सीए अनिल जैन)  
पार्टनर

दिनांक: 25-04-2024  
स्थान: - रांची

सदस्यता संख्या-079005  
यूडीआईएन- 24079005BKGUAX2993



**सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड  
डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड**

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)  
एक मिनी रल कंपनी (कैट-I)

आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड,

रांची - 834 008

[www.cmpdi.co.in](http://www.cmpdi.co.in)

सीआईएन: यू4292 जेएचा975 जीओआई 001223

